खण्ड-372, अंक-5
सोमवार, 28 श्रावण, शक संवत् 1907
(19 अगस्त, 1985 ई0)

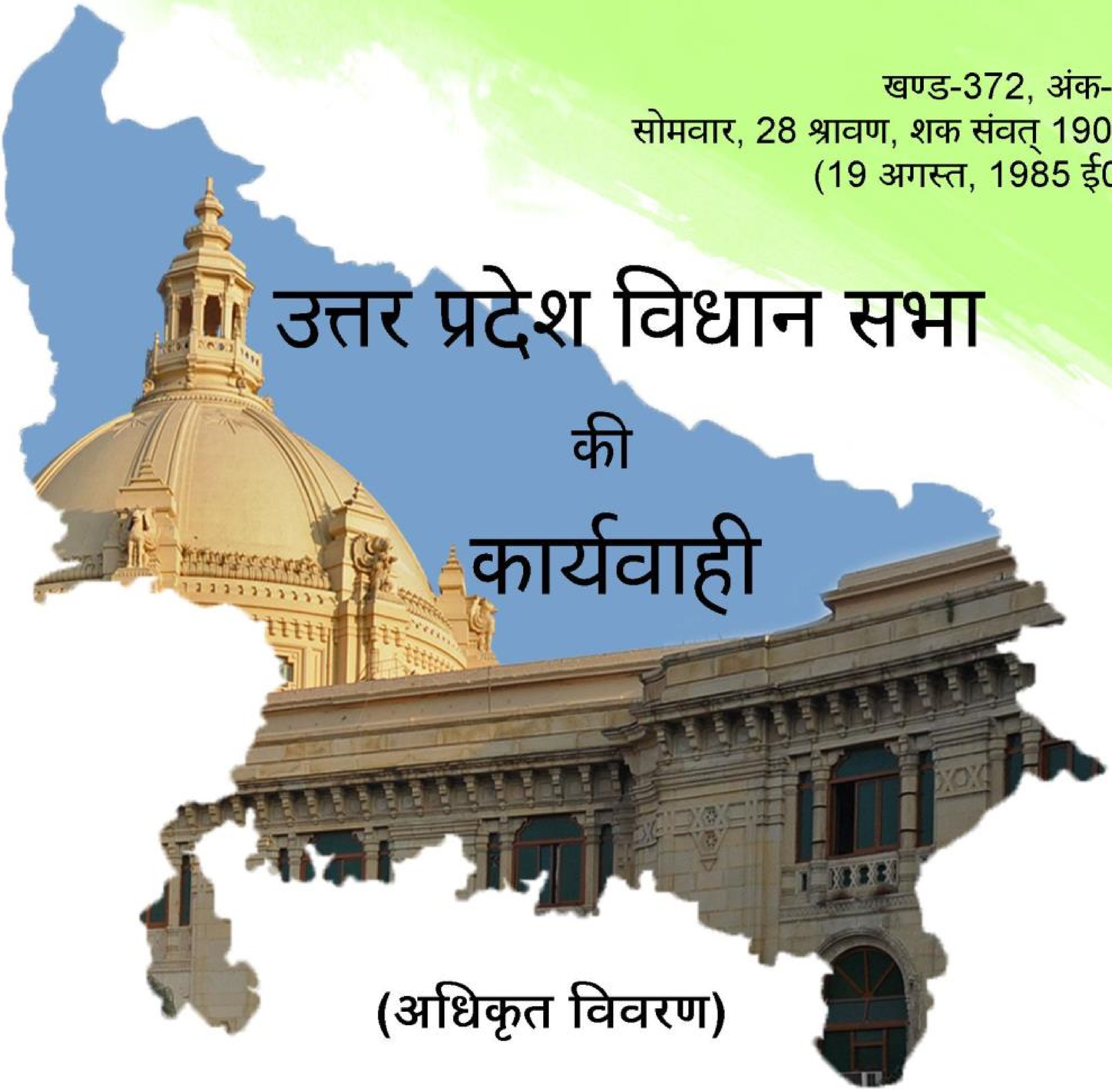

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 372 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, इलाहबाद , उत्तर प्रदेश (भारत)
1985

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
प्रश्नोत्तर	1-66
प्रश्नों के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न	66-70
राजकीय कताई मिल अकबरपुर, फैजाबाद में सत्तारूढ़ दल के राजनैतिक हस्तक्षेप से श्रमिकों में अशान्ति व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70-71
मेरठ मण्डल के अन्तर्गत आम के पेड़ों में भयंकर रोग लगने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	71
नारखी के ग्राम गोगनी में प्राइमरी पाठशाला के मृत अध्यापक श्री महाराज सिंह व श्री मनीराम नाई के परिवारों को मुआवजा देने तथा आगरा जिले के जीर्ण शीर्ण स्कूलों के मरम्मत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	71
सजनाम बांध में पानी रोक देने से जनपद ललितपुर के कतिपय गांवों में बीमारियां फैलने तथा तबाही के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72
थाना तिलहर, चौकी मदनापुर, जिला शाहजहांपुर की कर्मजीत कौर का कत्ल किये जाने तथा जांच में लापरवाही करने वाले शाहजहांपुर के प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	72
जनपद उन्नाव में गंगा नदी से डलमऊ बी नहर के निर्माण में विलम्ब होने तथा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा शीघ्र दिलाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73
नगर, वाराणसी, काशी विश्वविद्यालय, गंगा नदी के घाटों पर स्टीमर बोट चलाने से मल्लाहों में भुखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73
जनपद नैनीताल के कोषागार में व्याप्त भ्रष्टाचार व लाखों रुपये के गबन एवं घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	73
विधायक आवासों की समुचित सुरक्षा एवं प्रबन्ध हेतु "आवास मंत्रणा एवं किचेन समिति" का गठन किये जाने की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	74

विषय	पृष्ट संख्या
मुख्य मन्त्री तथा विश्व बैंक के अध्यक्ष के मध्य वाराणसी में हुयी वार्ता की जानकारी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	75-77
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय (जारी)	78
22 अगस्त, 1985 को न्यायपालिका के अधिकारियों द्वारा विधान भवन के समक्ष प्रदर्शन की कार्यपालिका के अधिकारियों द्वारा अनुमति न दिये जाने पर औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास (जारी)	78
18 अगस्त, 1985 को कृषि मन्त्री द्वारा पत्रकार सम्मेलन में चार नीति सम्बन्धी घोषणाएं सत्र के दौरान किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	79
22 अगस्त, 1985 को न्यायपालिका के अधिकारियों द्वारा विधान भवन के समक्ष प्रदर्शन की कार्यपालिका के अधिकारियों द्वारा अनुमति न दिये जाने पर औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास	80
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय 16 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के राजस्व मन्त्री द्वारा दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	81-97
उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985 (राज्यपाल महोदय की अनुमति की घोषणा)	98
बरेली में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने, राजकीय इण्टर कालेज, बरेली के भवन का पुनर्निर्माण तथा बरेली में महिला पालिटेक्निक खोलने के सम्बन्ध में याचिका (उपस्थित की गयी)	98
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	98-110
चुनार, मिर्जापुर में दरोगा द्वारा श्री यदुनाथ सिंह के प्रति अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण	110
1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या 39-मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या 56- शिक्षा विभाग (स्वीकृत)	111-179
अनुदान संख्या 26-नियोजन विभाग (स्वीकृत)	179
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985 (संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	179-190
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	190
बांदा जनपद मसौनी पम्प कैनाल योजना के अधूरे निर्माण के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य के स्थगन की सूचना	190
नत्थियां	191-197

विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 19 अगस्त, 1985

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे ।

अब्दुल वहीद कुरैशी, श्री	मेरठ
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन
आसान सिंह, श्री	इटावा
कनक सिंह, श्री	गाजियाबाद
कल्यान सिंह, श्री	अलीगढ़
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
कृष्णा रावत, कुमारी	लखनऊ
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर
जयदीप सिंह बरार, श्री	बरेली
दलजीत सिंह, श्री	रामपुर
दीपक कुमार, श्री	मुजफ्फरनगर
नंगाराम, श्री	खीरी
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेश चन्द्र, श्री	लखनऊ
पशुपतिनाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर
पुष्कर सिंह, श्री	गढ़वाल
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़
बलवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
ब्रजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
भगवती प्रसाद, चौधरी	मिर्जापुर
भीखा राम, श्री	आजमगढ़
भृगुनाथ भट्ट, श्री	गोरखपुर
मंगलदेव, श्री	गोण्डा
मानपाल सिंह, एडवोकेट, श्री	एटा
मुस्तमन्द अली खां, श्री	मथुरा
मैनेजर सिंह, श्री	बलिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद रिजवानुल हक, श्री	मुरादाबाद
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
रजनीकान्त, श्री	वाराणसी
राज बहादुर, श्री	जौनपुर
राजेन्द्र सिंह सोलंकी, श्री	बुलन्दशहर
राम रतन सिंह, श्री	सीतापुर
राम लक्षन, श्री	गोरखपुर
रीना कुमारी, श्रीमती	मुरादाबाद
लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
लोकपति त्रिपाठी, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
वीर बहादुर सिंह, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
शौनाथ सिंह, श्री	बिजनौर
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गढ़वाल
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
हर नारायन सिंह, श्री	रायबरेली
हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश चन्द्र (हरीश जी), श्री	बस्ती

नोट :—श्री अरुण कुमार सिंह— सह कारिता मंत्री

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

सोमवार, दिनांक 19 अगस्त, 1985

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का विकेन्द्रीकरण

**1—श्री राम गोविन्द चौधरी, श्री राकेश धर त्रिपाठी, श्रीमती विजय लक्ष्मी श्री श्रीप्रकाश सिंह, श्री रणजीत—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम को इस सत्र तक चार हिस्सों में बांटने का निगम का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इसका प्रारूप क्या है और कब तक लागू किया जायगा ?

परिवहन मंत्री (राजकुमार संजय सिंह)—

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को 4 हिस्सों में बांटने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है ।

निगम की सेवाओं में सुधार लाने हेतु तथा संचालन एवं कार्यशालाओं की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निगम के पुनर्गठन की आवश्यकता का अनुभव किया गया । इसके लिए पल्लवन ट्रान्सपोर्ट कन्सलटेन्सी एजेन्सी, मद्रास के माध्यम से परीक्षण कराया गया । उक्त एजेन्सी की संस्तुतियां प्राप्त हो गयी हैं और उनका परीक्षण निगम स्तर पर किया जा रहा है ।

राजकुमार संजय सिंह—

यह जवाब तीन तारीख के परिपेक्ष्य में था । अब विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है, इसकी सूचना मैं दे रहा हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

मैं पूछना चाहता हूं कि पलवन ट्रान्सपोर्ट कन्सलटेन्सी एजेन्सी, मदास से जो परीक्षण कराया गया, उसकी संस्तुतियां क्या हैं ? माननीय मंत्री जी ने कहा विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है, मैं उसका स्वरूप जानना चाहता हूं ।

राजकुमार संजय सिंह—

पूरा स्वरूप मण्डल स्तर पर एक आटोनामस रीजन बनाया जाय, वहां एक स्वतन्त्र यूनिट बनेगी । एक कार्यशाला कानपुर, एक सिटी बस आपरेशन है, उसके लिए स्वतन्त्र रीजन बनाया गया है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी—

अभी मंत्री जी ने कहा विकेन्द्रीकरण कर दिया है । मण्डल स्तर पर एक डायरेक्टर नियुक्त करने की योजना है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह 4 हिस्सों में या कई हिस्सों में बांटने की प्रक्रिया है, या नहीं । इससे परिवहन विभाग को क्या लाभ होगा ।

राजकुमार संजय सिंह—

माननीय चौधरी साहब का स्पष्ट सवाल था क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य सड़क परिवहन निगम को इस सत्र तक चार हिस्सों में बांटने का निगम का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है । इसका उत्तर यह है कि ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है । उसकी संस्तुति 16 हिस्सों में बांटने की थी । सिटी बस आपरेशन, एक कार्यशाला । उसके हिसाब से 14 हिस्से किये गये ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

जैसा मंत्री जी ने कहा निगम के पुनर्गठन के लिए, पल्लवन ट्रान्सपोर्ट से परीक्षण कराया गया । राम गोविन्द चौधरी का सीधा सवाल था कि उस एजेन्सी ने क्या संस्तुति दी, उसमें कितनी लागू की गई और बाकी के बारे में क्या सोच रहे हैं ।

राजकुमार संजय सिंह—

उनकी संस्तुति थी कि 16 हिस्सों में बांटा जाय । इसके पश्चात् एक एक्सपर्ट ग्रुप तैयार किया गया, जिसमें उनके डायरेक्टर एक सदस्य थे, टेलको के टेक्निकल इन्जीनियर थे, सी0 आई0 आर0 टी0 के एम0 डी0, बी0 ई0 एस0 टी0 का एक सदस्य, डी0 टी0 सी0 के एम0 डी0 थे और प्रदेश के वित्त सचिव और नियोजन सचिव थे । उस एक्सपर्ट ग्रुप ने उस पर विचार किया, प्रदेश की आवश्यकता, प्रदेश के कल्चर, साइज को देखते हुए, एक्सपर्ट ग्रुप ने निर्णय लिया कि 14 हिस्सों में बांटा जाय, उसके क्रियान्वयन करने के लिए परिवहन बजट के दिन बात रखी गयी थी ।

श्री भगवती सिंह विशारद—

क्या माननीय परिवहन मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब वे अपने विभाग को 14 भागों में विभक्त करेंगे, तो उससे कितना प्रशासनिक व्यय बढ़ेगा और इसकी पूर्ति के लिए क्या साधन होंगे ?

राजकुमार संजय सिंह—

मान्यवर, इसके कार्यान्वयन के लिए एक अलग कमेटी बनाई गई है जो सारी चीजों को देख रही है और जैसे ही उसकी जानकारी होगी, माननीय सदन को उसकी सूचना दे दी जायगी ।

प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों का अनशन एवं मांग

**2—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों के अध्यापक अपनी मांगों पर बल देने के लिए आजकल विधान भवन के सम्मुख क्रमिक अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं तथा उन पर शासन की क्या नीति है ?

शिक्षा राज्य मंत्री (श्री संकठा प्रसाद शास्त्री)—

जी हां । उनकी मांगे संलग्न सूची में उल्लिखित हैं, उन पर राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में यथोचित निर्णय लिया जायगा ।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 191 पर ।)

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैंने पूछा था कि क्या क्रमिक अनशन कर रहे हैं ? यदि हां, तो उनकी मांगे क्या हैं तथा उन पर शासन की क्या नीति है ? मंत्री जी ने शासन की नीति बताई कि निर्णय लिया जायगा । तो यह तो कोई नीति हुई नहीं । मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि जो संस्कृत विद्यालयों के अध्यापक आमरण अनशन कर रहे हैं, उनकी बहुत सी मांगे हैं, लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि वेतन वितरण अधिनियम तत्काल लागू कर अन्य शिक्षकों के समान प्रतिमास वेतन का भुगतान । मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जब आज प्राइमरी से विश्वविद्यालय तक सभी स्तर पर अध्यापकों के वेतन का दायित्व शासन ने ले रखा है तो संस्कृत विद्यालय के अध्यापकों के साथ भेदभाव बरते जाने का क्या कारण है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, भेदभाव करने का कोई कारण नहीं है । उनके लिये वेतन वितरण अधिनियम लागू करने के लिए वित्त विभाग को लगभग 10 करोड़ रुपये खर्च करने होंगे । चूंकि वित्तीय संसाधन इतने नहीं हैं, ऐसी स्थिति में तत्काल यह व्यवस्था नहीं हो पा रही है । जैसे ही संसाधन उपलब्ध हो जाएंगे, व्यवस्था हो जायगी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, उत्तर से पता चला कि वित्तीय कठिनाई है । तो वित्तीय कठिनाई तो शासन को हर निर्णय लेने में है । टेबिल खरीदनी हो तो उसमें भी वित्त की आवश्यकता है । मैं पूछना चाहता हूं कि जब प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक सबको वेतन अधिनियम के अन्तर्गत लेने में संकोच नहीं किया, और देश की संस्कृति को समझने के लिये संस्कृत पर ध्यान देने की आवश्यकता है, मंत्री जी ने इस बात से सहमति दी है तो मैं जानना चाहूंगा कि यह भेदभाव संस्कृत अध्यापकों के साथ बरतने का क्या कारण है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, कह तो दिया कि भेदभाव की कोई बात नहीं है, चूंकि वित्तीय संसाधन नहीं हैं, इस वजह से व्यवस्था नहीं हो पा रही है ।

श्री अध्यक्ष—

कह तो रहे हैं कि साधन नहीं हैं।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने वित्तीय साधनों की कमी की बात कही, तो दूसरा सवाल मैं जानना चाहूंगा कि 1979 से 1982 तक जो वेतन वितरण हो रहा है, उसका एरियर बकाया है, जबकि प्राइमरी से लेकर विश्वविद्यालय तक सबको एरियर दे दिया गया है, क्या उनमें वित्तीय साधनों की जरूरत नहीं है । यह तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसको देने के लिए बचनबद्ध हैं । इसको अब तक न देने का क्या कारण है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, एरियर का भुगतान कुछ जिलों में विद्यालयों को कर दिया गया है, कुछ का नहीं दिया है, उसकी व्यवस्था जल्द ही करके भुगतान कर दिया जायगा ।

श्री सुरेन्द्र प्रताप मिश्र—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या वर्तमान समय में संस्कृत के उन अध्यापकों को 3 माह में तनख्वाह दी जाती है ? यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है । प्रतिमाह वेतन देने में क्या परेशानी है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, इसका भुगतान ग्रान्ट पर निर्भर है । वित्त विभाग से ग्रान्ट स्वीकृत होते ही भुगतान कर दिया जाता है । यदि एक माह में देना सम्भव होगा तो व्यवस्था कर दी जायगी ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जानकारी दी कि संस्कृत विद्यालयों में कुछ ऐसे विद्यालय हैं, जिनके एरियर का भुगतान कर दिया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या ऐसे पांच विद्यालयों के नाम गिना सकते हैं, जिनके एरियर का भुगतान कर दिया गया हो ।

श्री अध्यक्ष—

उनको सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

जिन्हें भुगतान कर दिया है, उनकी अलग लिस्ट होगी ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

सूचना एकत्र करनी पड़ेगी ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं । पूरे प्रदेश में किसी भी विद्यालय में भुगतान नहीं किया गया है ।

मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि आप इस प्रश्न को स्थगित कर दीजिए । 5 विद्यालयों के मंत्री जी नाम नहीं बता पाये या इसे प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के सुपुर्द कर दीजिये ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

इसमें दो बातें निहित हैं एक बात वेतन समुदाय के बारे में और दूसरे एरियर्स के बारे में । मंत्री जी ने कहा कि कुछ विद्यालयों में कर दिया गया है, कुछ में किया जा रहा है । मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि किसी भी एक विद्यालय का एरियर्स का भुगतान नहीं किया गया है । मान्यवर, समझा जाता था कि जब प्रश्न आया है तो मंत्री जी के पास पूरी पत्रावली होनी चाहिये । मान्यवर, प्रश्न का महत्व खत्म हो गया है । आप इस प्रश्न को स्थगित कर दें । ताकि इसमें पूरी जानकारी आ सके ।

अभी माननीय सुरेन्द्र मिश्र जी ने सवाल किया कि 3-3 माह का वेतन नहीं दिया जाता है । मान्यवर, क्या यह सही है कि संस्कृत विद्यालयों को त्रैमासिक अनुदान दिया जाता है ? मान्यवर, इनका 1984-85 का जो अनुदान बनता है वह साढ़े पांच लाख के लगभग और इसके विपरीत 4.28 लाख रुपये स्वीकृत किया गया है । मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि पिछले वर्ष 6 महीने किसी भी विद्यालय के अध्यापक को वेतन नहीं मिला । आपके यहां से त्रैमासिक, षष्ठ मासिक अनुदान नहीं दिया गया ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

ऐसी बात नहीं है कि 6 महीने से लगातार नहीं मिल सका है । कुछ लोगों का बकाया है, उसकी व्यवस्था की जा रही है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, संस्कृत अध्यापकों का मामला है । मान्यवर, वे लोग आमरण अनशन पर हैं । 5 आचार्य अनशन पर बैठे हैं । आप सरकार की संवेदनशीलता देख रहे हैं । किसी भी एक विद्यालय का नाम मंत्री जी नहीं बता पाये । आप इसे स्थगित करा दें । पिछले वर्ष अंतिम 6 महीने का वेतन नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न दोहरा दें ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, 1984-85 में 5 लाख का अनुदान बनता था, शासन ने 4.28 लाख रु0 स्वीकृत किया । पिछले वर्ष अंतिम 6 महीने किसी भी विद्यालय के अध्यापक को वेतन नहीं मिला । यदि यह बात सही है तो इसका क्या कारण है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

इसकी स्पष्ट सूचना नहीं है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, जब उन अध्यापकों को समाचार-पत्रों के माध्यम से या सदस्यों

के माध्यम से कल जानकारी होगी तो किसी को शाक भी लग सकता है। किसी अध्यापक की प्राण आहुति भी हो सकती है। आप इसे स्थगित करा दें। मान्यवर, आपकी कृपा दृष्टि उन अध्यापकों पर होनी चाहिए। हम कह सकें कि वे माननीय अध्यक्ष ने कृपा दृष्टि कर इस प्रश्न को स्थगित करा दिया है बाद में इसका उत्तर आ जायेगा। आप इसे स्थगित करा दें।

श्री अध्यक्ष—

शिक्षा मंत्री जी आप इस मामले को देख लें। यह बहुत गम्भीर मामला है। शासन इस पर गौर करे और अध्यापकों की जो शिकायतें हैं, उन्हें दूर किया जाय।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, आप मेरा निवेदन स्वीकार कर लें और इस प्रश्न को स्थगित कर दें। यह बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई अध्यापक मर जायेगा तो उसकी सारी जिम्मेदारी इस आदरणीय सदन की हो जायेगी।

मान्यवर, मैं एक रहस्योद्घाटन करना चाहता हूं। जब संस्कृत के आचार्य लोग माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास मिलने गये तो उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों से बात नहीं करता हूं, यदि आप उर्दू के लिए आते तो मैं आपसे बात करता। संस्कृत के बारे में यह इनकी उपेक्षापूर्ण नीति है, इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस प्रश्न को स्थगित करवा दें। माननीय मंत्री जी के ऐसा कहने पर वे अध्यापक माननीय श्री वासुदेव सिंह जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के यहां गये। आज जब इस संबंध में यहां पर प्रश्न किया गया तो ऐसा उत्तर हमको मिल रहा है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, यह बहुत बड़ा सवाल भी नहीं है। कुछ ही अध्यापकों का मामला है। माननीय मंत्री जी किसी भी प्रकार की सूचना नहीं दे पा रहे हैं। इस प्रश्न को स्थगित करने में कुछ भला ही होगा। मैं तो समझता था कि संसदीय कार्य मंत्री जी स्वयं कहते कि इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय। जब इस प्रश्न में कोई ऐसी बात ही नहीं है तो इस प्रश्न को स्थगित करने में क्या परेशानी है? माननीय अध्यक्ष जी आप हमें संरक्षण दीजिये।

श्री अध्यक्ष—

मेरा पूरा संरक्षण है। माननीय नेता विरोधी दल जी जो जवाब आता है, वह सरकार की सूचना के आधार पर ही यहां दिया जाता है। आप कहते हैं कि इसे स्थगित कर दिया जाय। मैंने अभी शिक्षा मंत्री जी से कहा है कि यह गम्भीर मामला है, इसे वह जल्दी से जल्दी देख लें और मामले को खत्म करें ताकि जो हड़ताल चल रही है, वह समाप्त हो जाये।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, इस प्रकार तो यह मामला समाप्त नहीं हो पायेगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मेरा आपसे आग्रह है कि यदि आप इस प्रश्न को स्थगित नहीं करना चाहते हैं तो इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर दें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपको इस पर कुछ कहना है?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, यह नीतिगत प्रश्न था । माननीय शिक्षा मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, उनको कम से कम यह सिद्धांततः स्वीकार करना चाहिये था कि जो संस्कृत के अध्यापक हैं, उनको भी वेतन वितरण अधिनियम में हम करने जा रहे हैं । यदि वह इसका एलान कर देते तो शेष प्रश्नों के बारे में हमें कुछ नहीं कहना था । लेकिन माननीय मंत्री जी ने सिद्धांततः इसका एलान भी नहीं किया । इस संबंध में सरकार की क्या नीति है । जब पूरे प्रदेश के अध्यापकों को वेतन वितरण अधिनियम में ले लिया गया है तो फिर संस्कृत के अध्यापकों को वेतन वितरण अधिनियम में न लिये जाने का क्या कारण है । अगर कोई कारण नहीं है तो माननीय मंत्री जी इसकी घोषणा कर दें । शेष प्रश्नों के बारे में तो बातें फिर होती रहेंगी। यदि मंत्री जी ऐसा नहीं करते हैं तो मान्यवर, आप इस प्रश्न को प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सौंप दें, वह इस पर निर्णय दे देगी ।

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्नोत्तर का समय है । इस माननीय सदस्य अपने-अपने विचार व्यक्त करेंगे तो फिर यह भाषण हो जायेगा ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, प्रश्न पूछे जा रहे हैं और माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं दे पा रहे हैं । एरियर की बात कही गई । माननीय मंत्री जी एक भी स्कूल का नाम नहीं बता पा रहे हैं । हर प्रश्न पर उनका उत्तर आ रहा है कि सूचना एकत्रित की जायेगी । इसका मतलब यह हुआ कि जो चाहे वह बोलते रहें और हम सुनते रहें ।

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

आपकी अनुमति से मैं कहना चाहता हूं कि शासन संस्कृत भाषा के संवर्धन और संरक्षण के लिए प्रयत्नशील है और यह आरोप लगाना कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, गलत है । अभी करोड़ों रुपये का अनुदान दिया है और मुझे विश्वास है, मेरा यह निश्चित मत है कि और शासन पूर्ण रूप से उनकी समस्याओं पर जागरूक है । जब आप उनके साथ खड़े हैं, तो उन पर कोई शाक लगने की बात नहीं है । प्रदेश के अन्दर बहुत से ऐसे अशासकीय विद्यालय चल रहे हैं जो सीमित साधनों के अन्तर्गत उनको वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत नहीं लाये हैं । इस पर सरकार कोई निर्णय शीघ्र लेगी, इस पर विचार किया जा रहा है ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1—श्री अशोक बाजपेयी—

[दिनांक 31-7-85 को सदन में वक्तव्य होने के कारण निरस्त ।]

राज्य सड़क परिवहन निगम की खराब बसें

*2—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में इस समय लगभग दस हजार राजकीय बसें खराब पड़ी हैं ? क्या यातायात की सुविधा हेतु सरकार राष्ट्रीयकृत मार्गों पर राजकीय सड़क परिवहन की बसों के अतिरिक्त प्राइवेट बसें चलाने की भी अनुमति प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह—

जी नहीं । राज्य सड़क परिवहन निगम के बस बेड़े में अपनी 6081 बसें हैं जिनमें से वर्तमान में 1555 बसें नियमित रख-रखाव तथा मरम्मत हेतु कार्यशालाओं में हैं । अपनी बसों के अलावा राष्ट्रीयकृत मार्गों पर निगम द्वारा अनुबंधन पर प्राइवेट बसें यथावश्यक चलायी जाती हैं ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा अपने उत्तर के सन्दर्भ में 'जी नहीं' । मगर मेरी निश्चित जानकारी है कि आर0 टी0 ओ0 आफिस कानपुर और बरेली में प्राइवेट बस ओनर्स से प्रार्थना-पत्र प्राप्त किये गये हैं, शुल्क प्राप्त किया गया है, सिक्योरिटी प्राप्त करायी गयी है और आर0 टी0 ओ0 ने सूचना दी है कि ऐसे आदेश जी0 ओ0 गये हैं यहां से कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी जो प्राइवेट बस के मालिक बसों को चलाना चाहते हैं, इस तरह का शुल्क जमा करें तो मैं जानना चाहता हूं कि अगर ऐसी नीति है तो वह कार्य कैसे हो रहा है ?

राजकुमार संजय सिंह—

ऐसी कोई नीति नहीं है । इसकी कोई स्पेसिफिक जानकारी नहीं है । अगर इसकी जानकारी करायेंगे तो जो भी अधिकारी, कर्मचारी दोषी पायेंगे उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

जैसा कि मंत्री जी ने कहा 1555 बसें खराब हैं, नहीं चल रही हैं, तो जहां की बसें खराब हैं वहां नहीं चल रही हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जिस रूट की बसें खराब हैं उनके स्थान पर प्राइवेट सेक्टर की बसों को चलाने का आदेश देंगे ?

राजकुमार संजय सिंह—

अनुबन्ध में बसों को आमंत्रित करते हैं, टेण्डर के हिसाब से राष्ट्रीयकृत मार्गों पर बसों की जहां कमी है, वहां लगाते हैं और इसकी हर समय अनवरत प्रक्रिया चलती रहती है । 15 सौ बसें चल रही हैं इस समय पूरे प्रदेश में । जहां भी कम हैं उसकी व्यवस्था यथावश्यक की जायगी ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या अभी हाल में ही सदन के बाहर माननीय मंत्री जी ने कोई ऐसी घोषणा की थी और अधिकारी भी बताते हैं कि राष्ट्रीयकृत मार्गों पर भी प्राइवेट बसों के चलाने के बारे में शासन विचार कर रहा है ? और दूसरा आप अभी बताया कि 15 सौ बसें अनुबंधित चल रही हैं और बजट भाषण में 1120 बताई थीं, तो क्या इस विसंगति को दूर करेंगे ?

मेरा प्रश्न यह है कि जितनी बसें खरीदी हैं और जितनी अनुबंधित चल रही हैं, उसमें जो अन्तर है और आपके जो दो 'वर्जन' हैं उसमें भी अन्तर है, क्या इसको स्पष्ट करने की कृपा करेंगे ?

राजकुमार संजय सिंह—

यह सही है कि बसों की कमी है प्रदेश के ट्रैफिक को देखते हुए और उसको पूरा करने के लिये प्रयास कर रहे हैं । मैंने लगभग 1500 कहा, सही फिगर 1120 है । 1555 बसें अनुबंधन की लगायी गयी हैं और भी बसें अनुबंधन में लगाने की कार्यवाही चल रही है ।

फैजाबाद, बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा अध्यापकों की नियुक्ति एवं फर्जी प्रमाण-पत्र

*3—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद्

द्वारा 103 अध्यापकों की नियुक्तियां फर्जी प्रमाण-पत्रों के आधार पर किये जाने का मामला शासन के संज्ञान में है और इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, फैजाबाद का शिक्षा निदेशक (बेसिक) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सम्बोधित दिनांक 26 फरवरी, 1985 का पत्र शासन को मिला है ? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराकर उन्हें दण्डित कराने में शासन को क्या कठिनाई है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां ।

किन्तु प्रश्नगत पत्र शासन को भेजा गया प्रतीत नहीं होता ।

प्रसंगागत प्रकरण में विभागीय जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही अग्रेतर कार्यवाही के संबंध में निर्णय लेना संभव हो सकेगा ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में जानना चाहूंगा कि शासन के संज्ञान में यह मामला कब और किस प्रकार से आया ? उसमें विभागीय जांच कब और किस अधिकारी को कितने दिनों में जांच रिपोर्ट देने के निर्देश के साथ सौंपी गयी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

शासन के संज्ञान में यह प्रकरण 17-2-84 को आया । इसकी जांच की कार्यवाही चल रही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैंने पूछा कब और किस अधिकारी को कितने दिनों में जांच रिपोर्ट सबमिट करने के निर्देश के साथ जांच सौंपी गयी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

इसमें जांच करायी जा रही है, कोई निश्चित तिथि की बात नहीं कही जा सकती, जब जांच रिपोर्ट आ जायगी तो कार्यवाही की जायगी ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी ने बड़ा स्पष्ट प्रश्न पूछा है कि किस जांच अधिकारी से जांच करायी जा रही है और वह कब रिपोर्ट देंगे ? यह बता दें उसका नाम क्या है और पद क्या है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जब जांच हो जायगी तो रिपोर्ट दे दी जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शिक्षा मंत्री जी, सवाल यह किया है कि किसके द्वारा जांच की जा रही है ? कौन अधिकारी हैं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

किसके द्वारा जांच की जा रही है, इसकी सूचना एकत्र करनी होगी ।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को मैं स्थगित करता हूं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट के अपूर्ण परीक्षाफल

*1—श्री काशी सिंह एरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 1983-84 के हाई

स्कूल तथा इण्टरमीडिएट (संस्थागत) के परीक्षाफलों में कुल कितने परीक्षाफल अपूर्ण थे ? इनमें से पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक जनपद में कितने परीक्षाफल रोके गए ? इन परीक्षाफलों को अतिशीघ्र घोषित करते हुए भविष्य में इस प्रकार की अनियमितताओं को रोकने हेतु क्या-क्या स्थायी कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

हां । वर्ष 1984 की हाईस्कूल तथा इण्टरमीडियेट (संस्थागत) परीक्षा के कुल अपूर्ण परीक्षाफलों की स्थिति निम्नवत थी :

परीक्षा का नाम	परीक्षाफल घोषणा के समय अपूर्ण की संख्या
1—हाईस्कूल	1,45,510
2—इण्टरमीडिएट	97,929

पर्वतीय क्षेत्र के प्रत्येक जनपद के अपूर्ण परीक्षाफलों की स्थिति निम्नवत् थी :

जनपद	हाईस्कूल	इण्टरमीडिएट
1—देहरादून	607	450
2—उत्तरकाशी	305	149
3—टिहरी	746	49
4—पौड़ी	5591	424
5—चमोली	930	124
6—पिथौरागढ़	1685	508
7—अल्मोड़ा	3196	288
8—नैनीताल	3416	291
योग	16476	2283

अब कोई परीक्षाफल अपूर्ण नहीं रह गया । अपूर्ण परीक्षाफल रह जाने के कारणों की जांच एवं भविष्य में इसके रोकथाम हेतु ठोस सुझाव देने के लिए एक विभागीय समिति गठित की गई थी, जिसकी संस्तुतियों पर कार्यवाही की जा रही है ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसा कि उन्होंने बताया कि वर्ष 1983-84 में हाईस्कूल में 1,45,510 और इण्टरमीडिएट में 97,929 छात्रों के परीक्षाफल अपूर्ण थे और जिसे घोषित करने में विलम्ब हुआ । इन छात्रों का परीक्षाफल देर से घोषित होने के कारण उन्हें अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिल पाया और जिसके कारण उनका एक साल बरबाद हो गया । उन छात्रों का साल बरबाद न हो, इसके लिये क्या मंत्री जी कोई विचार कर रहे हैं कि उनको इस नुकसान से बचाया जा सके ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, समिति ने इसके दो कारण बताये हैं एक कारण तो मानव-जनित है और दूसरा कारण यंत्र जनित है । जितने रेजल्ट अपूर्ण होने के कारण से रह गये थे उन्हें अक्तूबर, 1984 तक सारे के

सारे रेजल्ट घोषित कर दिये गये हैं । भविष्य में ऐसी बात न तो उस पर समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो संस्तुति की है उसको पूरा कर लिया गया है ।

डाक्टर दिनेश जौहरी—

मंत्री जी कह रहे हैं कि सब रेजल्ट घोषित कर दिये गये हैं, लेकिन जो छात्रों का पूरा का पूरा साल बरबाद हो गया है और उनका एक साल का नुकसान हुआ है, उसको पूरा करने के लिये क्या सरकार ने कोई नीति बनाई है ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, विद्यार्थी अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा देता है यह परीक्षा इतनी बड़ी हो गयी है कि पिछली बार 11 या 12 लाख लोग इण्टरमीडिएट में बैठे तो इसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं । हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आगे से अब ऐसी गलती न हो ।

डा0 दिनेश जौहरी—

इसके कारण दो लाख से ऊपर विद्यार्थियों का साल खराब हो गया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठिये, अभी मंत्री जी अपना जवाब दे रहे हैं ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, यह आप जवाब दिलवा रहे हैं या भाषण करवा रहे हैं ? ऐसे कैसे चलेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

जो केन्द्र के व्यवस्थापक हैं उनकी वजह से विद्यार्थियों के रेजल्ट अपूर्ण हो सकते हैं । खुद अपनी जिम्मेदारी पर लड़का परीक्षा देता है । जो वजह है वह हमारे हाथ में नहीं है जिसके कारण से देरी हुई या देरी होती है । कन्सेशन के प्रश्न पर अभी विचार नहीं हो रहा है क्योंकि मामला कोर्ट में है ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के तहत आप दोनों मंत्री बनाये गये हैं लेकिन आप किस सूत्र के तहत मंत्री बनाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष—

यह प्रश्न नहीं उठता है ।

(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

[XX]

श्री अध्यक्ष—

ये बिना आज्ञा के बोल रहे हैं, कुछ लिखा नहीं जायेगा ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है और यह संस्थागत परीक्षार्थियों का मामला है । मंत्री जी कहते हैं कि परीक्षार्थी अपनी जिम्मेदारी पर परीक्षा में बैठता है । परीक्षाफल देर में घोषित किया गया जिसके कारण से विद्यार्थियों का एक वर्ष बरबाद हो गया । शिक्षा विभाग ने इसके लिये कोई न कोई नीति तो तैयार ही की होगी कि जिन लड़कों का साल नुकसान हो गया है उसकी कैसे भर पाई हो ?

दूसरा मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने एक विभागीय समिति गठित किया था जिसकी संस्तुतियों पर कार्यवाही की जा रही है । अभी मान्यवर, 1983-84 के बाद फिर

[XX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

एक समिति गठित की गई जो अब विचार कर रही है कि अब इस पर क्या किया जाय । तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यह समिति कब गठित की गयी थी और इसको लागू करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, जो समिति गठित की गयी थी, उसकी जो संस्तुतियां थी वह लागू कर दी गयी है । यह बात गलत है कि इस बार लाखों लोगों का जो परीक्षा-फल है, वह रुक गया है ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं इसलिए मैं उनके खिलाफ विशेषाधिकार की सूचना देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो समिति गठित की गयी थी उस समिति के मेम्बर कौन-कौन हैं और समिति की रिपोर्ट, अभी जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा, आ गयी है उस रिपोर्ट से सदन को अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, मैंने यह कहीं नहीं कहा कि रिपोर्ट नहीं आई है । समिति ने 5 सितम्बर, 20 नवम्बर, 12 दिसंबर, 84 की विभिन्न बैठकों में जो कार्यालय से अनुबन्धित उनके विभाग थे उनकी आख्या लेने के बाद अपनी संस्तुति की थी । मान्यवर, जैसा कि मैंने कहा कि दो कारणों से देर होती है एक तो यंत्रीकृत कारणों से और दूसरा मानवजनित कारणों से । जहां लाखों रिजल्ट की बात कही गयी, मैं कहना चाहता हूं कि इस बार जो परीक्षाफल घोषित हुए थे वह 7 जुलाई को हाईस्कूल के हुए थे और केवल 63 हजार 292 विद्यार्थी अपूर्णता के कारण रुके थे । इण्टरमीडिएट में 28-6-85 को 29,285 परीक्षाफल रुके थे और आज तक की स्थिति है उसमें 14,287 हाईस्कूल के और इण्टरमीडिएट के 13,313 रह गये हैं, सन् 85 में ।

(व्यवधान)

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, 83-84 में कितनों को रोका गया है और 84-85 में कितनों को रोका गया है ?

श्री अध्यक्ष—

आपने विशेषाधिकार की नोटिस दिया है उसको भेज दीजिएगा, उसको देखेंगे ।

पब्लिक जूनियर हाई स्कूल, उमथरी, बस्ती के संस्कृत एवं उर्दू अध्यापकों का बकाया वेतन

*2—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि पब्लिक जूनियर हाईस्कूल उमथरी (निथुरी) जनपद बस्ती में त्रिभाषा सूत्र योजना के अन्तर्गत संस्कृत/उर्दू अध्यापकों का वेतन शिक्षा विभाग द्वारा वर्ष 1-7-77 से अब तक भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और कौन दोषी है ? क्या मंत्री जी अविलम्ब वेतन भुगतान कराने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां । प्रबंधतंत्र द्वारा त्रिभाषा सूत्र अनुदान के भुगतान का मांग पत्र वर्ष 1977-78 से 1981-82 तक का एक साथ विलम्ब से प्रस्तुत किए जाने एवं पूर्ण

सूचनायें उपलब्ध न कराये जाने के कारण भुगतान सम्भव नहीं हो सका । शिक्षा निदेशालय द्वारा इस मांग के औचित्य के सम्बन्ध में जांच की जा रही है । पूर्ण सूचनायें और पत्रजात प्राप्त हो जाने पर भुगतान हेतु नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही तत्काल की जायेगी । जांचोपरांत ही दोषी व्यक्ति का निर्धारण करना सम्भव हो सकेगा ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि मांगपत्र कब प्रस्तुत किया गया था और शिक्षा निदेशालय द्वारा मांग के औचित्य की जांच कब से की जा रही है और कब तक जांच पूर्ण हो जायेगी ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, 82-83 में बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास यह 77-78 और 81-82 का मांगपत्र प्रस्तुत किया गया था, उसकी जांच करायी जा रही है उसमें अनियमितता जो है । जल्दी, रिपोर्ट आ जाने पर, कार्यवाही की जायेगी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

माननीय मंत्री जी 77-78 और 81-82 का मांगपत्र 82 में प्राप्त हुआ और 85-86 प्रारम्भ हो गया और इन अध्यापकों को एक भी पैसा अभी तक नहीं मिला है, और मंत्री जी का विभाग जांच कर रहा है, मैं जानना चाहता हूं कि यह जांच कब तक पूरी हो जायेगी और अध्यापकों को कब तक भुगतान हो जायेगा या इस पर आप कब तक निश्चित निर्णय ले लेंगे ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, जून 1983 में यह जानकारी हुई तो 27 जुलाई, 1983 को बेसिक शिक्षा अधिकारी को वापस किया गया और पूछा गया कि मैनेजमेन्ट ने अनुदान लिया था या नहीं, कई सालों का एक साथ क्यों मांगा गया, आदि सूचनायें मांगी गयीं । तो इन सबकी जांच हो रही है, पूरी सूचना आने पर अविलम्ब कार्यवाही की जायेगी ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी का उत्तर प्राप्त हुआ है, अथवा नहीं और अगर नहीं प्राप्त हुआ है तो उसका क्या कारण है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, इस पर कार्यवाही की जा रही है । 1-7-84 को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने निदेशालय को भेज दिया है और उस पर जल्द ही निर्णय लिया जायेगा ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, यह 1985 चल रहा है और इस पर अभी तक निर्णय नहीं हुआ है, तो इसमें विलम्ब होने का क्या कारण है ? क्या आप इसको स्पष्ट करने का कष्ट करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, शिक्षा निदेशक के पास नहीं आयी है, लेकिन बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भेज दिया है । पत्रावली निदेशालय में उपलब्ध नहीं है, इसकी जांच हो रही है ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मा0 मंत्री जी इसको फुटबाल बनाये हुये हैं ।

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, इस मामले को 7-8 साल हो रहे हैं और यह अभी तक मामला

लटक रहा है । मा0 मंत्री जी निश्चित डेट बता दें, इसको जुल्माना अन्दाज से देख रहे हैं तो मंत्री जी निश्चित डेट बतावें कि एक महीने के अन्दर भुगतान करा दिया जायेगा ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

हम जल्द ही भुगतान कराने की व्यवस्था करेंगे ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि 1-7-1984 को बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां से प्राप्त हो गयी, अब जब श्री सुखपाल पाण्डे जी ने पूछा तो कहा कि निदेशालय से कागजात बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां पर भेज दिये गये और पत्रावली निदेशालय में उपलब्ध नहीं है । दो प्रकार के उत्तर दिये हैं । तो मैं स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि पत्रावली निदेशालय में है अथवा बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहां पर है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भेज दिया है, परन्तु निदेशालय में उपलब्ध नहीं है और इसकी जांच करायी जा रही है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, बेसिक शिक्षा अधिकारी ने भेज दिया है और निदेशालय में उपलब्ध नहीं है, तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इसमें लेनदेन का सवाल है, इसीलिये पत्रावली गायब कर दी गयी है और अध्यापकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है । यह पत्रावली कब से उपलब्ध नहीं है और इस पर क्यों नहीं निर्णय हुआ है और इसके लिये जिम्मेदार कौन है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

इसकी जांच हो रही है, और पत्रावली उपलब्ध होते ही इस पर कार्यवाही की जायेगी ।

श्री माता प्रसाद पाण्डे—

जब पत्रावली ही नहीं है तो कार्यवाही क्या करेंगे ?

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, जांच चल रही है और पत्रावली नहीं है, तो जांच किस बात की चल रही है, मान्यवर पत्रावली है कहां पर ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, निदेशक का कहना है कि यह पत्रावली मुझे उपलब्ध नहीं हुई है । उसका पता लगाया जा रहा है ।

(व्यवधान)

मुस्लिम निस्वां हायर सेकेण्डरी स्कूल, सीतापुर के प्राइमरी विभाग की अध्यापिकाओं का अवशेष वेतन

*3—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुस्लिम निस्वां हायर सेकेण्डरी स्कूल, सीतापुर के प्राइमरी विभाग की अध्यापिकाओं को मई, 1983 से अब तक वेतन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? वेतन कब तक दिला दिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

अगस्त, 1983 से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है । मण्डलीय अधिकारी से जांच करायी जा रही है । जांच कराने पर जो स्थिति आयेगी उस पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न पूछने से तो कोई लाभ नहीं है । आप प्रश्न देखने की कृपा करें । यह जो सवाल पूछा गया है इसकी सूचना आज से 3 महीने पहले दी गई है कि मुस्लिम निस्वां हायर सेकेण्डरी स्कूल, सीतापुर के प्राइमरी विभाग की अध्यापिकाओं को मई 83 से वेतन मिला या नहीं । दो बार प्रश्न स्थगित करने की उपलब्धि यह रही है कि मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि अगस्त 1983 से उनके वेतन का भुगतान नहीं हुआ है । मैं यह जानना चाहता हूं कि जो मंडलीय अधिकारी से जांच करायी जा रही है उसके अनुसार शासन को इस बात की जानकारी तो मिल गई कि मई 83 से अभी तक उनको वेतन नहीं दिया गया । तो जांच किस बात की करायी जा रही है, क्या बात है, क्या उनको वेतन दिलाने की कार्यवाही की जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, यह प्रश्न प्राइमरी स्कूल की सम्बद्धता का है । जो पेमेन्ट हो रहा था उसके बारे में जांच की गई कि आया यह स्कूल सम्बद्ध था या नहीं । जब तक इस बात की जांच नहीं आ जाती तब तक वेतन वितरण की जिम्मेदारी शासन की नहीं होती । लेकिन किसी का नुकसान न हो इसलिये शासन ने विशेष रूप से इसके बारे में जांच करायी है । मान्यवर, मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं । यह जो निस्वा का स्कूल है वह सन् 55 में एक मकतब सूरत में चल रहा था । सन् 61 में इसको मान्यता दी गई और सन 63 में स्थायी मान्यता दी गई । जूनियर हाई स्कूल की मान्यता इसको सन् 64 में दी गई और 1979 में हाई स्कूल की मान्यता दी गई थी । मान्यवर, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी एक अच्छे ज्ञाता हैं और खास तौर से शिक्षा अधिनियम की उन्हें अच्छी जानकारी है । जब किसी जूनियर हाई स्कूल को मान्यता दी जाती है और उसके बाद हाईस्कूल की मान्यता दी जाती है तो नीचे के स्तर के अध्यापकों के सम्बन्ध में वेतन वितरण अधिनियम समाप्त हो जाता है और इसकी जिम्मेदारी तब तक मैनेजर की होती है । उन्होंने जो अपने यहां के स्कूल के नाम लिखकर भेजे तो सन् 83 तक के लोगों के नाम लिखकर भेज दिये । जब इस स्थिति का पता चला कि उनको भी पेमेन्ट हो रहा है, वह गलत हो रहा है, इसलिये उनका भुगतान रोक दिया गया । इसकी जांच हो रही है और निदेशालय उनके वेतन के बारे में अंतिम फैसला करेगा ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं एक नीति सम्बन्धी प्रश्न उठाना चाहता हूं । यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र का मामला है । आज जो अधिनियमों में व्यवस्था है वह यह है कि जब कोई स्कूल जूनियर हाई स्कूल से हाई स्कूल हो जाता है तो उसकी ग्रान्ट-इन-एड रोक दी जाती है और अकारण अध्यापकों को क्षति उठानी पड़ती है । मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि यदि स्कूल के ऊपर के स्लेब्स को मान्यता दी जाती है तो नीचे की कक्षाओं को प्राप्त होने वाला अनुदान समाप्त न किया जाय । क्या इस तरह की कोई व्यवस्था सरकार तत्काल करेगी जिससे हायर स्लेब में पहुंचने पर नीचे के स्लेब के अध्यापकों को कोई क्षति न हो ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, शासन के सामने इस समय इस प्रकार का कोई प्रश्न नहीं है ।

*4—श्री हर्ष वर्धन—

[दिनांक 12-8-85 को ता0 प्र0 म0 1 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा (प्राइमरी एजूकेशन) के लिए धनराशि का आवंटन

*5—श्री कल्यान सिंह (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रथम पंचवर्षीय योजना से लेकर छठी पंचवर्षीय योजना तक प्रदेश के बजट में शिक्षा मद के लिए स्वीकृत धनराशि में से प्राथमिक शिक्षा (प्राइमरी एजूकेशन) पर प्रति योजना में कितनी-कितनी धनराशि आवंटित की गई ? क्या यह सच है कि प्राइमरी शिक्षा को आवंटित धनराशि का प्रतिशत प्रति योजना घटता गया है ? यदि हां, तो घटोत्तरी का प्रतिशत क्या है और उसके कारण क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । उत्तर के लिए वर्ष 1951-52 से लेकर 1984-85 की अवधि के मूल आय-व्ययक, अनुपूरक मांगों तथा राज्य आकस्मिकता निधि से ली गयी अग्रिम की प्रतिपूर्ति सम्बन्धी शुद्ध आंकड़ों के संकलन की आवश्यकता है । इस प्रश्न का उत्तर तैयार करने में समय लगेगा ।

सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों का विशेष अनुदान एवं अनुरक्षण अनुदान तथा लिपिक के पद का सृजन

*6—श्री रजनी कान्त—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में संस्कृत शिक्षकों को 1984-85 के लिए विशेष अनुदान एरियर एवं बोनस तथा विद्यालयों को अनुरक्षण अनुदान का भुगतान हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या शिक्षा मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि 1983 तक वर्गीकृत प्रथम श्रेणी के लिपिक, परिचारकों के पद स्वीकृत कर उनका भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश के सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों की प्राविधान कम पड़ जाने के कारण वर्ष 1984-85 के लिए विशेष अनुदान तथा अनुरक्षण अनुदान का पूरा भुगतान नहीं हो सका है । प्राविधान के अभाव में बोनस का भुगतान भी नहीं हो सका है ।

वर्ष 1981-82 तथा 1982-83 में प्रथम श्रेणी में वर्गीकृत संस्कृत विद्यालयों में धनाभाव के कारण लिपिक तथा परिचारक के पदों का सृजन नहीं हो सका है ।

[दिनांक 19 अगस्त, 1985 के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*1—श्री सरदार सिंह—

[दिनांक 29-7-85 को अल्पसूचित ता0 प्र0 सं0 1 द्वारा उत्तरित]

गोरखपुर-सोनौली मार्ग पर अवैध बसों का संचालन

*2—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या परिवहन मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर से सोनौली मार्ग पर प्राइवेट बसों के लिए परमिट जारी किए गए हैं ? यदि नहीं, तो प्राइवेट बसें नियमित रूप से किसकी अनुमति से चलायी जा रही हैं तथा इनके संचालन से रोडवेज बसों को पहुंचने वाली क्षति का उत्तरदायी कौन है ?

राजकुमार संजय सिंह—

जी नहीं । संबंधित मार्ग पर नियमित रूप से उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें संचालित हैं । यदाकदा मार्ग पर अनधिकृत रूप से संचालित कुछ प्राइवेट बसें भी पकड़ में आई हैं जिस पर विभाग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की गई है ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है मैं उसको चुनौती देता हूं कि अगर किसी समय आप गोरखपुर जाकर देखें कि एक समानान्तर सेवा चल रही है । सिर्फ इतना ही नहीं रोडवेज की बसें खड़ी रहती हैं और प्राइवेट बसों पर सवारियां जाती हैं । प्राइवेट वाले बुलाबुला कर रोडवेज बसों से यात्रियों को उतार कर बसों में बैठाते हैं । इस तरह से एक जाल फैला हुआ है ।

श्री अध्यक्ष—

आप प्रश्न करिये ।

श्री राम आसरे वर्मा—

तो माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि सरकारी कितनी बसें गोरखपुर से सुनौली चलाई जा रही हैं और मेरी जानकारी को सही मान कर कि वहां पर प्राइवेट बस मालिकों ने अनियमित रूप से बसों की सेवायें चला रखी हैं उसकी फिर से जांच करायेंगे ?

राजकुमार संजय सिंह—

मान्यवर, आज सुनौली की तीन जगहों से बसें चल रही हैं । गोरखपुर से सुनौली 12 बसें, कानपुर से सुनौली 2 बसें, लखनऊ से सुनौली 8 बसें चल रही हैं । माननीय सदस्य की सूचना काफी सही है वहां पर प्राइवेट बसें बहुत चल रही हैं । हमारी बसों की संख्या कम है लेकिन इसकी व्यवस्था शीघ्र कराई जायेगी ।

श्री राम आसरे वर्मा—

क्या माननीय मंत्री जी इसका कोई उपाय करेंगे कि जिससे वहां प्राइवेट बसें जो अवैधानिक रूप से चल रही हैं वह न चलें इसकी सुनिश्चित व्यवस्था करेंगे ?

राजकुमार संजय सिंह—

मैं माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ऐसी बसों को रोकने के लिए कड़ाई की जा रही है उसमें और सख्ती की जायेगी ।

अल्मोड़ा, प्राइमरी विद्यालय सारसों में अध्यापक की कमी

*3—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्राइमरी विद्यालय सारसों, पत्रालय सराईखेत, विकास खंड स्याल्दे (जनपद अल्मोड़ा) में 76 छात्र हैं और 1983 से सितम्बर 1984 तक एक ही अध्यापक विद्यालय में है ? क्या सरकार तुरन्त एक और अध्यापक की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां ।

व्यवस्था शीघ्र ही की जायगी ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से जानना चाहता हूं जैसा उन्होंने स्वीकार किया है कि अध्यापकों की कमी है और इसकी शीघ्र व्यवस्था की जा रही है । प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की नियुक्ति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और जिला विद्यालय निरीक्षक करते हैं और इनकी व्यवस्था जिले से ही होनी है और अल्मोड़ा जनपद में बी0टी0सी0 अध्यापकों की संख्या बहुत है । तो जो यह व्यवस्था शीघ्र कराने वाली बात है यह कितने शीघ्र कर दी जायेगी जबकि यह जिला स्तर का मामला है ।

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

कार्यवाही चल रही है बहुत जल्द ठीक हो जायेगा ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या वहां बेसिक शिक्षा अधिकारी को शीघ्र कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी हां, 2 महीने के अन्दर व्यवस्था कर देंगे ।

*4—श्री मित्रसेन—

[15वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या 14 पर स्थानांतरित]

डी0 सी0 वैदिक हायर सेकेण्डरी स्कूल, शाहगंज, आगरा के प्रधानाचार्य के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*5—श्री किरनपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता तथा अन्य कई मा0 विधायकों ने गत जनवरी, 1985 में डी0 सी0 वैदिक हायर सेकेण्डरी स्कूल शाहगंज, आगरा के प्रधानाचार्य के विरुद्ध घोर अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार से संबंधित कोई शिकायती-पत्र उच्च स्तरीय जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सचिव, शिक्षा विभाग को दिया था ? यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां । शिकायतों की जांच कराई जा रही है ।

श्री सुखपाल पाण्डेय—

व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्नों के समय में व्यवस्था नहीं होती ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसूफ—

शिक्षा विभाग के जितने सवाल आते हैं उसमें यही हो जाता है ।

श्री किरनपाल सिंह—

जनवरी में दिया गया, शिकायती पत्र पर कई माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं । मैं यह जानना चाहूंगा कि कौन अधिकारी जांच कर रहा है, दूसरा सवाल यह है कि मैंने लिखा था कि शिकायत की जांच उच्च अधिकारी से कराई जाय, अगर इंस्पेक्टर आफ स्कूल से जांच करा रहे हों, तो आश्वासन चाहूंगा कि उनसे जांच न कराकर, लखनऊ के उच्च अधिकारी से जांच करा लें । जांच के समय जांच अधिकारी मुझसे भी सम्पर्क कर लें ।

श्री सिब्ते रजी—

मैं माननीय सदस्य के सुझाव से सहमत हूं । मैंने एक महीने के अन्दर जांच पूरी करने के आदेश दिये हैं, निदेशालय स्तर से उच्च अधिकारी से जांच कराई जायेगी ।

*6—श्री राजेन्द्र गुप्त—

[दिनांक 15-7-85 को ता0 प्र0 सं0 10 द्वारा उत्तरित]

देसही, देवरिया की ग्राम सभा मदरापाली, भरतराय, शामपुर, काला छापर, अहिरौली के लिये सड़क की मांग

*7—श्री रणजीत—(अनुपस्थित)

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विकास खण्ड देसही, देवरिया के ग्राम सभा मदरापाली, भरतराय, शामपुर कला छापर, अहिरौली आदि ग्रामों में बरसात के दिनों में सवारियों के आने जाने का रास्ता सड़क न होने के कारण बन्द हो जाता है ? यदि हां, तो वहां प्राथमिकता के साथ सड़क निर्माण हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

प्राप्त सूचना के अनुसार इन ग्रामों में बरसात में जाने का रास्ता बन्द

नहीं होता । जनपद स्तर की सड़कों का चयन व स्वीकृति जिला योजना अथवा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा जिला स्तर पर ही की जाती है ।

जूनियर हाई स्कूलों का उच्चीकरण एवं प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति की मांग

*8—श्री राम सरन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्चीकृत हाई स्कूलों में जू0 हा0 स्कूल के समय के प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के रूप में किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो ऐसे विद्यालयों में प्रधानाध्यापक पद की नियुक्ति पर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा रोक क्यों नहीं लगाई गयी ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां । आयोग द्वारा विद्यमान नियमों के अन्तर्गत किये जा रहे चयनों पर रोक लगाया जाना उपयुक्त नहीं पाया गया ।

श्री राम सरन—

मंत्री जी ने पहले भाग का उत्तर दिया है जी हां, तो यह आपका विचार कब तक पूरा हो जायेगा ।

श्री सिब्ते रजी—

यथाशीघ्र ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, प्रश्न के प्रथम भाग में उत्तर दिया है—जी हां । तो आप नीति को स्वीकार करते हैं, प्रोमोशन से प्रधानाचार्य बना देना चाहिए । लेकिन उत्तरार्ध में कहा है कि चयन आयोग पर प्रतिबन्ध लगाना उचित नहीं है । तो एक तरफ नीतिगत मान रहे हैं और दूसरी तरफ विरोध कर रहे हैं । तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप चयन आयोग को लिखेंगे कि इन लोगों को प्रोन्नति देकर प्रधानाचार्य बनायें ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य को नम्रता से बताना चाहता हूं कि चयन आयोग स्वायत्त सेवी संस्था है और सरकार का उस पर कोई अंकुश इस प्रकार का नहीं है कि जब चाहे निर्देश दे दिया । जहां तक नीति की बात है तो विचार विमर्श हो रहा है और नियम बदलने पड़ेंगे तभी सम्भव होगा और तभी आयोग उसके अनुसार वह निर्णय लेगा ।

सगीर फातिमा गर्ल्स इण्टर कालेज, आगरा की अवैध प्रबन्ध समिति सम्बन्धी-पत्र

*9—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 1717 दिनांक 16-4-85 आगरा के सगीर फातिमा गर्ल्स इण्टर कालेज की अवैध प्रबन्ध समिति की धांधली व अध्यापिकाओं के उत्पीड़न के बारे में मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत विषय पर प्रश्नकर्ता महोदय का 15-4-85 का पत्र प्राप्त हुआ है । मामले में जांच कराई जा रही है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, जांच कब तक पूरी हो जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

यथाशीघ्र जांच पूरा करा ली जायेगी ।

*10—श्री कुशलपाल सिंह—

[दिनांक 29-7-1985 को ता0 प्र0 सं0 5 द्वारा उत्तरित]

श्री सी0 के0 बर्डे, अधिशासी अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रतापगढ़ के विरुद्ध भ्रष्टाचार का आरोप

*11—श्री मुईद अहमद (अनुपस्थित)—

विधान सभा के प्रथम सत्र सन् 1984 के पहले सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 169 के उत्तर में क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री बर्डे, अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा, प्रतापगढ़ के विरुद्ध पाये गये भ्रष्टाचार व अनियमितता तथा कई लाख रुपये के गोलमाल के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री सी0 के0 बर्डे, अधिशासी अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा प्रखण्ड प्रतापगढ़ के कार्यकाल में कथित अनियमितताओं की जांच हेतु श्री एम0 एल0 शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता ग्रामीण अभियंत्रण सेवा परिमण्डल को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया ।

जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के परीक्षणोपरान्त श्री बर्डे को शासनादेश संख्या 15 आर0 ई/38-7-1503 (3)—82, दिनांक 28 मई, 1985 द्वारा सतर्क रहने की चेतावनी दी गयी ।

*12—श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

[दिनांक 22-7-1985 को अता0 प्र0 सं0 67 द्वारा उत्तरित]

बस्ती की प्राइमरी पाठशालाओं में अध्यापकों के रिक्त पद

*13—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1983-84 में बस्ती जनपद में प्राइमरी पाठशालाओं में 65 सहायक अध्यापकों के स्थान रिक्त थे, जिसमें से केवल 45 प्रशिक्षित नियुक्तियां तथा 20 अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की नियुक्तियां की गई हैं, जबकि तमाम प्रशिक्षित उम्मीदवार बेकार घर बैठे हुए हैं ? क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि उपरोक्त 65 रिक्त स्थानों के अलावा विभाग को स्वीकृति के आधार पर 50 स्थान सहायक अध्यापकों के प्राइमरी पाठशालाओं में और भी रिक्त हो गये हैं और इन पर अभी कोई नियुक्ति नहीं की जा रही है ? यदि हां, तो 20 अप्रशिक्षित व्यक्तियों की नियुक्ति तथा शेष 50 रिक्त स्थानों पर नियुक्ति न किये जाने का कौन जिम्मेदार है ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वर्ष 1983-84 में बस्ती में रिक्त प्राइमरी पाठशालाओं के अध्यापकों की नियुक्तियां की गयी हैं कि नहीं ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

मान्यवर, परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां बेसिक शिक्षा नियमावली, 1981 के आधार पर नियुक्तियां की जाती हैं । बस्ती में 1983-84 में प्राइमरी पाठशालाओं में सहायक अध्यापकों के पद पर 65 नहीं वरन् 128 सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां की गयी हैं और वे सभी प्रशिक्षित हैं । किसी अप्रशिक्षित अध्यापक की नियुक्ति नहीं की गयी है । अतः कोई अधिकारी दोषी नहीं

है और इसलिए किसी के खिलाफ कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, मेरी सुनिश्चित जानकारी को सही मानते हुए कि बस्ती में कुछ अप्रशिक्षित लोगों की नियुक्तियां फर्जी रूप से प्रशिक्षित दिखाकर की गयी हैं, क्या इसकी मंत्री जी जांच करायेंगे ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

शासन की जानकारी में ऐसी फर्जी नियुक्तियां नहीं हैं, यदि आप बता देंगे कि फलां-फलां जगह पर, फलां-फलां की हुई है तो उसकी जांच कर ली जायेगी ।

*14—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

[दिनांक 22-7-85 को ता0 प्र0 सं0 15 द्वारा उत्तरित]

*15—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

[दिनांक 17-7-85 को अल्पसूचित ता0 प्र0 सं0 2 द्वारा उत्तरित]

फैजाबाद जनपद के प्राइमरी पाठशालाओं में छात्रों एवं अध्यापकों का अनुपात एवं रिक्त पद

*16—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं में छात्रों की कुल संख्या 285152 तथा अध्यापकों की संख्या मात्र 5068 है और इस प्रकार से 56 छात्रों पर एक अध्यापक का अनुपात आता है, जबकि शासनादेश के अनुसार 40 छात्रों पर एक अध्यापक होना चाहिए ? यदि हां, तो नये अध्यापकों की नियुक्ति करके इस कमी को कब तक दूर कर दिया जायेगा ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

जी नहीं ।

सेवा निवृत्त/प्रोन्नति आदि के फलस्वरूप हुई रिक्तियों की पूर्ति करने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शासन के मानक के अनुसार इस समय जनपद फैजाबाद में प्राइमरी पाठशालाओं में प्राइमरी अध्यापकों की कुल कितनी रिक्तियां हैं ? उनको कब तक भर दिया जायेगा ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

87 पद रिक्त हैं, उनका विज्ञापन हो चुका है और साक्षात्कार करके जल्दी ही रिक्तियां भर दी जायेंगी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मैं जानना चाहता हूं कि जनपद फैजाबाद में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित प्राइमरी पाठशालाओं में कुल कितने छात्र और कुल कितने अध्यापक हैं, और कितने छात्रों पर एक अध्यापक का अनुपात आता है ? क्योंकि मैंने इस सम्बन्ध में अपनी ओर से जो सूचना दी है, उससे मंत्री जी ने इन्कार किया है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

छात्रों की संख्या आपके कथनानुसार 2,85,152 है जो कि सही नहीं है, सही छात्र संख्या 2 लाख 24 हजार है और अध्यापकों की संख्या 5373 है जो कि सही है और आपकी सूचनानुसार अध्यापकों की संख्या 5068 है जो कि सही नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

एक अध्यापक पर कितने छात्रों का अनुपात आ रहा है ?

श्री संकठा प्रसाद शास्त्री—

1:40 का है ।

सीतापुर के ग्रामों में पेयजल की समस्या

*17—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सीतापुर जिले में ऐसे कितने ग्राम हैं जिनमें ग्रामीण जनता को पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल रहा है ? कितने ऐसे ग्राम हैं जहां पीने के पानी की समस्या है ? इस समस्या के निदान के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह)—

वर्ष 1971-72 में जल निगम द्वारा किये गये सर्वेक्षण के आधार पर सीतापुर जनपद में कुल 475 ग्राम अभावग्रस्त घोषित किये गये थे जिनमें से 453 ग्रामों में शुद्ध पेयजल की सुविधा मार्च 1985 तक उपलब्ध करायी जा चुकी है । शेष 22 ग्रामों के सम्बन्ध में स्थिति अस्पष्ट होने के कारण जिलाधिकारी द्वारा जांच कराई जा रही है ।

(कुछ देर तक किसी मंत्री के न खड़े होने तथा बाद में श्री सुरेन्द्र सिंह के खड़े होने पर ।)

(व्यवधान)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

यह भी क्या कोई मंत्री हैं, इनको कोई कार्य ही नहीं दिया गया है ।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, आप इसको स्थगित करा दीजिये, यह इसका जवाब नहीं दे पायेंगे ।

(व्यवधान)

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे गांव हैं, जहां पर शुद्ध पीने का पानी नहीं मिलता है ? प्रश्न का उत्तर सही नहीं है, उन्होंने बताया है कि सुविधा इतनी उपलब्ध करायी गयी है, मैं यह पूछ रहा हूं कि सीतापुर जिले में कितने ग्राम ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी नहीं मिलता है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मैं बताना चाहता हूं कि 1971-72 का जल निगम द्वारा जो सर्वे किया गया, उसके अनुसार 475 गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये हैं और इनमें से 453 गांवों में जल की व्यवस्था की गयी है । इसके अतिरिक्त बाद में 22 गांव और ऐसे निकले हैं, लेकिन उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है, इसलिए उसके बारे में यहां जांच भी करायी जा रही है कि 22 गांव कैसे और कहां हैं, जिनकी व्यवस्था की जाये वहां के सर्वेक्षण के अनुसार । जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि वह डिटेल रूप से उसकी जांच करा लें कि वह कौन कौन से गांव हैं ? 22 गांव कौन-कौन से हैं । लेकिन वहां पर जो पंचायत का दफ्तर है उससे इस बात का परीक्षण नहीं हो पा रहा है । इसके बावजूद जो पेयजल की व्यवस्था की गयी है तो 1411 हैण्ड पम्प पूरे जनपद में लगाये गये हैं । यूनिसेफ के माध्यम से 150 ग्रामों में 424 हैण्ड पाइप लगाये गये हैं । 45 हरिजन बस्तियों में 89 हैण्ड पाइप लगाये गये हैं । ग्रामीण हरिजन पेयजल योजना में 1971—84 तक 1,679 कूप बनाये गये हैं । 22 गांवों की जानकारी जो चाहते हैं तो मैं स्पष्ट जानकारी दे दूंगा ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह हैण्ड पाइप जो लगाये हैं, क्या यह वही गांव हैं जहां पर पीने के पानी का अभाव है । दूसरा सवाल यह है कि मेरी जानकारी को सही मानकर कि पूरे

जनपद में सैकड़ों गांव ऐसे हैं जहां पर साफ पानी की व्यवस्था नहीं है तो क्या इसकी जांच कराकर व्यवस्था करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, जो अभावग्रस्त गांव थे उनमें सबमें मार्च तक हैण्ड पाइप लगा दिये गये हैं । सूखाग्रस्त कितने गांव हैं उनका सर्वेक्षण पूरा होने के बाद तत्काल वहां हैण्ड पाइप की व्यवस्था की जायगी ।

श्री राजेन्द्र गुप्ता—

मान्यवर, अभी माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यूनिसेफ का नाम लिया था । जिला सीतापुर में ही नहीं वरन् सम्पूर्ण प्रदेश में जो ब्लाक यूनिसेफ द्वारा चयनित किये गये हैं उनमें हैण्ड पाइप लगाये जा रहे थे लेकिन यूनिसेफ ने निर्देशित कर दिया है कि अब वह केवल मैटीरियल देंगे, लेबर चार्जेज नहीं देंगे । इस संबंध में जल निगम ने जनवरी, 1985 में आदेश जारी किया है कि यूनिसेफ के माध्यम से चयनित ब्लाकों में आगामी आदेशों तक हैण्ड पाइप न लगाये जायं जिसके कारण पेयजल का संकट हो गया है और हैण्ड पाइप लगाने का काम अवरुद्ध हो गया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि वस्तुस्थिति क्या है और यह प्रतिबन्ध जो लगा है यह कब तक हटाया जायगा ?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, विद्वान सदस्य राजेन्द्र गुप्त जी ने जो प्रश्न किया तो इसका परीक्षण करा लिया जायगा और स्थिति को देखकर उस हिसाब से कार्यवाही की जायगी ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मेरा प्रश्न स्पष्ट है । माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न के उत्तर में यूनिसेफ का जिक्र किया था । मान्यवर, सम्पूर्ण प्रदेश में कुछ ब्लाक हर जिले में चयनित किये गये थे यूनिसेफ के माध्यम से 1 जनवरी, 1985 में जल निगम ने आदेश जारी किया कि इन ब्लाकों में आगामी आदेशों तक हैण्ड पाइप न लगाये जायं । कारण यह था कि यूनिसेफ ने कहा कि हम केवल मैटीरियल देंगे लेबर का खर्च नहीं देंगे । इससे इन हैण्ड पाइपों का लगना बन्द हो गया है । तो मैं जानना चाहता हूं कि वस्तुस्थिति क्या है । सरकार ने इसमें क्या निर्णय लिया है । क्या लेबर का खर्च जल निगम के माध्यम से सरकार देगी या नहीं ? यूनिसेफ से क्या कोई बातचीत हुई है इसकी जानकारी चाहता हूं ।

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय गुप्त जी ने जो प्रश्न किया वह मूल प्रश्न से अलग हटकर किया है । वह यूनिसेफ के सम्बन्ध में जानकारी चाहते हैं तो उन्हें बाद में जानकारी दे दी जायगी । इस समय तो इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जनपद सीतापुर में इस वर्ष कितने हैण्ड पाइप या कुएं बनवाने की योजना है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, इसके लिये सर्वे नये सिरे से हो रहा है । इसके लिये सूचना की जरूरत पड़ेगी । अभी मैंने बताया कि 1411 हैण्ड पाइप लगाये गये हैं । सीतापुर जनपद की जो स्थिति है तो पानी का जो डीपेस्ट स्टेटा है वह 55 मीटर है लेकिन जनरली 35 मीटर पर पानी मिलता है । जो अभावग्रस्त ब्लाक हैं उसमें पिसावां, मिश्रिख, खैराबाद

है । इनमें से खैराबाद और मिश्रिख में डीपेस्ट स्टेटा है । लेकिन पानी मिलता जा रहा है ।

मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महा विद्यालय, भाटपाररानी, देवरिया के प्राध्यापकों की भविष्य निधि की धनराशि

*18—श्री कामेश्वर उपाध्याय (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मदन मोहन मालवीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, भाटपाररानी, देवरिया के प्राध्यापकों के भविष्य निधि की धनराशि जितनी 1972 तक कटी थी उनके खाते में जमा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उस अवधि के प्रबन्धकीय अंशदान का क्या हुआ ? इस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जमा नहीं किया गया ।

उच्च शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 के पत्र दिनांक 24-7-85 द्वारा शिकायतों के निराकरण हेतु प्रबन्धक/प्राचार्य को निर्देश दिये गये । उसका आंशिक अनुपालन प्रबन्धक द्वारा किया गया । प्रबन्धक ने चार अध्यापकों का प्रबन्धकीय अंशदान जमा कर दिया है । शेष अंशदान जमा करने हेतु कहा है ।

मोती राम द्विवेदी, जनता इण्टर कालेज, आनन्दनगर, गोरखपुर में नेपाली लड़कियों का प्रवेश

*19—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (अनुपस्थित)—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें इस बात की जानकारी है कि मोती राम द्विवेदी, जनता इण्टर कालेज, आनन्दनगर, फरेन्दा, गोरखपुर में सैकड़ों नेपाली लड़कियों का प्रवेश दिखाकर जो वास्तव में वहां पढ़ी नहीं हैं मात्र परीक्षा दिलाने के लिए लाखों रुपये की धनराशि ली गयी है जबकि ये छात्राएं एक दिन भी विद्यालय में उपस्थित नहीं रहीं ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी ? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा, जांच रिपोर्ट क्या है तथा इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

मामले में परिषद् के अपर सचिव द्वारा जांच की जा रही है । जांच के पूर्ण हो जाने पर यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

जिला परिषद्, बस्ती के कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी आरोप एवं स्थानान्तरण

*20—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, बस्ती के कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध 413712·74 रुपये के परिषदीय सामान की क्षति पहुंचाने, कर्तव्यहीनता एवं आदेशों की अवहेलना के आरोप तत्कालीन जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद्, बस्ती (श्री मुरली श्याम मनोहर) द्वारा मई, 1980 में लगाया गया था ? क्या यह भी सत्य है कि उसके बाद तत्कालीन जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद्, बस्ती (श्री के0 के0 रंधर) ने उनके विरुद्ध कोई आदेश पारित किया था ? यदि हां, तो सम्पूर्ण जांच आख्या क्या है ? उनके आदेशों का पालन हुआ ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

जी हां ।

जी हां ।

कार्यालय अधीक्षक के विरुद्ध स्टोर का चार्ज न देने, परिषद् को क्षति पहुंचाने, भण्डार के रख-रखाव में कर्तव्यहीनता, परिषदीय अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने तथा निष्क्रियता एवं अनुशासनहीनता के आरोप थे। जांच अधिकारी ने अंतिम आरोप को छोड़कर अन्य सभी आरोपों को सिद्ध पाया। श्री के0 के0 रंधर के तत्काल स्थानान्तरण हो जाने के कारण उनके स्थान पर कार्य-भार ग्रहण करने वाले तत्कालीन जिला-धिकारी (श्री आर0 के0 मित्तल) ने विशेष आडिट कराने का आदेश दिया। तद्नुसार आडिट जांच हेतु परीक्षक, स्थानीय निधि लेखा, उ0 प्र0 को लिखा गया, अभी तक आडिट के लेखा परीक्षक से आडिट हेतु कोई तिथि प्राप्त नहीं हुई है। जिला परिषद् द्वारा बार-बार स्मरण-पत्र भेजे जा रहे हैं।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

माननीय अध्यक्ष, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि तत्कालीन जिला-धिकारी ने यह आडिट करने के लिए किस तारीख को लिखा और उसके स्मरण-पत्र कब जारी किये गये और अब तक आडिट न किये जाने का क्या कारण है? क्या सम्पूर्ण मामले का आडिट करायेंगे या जो विशेष जांच शाखा है, उसके द्वारा इस घपले की जांच करायेंगे, और यह जांच कब तक करा देंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, उस समय जिलाधिकारी श्री आर0 के0 मित्तल थे और उन्होंने 15-4-83 को स्पेशल आडिट के लिए आदेश दिये। यह पत्र 30-4-83 को लिखा और स्मरण-पत्र 18-6-85 को दिया गया था कि इसकी विशेष आडिट ग्रेड से जांच करा लें।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं। कि श्री के0 के0 रंधर जो तत्कालीन जिलाधिकारी थे, उन्होंने क्या आदेश दिया है?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

मान्यवर, माननीय सम्मानित सदस्य कमाल यूसुफ साहब तो जानते ही हैं कि उस समय वहां के जिलाधिकारी श्री के0 के0 रंधर साहब ने आदेश दिया, जो उस समय श्री प्रहलाद सिंह, कार्यालय अधीक्षक थे, उनके ऊपर 5 आरोप लगाये गये थे श्री के0 के0 रंधर द्वारा और वह सब सही पाये गये। उनके लिए यह कहा गया कि उन्हें डिसमिस कर दिया जाय और यह भी कह दिया कि उनके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा कर कार्यवाही की जाय।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, जिलाधिकारी जिला परिषद् का अध्यक्ष होता है। जिला परिषद् के अध्यक्ष द्वारा यह निश्चित आदेश पारित कर दिये जाने के बाद कि संबंधित अधि-कारी अथवा कर्मचारी को निलम्बित कर दिया जाय अथवा डिस्मिस कर दिया जाय और उसके विरुद्ध पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाय। मैं जानना चाहता हूं कि पुलिस में मुकदमा न दर्ज कराये जाने का क्या कारण था और उन्हें डिस्मिस न किये जाने के आदेश न पारित किये जाने के क्या कारण हैं? किस अधिकारी ने उसे रोक रखा था?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

माननीय दिवाकर विक्रम सिंह ने जो प्रश्न किया है, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि रंधर जी ने जो आदेश दिया था, उसके तत्काल बाद उनका स्थानान्तरण हो गया और वहां पर जिलाधिकारी श्री आर0

के0 मित्तल आ गये और उन्होंने रंधर साहब के आदेश को रिव्यु किया और उनके विचार में आया कि इसे विशेष आडिट द्वारा जांच करा कर, तब कार्यवाही की जाय ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि तीन जिलाधिकारियों ने आदेश किये, मुरली श्याम मनोहर, मित्तल और के0 के0 रंधर । किस जिलाधिकारी ने क्या आदेश किये हैं, उसको सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह—

माननीय सदस्य इस सारी परिस्थिति को जानते हैं । तत्कालीन जिलाधिकारी मुरली श्याम मनोहर ने 1980 में जो आदेश किये ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य को बुलाकर अपने यहां सूचना दे दीजियेगा ।

अतारांकित प्रश्न

फर्रुखाबाद, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत किये गये कार्य

1—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा जनपद फर्रुखाबाद के विभिन्न योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1983-84 व 1984-85 में कुल कितने रुपये का कार्य किया गया ? कुल कार्य का विवरण क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद फर्रुखाबाद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग में वर्ष 1983-84 में 149.62 लाख रुपये तथा वर्ष 1984-85 में 238.691 लाख रुपये के कार्य सम्पादित कराये गये ।

कार्य का विवरण माननीय सदस्यगण मेरे कक्ष में अपनी सुविधानुसार पूर्व निर्धारित तिथि को देख सकते हैं ।

फर्रुखाबाद, मौंटिया-कुबेरपुर मार्ग, राजेपुर मार्ग एवं राजेपुर-कड़हर मार्ग का निर्माण

2—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा पेन्ट करायी जाने वाली सम्पर्क मार्गों की स्वीकृत स्ट्रेन्थ का स्तर क्या है ? क्या मौंटिया-कुबेरपुर मार्ग राजेपुर सम्पर्क मार्ग, राजेपुर-सराय मेदा सम्पर्क मार्ग, राजेपुर-कड़हर मार्ग पर इस स्तर को कायम रखा गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद फर्रुखाबाद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा पेन्ट कराये जाने वाले सम्पर्क मार्गों की स्वीकृति स्ट्रेन्थ का स्तर सी0 बी0 आर0 (कैलीफोर्निया बियरिंग रेशियों) पर आधारित है एवं उसी के आधार पर सतह की मोटाई निर्धारित की जाती है । समस्त कार्य सा0 नि0 वि0 की विशिष्टियों के आधार पर कराये जा रहे हैं ।

मौंटिया-कुबेरपुर मार्ग तथा राजेपुर सराय मैदा मार्ग पर विशिष्टियों के आधार पर ही कार्य कराया जा रहा है । राजेपुर सम्पर्क मार्ग तथा राजेपुर-कड़हर मार्ग का ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग से कोई संबंध नहीं है ।

फर्रुखाबाद, मार्गों की सोलिंग एवं प्रयोग की जाने वाली ईंटों की क्वालिटी

3—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में ग्रामीण

अभियंत्रण सेवा द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों पर सोलिंग (खड़ंजा) लगाने का जो कार्य 1 अप्रैल, 1984 से हो रहा है, उसमें प्रति वर्ग मीटर में कितनी ईंटें बिछाई जा रही हैं और इन ईंटों की क्वालिटी क्या है और प्रति हजार कितने रुपये की दर से खरीदी जा रही है ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा सोलिंग हेतु ईंटें किस रेट पर उक्त अवधि में खरीदी गयी हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद फर्रुखाबाद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों पर सोलिंग (खड़ंजा) लगाने का कार्य एक अप्रैल, 1984 से किया जा रहा है तथा प्रति वर्गमीटर औसतन 59 इंच ईंट बिछायी जा रही है । स्ट्रेट ओवर बर्न्ट अथवा प्रथम श्रेणी ईंट प्रयोग में लायी जा रही है ।

ईंट सार्वजनिक निर्माण विभाग की दरों के अनुसार अप्रैल, 1984 में रु0 450 प्रति हजार तथा जनवरी, 1985 में पुनरीक्षित दर रु0 470 प्रति हजार के क्रय की गयी । उक्त दरों में 8 कि0मी0 की ढुलाई सम्मिलित है तथा कार्य-स्थल एवं भट्ठे के बीच इससे अधिक दूरी होने पर विश्लेषण के आधार पर अतिरिक्त भुगतान किया गया है ।

फर्रुखाबाद में सा0 नि0 वि0 द्वारा सोलिंग हेतु ईंट किस रेट पर उक्त अवधि में क्रय की गयी इसकी जानकारी की जा रही है ।

फर्रुखाबाद, राजेपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भवन के निर्माण में कुल व्यय धनराशि

4—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा पी0 एच0 सी0, राजेपुर के निर्माण में कुल कितनी धनराशि व्यय की गई ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त इमारत का मलवा कितने में बेचा गया तथा इस निर्माण हेतु किसी समाचार-पत्र में निविदा प्रकाशित कराई गई थी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा जनपद फर्रुखाबाद के द्वारा पी0 एच0 सी0, राजेपुर के भवन के निर्माण हेतु जुलाई, 1985 तक मु0 8.27 लाख रुपये व्यय किया गया है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का मलवा ग्रामीण अभियंत्रण सेवा द्वारा नहीं नीलाम किया गया । मलवे की नीलामी की कार्यवाही मुख्य चिकित्सा अधिकारी, फर्रुखाबाद द्वारा दी गयी । मलवे के विक्रय मूल्य की जानकारी की जा रही है ।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राजेपुर के निर्माण हेतु टेन्डर निम्नलिखित समाचार-पत्रों में उनके सम्मुख लिखी गयी तिथियों में प्रकाशित हुए ।

दैनिक जागरण कानपुर

दिनांक 6-9-1983

(2) दैनिक अमर उजाला

दिनांक 7-9-1983

(3) दैनिक लोक भारती

दिनांक 3-9-1983

मुजफ्फरनगर, चौधरी छोटूराम इण्टर कालेज के प्रवक्ता, श्री प्रह्लाद सिंह का वेतनमान

5—श्री हरेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुजफ्फरनगर में चौधरी छोटू-

राम इण्टर कालेज (पूर्वनाम जाट इण्टर कालेज), मुजफ्फरनगर में कार्यरत श्री प्रह्लाद सिंह, जीव विज्ञान प्रवक्ता को पी0 जी0 डी0 कोर्स करने के पश्चात् भी प्रवक्ता का वेतनक्रम नहीं दिया गया जबकि इस सम्बन्ध में सरकार का दो स्पष्ट जी0 ओ0 1-ए-1/6302/पन्द्रह—1606 (25)/1965, दिनांक 13 जनवरी, 1966 तथा 2-ए-1/1780-पन्द्रह—1527/1927/1966, दिनांक 19 अप्रैल, 1966 है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

बांदा, विकास खण्ड नरैनी के सहायक विकास अधिकारी, श्री कृपा शंकर दीक्षित के विरुद्ध शिकायती-पत्र

6—श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र जनपद बांदा के विकास खंड नरैनी के ए0 डी0 ओ0 (पंचायत) के विरुद्ध दिनांक 24-5-85 को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र का पूरा विवरण क्या है और पत्र में अभी तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

पत्र में जनपद बांदा के विकास खण्ड नरैनी के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) श्री कृपा शंकर दीक्षित के विरुद्ध भ्रष्टाचार की विभिन्न शिकायतें की गयी हैं । उक्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्न है । जिलाधिकारी, बांदा को मामले में जांच के आदेश दिये जा चुके हैं ।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 192 पर)

श्री ए0 के0 गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, कानपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

7—श्री अकबर हुसैन बावर—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ए0 के0 गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा मंडल, कानपुर के विरुद्ध कितनी शिकायतें उनके कार्यकाल में प्राप्त हुई हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

श्री ए0 के0 गर्ग, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा, परिमंडल कानपुर के विरुद्ध उनके कानपुर के कार्यकाल का एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ । यह पत्र मुख्यतः अन्य अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध था परन्तु इसमें श्री गर्ग को भी आंशिक रूप से आरोपित किया गया । शिकायती-पत्र की जांच टेक्निकल आडिट सेल से करायी जा रही है ।

श्री अरविन्द कुमार सक्सेना, सहायक अध्यापक, राजकीय हामिद इण्टर कालेज, रामपुर का स्थानान्तरण

8—श्री मुहम्मद आजम खां—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि पर्वतीय संवर्ग में नियुक्त अध्यापक जो पर्वतीय संवर्ग में विकल्प लेकर सी0 टी0 वेतन क्रम से एल0 टी0 वेतन क्रम में पदोन्नति पा चुका हो, क्या उनका मैदानी क्षेत्र में स्थानांतरण नहीं हो सकता है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में श्री अरविन्द कुमार सक्सेना, सहायक अध्यापक, एल0 टी0 राजकीय हामिद इण्टर कालेज, रामपुर का स्थानांतरण पर्वतीय क्षेत्र से मैदानी क्षेत्र में किया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गोरखपुर, खजनी कस्बे के निकट उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा भूमि का अधिग्रहण

9—श्री हर्षवर्धन—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद में बांसगांव तहसील के खजनी कस्बे के पास उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की केन्द्रीय कार्यशाला बनाने हेतु भूमि अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि हां, तो वर्तमान समय में उक्त भूमि पर किसका कब्जा है ?

राजकुमार संजय सिंह—

गोरखपुर जनपद में बांसगांव तहसील के खजनी कस्बे के निकट उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की जोनल कार्यशाला हेतु 5·535 एकड़ भूमि क्रय द्वारा अधिग्रहीत की गयी थी ।

वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का ही इस भूमि पर कब्जा है ।

किशोरी रमण कन्या इण्टर कालेज, मथुरा के प्रधानाचार्या के पद हेतु चयन

10—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किशोरी रमण कन्या इण्टर कालेज, मथुरा में उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा द्वितीय स्थान पर चयनित प्रधानाचार्या को प्रबन्धक, विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं करा रहा है ? क्या यह भी सत्य है कि श्री प्रभाकर मिश्र, सदस्य, विधान परिषद् ने उक्त विषय के सम्बन्ध में शिक्षा सचिव को दि0 28 जून, 85 को कोई पत्र लिखा है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

प्रश्न में संदर्भित माननीय सदस्य विधान परिषद् का कथित पत्र भी प्राप्त हुआ है जिस पर अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) से आख्या और संस्तुति मांगी गयी है ।

फर्रुखाबाद, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत व्यय की गयी धनराशि एवं मार्गों का निर्माण

11—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में 1 अप्रैल, 84 से 31 मार्च, 85 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल कितनी धनराशि व्यय की गयी और उनसे कौन-कौन से कार्य किये गये ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जनपद फर्रुखाबाद में 1 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत कुल 1,26,67,700 रुपये की धनराशि व्यय की गई । व्यय की गई धनराशि से कराये गये कार्यों का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 193 पर)

फर्रुखाबाद को ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत धनराशि का आवंटन

12—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रुखाबाद में ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 83-84 व 84-85 में कुल कितनी धनराशि प्रदान की गयी ? ग्रामीण विकास अभिकरण फर्रुखाबाद द्वारा विभिन्न कार्य एजेन्सियों तथा पी0 डब्ल्यू0 डी0, आर0 ई0 एस0 आदि को धन का आवंटन किस प्रकार किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

उपलब्ध सूचना के अनुसार जनपद फर्रुखाबाद में ग्राम्य विकास योजना के

अन्तर्गत वर्ष 1983-84 व वर्ष 1984-85 में प्रदान की गई धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :

योजना का नाम	वर्ष 1983-84 में प्रदान की गयी धनराशि (लाख रुपयों में)	वर्ष 1984-85 में प्रदान की धनराशि (लाख रु0 में)
1	2	3
1—एकीकृत ग्राम्य विकास योजना	112.00	112.00
2—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	115.49	128.26
3—ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम	50.99	101.90
4—लघु/सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता :		
(क) वृक्षारोपण	7.00	7.00
(ख) लघु सिंचाई	17.36	20.02

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, फर्रुखाबाद द्वारा विभिन्न कार्य एजेन्सियों तथा पी0 डब्लू0 डी0/आर0 ई0 एस0 आदि को धन का आवंटन जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं के प्राक्कलन के आधार पर किया गया है ।

गोरखपुर मण्डलीय विकास निगम में घाटा

13—श्री कृष्ण कुमार—

क्या क्षेत्रीय विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर मंडलीय विकास निगम की प्रदत्त पूंजी कितनी है ? इस निगम ने प्रारम्भ से लेकर मई, वर्ष 1985 तक कुल कितना घाटा उठाया है ? घाटे के क्या-क्या कारण हैं तथा दोषी अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

गोरखपुर मंडल विकास निगम की प्रदत्त पूंजी 122.03 लाख है । इसमें 89.56 लाख रु0 शासन द्वारा स्वीकृत एवं 32.47 लाख रुपया की पूर्वांचल विकास निगम, फैजाबाद की सम्पत्ति स्थानांतरित की गई है ।

निगम ने प्रारम्भ से लेकर मई 1985 तक कुल 96.99 लाख रुपए का घाटा उठाया है ।

गोरखपुर मण्डल विकास निगम द्वारा उठाये गये घाटे का कारण कम स्थापित क्षमता की 4 रुग्ण चीनी इकाइयों की पूर्वांचल विकास निगम से इस निगम को विरासत के रूप में प्राप्त होना, उत्पादित चीनी का बाजार भाव कम प्राप्त होना, अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान, अपर्याप्त विद्युत आपूर्ति, अत्यधिक कार्मिक शक्ति, प्रशिक्षित कार्मिक शक्ति का अभाव, नई तकनीक का अभाव आदि मुख्य कारण हैं ।

उपरोक्त परिस्थितियों के कारण ही निगम में हानि हुई । अस्तु किसी अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

बलिया, बैरिया निवासी श्री सुरेश राम की बस दुर्घटना में मृत्यु एवं मुआवजा

14—श्री मैनेजर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दिनांक 5-5-83 को सायं 7 बजे मिनी बस संख्या यू0 आर0 आई0 638 से बैरिया गांव, जनपद बलिया के पश्चिम सुरेश राम पुत्र मिहीराम, निवासी बैरिया की मृत्यु हो गयी जिसके मुआवजे के लिए जिलाधिकारी, बलिया ने परिवहन आयुक्त को दिनांक 30 जून, 84 को अपने पत्र संख्या 3231-एल0बी0सी0 द्वारा लिखा था ? यदि हां, तो मुआवजे के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

राजकुमार संजय सिंह—

जी हां । दिनांक 5-5-83 को सायं 7.00 बजे मिनी बस संख्या यू0 आर0 आई 638 से बैरिया गांव, जनपद बलिया के पश्चिम सुरेश राम पुत्र श्री मिहीराम, निवासी बैरिया की मृत्यु हो गयी जिसके मुआवजे के लिए जिलाधिकारी बलिया ने परिवहन आयुक्त को दिनांक 30 जून, 1984 को अपने पत्र संख्या 323-एल0 बी0 सी0 द्वारा लिखा था । किन्तु दुर्घटनाग्रस्त बस वैध परमिट से आच्छादित नहीं थी और न यात्रीकर का भुगतान कर रही थी, अतः श्री सुरेश राम के आश्रितों को नियमानुसार परिवहन विभाग द्वारा कोई आर्थिक सहायता अनुमन्य नहीं है । मोटर गाड़ी अधिनियम 1939 की धारा 92-ए एवं 110-ए के अन्तर्गत दुर्घटना प्रतिपूर्ति अधिकरण के समक्ष वाद प्रस्तुत करके मृतक के आश्रित वाहन स्वामी से मुआवजे की धनराशि प्राप्त कर सकते हैं ।

शिक्षा विभाग में संयुक्त राज्य सम्मिलित प्रतियोगिता में चयनित कर्मचारियों के स्थायीकरण की मांग

15—श्री जंग बहादुर—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, इलाहाबाद द्वारा संचालित संयुक्त राज्य प्रतियोगिता परीक्षा, 1975 के आधार पर शिक्षा कनिष्ठ सेवा में चयनित अभ्यर्थियों ने 1978 में कार्यभार ग्रहण किया था तथा इनके स्थायीकरण की पत्रावली शासन को शिक्षा निदेशक ने संस्तुत करके प्रेषित किया है, का मामला शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन अधिकारियों का स्थायीकरण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

राज्य सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा, 1975 के आधार पर चयनित अभ्यर्थियों ने जुलाई 1978 से सितम्बर 1979 के बीच शिक्षा विभाग में कार्यभार ग्रहण किया था । शिक्षा निदेशक ने इनके स्थायीकरण की कोई पत्रावली संस्तुत कर शासन को नहीं भेजी है अपितु इस सम्बन्ध में पत्र के रूप में स्थायीकरण का प्रस्ताव भेजा है जो विचाराधीन है ।

जी हां, कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

झांसी लघु सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण का स्थगन

16—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लघु सिंचाई विभाग झांसी में इस समय कितने सहायक अभियंता कार्यरत हैं ? उनमें से कितने अभियंता तीन वर्ष से अधिक से इसी जनपद में तैनात हैं ? इनका स्थानान्तरण कितने बार किया गया और रोका गया ? इसके स्थानांतरण बार-बार करने व रोकने का क्या आधार है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

लघु सिंचाई विभाग, जनपद झांसी में इस समय 3 सहायक अभियन्ता कार्यरत हैं । उनमें से 2 सहायक अभियन्ता 3 वर्ष से अधिक अवधि से इसी जनपद में तैनात हैं इनमें से एक सहायक अभियंता का तीन बार तथा एक सहायक अभियन्ता का दो बार स्थानांतरण जनहित में किये गये और जनहित में ही रोके गये ।

फैजाबाद, महबूबगंज—ऊंचेगांव (रूहीयावा) मार्ग का निर्माण

17—श्री मुईद अहमद—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि महबूबगंज—ऊंचेगांव (रूहियावां), जनपद फैजाबाद के सम्पर्क मार्ग पर खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत पुल बनाने और मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है ? यदि हां, तो क्या इसे रोजगार भूमिहीन गारण्टी योजना के अन्तर्गत पक्की सड़क बनाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

महबूबगंज ऊंचेगांव (रूहियात्रां) संपर्क मार्ग पर खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत 2 किलोमीटर मिट्टी का कार्य एवं एक पुलिया का निर्माण हुआ था ।

पुनः यह सड़क सेक्टोरल आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के अन्तर्गत ले ली गई है जिसमें से 0.75 किमी0 पर मिट्टी का कार्य पूरा हो चुका है तथा 400 मीटर खड़ंजा का कार्य भी पूर्ण हो चुका है ।

फरुखाबाद, बरुआ-राजेपुर मार्ग का निर्माण

18—श्री संतोष चतुर्वेदी एडवोकेट—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्लाक राजेपुर, जिला फरुखाबाद में ग्राम बरुआ से राजेपुर मार्ग तक मिट्टी का काम जिला योजना में वर्ष 1983-84 में स्वीकृत हुआ था ? यदि हां, तो कुल कितने किलोमीटर स्वीकृत हुआ और कितने पर काम पूरा हो गया तथा कितना काम शेष है ? उसका क्या कारण है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

उपलब्ध सूचना के अनुसार ब्लाक राजेपुर, जिला फरुखाबाद में ग्राम बरूआ से राजेपुर मार्ग तक मिट्टी का काम ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना में वर्ष 1983-84 में स्वीकृत हुआ था । स्वीकृत मार्ग की लम्बाई 1.200 किलोमीटर है । पूरे मार्ग पर मिट्टी का कार्य पूर्ण करा दिया गया है ।

आजमगढ़ की गांव सभा जमालपुर भेलखरा में पेयजल योजना हेतु स्वीकृत धनराशि

19—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या ग्रामीण विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ़ जनपद के अन्तर्गत वि0 खं0 मुहम्मदपुर के ग्राम सभा जमालपुर भेलखरा के विकास खंड द्वारा सन 1980 से 1985 तक किन-किन मदों में कुल कितनी धनराशि अनुदान के रूप में मिली है और उसका क्रियान्वयन ठीक ढंग से हुआ है ? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

गांव सभा जमालपुर भेलखरा की विकास खंड मुहम्मदपुर द्वारा वर्ष 1980 से 1985 तक की अवधि में केवल वर्ष 1984-85 में पेयजल योजना हेतु 3,700 रुपये की धनराशि दी गई । इस धनराशि से 5 हैण्ड पम्प लगवाये गये हैं । कार्य संतोषजनक ढंग से हुआ ।

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं सामान्य जाति के अवर अभियन्ताओं की नियुक्ति

20—श्री शारदा नन्द अंचल—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण सेवा के अन्तर्गत इस वर्ष कुल कितने अवर अभियंता नियुक्त किये गये तथा उनमें से कितने पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति एवं कितने अनुसूचित जनजाति के तथा कितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, विकलांग लिये गये हैं ? क्या माननीय मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति एवं सवर्ण वर्ग के चुने गये उम्मीदवारों का न्यूनतम प्राप्तांक क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में वर्ष 85-86 में 520 अभ्यर्थियों की अवर अभियंता के पद पर तदर्थ नियुक्ति की गयी है । इन नियुक्तियों में श्रेणीवार स्थिति निम्नवत है :

1—पिछड़ी जाति	89
2—अनुसूचित जाति	100
3—अनुसूचित जनजाति	4
4—स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	21
5—समाज के अक्षम (विकलांग)	12
6—सामान्य	294
योग	520

उपरोक्त वर्णित 520 नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों में श्रेणीवार अभ्यर्थी के डिप्लोमा में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत निम्नवत् है :—

क्रम सं0	श्रेणी	नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों के डिप्लोमा में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत
1	पिछड़ी जाति	57.34
2	अनुसूचित जाति	64.95
3	अनुसूचित जनजाति	66.79
4	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित	67.29
5	समाज के अक्षम (विक0)	67.40
6	सामान्य	75.41
7	वर्कचार्ज	50.78

स्व0 सूर्यपाल सिंह, प्रधान अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, सराय सुलतान, हरदोई के बीमे की धनराशि

21—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सेवा अवधि के दौरान 20-11-81 को मृतक स्व0 सूर्यपाल सिंह, प्रधान अध्यापक, प्रा0 पा0, सराय सुल्तान, ब्लाक मल्लांवा, जिला हरदोई की पत्नी श्रीमती माया देवी, निवासिनी मेंहदीखेड़ा, पो0 मल्लावा, जिला हरदोई को सर्विस बीमे की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मृतक आश्रित के नाते उक्त अध्यापक के किसी परिवारजन को सेवा में लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और उसे कब तक सेवों में ले लिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

आवेदन पत्र विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण ।

जी नहीं ।

यह नियुक्तियां वरीयता क्रमानुसार की जाती है, अतः निश्चित तिथि बताना सम्प्रति संभव नहीं है ।

तत्कालीन बी0 डी0 ओ0, श्री जितेन्द्र नारायण चड्ढा एवं लिपिक श्री मुहम्मद हादी गाजीपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

22—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जितेन्द्र नरायण चड्ढा, तत्कालिक बी0 डी0 ओ0, गाजीपुर तथा जिला विकास अधिकारी कार्यालय के मुख्य लिपिक श्री मुहम्मद हादी के विरुद्ध जय राम राय द्वारा कोई शिकायती पत्र कृषि उत्पादन आयुक्त को 5-2-85 को दिया गया था ? यदि हां, तो वे शिकायतें क्या हैं तथा शासन द्वारा उन पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां । इस शिकायती-पत्र में श्री मुहम्मद हादी के विरुद्ध जातिवाद एवं अनियमितता के गम्भीर आरोप हैं। शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच जिलाधिकारी, गाजीपुर द्वारा करायी जा रही है । जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर जांच आख्या के आधार पर दोषी पाये गये अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

मुरादाबाद, दुग्धशाला लाइसेन्सधारियों के लाइसेन्स के नवीनीकरण पर ली गयी पेनाल्टी

23—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद में 81-82 से वर्ष 85-86 तक दुग्धशाला लाइसेंसधारियों से रिनीवल लाइसेन्स पर प्रतिवर्ष कितनी पेनाल्टी वसूल की गयी ? यदि हां, तो पेनाल्टी वसूली की परिस्थितियां क्या थीं ? क्या सरकार दुग्धशाला लाइसेन्सधारियों को

कुछ सुविधाएं प्रदान करने के बारे में विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पशुधन मंत्री (श्रीमती बेनी बाई)—

जनपद मुरादाबाद में वर्ष 81-82 से 85-86 (माह जून, 1985) तक दुग्धशाला लाइसेंसधारियों से रिनीवल लाइसेंस पर प्रति वर्ष पेनाल्टी निम्न प्रकार से प्राप्त हुयी :

वर्ष 81-82 में	रु0 200.00
वर्ष 82-83 में	रु0 200.00
वर्ष 83-84 में	रु0 400.00
वर्ष 84-85 में	रु0 2,600.00
वर्ष 85-86 में (जून 85 तक)	कुछ नहीं

दुग्धशाला लाइसेंसधारियों द्वारा लाइसेंसों का समय से नवीनीकरण न कराये जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश दुग्ध अधिनियम/नियमावली, 1976 के अन्तर्गत पेनाल्टी नियमानुसार वसूल की गयी ।

जी नहीं ।

उ0 प्र0 दुग्ध अधिनियम/नियमावली, 1976 के अन्तर्गत दुग्धशाला लाइसेंसधारियों को व्यापार की सुविधा मिली हुयी है । इसके अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा दिये जाने का नियमों में प्राविधान नहीं है ।

श्रीमती प्रेमा देवी, अध्यापिका, प्राइमरी पाठशाला, बरियावन, फैजाबाद के वेतन का भुगतान

24—श्री देव कुमार यादव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगी कि श्रीमती प्रेमा देवी, सहायक अध्यापिका, प्रा0 पा0, बरियावन, फैजाबाद को जुलाई, 1984 से सितम्बर, 1984 तक मूल वेतन 445 पर वेतन दिया गया तथा माह अक्टूबर, 1984 से मूल वेतन 435 वेतन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या यह भी सत्य है कि श्रीमती प्रेमा देवी जी, इस समय प्रा0पा0, बरियावन, फैजाबाद में सेवारत हैं, का जुलाई, 75 का वेतन देय है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

बिल लिपिक की त्रुटि के कारण अध्यापिका को माह अक्टूबर 1984 से मार्च 1985 तक मूल वेतन 435 दिया गया था जिसे सुधार कर अवशेष वेतन का भुगतान कर दिया गया है ।

जी हां । अवकाश पर रहने के कारण ।

फैजाबाद, बड़ागांव बराहिमपुर की कन्या प्राइमरी पाठशाला के अध्यापकों का बकाया वेतन

25—श्री देवकुमार यादव—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क0प्रा0पा0, बड़ागांव बराहिमपुर, टांडा पश्चिमी, फैजाबाद के अध्यापक/अध्यापिकाओं का वेतन मार्च/अप्रैल, 82 का भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी संबंधित अध्यापक/अध्यापिकाओं का वेतन भुगतान कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

26—श्री शारदानन्द अंचल—

[दिनांक 15-7-85 को अता0 प्र0 संख्या 165 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ के प्राथमिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान

27—श्री भगौती सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के प्राथमिक शिक्षकों के वेतन का भुगतान नियमित रूप से

निर्धारित समय पर नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश की जिला परिषदों की सलाहकार समितियों की बैठक

28—श्री नरेन्द्र सिंह यादव—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषदों के विधिवत गठन होने तक जिला परिषदों की सलाहकार समितियां, प्रभारी मंत्रियों की अध्यक्षता में गठित करने का निर्णय लिया गया था ? यदि हां, तो क्या उसका अनुपालन हो रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

जिला परिषदों से प्राप्त सूचना के अनुसार अधिकांश जिला परिषदों में सलाहकार समितियों की बैठकें व्यावहारिक कठिनाईयों के कारण नहीं हो सकी हैं ।

जिला परिषद्, इटावा में अभियन्ता के पद पर प्रोन्नत व नियुक्ति के विरुद्ध प्रत्यावेदन और अभियन्ता का प्रत्यावर्तन

29—चौधरी महाराज सिंह—

क्या पंचायती राज एवं ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद्, इटावा में अभियन्ता के पद पर वर्ष 1981 में अनियमित रूप से प्रोन्नत व्यक्ति के विरुद्ध किसी अवर अभियन्ता ने कोई प्रत्यावेदन दिया है ? यदि हां, तो उस प्रत्यावेदन पर क्या निर्णय लिया गया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां, जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद्, इटावा के विचाराधीन है ।

30—चौधरी महाराज सिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला परिषद् एक्ट की धारा 47 के अन्तर्गत नियुक्त अधिकारी को नियुक्ति अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात् भी लोक सेवा आयोग के अनुमोदन के अभाव में कार्यरत रखा जा सकता है ? यदि हां, तो जिला परिषद्, इटावा में नियुक्त अभियन्ता के सम्बन्ध में शासन व नियुक्ति प्रभारी प्राधिकारी ने क्या निर्णय लिया है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं, अभियन्ता को दिनांक 23-7-85 से उनके मूल पद अवर अभियन्ता पर जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला परिषद्, इटावा द्वारा प्रत्यावर्तित करके निलम्बित किया जा चुका है ।

31—चौधरी महाराज सिंह—

क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिला परिषद् में 3 अक्तूबर, 1981 में नियुक्त अभियन्ता को जिला परिषद् एक्ट की किस धारा व नियमों के अन्तर्गत धारा 47 के अधीन 3 अक्तूबर, 1983 के बाद अभियन्ता पद पर कार्य करने दिया जा रहा है व वेतन दिया जा रहा है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

प्रत्यावर्तित होने के परिणामस्वरूप उन्हें अब अभियन्ता पद का वेतन नहीं दिया जा रहा है और न तो उनसे अभियन्ता का कार्य ही लिया जा रहा है ।

ब्लाक प्रमुखों को वाहन भत्ता दिये जाने की मांग

32—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि ब्लाक प्रमुखों को प्रतिमाह वाहन भत्ता दिये जाने पर शासन विचार कर रहा है ? यदि हां, तो भत्ता कितना

होगा तथा कब से देय होगा ? क्या ब्लाक प्रमुखों की भांति ग्राम प्रधानों को भी भत्ता दिया जाना शासन के विचाराधीन है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

33—श्री सुखपाल पाण्डे—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बस्ती के विधान सभा क्षेत्र, हरैया एवं कप्तानगंज खाद्यान्न योजना के अन्तर्गत सड़कों का निर्माण

34—श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि बस्ती जिले में जनता सरकार के समय विधान सभा क्षेत्र हरैया एवं कप्तानगंज में खाद्यान्न एवं अन्य योजना द्वारा कुल कितनी किलोमीटर सड़क स्वीकृत होकर बनना शुरू हुई थी कितनी सड़क पूरी हो गयी, कितनी सड़क बाकी है जो सड़कें बनने को शेष हैं उन्हें सरकार कब तक पूरा करवा देगी ? क्या यह सही है कि जो सड़कें बनी हैं उसका भुगतान आज तक मजदूरों को नहीं किया गया है ? क्या यह भी सही है कि इस सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी को तत्कालीन विधायक श्री सुखपाल पाण्डे ने 23-11-1981 को कोई पत्र लिखा था ? यदि हां, तो शिकायती-पत्र के अनुसार मजदूरों को मजदूरी का भुगतान तथा अधूरा सड़कों को पूरा कराने के संबंध में सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

बस्ती जिले में जनता सरकार के समय विधान सभा क्षेत्र हरैया एवं कप्तानगंज में खाद्यान्न योजनान्तर्गत कुल 451-570 किमी0 सड़कें स्वीकृत होकर बननी शुरू हुई थी । 428·281 किमी सड़कें पूरी हो गयी । 23·289 किमी0 सड़कें बननी शेष हैं । खाद्यान्न योजना में निर्मित सड़कों पर कृत कार्य के लिए विवादित मामलों को छोड़कर सभी पर भुगतान किया जा चुका है । इस सम्बन्ध में तत्कालीन माननीय विधायक श्री सुखपाल पाण्डे का पत्र दिनांक 23-11-81 नहीं प्राप्त हुआ प्रतीत होता है ।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज, अमरोहा, मुरादाबाद की अध्यापिकाओं का वेतनमान

35—श्री हाजी मोहम्मद हयात—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय बालिका इण्टर कालेज, अमरोहा (मुरादाबाद) में ऐसी कितनी अध्यापिकायें हैं जिनका सेवाकाल 16 वर्ष पूरा हो चुका है किन्तु उन्हें चयन वेतनमान नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद ग्राम कस्बा के श्री जगमोहन को गाड़ी एवं बैल की खरीद हेतु पंजाब नेशनल बैंक द्वारा दिया गया ऋण

36—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या सरकार को जानकारी है कि श्री जगमोहन पुत्र श्री साधू हरिजन निवासी ग्राम कस्बा पोस्ट दिलासीगंज, ब्लाक नया बाजार, जनपद फैजाबाद ने वर्ष 1981-82 में एकीकृत योजना में पंजाब नेशनल बैंक गोसाईगंज, जनपद फैजाबाद से ऋण लेकर गाड़ी तथा बैल क्रय किया था परन्तु उसे आज तक अनुदान उपलब्ध नहीं हुआ ? क्या इस विषय में खंड विकास अधिकारी, नयाबाजार, फैजाबाद का दिनांक

22-1-1985 का परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण फैजाबाद को सम्बोधित पत्र शासन को मिल गया है ? यदि हां, तो अनुदान उपलब्ध न कराने के दोषी लोगों को दण्डित करने और श्री जगमोहन को अविलम्ब अनुदान उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

(क) जी हां ।

(ख) खण्ड विकास अधिकारी का प्रश्नगत पत्र शासन स्तर पर उपलब्ध नहीं है ।

(ग) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कार्यालय के चेक संख्या 6995 दिनांक 7-8-1985 द्वारा श्री जगमोहन के वांछित अनुदान का चेक पंजाब नेशनल बैंक, गोसाईगंज को भेजा जा चुका है ।

आगरा, वाह-इटावा मार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग

37—श्री विजय सिंह राणा—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में वाह-इटावा रूट मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित नहीं किया गया है जबकि अन्य सभी मार्ग राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित कर दिये गये हैं ? क्या इस मार्ग को निकट भविष्य में राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित किये जाने की योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह योजना कब तक पूरी कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह—

आगरा में वाह-इटावा मार्ग को राष्ट्रीयकृत घोषित करने का फिलहाल विचार नहीं है । अपने वर्तमान बस बेड़े की परिस्थापना के उपरान्त ही इस ओर उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा विचार करना सम्भव होगा ।

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों को धनराशि के आवंटन का मापदण्ड और जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के सदस्यों के कर्तव्य एवं अधिकार

38—श्री पूरन सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि ग्राम्य विकास अधिकरण के अन्तर्गत जनपदों को रुपया किस मापदण्ड के अन्तर्गत प्रदान किया जा रहा है ? क्या सभी जनपदों के लिए समान मापदण्ड अपनाया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों को विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु धनराशि आवंटन के मापदण्ड संलग्नक-1 में अंकित है ।

*(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 194 पर)

39—श्री पूरन सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के कौन-कौन से सदस्य होते हैं तथा उनके अपने क्या-क्या कर्तव्य व अधिकार हैं ? जनपद स्तर पर इस अभिकरण का अध्यक्ष किसी गैर सरकारी व्यक्ति को बनाये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी के सदस्यों की सूची संलग्नक-2 में है । गवर्निंग बाडी द्वारा अभिकरण के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही आई0 आर0 डी0/एन0 आई0 ई0 पी0/आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 आदि योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति समीक्षा की जाती है तथा इन योजनाओं की वार्षिक योजना को गवर्निंग बाडी द्वारा अनुमोदित किया जाता है

इस अभिकरण में गैर सरकारी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचारार्थ पुन: भेजा रहा है क्योंकि भारत सरकार के परामर्श एवं सहमति से अध्यक्षता के परिवर्तन पर विचार किया जा सकता है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 195 पर)

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, फैजाबाद रीजन की आडिट रिपोर्ट

40—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आन्तरिक लेखा परीक्षा दल द्वारा उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, फैजाबाद रीजन के वर्ष 1982-83 व 1983-84 की आडिट रिपोर्ट माह जुलाई, 1984 में प्रस्तुत कर दी गयी है ? यदि हां, तो उसमें गबन एवं अनियमितता की कितनी धनराशि प्रकाश में आई है ?

राजकुमार संजय सिंह—

जी हां ।

अनियमितता सम्बन्धी लगभग रुपये 17 लाख की धनराशि प्रकाश में आयी है ।

उ0 प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, श्री बी0 एन0 पी0 वर्मा, भूतपूर्व चालक, चारबाग डिपो की सेवा समाप्ति की जांच करने की मांग

41—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी0 एन0 पी0 वर्मा, चालक, चारबाग डिपो को दिनांक 21-6-1983 को बस संख्या 4514 के खराब हो जाने की सूचना यथा समय न दिये जाने एवं बस में खराबियों की बात असल होने के कारण कार्यालय आदेश संख्या ल0 क्षे0/स0 क्षे0 प्र0 (स्था0)/अडस्प—83-7375 दिनांक 30-7-1983 को सेवामुक्त कर दिया गया था ? यदि हां, तो श्री वर्मा द्वारा बस की खराबी की सूचना कब तथा किस अधिकारी को दी गई तथा बस दोबारा कब तथा किसके आदेश से अटेण्ड किया गया ?

राजकुमार संजय सिंह—

श्री बी0 एन0 पी0 वर्मा, भूतपूर्व चालक, चारबाग डिपो, दिनांक 21-6-1983 को उनके चार्ज में दी गई बस संख्या 4514, कोई बड़ी खराबी न होने के बावजूद तथा किसी अन्य कर्मचारी को चार्ज में दिये बिना कानपुर में छोड़कर चले गये, जिसके फलस्वरूप दिनांक 25-6-1983 तक उक्त बस कानपुर में खड़ी रहने के कारण निगम को राजस्व की क्षति हुई तथा उक्त बस की एक सीट तीन यात्रियों वाली तथा दूसरी सीट दो यात्रियों वाली चोरी चली गयी । इस मामले में पूरी जांच के पश्चात् श्री वर्मा को दोषी पाया गया, तथा उनको निगम के कार्यालय आदेश दिनांक 30-7-1983 द्वारा सेवा से पृथक कर दिया गया ।

श्री वर्मा द्वारा दिनांक 21-6-1983 को उक्त बस में चार खराबियों की रिपोर्ट स्टेशन इन्चार्ज, कलक्टरगंज, कानपुर को दी गई थी, परन्तु उनकी रिपोर्ट सही नहीं पायी गई, और उक्त बस को दिनांक 25-6-1983 को उसी दशा में दूसरे चालक द्वारा लखनऊ लाया गया । उक्त बस में केवल टाप-गियर स्लिप होने की मामूली खराबी पायी गई थी, जिसको लखनऊ पहुंचने के बाद सीनियर फोरमैन के आदेश से अटेण्ड किया गया ।

42—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या यह सत्य है कि गाड़ी लगभग एक सप्ताह बाद अटेण्ड की गयी एवं जांच में

कुछ एक खराबियों की पुष्टि भी हुई ? यदि हां, तो क्या माननीय मंत्री इस जांच को किसी निष्पक्ष एजेन्सी से कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे एवं श्री वर्मा को पुन: सेवा में बहाल करने के आदेश देंगे ? माननीय मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त जांच के संबंध में माननीय नेता विरोधी दल का दिनांक 1 अप्रैल, 1985 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नही, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह—

यह सत्य नहीं है कि उक्त बस एक सप्ताह के बाद अटेण्ड की गई । निरीक्षण के फलस्वरूप बस में केवल टाप-गियर स्लिप होने की खराबी पायी गई, तथा अन्य कोई खराबी नहीं पायी गई, जब कि श्री वर्मा ने तीन और खराबियों को भी गलत रिपोर्ट की थीं । चूंकि पाई गई खराबी सामान्य प्रकृति की थी, जिसके लिए किसी अन्य कर्मचारी को दोषी नहीं पाया गया । अतएव किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है । उक्त प्रकरण में पूर्ण जांचोपरान्त श्री वर्मा को ही दोषी पाया गया था । अतएव उनको सेवा में बहाल किये जाने का कोई औचित्य नहीं है ।

माननीय नेता, विरोधी दल का पत्र दिनांक 1-4-1985 प्राप्त नहीं हुआ, बल्कि उनका पत्र दिनांक 23-4-1985 अवश्य प्राप्त हुआ था, जिसका उत्तर निगम के कार्यालय पत्र संख्या 84/रो0/डी0/एम—85-527 अपील/74, दिनांक 21-6-1985 द्वारा उनको दिया जा चुका है ।

43—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—
[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

बलिया की भवन विहीन प्राइमरी पाठशालाएं

44—श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बलिया में कितने प्राइमरी पाठशाला भवन विहीन हैं, इन्हें किस पंचवर्षीय योजना तक भवन प्रदान करने का सरकार का विचार है ?

श्री सिब्ते रजी—

यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

फर्रुखाबाद, दयानन्द इण्टर कालेज, अमृतपुर में हाईस्कूल एवं इण्टर मीडिएट परीक्षा में छात्रों के सम्मिलित होने की कथित रुकावट और परीक्षा केन्द्र का स्थानान्तरण

45—श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1985 की 21 मार्च से प्रारम्भ होने वाली हाई स्कूल एवं इण्टर की परीक्षा में जनपद फर्रुखाबाद के दयानन्द इण्टर कालेज, अमृतपुर के लगभग सभी छात्र-छात्राओं को इण्टर एवं हाई स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका गया था ? यद्यपि उनका परीक्षा शुल्क जमा था । यदि हां, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ऐसे कितने छात्र एवं छात्राएं हैं जिन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने से रोका गया है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

46—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दयानन्द इण्टर कालेज, अमृतपुर

जनपद फर्रुखाबाद के बोर्ड की वर्ष 1985 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हाई स्कूल एवं इण्टर के लगभग 400 छात्रों का परीक्षा केन्द्र अमृतपुर से हटाकर 30 किलोमीटर दूर, शहर फर्रुखाबाद में कर दिया गया जिसके कारण छात्र, छात्राओं को शहर में परीक्षा के दिनों में आवास सुविधा न मिल सकने के कारण भारी असंतोष रहा और ऐसी धारणा है कि सैकड़ों निर्धन छात्र एवं छात्रायें आवास की व्यवस्था न कर सकने के कारण परीक्षा देने से वंचित रह गये ?

श्री सिब्ते रजी—

हाई स्कूल के परीक्षार्थियों को राजेपुर केन्द्र पर परीक्षा देने की सुविधा दी गई, किन्तु इण्टर संस्थागत 363 परीक्षार्थियों का केन्द्र जिला विद्यालय निरीक्षक, फर्रुखाबाद के प्रस्ताव व उनकी संस्तुति पर राजेपुर केन्द्र पर स्थानाभाव की गम्भीर समस्या के कारण, फर्रुखाबाद शहर में निर्धारित किया गया था। छूटे हुए प्रश्न-पत्रों के लिए इण्टरमीडिएट के छात्रों को व्यक्तिगत परीक्षा के साथ सम्मिलित होने की अनुमति माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदान की गई किन्तु इस विद्यालय से कोई सूचना इस सम्बन्ध में परिषद् को प्राप्त नहीं हुई।

47—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि परीक्षा केन्द्र स्वयं दयानन्द इण्टर कालेज, अमृतपुर ही न बनाकर अथवा समीप राजेपुर ब्लाक में ही स्थित महात्मा गांधी हायर सेकेन्डरी स्कूल राजेपुर में करके उन निर्धन विद्यार्थियों को परीक्षा केन्द्र की व्यवस्था न करने का क्या कारण था ?

श्री सिब्ते रजी—

इस वर्ष मैदानी जनपदों में बालकों के लिए स्वकेन्द्र की नीति के न होने तथा समीप के राजेपुर केन्द्र पर स्थानाभाव के कारण इण्टर के छात्रों के परीक्षा केन्द्र को समीप में बनाया जाना सम्भव न हो सका। हाई स्कूल परीक्षार्थियों का केन्द्र राजेपुर कर दिया गया।

बाराबंकी, ग्राम सिरौली की प्राइमरी पाठशाला के भवन का निर्माण

48—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सिरौली विकास खण्ड दरियाबाद जनपद बाराबंकी के प्राइमरी स्कूल का भवन विगत 5 वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है ? क्या इस संबंध में जिलाधिकारी बाराबंकी को 16-3-85 को कोई पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो अधूरे भवन निर्माण को पूरा करने के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिये संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया था।

श्री दीना नाथ सिंह, सहायक अध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, हरिपुर बलिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं जघन्य अपराध का आरोप

49—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री दीनानाथ सिंह पुत्र स्वर्गीय राम एकबाल सिंह, सहायक अध्यापक प्राइमरी पाठशाला, हरिपुर ब्लाक दूबहड़ परगना/जिला बलिया के विरुद्ध अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, 307 आई0 पी0 सी0 के जघन्य अपराध आदि के गम्भीर आरोप हैं ? क्या यह भी सही है कि स्थानीय विभागीय अधिकारियों की उदासीनता व उपेक्षा के कारण उक्त

सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है ? यदि हां, तो क्या शासन ऐसे सहायक अध्यापक का कहीं दूरस्थ स्थानान्तरण कर शिकायतों की उच्चस्तरीय जांच कराकर दण्डित करेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है ।

बाराबंकी जिले के भवन विहीन प्राइमरी स्कूल एवं जूनियर हाई स्कूल

50—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बाराबंकी में कितने और कौन-कौन प्राइमरी स्कूल व जू0 हा0 स्कूल ऐसे हैं जिनमें छात्रों के बैठने के लिए भवन, शिक्षण सामग्री का अभाव है ? क्या यह सही है कि इस जनपद के 50 प्रतिशत स्कूलों के भवन नहीं हैं ? यदि हां, तो सरकार भवन निर्माण के संबंध में क्या कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

378 प्राइमरी पाठशाला एवं 43 जूनियर हाई स्कूल जिनकी सूची †संलग्न है भवनहीन हैं । विद्यालयों में शिक्षण सामग्री के अभाव संबंधी सूचना एकत्रित की जा रही है ।

भवनहीन विद्यालयों के भवनों का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

---

†छापी नहीं गयी ।

प्राइमरी स्कूल, जमशेदपुर, इलाहाबाद के भवन-निर्माण सम्बन्धी-पत्र

51—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य शिक्षा मंत्री को सम्बोधित राजकीय प्राइमरी पाठशाला जमशेदपुर, ब्लाक सैदाबाद, इलाहाबाद के भवन निर्माण किये जाने विषयक श्री बलवीर सिंह दबथुआ एम0 एल0 सी0 का दिनांक 21 मई, 1985 का पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो कब तक भवन निर्माण कार्य पूर्ण हो जाने की सम्भावना है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया था ।

हाई स्कूल परीक्षा के अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों के संबंध में कथित-पत्र

52—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 1984 में अधिक संख्या में हाई स्कूल परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 1499 दिनांक 8-8-1984 मिला है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? क्या पत्र में लिखे अनुसार विधायकों, उच्च अधिकारियों व विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय जांच कमेटी बनाने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नकर्ता का प्रश्नगत पत्र प्राप्त हुआ नहीं प्रतीत होता है । यदि माननीय विधायक उसकी प्रति उपलब्ध करा दें

तो उस पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

शिक्षा विभाग, अलीगढ़ जनपद के प्रधानाचार्य, अध्यापकों, लिपिकों का वेतन निर्धारण

53—श्री सुरेश प्रताप सिंह गांधी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अलीगढ़ जनपद में कितने प्रधानाचार्य, अध्यापक, लिपिक एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी ऐसे हैं जिनका 1979 में हुए पुनरीक्षण के आधार पर वेतन निर्धारण दिनांक 15-5-1983 तक जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नहीं किया गया है तथा 6 वर्ष की अवधि में भी वेतन निर्धारण न किये जाने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी—

अलीगढ़ जनपद के दो प्रधानाचार्य, 16 अध्यापक, एक लिपिक तथा 13 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के वेतन निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान में नहीं हुए हैं । इनमें से अधिकांश के पत्रजात संबंधित विद्यालयों से प्राप्त नहीं हुए हैं । 6 अध्यापकों के विरुद्ध माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा ई-10 के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है । एक अध्यापक का प्रकरण माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित है । 4 प्रकरण संबंधित अधिकारी द्वारा शिक्षा निदेशक को निर्देश हेतु सन्दर्भित हैं ।

54—श्री राजेन्द्र गुप्त—

[दिनांक 12-8-1985 को अता0 प्र0 संख्या 35 द्वारा उत्तरित]

लखनऊ मण्डल के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की प्रशासनिक योजनाओं का संशोधन

55—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ मण्डल में ऐसे गैर सरकारी सहायता एवं मान्यता प्राप्त माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कौन-कौन हैं जहां अभी तक प्रशासनिक योजना (नवीन संशोधित) लागू नहीं हो सकी है ? लागू न हो पाने का क्या कारण है तथा कब तक लागू हो जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक लखनऊ से प्राप्त सूचना के अनुसार लखनऊ मंडल के 337 उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में से 173 विद्यालयों ने अपनी प्रशासन योजनायें संशोधित करा ली हैं । शेष 164 विद्यालयों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है ।

फैजाबाद, किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पकड़ी भोजपुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र और श्री राम लखन वर्मा को कार्यवाहक प्रबन्धक के पद पर नियुक्ति

56—श्रीमती शारदा देवी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी भोजपुर जनपद फैजाबाद में की गयी गम्भीर अनियमितताओं के संबंध में क्रमशः मुख्य मंत्री एवं शिक्षा निदेशक को सम्बोधित पत्र दिनांक 10-1-1985 तथा 11-3-1985 पृष्ठांकन के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों में उल्लिखित मुख्य-मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा क्या सरकार सम्पूर्ण शिकायतों की निष्पक्ष जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

उक्त शिकायती-पत्रों के मुख्य-मुख्य बिन्दु निम्नवत् हैं :—

1—जूनियर हाई स्कूल की स्थाई मान्यता के समय वास्तविक रूप से

संचालित पांच अनुभाग के स्थान पर तीन अनुभाग दिखाकर मान्यता प्राप्त किया जाना ।

2—बिना विधिक चयन प्रक्रिया अपनाये कतिपय शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना ।

3—विद्यालय वेतन वितरण अधिनियम में आने के फलस्वरूप कतिपय शिक्षकों को अनियमित वेतन भुगतान ।

4—हाई स्कूल की मान्यता आवेदन पत्र देते समय 7 अनुभागों के स्थान पर 3 अनुभागों का दिखाया जाना ।

5—तीन मान्य अनुभागों के अतिरिक्त छात्र संख्या की क्षतिपूर्ति प्राप्त करना ।

6—विद्यालय कर्मचारियों का वेतन भुगतान जून, 1984 से न किया जाना ।

जांच की जा रही है जांचोपरान्त दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

57—श्रीमती शारदा देवी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त विद्यालय के पूर्व प्रबन्धक की मृत्यु दिनांक 13-10-1983 के उपरान्त विद्यालय की प्रबन्धकारिणी समिति में मंत्री पद पर आसीन श्री राम लखन वर्मा को बगैर मंत्री पद से त्याग-पत्र दिए ही विद्यालय की नियमावली में उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करके स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन के अन्तर्गत कार्यवाहक प्रबन्धक बनाकर सरकार से उनकी हस्ताक्षर द्वारा वेतन आदि लाखों रुपये की धनराशि आहरित करने की शक्ति दी गयी ? यदि हां, तो क्या स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन जूनियर हाई स्कूल स्तर पर लागू है ? यदि नहीं, तो इस प्रकार की अनियमितता पर अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री सिब्ते रजी—

श्री राम लखन वर्मा को कार्यवाहक प्रबन्धक बनाया गया किन्तु विद्यालय की नियमावली में मंत्री को कार्यवाहक प्रबंधक बनाने से कहीं रोके जाने का उल्लेख नहीं है और न ही यह उल्लेख है कि मंत्री पद से त्याग-पत्र देने के पश्चात् ही कार्यवाहक प्रबन्धक बनाया जाय । दिनांक 13-10-1983 को विद्यालय जूनियर हाईस्कूल होने के कारण वहां स्कीम आफ एडमिनिस्ट्रेशन लागू होने का प्रश्न नहीं है ।

अल्मोड़ा जिले के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक, श्री कविदत्त, श्री रमेश चन्द्र शर्मा एवं श्री दीपचन्द्र कांडपाल का वेतन

58—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिसम्बर, 1984 में अल्मोड़ा जनपद के विभिन्न प्राथमिक विद्यालयों में सर्वश्री राम सिंह, त्रिपाठी, रमेश चन्द्र त्रिपाठी, दीपचन्द्र काण्डपाल, दिलीप सिंह कुमैया, कविदत्त पाण्डे आदि कुछ अध्यापकों की नियुक्ति की गई थी, किन्तु तभी से आज तक कार्यरत रहने के बावजूद भी कोई वेतन उन्हें नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी इन अध्यापकों को अविलम्ब वेतन दिलाने के निर्देश जारी करने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

माह सितम्बर में श्री कविदत्त की नियुक्ति की गयी थी तथा दिसम्बर में सर्वश्री रमेश चन्द्र एवं दीपचन्द्र काण्डपाल की नियुक्ति की गई थी । सर्वश्री

रामसिंह त्रिपाठी एवं दिलीप सिंह कुमैया को कोई नियुक्ति नहीं दी गई थी ।

श्री कविदत्त पाण्डे द्वारा विद्यालय में कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया अतः उनको वेतन भुगतान का प्रश्न नहीं उठता । श्री रमेश चन्द्र त्रिपाठी एवं श्री दीपचन्द्र काण्डपाल को अप्रैल, 1985 से नियमित वेतन का भुगतान किया जा रहा है । इन अध्यापकों को दिसम्बर 1984 से फरवरी 1985 तक का अवशेष वेतन के भुगतान में कुछ आपत्तियां लगी हैं जिनके निराकरण के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जा सकेगी ।

बस्ती जिले की प्राइमरी पाठशालाएं एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों का निर्माण

59—श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ तथा श्री सुखपाल पाण्डे—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद में वर्ष 1976-77 से लेकर 1984-85 तक प्रा0 पा0 और जू0 हा0 स्कूल के भवन निर्माण हेतु कुल कितना धन किन-किन विभागों को निर्माण करने के लिए कब-कब दिया गया और उनमें से कितने भवन कब-कब बनकर शिक्षा विभाग को स्थानान्तरित हुए ? क्या यह सत्य है कि संबंधित विभागों ने जिन्हें निर्माण करना था समय से धन प्राप्त करने के बावजूद भवन नहीं बनाये और अब 6-7 वर्ष के अन्दर लागत खर्च बढ़ जाने के कारण भवन बनने को तैयार नहीं हैं ? यदि हां, तो इस विलम्ब के लिए जिम्मेदार कौन हैं ? क्या मंत्री जी उन विभागों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने के आदेश देने की कृपा करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया था ।

किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पकड़ी भोजपुर, फैजाबाद के प्रधानाचार्य एवं प्रबन्ध तन्त्र के विरुद्ध शिकायती-पत्र

60—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कमल किशोर आजाद सदस्य किसान उ0 मा0 विद्यालय पकड़ी भोजपुर टांडा, फैजाबाद के प्रधानाचार्य व प्रबन्ध तन्त्र के खिलाफ आरोप-पत्र के साथ दिनांक 21-5-1985 का श्री बेनी प्रसाद वर्मा व श्री अवधेश प्रसाद विधायक का लिखा पत्र प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो अब तक उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या आरोपकर्ता से साक्ष्य लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां, माननीय श्री अवधेश प्रसाद विधायक का पत्र दिनांक 21-5-1985 तथा माननीय श्री बेनी प्रसाद वर्मा, विधायक का पत्र दिनांक 20-5-1985 प्राप्त हुए । प्रकरण की जांच करने के आदेश दे दिये गये हैं । जांच के समय आरोपकर्ता को भी साक्ष्य के लिए आमंत्रित करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है ।

श्री राम आसरे शुक्ल, अध्यापक, ईश्वर संस्कृत पाठशाला, घसियारी बाजार बस्ती के वेतन का भुगतान

61—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

प्रथम सत्र 1984 के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 177 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या माननीय शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राम आसरे शुक्ल

का बकाया वेतन किस वर्ष का था और प्रबन्धक द्वारा कब प्राप्त किया गया था जिसे 2 सितम्बर, 1982 को भुगतान कराया गया है ? शासन द्वारा दिया गया वेतन प्रबन्धक द्वारा संबंधित अध्यापक को भुगतान न करके अपने पास रोके रखने और कागज में फर्जी भुगतान दिखा देना कानून के विरुद्ध है ? यदि है, तो क्या मंत्री जी दोषी प्रबन्धक के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

श्री राम आसरे शुक्ल का 1-10-1972 से 28-2-1977 तक का वेतन बकाया था, जिसके भुगतान हेतु उप शिक्षा निदेशक, गोरखपुर द्वारा दिनांक 2-9-1978 को अनुदान स्वीकृत किया गया। प्रबन्धक द्वारा अनुदान आहरित कर लिया गया किन्तु इसका भुगतान 5-12-1983 को किया गया।

आहरित वेतन का भुगतान विलम्ब से किया गया, जो अनियमित था। इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

फैजाबाद, प्राथमिक विद्यालयों के ड्रिल मास्टरों व्यायाम शिक्षकों, पी0 टी0 मास्टरों को अध्यापक पद पर नियुक्त करने की मांग

62—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश शासन ने अपनी राजाज्ञा संख्या 8831×15-(5)-77-449/76, दि0 16 जून, 1978 के अनुलग्नक 'ख' में ड्रिल मास्टरों, व्यायाम शिक्षकों, पी0 टी0 मास्टरों, के पदों को समाप्त करके उन्हें योग्यतानुसार प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर स्थापित करने का जो आदेश निर्गत किया था और जिसके अनुपालन में शिक्षा निदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ/ इलाहाबाद ने अपने पत्रांक 8073/15 (5)-77-278 दिनांक 28 जुलाई, 1978 द्वारा उक्त पदों को समाप्त करके उक्त राजाज्ञा के अनुसार संबंधित सभी अध्यापकों को प्राथमिक विद्यालयों में स्थापित करने का आदेश निर्गत किया था का अनुपालन जनपद फैजाबाद में आज तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो इसके लिए दोषी अधिकारियों को दण्डित करने और उक्त राजाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन कराने में सरकार को क्या कठिनाई है और राजाज्ञा के अनुपालन न होने से विभाग पर जो अधिक व्यय भार पड़ा है उसे किससे वसूल किया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, एटा के विरुद्ध शिकायती-पत्र

63—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद एटा के ग्राम प्रधान की ओर से 27-1-1985 को बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा के विरुद्ध कोई शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ जिसमें नियुक्ति संबंधी अनियमितताओं का उल्लेख है ? यदि हां, तो अनियमिततायें क्या हैं ? क्या अनियमितताओं की जांच करवायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

'विद्या विलास संस्कृत पाठशाला', धर्म सिंहवा बाजार, बस्ती को स्वीकृत अनुदान

64—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि वर्ष 1978 तथा उसके पूर्व वर्षों से विद्या विलास संस्कृत पाठशाला धर्म सिंहवा बाजार जनपद बस्ती से कोई भी छात्र संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त संस्कृत पाठशाला की मान्यता समाप्त न करने का कारण क्या है ? उत्तर प्रदेश शासन द्वारा उपरोक्त आदर्श विद्या विकास संस्कृत पाठशाला को किन परिस्थितियों में वार्षिक अनुदान स्वीकृत किया गया ? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण तथ्यों की जांच कराकर, जांच रिपोर्ट से सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

वर्ष 1976 के पूर्व इस विद्यालय का नाम "श्री विद्या विलास सनातन धर्म संस्कृत पाठशाला धर्म सिंहवा बाजार दलदला, बस्ती" था । इस विद्या-के नाम से 1978 अथवा उसके पूर्व की परीक्षाओं में छात्र सम्मिलित नहीं होते थे । बाद में प्रबन्ध समिति का नवीन गठन हुआ और विद्यालय का नाम परिवर्तन करके "विद्या विलास संस्कृत पाठशाला धर्म सिंहवा बाजार, बस्ती" पंजीकृत एवं नवीनीकृत हुआ । इस परिवर्तित नाम से विद्यालय द्वारा सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी की परीक्षाओं में छात्र भेजे जाने लगे । अतएव, इस विद्यालय को अनुदान सूची पर लाया गया ।

जूनियर हाई स्कूल, धर्म सिंहवा बाजार बस्ती के चौकीदार श्री सुखराज यादव की नियुक्ति के समय आयु

65—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जू0 हा0 स्कूल धर्म सिंहवा बाजार, जनपद बस्ती के चौकीदार सुखराज यादव की नियुक्ति मार्च, अप्रैल, 1951 में हुई थी ? यदि हां, तो नियुक्ति के समय उसकी आयु क्या थी और अब तक रिटायर न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

श्री यादव की नियुक्ति दिनांक 1-7-1951 को की गयी थी ।

13 वर्ष 11 माह 24 दिन अधिवर्षता आयु प्राप्त न करने के कारण ।

बस्ती, ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों का प्रशिक्षण एवं ऋण संबंधित लम्बित प्रार्थना-पत्र

66—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या ग्राम्य विकास मंत्री को ज्ञात है कि बस्ती जनपद में ट्राइसेम योजना के अन्तर्गत तमाम प्रशिक्षित व्यक्तियों के ऋण प्रार्थना-पत्र बैंकों में पड़े हुए हैं और उनको ऋण वितरण की कार्यवाही बैंकों द्वारा पूर्ण नहीं किया जा रहा है ? क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार कुल कितने प्रार्थना-पत्र विभिन्न बैंकों में कब-कब से पेंडिंग हैं और ऋण वितरण न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जी हां ।

इस प्रकार के कुल 180 लम्बित प्रार्थना-पत्रों की सूची बैंकवार, वर्षवार

एवं ऋण वितरण न किये जाने के कारण की तालिका संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 196 पर)

उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्ग का आरक्षण कोटा

67—श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा प्राइवेट स्कूलों में जो अध्यापकों की नियुक्तियां की जा रही हैं, उसमें हरिजनों का कोटा निर्धारित किया गया है यदि हां, तो उसकी पूर्ति का क्या लक्ष्य है और कब तक पूरा कर लिया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रदेश के सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़े वर्गों हेतु क्रमशः 18 प्रतिशत, 2 प्रतिशत व 15 प्रतिशत का सामान्य आरक्षण अध्यापकों, जिनमें संस्था के प्रधान सम्मिलित नहीं हैं, की नियुक्तियों हेतु निर्धारित है । कोटे की पूर्ति करना सतत प्रक्रिया है ।

आजमगढ़, जूनियर हाई स्कूलों एवं प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों में हरिजनों का आरक्षण कोटा

68—श्री राम बदन एडवोकेट—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा जूनियर हाई स्कूलों तथा प्राइमरी स्कूलों का हरिजन कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है ।

कौशिल्या देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाराजगंज, जौनपुर के प्रधानाचार्य पद हेतु श्री रामकुमार यादव का चयन

69—श्री जंग बहादुर—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर के कौशिल्या देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, महाराजगंज, जौनपुर के प्रधानाचार्य के पद पर श्री राम कुमार यादव को आयोग द्वारा चयनित किया गया था ? यदि हां, तो अब तक उक्त पद पर श्री यादव की नियुक्त न कर तदर्थ प्रधानाचार्य को अब तक वेतन देते हुए अपने पद पर बनाये रखने का क्या औचित्य है ? तदर्थ प्रधानाचार्य को 30 जून, 1984 के बाद किस आधार पर अनुमोदित किया गया और वेतन दिया जा रहा है ?

श्री सिब्ते रजी—

जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त सूचना के अनुसार उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा आयोग द्वारा श्री राम कुमार यादव के चयनित होने पर जिला विद्यालय निरीक्षक, जौनपुर द्वारा कौशिल्या देवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय महाराजगंज, जौनपुर के प्रबन्धक को श्री यादव को नियुक्ति-पत्र देने तथा कार्यभार ग्रहण कराने के लिये लिखा गया तथा उसकी सूचना श्री यादव को भी दी गई। कई बार लिखने के बाद भी प्रबन्धक ने श्री यादव को कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जिसकी सूचना मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी को दी गयी । मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी ने प्रबन्धक को आयोग की नियमावली की धारा 17 (2) के अन्तर्गत कार्यवाही की नोटिस दी । उक्त नोटिस के उत्तर में श्री यादव ने उक्त

विद्यालय में कार्य करने एवं कार्यभार ग्रहण करने में असमर्थता व्यक्त की है। तदर्थ प्रधानाचार्य श्री हरिशंकर गुप्त की नियुक्ति कठिनाई निवारण अध्यादेश 81 के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी के कार्यभार ग्रहण करने तक के लिए की गयी थी।

शिक्षा विभाग के विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के कर्मचारियों के पेंशन निर्धारण में पूर्व सेवा की गणना किये जाने की मांग

70—श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों के सेवा निवृत्ति पर पेंशन गणना हेतु उनके द्वारा राजकीय सेवा में आने से पूर्व की गई गैर सरकारी सेवा को भी जोड़कर पेंशन की राशि निर्धारित की जाती है? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों के सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी यह सुविधा प्रदान करेगी, जिससे उनके द्वारा पूर्व की गई राजकीय सेवा की अवधि पेंशन गणना जोड़कर पेंशन निश्चित की जा सके और एकरूपता स्थापित हो सके?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था। उन्हें 14-8-1985 को स्मरण भी कराया गया।

झांसी, श्री घनश्याम पाण्डेय, अध्यापक का उप ब्लाक प्रमुख के पद पर निर्वाचन

71—कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि बेसिक शिक्षा परिषद् का अध्यापक क्षेत्र समिति का सदस्य या पदाधिकारी नहीं हो सकता है? यदि हां, तो श्री घनश्याम पांडेय अध्यापक बेसिक शिक्षा परिषद् क्षेत्र समिति गुरसराय जिला झांसी में वरिष्ठ उप ब्लाक प्रमुख के पद पर कैसे निर्वाचित होकर गत दो वर्षों से कार्य कर रहे हैं? क्या शासन को इसकी जानकारी पूर्व से ही है। यदि हां, तो इनके विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है? क्या शासन श्री घनश्याम पाण्डेय तथा उन दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

फैजाबाद, अशरफपुर बरवी की प्राइमरी पाठशाला का नवनिर्मित भवन

72—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के ब्लाक कटेहरी में स्थित प्राइमरी पाठशाला अशरफपुर बरवी का नवनिर्मित भवन इतना अधिक जर्जर है कि उसके नीचे छात्रों/छात्राओं को बैठाया जाना खतरनाक है? यदि हां, तो उक्त भवन का टेक्निकल (आडिट) सेल से जांच कराकर दोषी लोगों को दण्डित करने तथा भवन निर्माण में हुए व्यय की वसूली संबंधित दोषी लोगों से करने में सरकार को क्या कठिनाई है?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

फैजाबाद, किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पकड़ी भोजपुर की प्रबन्ध समिति में वरिष्ठता के आधार पर अध्यापकों को प्रतिनिधित्व देने की मांग और प्रधानाध्यापक की सेवा पुस्तिका में अंकित स्थायीकरण और श्री त्रिभुवन नाथ वर्मा को प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति

73—श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री राम सरन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी भोजपुर जनपद फैजाबाद को हाई स्कूल स्तर की मान्यता उ0 प्र0 इण्टरमीएिडट शिक्षा अधिनियम, 1821 अध्याय 7 परिषद् द्वारा संस्थाओं की मान्यता की धारा 3-छ के अन्तर्गत विद्यालय की प्रशासन योजना निदेशक द्वारा अनुमोदित होने के उपरान्त प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या प्रशासन योजना में जिन दो वरिष्ठतम अध्यापकों का नाम प्रबन्ध समिति के पदेन सदस्यों के रूप में भेजा गया उनका चुनाव प्रशासन योजना की धाराओं में निहित प्रतिबन्धों के अनुसार वरिष्ठता सूची की एक-एक प्रति प्रत्येक अध्यापक को प्रबन्धक द्वारा देने के उपरान्त किया गया ? यदि नहीं, तो निदेशक द्वारा असंवैधानिक रूप से प्रशासन योजना अनुमोदित करके उक्त विद्यालय को अनियमित ढंग से मान्यता दिलाने पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री सिब्ते रजी—

जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद से प्राप्त सूचना के अनुसार विद्यालय की प्रशासन योजना उप शिक्षा निदेशक द्वारा 23-2-1983 को अनुमोदित की गई, जिसके अनुसार पदेन सदस्य के रूप में दो अध्यापक विनियमों में निर्धारित पद्धति से ज्येष्ठता के अनुसार प्रबन्ध समिति के सदस्य होते हैं। इस पद्धति का अनुपालन हुआ या नहीं, इसकी सूचना एकत्र की जा रही है।

74—श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री राम सरन—

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगी कि किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी, भोजपुर जनपद फैजाबाद के वर्तमान प्रधानाध्यापक की सेवा पुस्तिका में दिनांक 16-7-76 से एक वर्ष के परीक्षण काल पर दिखाकर दिनांक 16-7-1977 को संवैधानिक तौर पर स्थायी प्रधानाध्यापक अंकित करके वेतन वितरण अधिनियम के अन्तर्गत अप्रैल, 1982 से मई, 1984 तक अनियमित ढंग से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उनका वेतन आहरित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकारी अनुदान का इस प्रकार दुरुपयोग करने के सन्दर्भ में अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। जिला विद्यालय निरीक्षक, फैजाबाद ने सूचित किया है कि संस्था के प्रबन्धक द्वारा अभिलेख उपलब्ध न कराये जाने के कारण सूचना देना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

75—श्री बेनी प्रसाद वर्मा तथा श्री राम सरन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पकड़ी भोजपुर, जनपद फैजाबाद में पूर्व प्रधानाध्यापक श्री राम सहाय मिश्र के दिनांक 15-7-1976 को अपने पद से त्याग-पत्र देने के उपरान्त विद्यालय के ज्येष्ठतम अध्यापक श्री त्रिभुवन नाथ वर्मा को दिनांक 16-7-1976 को बिना चयन किये तदर्थ आधार पर संस्था के प्रधान पद पर प्रबन्ध तन्त्र द्वारा नियुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या उ0 प्र0 इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम.

1921 की धारा 1966 संस्था के प्रधान की तदर्थ नियुक्ति को नियमत: करती है ? यदि नहीं, तो बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद के पत्रांक शि0 सं0 1997/80-81, दिनांक 9-7-1980 के आधार पर अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उपरोक्त प्रधानाचार्य के खिलाफ धोखाधड़ी व असंवैधानिक तरीके से प्रधानाध्यापक पद पर कार्यरत रखने में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां । प्रश्नगत विद्यालय के प्रधानाध्यापक श्रीराम सहाय मिश्र के त्यागपत्र के फलस्वरूप हुई रिक्ति पर ज्येष्ठतम अध्यापक श्री त्रिभुवन नाथ वर्मा को 16-7-1976 से प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति दी गई थी ।

प्राप्त सूचना के आधार पर चूंकि प्रश्नगत तिथि को यह विद्यालय केवल जूनियर हाई स्कूल स्तर तक की मान्यता प्राप्त था, अतएव, इस हेतु उ0 प्र0 इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 की धारा 16-छछ का अनुसरण असंगत था । बेसिक शिक्षा अधिकारी फैजाबाद के प्रश्नगत पत्र दिनांक 9-7-1980 द्वारा इस नियुक्ति के विधिक होने के सम्बन्ध में पृच्छा की गई थी और श्री वर्मा की जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक के पद पर की गई नियुक्ति विधि विहित होने के कारण मान्यता प्रदान कर दी गयी ।

आजमगढ़, सरायमीर-दीदारगंज-जौनपुर मार्ग, सरायमीर-सिकरौर, कौरा-चितारा मार्ग व सिकरौर-वाराणसी मार्ग पर बस का संचालन

76—श्री भीखा राम—

क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में एक बस सुबह छ: बजे आजमगढ़ से सरायमीर दीदारगंज होकर के जौनपुर जाती थी और शाम को पुन: उसी रास्ते से आजमगढ़ वापस आती थी तथा एक बस आजमगढ़ से शाम 4 बजे सरायमीर सिकरौर कौरा गहनी होते हुए चितारा में रात्रि को नाइट हाल्ट करती थी, पुन: उसी रास्ते सुबह आजमगढ़ जाती थी तथा एक सिकरौर से सुबह सर्टिनगंज बरदह होते हुए वाराणसी जाती थी और पुन: उसी रास्ते से सिकरौर वापस आती थी ? यदि हां, तो उपोक्त तीनों बसें किन परिस्थितियों में बन्द कर दी गयी हैं और पुन: कब तक चला दी जायेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजकुमार संजय सिंह—

प्रश्न में वर्णित प्रथम बस सेवा आजमगढ़ से सुबह सात बजे सरायमीर-दीदारगंज-खेतासराय होते हुए जौनपुर तक संचालित होती थी, जिसे प्रति कि0मी0 कम आय व कम लोड फैक्टर मिलने के कारण दिनांक 17-8-1982 से केवल खेतासराय तक संचालित किया जा रहा है।

प्रश्नगत द्वितीय बस सेवा चितारा में नाइट हाल्ट नहीं करती थी, अपितु यह सेवा आजमगढ़ से सायं चार बजे सरायमीर सिकरौर-कौरागहनी होते हुए मार्टिनगंज तक ही संचालित होती थी और वर्तमान में भी संचालित है । इस सेवा को मार्टिनगंज से चितारा तक बढ़ाकर प्रयोगात्मक रूप से संचालित किया गया था, किन्तु इसके मध्य यात्रियों की उपलब्धता न होने कारण मार्टिनगंज तक ही संचालित किया जा रहा है ।

प्रश्नगत तृतीय बस सेवा कभी संचालित नहीं की गयी । वर्तमान में दिनांक 15-7-1985 से एक बस सेवा सायं वाराणसी से जिबली-देवगांव-बरदह-मार्टिनगंज-सिकरौर-फूलपुर होते हुए दुर्वासा तक और पुन: दुर्वासा से सुबह चलकर वाराणसी के लिए संचालित कर दी गयी है ।

श्रीमती सावित्री बाजपेयी उप बालिका निरीक्षिका, मैनपुरी के विरुद्ध शिकायती-पत्र

77—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रीमती सावित्री बाजपेयी उप बालिका निरीक्षिका मैनपुरी में सेवारत हैं और इनके विरुद्ध श्री राम सिंह भू0 पू0 एम0 एल0 सी0 ने 1982-83 में उनको शिकायती-पत्र भेजा था ? उसके आधार पर बालिका विद्यालय निरीक्षिका ने शिकायती-पत्र के तथ्यों को सही मानते हुए दिनांक 9-5-83 को जांच आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत की है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना शिक्षा निदेशालय से प्राप्त नहीं हो पायी है । प्रयास किया जा रहा है ।

बलिया जिले के भवन विहीन प्राइमरी स्कूल

78—श्री शारदानन्द अंचल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जनपद में कितने प्राइमरी स्कूल पेड़ के साये में चल रहे हैं तथा कितने स्कूलों के भवन क्षतिग्रस्त होकर जान लेवा हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके निर्माण के लिए कोई कदम उठा रही है ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद बलिया में 291 प्राइमरी स्कूल पेड़ के साये में चल रहे हैं तथा 612 विद्यालय भवन जीर्ण-शीर्ण स्थिति में हैं ।

उक्त विद्यालय भवनों का निर्माण/मरम्मत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के वर्क चार्ज कर्मचारी

79—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि भूगर्भ जल सर्वेक्षण ग्राउण्ड वाटर विभाग में चतुर्थ श्रेणी के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो गत चार वर्ष से वर्क चार्ज पर हैं तथा उनमें ऐसे हैं जो अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के हैं ? इनको कब तक रेगुलर किया जायेगा ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन उत्तर प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी के 356 ऐसे कर्मचारी हैं जो गत चार वर्ष से वर्क चार्ज पर कार्यरत हैं । उनमें से 28 कर्मचारी अनुसूचित जाति के तथा एक कर्मचारी अनुसूचित जनजाति का है । संगठन में नियमित नियुक्ति हेतु चतुर्थ श्रेणी के पद उपलब्ध होने पर इन्हें नियमित किये जाने पर यथा समय विचार करना सम्भव होगा ।

हरदोई, जूनियर हाई स्कूल, धियर महोलिया में कु0 फहमीदा खातून, उर्दू अध्यापिका की नियुक्ति

80—श्री हरिशंकर तिवारी 'बिलग्रामी'—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि कु0 फहमीदा खातून की उर्दू अध्यापिका के रूप में नियुक्ति जू0 हा0 स्कूल धियर महोलिया हरदोई में की गई जहां कोई भी छात्रा उर्दू की नहीं है ? यदि हां, तो शासनादेश की अवहेलना करने में बे0 शि0 अधि0 (महिला) हरदोई के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

विद्यालय में उर्दू पढ़ने वाली छात्रायें उपलब्ध हैं ।

अतः शासनादेश की अवहेलना का नहीं उठता है ।

लखनऊ जनपद के प्राथमिक शिक्षकों के पी0 एफ0, राष्ट्रीय बचत बाण्ड आदि कटौतियों का लेखा

81—श्री भगौती सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ जनपद के प्राथमिक शिक्षकों का पी0 एफ0 राष्ट्रीय बचत बांड, सी0 वी0 डी0 आदि कटौतियों का कोई लेखा कार्यालय में नहीं है ? यदि हां, तो अध्यापकों को उसका भुगतान कैसे किया जायेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं, कटौतियों का लेखा उपलब्ध है, अभिलेखों के अनुसार ।

श्री विष्णु दयाल त्रिपाठी, अध्यापक, नगरपालिका, हरदोई की पेंशन

82—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विष्णु दयाल त्रिपाठी अध्यापक दिनांक 30 जून, 1981 को नगर पालिका, हरदोई से सेवा निवृत्त हुए? यदि हां, तो उन्हें राजाज्ञा संख्या 5187/15151-7979/77, दिनांक 8-3-78 के अनुसार पेंशन न दिए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना अभी एकत्र की जा रही है। शिक्षा निदेशक को आदेशित कर दिया गया है कि विलम्ब का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

शिक्षा विभाग, 'रोजगार समाचार' में अध्यापक पद हेतु विज्ञापन का प्रकाशन एवं विकलांगों का आरक्षण

83—श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा चयनित किए जाने हेतु अध्यापकों में विकलांगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो दिनांक 7-7-84 को "रोजगार समाचार" में प्रकाशित विज्ञापन संख्या 5/84-85 में विकलांगों के लिए आरक्षित पद निर्धारित न करने का क्या कारण है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं । प्रबन्धतंत्र द्वारा जनपदीय मंडलीय शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से सीधी भर्ती हेतु अधियाचित रिक्तियों में उनके लिए पद आरक्षित नहीं किये जाते हैं । प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रमेश चन्द्र अवस्थी, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मल्लावा के कर्मचारी, श्री बेचे लाल की सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान

84—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के श्री रमेश चन्द्र अवस्थी, उ0 मा0 विद्यालय मल्लावा में श्री बेचे लाल ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में 25 नवम्बर, 1974 से 10 मार्च, 1980 तक कार्य किया तथा सेवा अवधि के दौरान ही वह अपंग हो गया ? यदि हां, तो क्या उसे कोई आर्थिक सहायता प्रदान की गई । यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह भी सही है कि श्री बेचे लाल के अन्य देयों जैसे बीमा आदि की धनराशि का भुगतान अब तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जिला विद्यालय निरीक्षक, हरदोई से प्राप्त सूचना के अनुसार श्री बेचे लाल प्रश्नगत विद्यालय में चतुर्थ श्रेणी के पद पर 25 दिसम्बर, 1974 से 10 मार्च, 1980 तक कार्यरत रहे और साइकिल से चोट खा जाने के कारण 11 मार्च, 1980 से 30 जून, 1980 तक सवेतन अवकाश पर रहे। 1-7-80 से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। प्रबन्धक ने सूचित किया है कि श्री बेचे लाल की अवकाश अवधि में उनके पुत्र श्री प्रताप नारायण को 1-4-80 से 30-6-80 तक अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया। तदुपरान्त 1-7-80 से पुनः इनके पुत्र की अस्थायी नियुक्ति इनके स्थान पर की गयी। सामूहिक जीवन बीमा योजना के अन्तर्गत उनके द्वारा जमा की गई धनराशि के भुगतान हेतु पत्रजात तैयार करके जिला विद्यालय निरीक्षक हरदोई द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धक, जीवन बीमा निगम, कानपुर को प्रेषित कर दिये गये हैं। जीवन बीमा निगम से स्वीकृति प्राप्त होने पर भुगतान कर दिया जायेगा।

बाराबंकी, ग्राम तिन्दोला की प्राइमरी पाठशाला का जीर्ण शीर्ण भवन

85—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम तिन्दोला, जनपद बाराबंकी में प्राइमरी पाठशाला (बालक) काफी जीर्ण शीर्ण दशा में है? यदि हां, तो सरकार शीघ्र इसकी मरम्मत अथवा दूसरा भवन पाठशाला हेतु बनवाने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां।

यह वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

इण्टरमीडिएट कालेजों एवं हाई स्कूलों की मान्यता का स्थगन

86—श्री रिछपाल सिंह बंसल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1981, 1982, 1983 में आवेदित संस्थाओं को इंटरमीडिएट व हाई स्कूल की मान्यता नहीं दी जा रही है? यदि हां, तो क्यों?

श्री सिब्ते रजी—

हाई स्कूलों में अतिरिक्त विषय तथा इण्टरमीडिएट की नवीन एवं अतिरिक्त वर्गों की मान्यता वित्तीय संसाधनों के परिप्रेक्ष्य में देना सम्भव नहीं हो पा रहा है। हाईस्कूल की नवीन मान्यता दी जा रही है।

बांदा, कन्या इण्टर कालेज करबी की कर्मचारी, श्रीमती शान्ती देवी का वेतन

87—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बांदा जनपद के राजकीय कन्या इण्टर कालेज, करबी की सफाई कर्मचारी श्रीमती शान्ती पत्नी मुन्ना लाल को विगत 6-7 वर्षों से केवल पचीस रुपये मासिक वेतन मिलता है? यदि हां, तो वेतन बढ़ाने की उनकी मांग पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की जाती? पूरे प्रदेश में स्कूल कालेजों के सफाई कर्मचारियों की वेतन स्थिति क्या है?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। प्रश्न का विषय पूरे प्रदेश से संबंधित है। अतः सूचना एकत्रित करने में समय लगेगा। संबंधित अधिकारियों को 7-8-85 तथा 16-8-85 को पुनः स्मरण कराया गया है।

88—श्री रमाकान्त मिश्र—

[पुनर्विचार पर निरस्त]

नेशनल हायर सेकेण्डरी स्कूल, बाराबंकी ग्राम न्योला करसुंडा की भूमि

89—श्री रामचन्द्र बख्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि नेशनल हायर सेकेन्डरी स्कूल, बाराबंकी की मान्यता हेतु दिए गये प्रार्थना-पत्र में जनपद के ग्राम न्योला करसुंडा प0 व त0 नवाबगंज, जनपद बाराबंकी की भूमि सं0 34, 38, 72 768, 769, 1225 व 1127 उक्त स्कूल की सम्पत्ति दिखलाई गई थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त भूमि अभी भी स्कूल की सम्पत्ति है ?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यता हेतु दिए गये प्रार्थना-पत्र में भूमि नं0 34, 38, 72, 768, 769, 1125 व 1127 संस्था की सम्पत्ति दर्शायी गयी थी । प्राप्त सूचना के अनुसार उक्त भूमि में से 7 बीघा 13 बिस्वा 4 बिसवांसी भूमि सीलिंग में चली गयी है । शेष 8 बीघा 3 बिस्वा 13 बिसवांसी भूमि संस्था के नाम है ।

पौड़ी गढ़वाल एवं चमोली के बेसिक विद्यालयों में गांव शिक्षा समितियों का गठन और बैठकें

90—डा0 शिवानंद नौटियाल—

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र 1984 के 6ठें सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के क्रम में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् के आदेश संख्या बे0 शि0 परि0/9325-9518/एक-12/78-79 दिनांक 21 अगस्त, 1978 के जारी होने के बाद जनपद पौड़ी एवं चमोली के बेसिक विद्यालयों में गांव शिक्षा समितियों का गठन कब किया गया और समितियों की बैठकें नियमानुसार किए जाने और उनके निर्णयों/सुझावों के क्रियान्वयन हेतु सरकार की क्या व्यवस्था है ? क्या यह सत्य है कि गांव समितियों की बैठकें नियमित नहीं होती हैं और उनकी कार्यवाही पर विभाग द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ? यदि हां, तो इसके प्रति कौन उत्तरदायी है और गांव शिक्षा समिति के मुख्य-मुख्य अधिकार एवं कर्तव्य क्या-क्या हैं तथा नियमित बैठकें आमंत्रित करने के लिए कौन उत्तरदायी है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । अपूर्ण सूचना प्राप्त होने के कारण संबंधित अधिकारी को पुन: लिखा गया है।

श्री विश्वनाथ सनातन धर्म उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, विश्वनाथ गली, वाराणसी के प्रधानाचार्य की सेवा समाप्ति

91—श्री हरिश्चन्द्र हरीश जी—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों की सेवा समाप्ति से संबंधित कितने ऐसे मामले हैं जो पिछले 9-10 वर्षों से जिला विद्यालय निरीक्षक के कार्यालय में अनिर्णित पड़े हैं ? क्या इनमें श्री विश्वनाथ सनातन धर्म उ0 मा0 विद्यालय, विश्वनाथ गली वाराणसी के प्रधानाचार्य श्री शिवादत्त शुक्ल की सेवा समाप्ति का भी मामला विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है और उसका निर्णय करने में इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । शिक्षा निदेशक को आदेशित कर दिया है कि विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

शाहजहांपुर, श्री छोटेलाल, अध्यापक का पुनर्नियुक्ति के संबंध में आवेदन-पत्र

92—श्री सत्यपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि कि माह जनवरी 85 के श्री छोटे लाल भू0 पू0 सहायक अध्यापक जिला शाहजहांपुर ने प्रश्नकर्ता विधायक की संस्तुति के साथ कोई आवेदन-पत्र शिक्षा निदेशक, कैम्प कार्यालय लखनऊ को इस आशय का दिया था कि उन्हें भी राजाज्ञा के अनुसार पुनः सेवा में लिया जावे ? यदि हां, तो इस आवेदन-पत्र में तथ्य क्या थे ? उपरोक्त हरिजन भू0 पू0 सहायक अध्यापक को कब तक सेवा में ले लिया जायगा और इस शिथिलता के लिए कौन अधिकारी दोषी है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद पत्र द्वारा स्मरण भी कराया गया है ।

पौड़ी गढ़वाल के प्राइमरी स्कूलों एवं जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों की व्यवस्था संबंधी समायोजन प्रस्ताव

93—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूलों में 1982-83 में अध्यापकों की व्यवस्था संबंधी समायोजन प्रस्ताव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपने उच्चाधिकारियों को कब प्रस्तुत किया गया और उप शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मंडल पौड़ी द्वारा समायोजन प्रस्ताव पर कब हस्ताक्षर किये गये हैं ? और समायोजन आदेश कब निर्गत किए गए हैं ? शिक्षा सत्र के 6 माह के अधिक समय व्यतीत होने पर भी समायोजन स्थानान्तरण न कर, विद्यालयों में समुचित शिक्षण व्यवस्था न करने के प्रति कौन उत्तरदायी है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है ।

गढ़वाल मंडल की जूनियर हाई स्कूलों एवं प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों का कार्यकाल एवं स्थानान्तरण की मांग

94—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मंडल के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूलों के ऐसे कितने अध्यापक/अध्यापिकाएं हैं जो विगत दस वर्षों से अधिक समय तक एक ही विद्यालय में कार्यरत हैं ? इनके इतने लम्बे समय तक एक ही विद्यालय में बने रहने का औचित्य क्या है तथा इन्हें अन्यत्र स्थानान्तरित करने की दिशा में सरकार की नीति क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है ।

पौड़ी गढ़वाल प्राइमरी स्कूलों एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों हेतु भूमि चयन की प्रक्रिया

95—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल भवनों के निर्माण हेतु स्थल चयन करने की क्या प्रक्रिया है ? क्या

भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ होने से पूर्व भूमि/स्थल का निरीक्षण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारीद्वारा भी किया जाता है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

अभी सूचना एकत्रित की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया था ।

पौड़ी-गढ़वाल प्राइमरी स्कूलों एवं जूनियर हाई स्कूलों के भवनों का निर्माण

96—डा0 शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौड़ी-गढ़वाल के अंतर्गत ऐसे कौन-कौन से प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल भवन हैं जो विगत डेढ़ वर्ष से निर्माणाधीन चले आ रहे हैं और अभी तक उनका निर्माण पूर्ण नहीं हो पाया है ? इस विलम्ब के कारण क्या हैं तथा विलम्ब के प्रति कौन उत्तरदायी है ? इन विद्यालय भवनों का निर्माण कब तक पूर्ण कर पठन पाठन के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया था ।

शिक्षा विभाग, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति से रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

97—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि 1984-85 में प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों की पदोन्नति के फलस्वरूप रिक्त स्थानों की पूर्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ? क्या शासन तदर्थ नियुक्तियों पर विचार करेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था । 8-8-85 तथा 16-8-85 को अनुस्मारक भी भेजे जा चुके हैं ।

फजले रहमानिया हाई स्कूल, पचपेड़वा, गोण्डा को अल्पसंख्यक स्वरूप घोषित करने संबंधी नियमावली और प्रबन्धक द्वारा उक्त स्कूल के भवन का हस्तान्तरण

98—श्री विजय सिंह राणा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि फजले रहमानियां हाई स्कूल पचपेड़वा, जनपद गोण्डा के प्रबंधक श्री इम्तियाज अहमद ने अल्पसंख्यक स्वरूप घोषित करने के लिए जो नियमावली दाखिल की है तथा नियमावली जिसके आधार पर मान्यता विद्यालय को मिली थी वह भिन्न है ? यदि हां, तो गलत नियमावली शासन में दाखिल किसने की ?सरकार उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जिला विद्यालय निरीक्षक से प्राप्त सूचना के अनुसार दोनों नियमावलियों, जो प्रबन्धक द्वारा दाखिल की गई हैं, में भिन्नता बताई गई है । इस प्रकरण में शिक्षा निदेशक को मंडलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद द्वारा जांच कराने एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश कर दिए गये हैं ।

99—श्री विजय सिंह राणा—

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि फजले रहमानियां हाई स्कूल पचपेड़वा, जनपद गोण्डा को हाई स्कूल मान्यता जिस भवन के आधार पर मिली थी उसको वहां के प्रबंधक श्री इम्तियाज अहमद ने

भारी मूल्य लेकर बेच दिया है ? यदि हां, तो क्या प्रबन्धक महोदय ने से उसकी कोई अनुमति शासन से ली है ? यदि नहीं, तो शासन उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रहा है ?

श्री सिब्ते रजी—

जिला विद्यालय निरीक्षक गोण्डा से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रबंधक ने सूचित किया है कि पूर्व शर्त के अनुसार फजले रहमानियां उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पचपेड़वा, (गोण्डा) द्वारा प्रबन्धक दारुल उलूम, पचपेड़वा, गोण्डा को उसका पूर्व भवन हस्तान्तरित कर दिया गया। परन्तु इस हस्तान्तरण के संबंध में मांगे जाने पर भी उनके द्वारा अन्य कोई अभिलेख/सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है जिसके कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उक्त हस्तान्तरण किस प्रकार एवं किस तिथि को किया गया है । शिक्षा निदेशक को निर्देशित कर दिया है कि मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, फैजाबाद से स्थलीय जांच कराके नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।

बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा बकाया वेतन संबंधी उप विद्यालय निरीक्षक को लिखा गया कथित पत्र

100—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती ने अपने पत्र संख्या 5298/83-84 दिनांक 03-1-84 द्वारा उप विद्यालय निरीक्षक, बस्ती को उनके वर्ष 1980-81 के चार माह के बकाये वेतन का भुगतान यथाशीघ्र किए जाने हेतु आदेशित किया है ? यदि हां, तो क्या इस बकाये वेतन का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं तो क्यों ? यदि हां, तो कब ?

श्री सिब्ते रजी—

जी नहीं, उप विद्यालय निरीक्षक, बस्ती के सम्बन्ध में ऐसा कोई पत्र नहीं लिखा गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

बस्ती, जूनियर हाई स्कूल महेन्दूपार के अध्यापक, श्री सुखऊ प्रसाद उपाध्याय को स्टाक बुक के अनुसार दिया गया अपूर्ण चार्ज और स्टाक बुक का निरीक्षण अभिलेखों का आडिट तथा बकाया वेतन का भुगतान

101—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के 2रे सोमवार के अता0 प्र0 सं0 179 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री सुखऊ प्रसाद उपाध्याय ने जू0 हा0 स्कूल महेन्दूपार, विकास खण्ड सांधा, जनपद बस्ती में स्थानान्तरित होकर आये तो उन्हें स्टाक बुक के अनुसार स्पष्ट चार्ज नहीं दिया गया था जिसके बारे में श्री उपाध्याय ने तत्कालीन प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, विकास खण्ड सांधा से कई बार अनुरोध किया था ? क्या यह भी सत्य है कि तत्कालीन प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, विकास खण्ड सांधा ने दिनांक 31-3-80 को जू0 हा0 स्कूल महेन्दूपार, वि0 खण्ड सांधा के निरीक्षण के समय अपनी निरीक्षण आख्या के विन्दु 10 पर अपनी टिप्पणी "विद्यालय का चार्ज स्पष्ट नहीं है विवाद श्री जयराम मिश्र भू0 पू0 प्रधानाध्यापक तथा श्री राम लखन शुक्ल सहायक अध्यापक के मध्य है" अंकित किया है ? यदि हां, तो क्या अपने 31-3-80 के निरीक्षण के बाद तत्कालीन प्रति उप विद्यालय निरीक्षक ने स्टाक बुक के आधार पर सम्पूर्ण चार्ज दिलाने की कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारी को लिखा गया था इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

102—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री सुखऊ प्रसाद उपाध्याय तत्कालीन सांधा, जनपद बस्ती ने जू0 हा0 स्कूल से संबंधित अभिलेखों (जो उनके पास उपलब्ध हों) की जांच बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा दिनांक 9-1-81 को उनके बस्ती कार्यालय पर तथा दिनांक 19-9-81 को तहसील मुख्यालय बांसी में कराई थी ? यदि हां, तो क्या बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा कोई अनियमितता पायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो अक्टूबर, 80 से जनवरी 81 तक का वेतन उस समय तथा अब तक रोके जाने का औचित्य क्या है, जबकि फरवरी, 81 से श्री उपाध्याय का वेतन पुनः दिया गया है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारी को लिखा गया था इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

103—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के दूसरे सोमवार के अता0 प्र0 संख्या 179 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि दिनांक 16-1-81 को श्री सुखऊ प्रसाद उपाध्याय तत्कालीन प्रधानाध्यापक, जू0 हा0 स्कूल महेन्दूपार ने अभिलेखों की आडिट जांच तहसील मुख्यालय बांसी पर कराया था ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? क्या कोई राजकीय धन का व्यपहरण आडिट जांच के समय प्रकाश में आया था। यदि हां, तो यह व्यपहरण किस समय का है और किस अधिकारी की जांच द्वारा इसे पाया गया ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारी को लिखा गया था इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

104—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 179 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री उपाध्याय को फरवरी, 75 तथा जुलाई 76 से अक्टूबर, 76 तक के बकाये वेतन का भुगतान कब और किस माध्यम से किया गया है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है।

105—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 174 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भुगतान कब और किस माध्यम से किया गया तथा सितम्बर, 81 एवं जुलाई, 82 का वेतन अब तक न भुगतान करने पर किसी को दोषी न पाये जाने का आधार क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी, अध्यापक जूनियर हाई स्कूल, एकडिंगवा बस्ती की पेंशन बकाया वेतन एवं भविष्य निधि की धनराशि का भुगतान ।

106—दिवाकर विक्रम सिंह—

विधान सभा के प्रथम सत्र 84 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर के संदर्भ में क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि जुलाई, 79 में शासन ने जूनियर हाईस्कूल में कार्यरत सहायक अध्यापकों के इण्टर पास तथा गैर इण्टर पास सहायक अध्यापकों का वेतनमान शासनादेश द्वारा एक रूप करके 660 रु0 प्रतिमाह निश्चित किया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी सहायक अध्यापक, जूनियर हाई स्कूल एकडिंगवा, जनपद बस्ती (सेवा निवृत्त) को 1 जुलाई, 1979 से 30 जून, 1980 तक 660 रु0 प्रति माह वेतन न देकर केवल 460 रु0 प्रति माह वेतन दिये जाने का कारण क्या है ? उपरोक्त सहायक अध्यापक को दिया गया भविष्य निधि तथा उनकी बनायी जा रही पेंशन में अन्तिम वेतन 660 रु0 न मानकर 460 रु0 आधार मानने का कारण क्या है ? क्या मंत्री जी इस त्रुटि को भी दूर करके बकाया वेतन तथा भविष्य निधि एवं पेंशन सही ढंग से बनवाकर भुगतान कराने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

शासनादेश दिनांक 18-1-84 द्वारा परिषदीय जूनियर हाई स्कूल के ऐसे नान-इण्टर प्रशिक्षित अध्यापकों को जिनकी नियुक्ति 1-8-72 के पूर्व हुई हो को दिनांक 1-7-79 से इण्टर प्रशिक्षित का वेतनमान (रु0 450-720) अनुमन्य किया गया है ।

तत्समय लागू आदेश वर्तमान आदेशों के अनुसार प्रश्नगत अध्यापक को देय अवशेष वेतन में संशोधन कर पी0 एफ0 एवं पेंशन के संशोधन की कार्यवाही की जा रही है ।

107—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

प्रथम सत्र 1984 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर से सम्बन्धित क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अम्बिका मणि त्रिपाठी सहायक अध्यापक (सेवा निवृत्त) के माह दिसम्बर, 1966 जुलाई, 1968, नवम्बर, 1969 तथा अप्रैल, मई तथा जून, 1970 का वेतन भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो अब तक वेतन भुगतान न करने का कारण क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है ।

108—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

प्रथम सत्र 84 के दूसरे सोमवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 176 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सत्य है कि श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी की नियुक्ति 1 अगस्त, 1949 को हुई थी तथा 30 वर्ष 10 माह सेवा करने के उपरान्त 30 जून, 1980 को सेवा निवृत्त हुए ? यदि हां, तो 30 वर्ष 10 माह कार्य करने के उपरान्त भविष्य निधि केवल 2312 रु0 57 पैसा ही बनाये जाने का आधार क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

कार्यालय में उपलब्ध अभिलेख ।

जी0 आई0 सी0, शाहाबाद के अध्यापक, श्री साबिर हसन खां की जी0 पी0 एफ0 की धन-राशि ।

109—श्री मु0 आजम खां—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जी0 आई0 सी0 शाहाबाद, जिला रामपुर के सहायक अध्यापक श्री साबिर हसन खां जो कि दिनांक 7-6-79 को रिटायर हुए हैं, को किन कारणों से जी0 पी0 एफ0 की अदायगी अभी तक नहीं हुई तथा पेंशन के आदेश हो जाने के बाद भी पेंशन की रकम रोक देने के क्या कारण हैं ? सरकार कब तक इसकी अदायगी की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

शिक्षा निदेशक से प्राप्त सूचना अस्पष्ट एवं अपूर्ण थी । शिक्षा निदेशक से सम्बन्धित अध्यापक के अभिलेख मांगे गये हैं ।

पर्वतीय क्षेत्र के प्रान्तीयकृत विद्यालयों के कर्मचारियों की समस्या सम्बन्धी ज्ञापन

110—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि उत्तर प्रदेश प्रान्तीयकृत विद्यालय कर्मचारी संगठन, जनपद पिथौरागढ़ के जनपदीय अध्यक्ष (नारायण दत्त भट्ट) द्वारा प्रेषित पर्वतीय क्षेत्र के प्रान्तीयकृत विद्यालयों के कर्मचारियों की समस्याओं के बारे में 1-11-82 का ज्ञापन संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) लखनऊ को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां, कथित ज्ञापन संयुक्त शिक्षा निदेशक (पर्वतीय) लखनऊ को प्राप्त हुआ था जिसे मूलरूप में शिक्षा निदेशक इलाहाबाद को दिनांक 22-11-82 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था । शिक्षा निदेशक से कृत कार्यवाही की सूचना अपेक्षित है ।

बेसिक शिक्षकों की पेंशन का भुगतान बैंक अथवा डाक द्वारा किये जाने की मांग

111—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि बेसिक शिक्षकों को अपनी अल्प पेंशन राशि को लेने के लिये अपने-अपने जिला मुख्यालय तक जाना पड़ता है ? यदि हां, तो इस अल्प राशि को बैंक या डाक द्वारा पहुंचाने की व्यवस्था करने पर सरकार विचार करेगी, जिससे पेंशन पाने वाले इन शिक्षकों के धन व समय की बचत हो सके ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया था ।

पर्वतीय जनपदों के इण्टरमीडिएट एवं हाई स्कूलों के परीक्षार्थियों का परीक्षाफल

112—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा सत्र 81-82, 82-83 तथा 83-84 में पर्वतीय जनपदों के इण्टर व हाई स्कूल के बोर्ड की संस्थागत व व्यक्तिगत परीक्षाओं की प्रतिशत सफलता क्रमशः कितनी रही ? क्या यह सही है कि पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर सीमान्त जनपदों में उपरोक्त कक्षाओं के अध्यापकों के पदों के न भरे जाने का परीक्षाफल पर बुरा प्रभाव पड़ा ? यदि हां, तो उपरोक्त जनपदों में इन पदों

को भरने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट एवं हाई स्कूल की संस्थागत एवं व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के परीक्षाफल का उत्तीर्ण प्रतिशत वर्ष 1981 से पूरे प्रदेश का एक साथ तैयार किया जाता है, जनपदवार नहीं । जनपदवार प्रतिशत संकलित करने में पर्याप्त समय लगेगा ।

सूचना एकत्र की जा रही है ?

विद्यालय कर्मचारी संगठन, अल्मोड़ा के अधिवेशन में पारित प्रस्ताव एवं मांग

113—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मन्त्री प्रान्तीयकृत विद्यालय कर्मचारी संगठन, जनपद अल्मोड़ा के द्वारा आयोजित तृतीय वार्षिक अधिवेशन चौखुटिया (जनपद अल्मोड़ा) में दिनांक 23 सितम्बर, 84 को पारित प्रस्तावों की प्रति (पत्रांक 475/तीन/84-85) दिनांक 2 अक्टूबर, 1984 द्वारा जिला विद्यालय निरीक्षक को प्राप्त हुई ? यदि हां, तो उनके 16 सूत्रीय मांगों पर क्रमशः क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । शिक्षा निदेशक से प्राप्त सूचना अपूर्ण है । उन्हें पुनः स्मरण कराया गया है ।

हरगोविन्द पंत राजकीय इण्टर कालेज, देवयाल, अल्मोड़ा में प्रधानाचार्य एवं अध्यापकों के रिक्त पद

114—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि हरगोविन्द पंथ, राजकीय इण्टर कालेज, देवयाल, विकास खण्ड सल्ट, जनपद अल्मोड़ा में जनवरी, 1980 से सितम्बर, 1984 तक प्रधानाचार्य सहित 9 अध्यापकों के स्थान रिक्त हैं ? क्या सरकार शीघ्र अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

प्रश्नगत अवधि में प्रधानाचार्य सहित चार अध्यापकों के पद रिक्त थे । पदों को भरने की कार्यवाही की जा रही है । सम्प्रति कोई निश्चित तिथि बताना सम्भव नहीं है ।

पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कालेजों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान एवं गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा

115—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत पांच शिक्षा सत्रों में जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कालेजों में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षायें क्रमशः किन-किन तिथियों में सम्पन्न की गयीं ये तिथियां लिखित परीक्षाओं के पूर्व थीं या बाद में ? सरकार भविष्य में इन प्रयोगात्मक परीक्षाओं को लिखित परीक्षाओं से पूर्व अवश्यमेव सम्पन्न कराने के लिए क्या-क्या कार्यवाही कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

पर्वतीय क्षेत्रों की प्रयोगात्मक परीक्षायें लिखित परीक्षा के पूर्व सुचारुरूप से सम्पन्न कराने हेतु परीक्षकों तथा विद्यालयों को निर्देश हैं ।

विगत पांच शिक्षा सत्रों में जनपद पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कालेजों में भौतिक

विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व गृह विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षायें क्रमशः किन-किन तिथियों में सम्पन्न की गयी, इसकी सूचना एकत्र की जा रही है ।

पर्वतीय क्षेत्रों के राजकीय हाई स्कूल व इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों एवं अध्यापकों के रिक्त पद

116—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्तमान में कितने राजकीय हाई स्कूल व इण्टर कालेजों में प्रधानाध्यापकों व प्रधानाचार्यों के पद कब से किस कारण रिक्त पड़े हुए हैं ? इन पदों की रिक्तियों की पूर्ति कब तक की जायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

पर्वतीय क्षेत्र में इस समय राजकीय हाई स्कूलों में प्रधानाध्यापक के 59 पद एवं राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य के 117 पद रिक्त हैं ? ये रिक्तियां कब-कब हुई इसकी सूचना प्राप्त की जा रही है । पद रिक्त पड़े रहने का कारण सम्बन्धित संवर्गों में चयनित अधिकारियों की सूची समाप्त होना है । उक्त संवर्ग में तदर्थ प्रोन्नति हेतु पुनः चयन की कार्यवाही सम्पन्न होने पर रिक्तियां भर दी जायेंगी ।

पर्वतीय क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों के बी0 टी0 सी0 अध्यापकों के स्थायीकरण और पदोन्नत करने की मांग

117—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1967, 1968 और 1969 से जो अध्यापक और अध्यापिकायें पर्वतीय क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में बी0 टी0 सी0 वेतनमान में कार्यरत हैं, उन्हें अभी तक किन कारणों से स्थायी एवं पदोन्नत नहीं किया गया है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सम्बन्धित अधिकारी को लिखा गया था । कई अनुस्मारक भी भेजे जा चुके हैं ।

पिथौरागढ़ में प्राइमरी पाठशालाओं की आवश्यकता

118—श्री काशी सिंह ऐरी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में तहसीलवार अब भी पर्वतीय मानक के अनुसार कुल कितने प्राइमरी पाठशालाओं की आवश्यकता है ? इन तहसीलों में इन्हें क्रमशः कब तक पूरा कर दिया जाएगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

पिथौरागढ़	57
डीडीहाट	44
मुन्स्यारी	26
धारचुला	23
चम्पावत	67
कुल ..	217

यदि वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है ।

राजकीय इण्टर कालेज, नन्द प्रयाग चमोली के अध्यापक, श्री शम्भू प्रसाद कोठियाल का निलम्बन एवं पुनर्नियुक्ति

119—डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किन कारणों से श्री शम्भू प्रसाद कोठियाल, सहायक अध्यापक, राजकीय इण्टर कालेज, नन्द प्रयाग, जिला चमोली को दिनांक 20-6-81 को उपनिदेशक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल

पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया और फिर उनको निलम्बित कर दिया गया तथा पुन: 14-5-82 को उनका निलम्बन समाप्त कर दिया गया, तो निलम्बन के समय का जो वेतन का अवशेष है उसका भुगतान 30-4-85 को क्यों नहीं किया गया और कौन अधिकारी इसके लिये उत्तरदायी है तथा उन्हें इसके लिये क्या दण्ड दिया गया है ?

श्री सिब्ते रजी—

शिक्षा निदेशक से प्राप्त सूचना अस्पष्ट एवं अपूर्ण थी । स्पष्ट एवं पूर्ण सूचना मांगी गयी है ।

स्व0 श्री हर स्वरूप अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक, प्राइमरी पाठशाला, एआदनगर, गाजियाबाद की पारिवारिक पेंशन

120—श्री किरनपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री हर स्वरूप, रिटायर्ड हेड मास्टर, प्राइमरी पाठशाला, एआदनगर, डाकखाना बाबूगढ़, जिला गाजियाबाद का स्वर्गवास 7-12-68 को हो गया था तथा इनकी विधवा श्रीमती परसन्दी देवी को लाभत्रयी योजना दिनांक 17 दिसम्बर, 1965 लखनऊ की धारा 34 के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन न दिये जाने का क्या कारण है तथा पारिवारिक पेंशन कब से दी जाने लगेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया था ।

बुलन्दशहर, ग्राम सालाबाद घमेड़ा, चितसोना निन्वाना, घगेड़ा कोरत के जूनियर हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल के भवनों का निर्माण

121—श्री किरनपाल सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर की तहसील बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम सालाबाद घमेड़ा तथा चितसोना निन्वाना, ग्राम घगेड़ा कोरत में क्रमश: जूनियर हाई स्कूल व प्राइमरी पाठशालाओं के भवन का निर्माण 30 जून, 1984 तक पूर्ण होना निश्चित था ? यदि हां, तो उक्त विद्यालयों के भवनों के अब तक निर्माण न होने के क्या कारण है ? उक्त विद्यालय के भवन कब तक निर्मित हो जायेंगे ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया था ।

स्व0 श्री मुनव्वर अली, शिक्षा अधीक्षक, खुर्जा, बुलन्दशहर को देय धनराशि का भुगतान

122—श्री किरनपाल सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मुनव्वर अली, शिक्षा अधीक्षक, खुर्जा, जनपद बुलन्दशहर का 27 सितम्बर, 1980 को स्वर्गवास हो गया था ? यदि हां, तो क्या उनकी विधवा मुर्ईतिजा खातून को समस्त देय धनराशि तथा पारिवारिक पेंशन नहीं मिली है ? यदि हां, तो क्यों तथा कब तक सभी भुगतान कराकर पारिवारिक पेंशन दिला दी जाएगी ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित अधिकारी को लिखा गया था और उसके बाद टेलेक्स द्वारा स्मरण भी कराया गया है ।

फैजाबाद, ग्राम देवगांव में प्राइमरी स्कूल की स्थापना की मांग

123—श्री रमेश चन्द्र—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिले के प्रत्येक ब्लाक की प्रत्येक ग्राम सभा में एक प्राइमरी स्कूल खोले जाने का आदेश शासन द्वारा जारी किया गया है ? यदि हां, तो ग्राम सभा मेवापुर मुताल के देवगांव, जिला फैजाबाद में प्राइमरी स्कूल कब तक खोल दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सम्बन्धित अधिकारी को पत्र लिखा गया था और उसके बाद टेलेक्स द्वारा स्मरण भी कराया गया है ।

सेवानिवृत्त श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी, अध्यापक, एकडंगवा, जूनियर हाई स्कूल, बस्ती की पेंशन

124—श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

क्या शिक्षा मन्त्री को ज्ञात है कि श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी, सहायक अध्यापक (सेवानिवृत्त), जूनियर हाई स्कूल एकडंगवा, जिला बस्ती की नियुक्ति 1 अगस्त, 1949 को हुई थी तथा 30 जून, 80 को वह सेवानिवृत्त हुए इस प्रकार कुल 30 वर्ष 10 माह कार्य करने के उपरान्त वह सेवा निवृत्त हुए हैं ? क्या यह भी सही है कि श्री अम्बिका मणि त्रिपाठी की पेंशन 30 वर्ष 10 माह के वेतन तथा सेवाकाल के आधार पर न बनाकर केवल 30 वर्ष के सेवाकाल के आधार पर ही बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

जी हां ।

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गाजीपुर के मान्यता प्राप्त स्कूलों एवं कालेजों का भवन

125—श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद में कितने स्कूल और कालेज हैं और कितनों को मान्यता मिली हुई है तथा यह बताने की कृपा करें कि कितने मान्यता प्राप्त स्कूल ऐसे भी हैं जिनके भवन ही नहीं हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके लिये भवन निर्माण कराने की कृपा करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री सिब्ते रजी—

प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद में कुल 35 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं 57 इन्टर कालेज हैं । उपर्युक्त सभी मान्यता प्राप्त विद्यालयों के पास भवन हैं । इनमें से कितने भवन किराये के हैं इसकी सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के मान्यता प्राप्त मकतबों पर व्यय होने वाली धनराशि

126—श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कितने ऐसे मकतब हैं जिन में दोनों तालीम के साथ-साथ दर्जा 5 तक की बेसिक शिक्षा दी जाती है ? मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जिला वाइज इन पर सरकार की ओर से क्या खर्चा आता है ?

श्री सिब्ते रजी—

इस सम्बन्ध में अब तक जनपद गाजीपुर, हमीरपुर, बांदा, इटावा, जौनपुर, उन्नाव, देवरिया, वाराणसी से सूचना प्राप्त हुई है जिसके अनुसार इन जिलों में मान्यता प्राप्त मकतबों की जनपदवार संख्या क्रमशः 15, 13, 7, 10, 33, 10, 73 व 18 है तथा जनपदवार क्रमशः रु0 8160, रु0 46838, रु0 7384, रु0 6904, रु. 15600, रु. 2460, रु. 11760 व रु. 8096 का खर्च आता है। शेष जनपदों से सूचना अभी प्रतीक्षित है।

आजमगढ़ जनपद के प्राइमरी स्कूल के सेवानिवृत्त अध्यापकों को पेंशन प्राविडेन्ट फण्ड की धनराशि का भुगतान न करने पर जांच की मांग

127—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि आजमगढ़ जिले में प्राइमरी अध्यापक, जो आज से चार पांच वर्ष पूर्व से वर्ष 84 तक की अवधि में सेवानिवृत्त हो गये हैं, उनकी पेंशन, प्राविडेन्ट फण्ड तथा अन्य धनराशि जो देय है, आज तक उन्हें नहीं मिली है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके लिये तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

128—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या यह भी सही है कि अध्यापकों के बार-बार कहने पर कार्यालय कोई कार्यवाही नहीं करता है? यदि हां, तो इस लापरवाही का क्या कारण है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके लिये तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

129—श्री काजी कलीमुर्रहमान—

क्या सरकार आजमगढ़ जिले के ऐसे सेवा निवृत्त अध्यापकों के समस्त बकाया धनराशि पेंशन आदि दिलाने की व्यवस्था करेगी? यदि हां, तो कब तक?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है। सूचना प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके लिये तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है।

नेशनल इण्टर कालेज, पिण्डरा, वाराणसी के प्रवक्ता श्री भृगुनाथ मिश्र को दिये गये सेलेक्शन ग्रेड के विरुद्ध शिकायती-पत्र और प्रवक्ता श्री अम्बिका दत्त पाठक की पदोन्नति के विरुद्ध तथा सेवानिवृत्त प्रवक्ता श्री राम अधार शास्त्री द्वारा जन्म तिथि सम्बन्धी प्रस्तुत फर्जी सार्टिफिकेट के विरुद्ध शिकायती-पत्र

130—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज पिंडरा, वाराणसी की प्रबन्ध समिति ने श्री भृगुनाथ मिश्र को गलत एवं अनियमित तरीके से बहुत पहले ही सेलेक्शन ग्रेड दे दिया और 50 रु0 की बढ़ोतरी दे दिया? जिसपर आडिट ने आपत्ति की और ज्यादा लिए गये धन को रिकवर

करने का आदेश दिया है ? क्या यह सही है कि इस सम्बन्ध में भूतपूर्व सभापति लोक लेखा समिति श्री ऊदल ने एक पत्र माध्यमिक शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव को 13-4-85 को लिखा है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या रुपया वापस कराया गया अथवा नहीं ?

श्री सिब्ते रजी—

जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रबन्धक द्वारा चयन वेतनमान रु0 960-1480 में रु0 50 की बढ़ोत्तरी पूर्व से नहीं दी गयी है । चयन वेतनमान निरीक्षणालय द्वारा स्वीकृत है । आडिट ने अपनी टिप्पणी में जिला विद्यालय निरीक्षक के वेतन निर्धारण सम्बन्धी आदेश दिनांक 10-3-81 की प्रति मांगी है । इस संबंध में मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, वाराणसी को पूरी स्थिति की जानकारी करने और आवश्यक कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया जा रहा है ।

श्री ऊदल प्रश्नगत पत्र सम्प्रति उपलब्ध नहीं हो पा रहा है । उसकी प्रति प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

131—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज, पिंडरा, जिला वाराणसी की प्रबन्ध समिति ने श्री अम्बिका दत्त पाठक को संस्कृत के प्रवक्ता के पद पर प्रमोशन अर्सा दो वर्ष में करके अनुमोदन हेतु जिला विद्यालय निरीक्षक, वाराणसी के पास भेजा है? क्या यह सही है कि उक्त पद के लिए शिक्षा आयोग को अभियाचन आज तक नहीं भेजा गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । शिक्षा निदेशक को आदेशित कर दिया है कि विलम्ब के लिए उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

132—श्री राम सजीवन—

क्या यह सही है कि इस गलत प्रमोशन के बारे में भूतपूर्व सभापति लोक लेखा समिति श्री ऊदल ने माननीय शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव को 13-4-85 व निदेशक को 6-4-85 को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या पूरे कार्यवाही का विवरण सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । शिक्षा निदेशक को आदेशित कर दिया है कि विलम्ब के लिये उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

132—श्री राम सजीवन—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नेशनल इण्टर कालेज, पिंडरा, वाराणसी में संस्कृत के भू0 पू0 प्रवक्ता राम अधार शास्त्री ने रिटायरमेन्ट सन् 80 या 81 में गलत एवं फर्जी सर्टीफिकेट देकर प्रबन्ध समिति से एक वर्ष का कार्यकाल बढ़वा लिया था और सर्विस बुक में भी कटिंग करके जन्म तिथि को एक वर्ष कम करके लिखा लिया है ? क्या यह सही है कि भू0 पू0 सभापति लोक लेखा समिति श्री ऊदल ने इस संबंध में माननीय शिक्षा मंत्री व शिक्षा सचिव को तथा शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश को 6-4-85 को पत्र लिखा है ? यदि हां, तो अब तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इसकी उच्चस्तरीय जांच कराकर रुपया वसूल करेगी और गलत कार्य करने का मुकदमा चलायेगी ?

श्री सिब्ते रजी—

भूतपूर्व सभापति लोकलेखा समिति श्री उदल का प्रश्नगत पत्र दिनांक 13-4-85 प्राप्त हुआ था जिसमें निहित आरोपों की जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को लिखा गया था । शिक्षा निदेशक ने मण्डलीय उपशिक्षा निदेशक वाराणसी को जांच करके आख्या एवं कृत कार्यवाही की सूचना भेजने हेतु निर्देशित कर दिया है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में निष्प्रयोज्य फोल्डिंग कुर्सियां तथा स्लेटें

134—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के प्रांगण में लगभग 1500 लोहे की फोल्डिंग कुर्सियां तथा लगभग 6000 स्लेटें पिछले एक वर्ष में निष्प्रयोज्य पड़ी हुई हैं ? क्या यह सही है कि सामग्री की नीलामी होने वाली है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो इनके रखने का उद्देश्य क्या है ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । संबंधित अधिकारियों को लिखा गया था । उसके बाद उन्हें 25-7-85, 8-8-85 तथा 16-8-85 को अनुस्मारक भी भेजे जा चुके हैं ।

प्रदेश में बेरोजगार बी0 टी0 सी0 शिक्षक

135—श्री राम चन्द्र बक्श सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षण प्राप्त कितने शिक्षक 31 मार्च, 85 तक बेरोजगार थे ?

श्री सिब्ते रजी—

सूचना एकत्र की जा रही है । सूचना प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया था और इसके बाद तार द्वारा स्मरण भी कराया गया है ।

प्रश्नों के संबंध में व्यवस्था के प्रश्न

[समय 12.20]

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, सवालों के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

कमाल यूसुफ साहब, इसको 301 के बाद ले लेंगे ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, मेरी व्यवस्था प्रश्नों के संबंध में है, अतः प्रश्नों के समय के बाद ही उठनी चाहिये ।

श्री मोहम्मद आजम खां—

मान्यवर, इसे व्यवस्था कहूं या क्या कहूं, प्रश्नों के समय के बाद प्रश्नों से सम्बन्धित व्यवस्था के प्रश्न उठाये जाते हैं । मान्यवर, इस परिपाटी को न बदलें तो ठीक होगा । इसको 301 के बाद लेने से गलत रिवाज पड़ जायगी ।

श्री अध्यक्ष—

301 के बाद प्रश्नों के सिलसिले में मैं जो होगा सुन लूंगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां—

मान्यवर, आप जो चाहें, ठीक है, लेकिन चूंकि यह व्यवस्था का प्रश्न प्रश्नों के सम्बन्ध में होता है, इसलिये इसे प्रश्नों के समय के ही बाद होना चाहिए । वैसे चाहें तो इसे नियम 56 के बाद भी

कर दीजिए । मेरा निवेदन है कि जो व्यवस्था प्रश्नों के सम्बन्ध में है, उसे प्रश्नों के समय के बाद ही आना चाहिए वरना अव्यवस्था पैदा हो जायेगी । यह सिलसिला न डालें, यह मेरी गुजारिश है ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ़—

मान्यवर, मेरा प्रश्न संख्या 51 और 59 देखें । यह शासन को 28-6-85 को भेजा गया था । कोई महत्वपूर्ण सूचना नहीं है और कोई ज्यादा टाइम लेने वाली नहीं है, लेकिन दो बार माननीय मंत्रीजी ने इसके लिये लिख दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है । आज मेरी निश्चित जानकारी है कि शिक्षा विभाग से सम्बन्धित जितने सवाल हैं, अधिकांश माननीय सदस्यों के पास लिख कर आ गया है कि सूचना एकत्र की जा रही है । मान्यवर, अब तो यह सदन भी समाप्त हो जायगा, सत्र समाप्त हो जायगा । हम लोगों का जवाब नहीं आ पाएगा । पिछली बार कहा गया कि 15 दिन के बाद आएगा । मैंने कहा था कि नहीं आएगा, तो आपने कहा था कि देखेंगे । आज फिर उत्तर नहीं आया । इस पर आप गम्भीरता से विचार करें । आपने कहा था कि देखेंगे, लेकिन फिर जवाब आ गया कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह—

मान्यवर, आज मेरे शिक्षा विभाग से सम्बन्धित 9 प्रश्न लगे हैं । ये प्रश्न, पहले सोमवार को जब विधान सभा का सत्र आरम्भ हुआ था, उस दिन ये प्रश्न लगे थे । उस समय माननीय मंत्रीजी का उत्तर आया था कि सूचना एकत्र की जा रही है । मैंने उस समय व्यवस्था का प्रश्न उठाया था । कहा गया कि 15 दिन के बाद उत्तर फिर आएगा । तीसरे सोमवार को पुनः प्रश्न लगा तो पुनः यही उत्तर दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है । उसमें यह बढ़ा दिया गया कि सूचना प्राप्त करने के लिये सम्बन्धित अधिकारियों को लिखा गया है और उसके बाद तार से स्मरण कराया गया है ।

आज पांचवां सोमवार है और पुनः यही उत्तर आया है, जो तीसरे सोमवार को दिया था कि सूचना एकत्र की जा रही है, सूचना प्राप्त करने के लिये संबंधित अधिकारियों को लिखा गया है और उसके बाद तार द्वारा स्मरण भी करा दिया है । मान्यवर, सातवां सोमवार विधान सभा के सत्र में नहीं आना है । श्रीमन्, इसमें जो प्रश्न दिया है, वह जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापकों या प्राइमरी के प्रधानाचार्यों से संबंधित हैं, जो सेवानिवृत्ति हो चुके हैं । उनको सेवा-निवृत्त हुए 6 साल हो गये हैं । आज तक इनका विभाग उनके बकाया वेतनों का भुगतान नहीं कर सका है । उनका प्राविडेंट फण्ड भी नहीं दिया जा रहा है । उनको पेंशन भी नहीं दी जा रही है । मान्यवर, उनके जीवन के साथ क्या होगा ? पिछले सत्र में जो उत्तर प्राप्त हुए थे, उसके सम्बन्ध में यह पूरक प्रश्न है जिन पर मंत्री जी का विभाग सूचना एकत्र कर रहा है । मैं चाहूंगा कि अगले सोमवार को, यदि विधान सभा होती है, तो उसमें उत्तर दिलवा दें या जो प्रश्न एवं संदर्भ समिति है, उसके सुपुर्द कर दें ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मेरे दो प्रश्न हैं एक प्रश्न संख्या 8 और दूसरा 109 है । 8वें प्रश्न के जवाब में वही रिवायती जवाब है मुतमईन हो गये हम । 109वें प्रश्न के बारे में यह है कि एक बार सूचना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एकत्र करने का जवाब मिला, दुबारा सूचना एकत्र करने का जवाब मिला अबकी तीसरी बार यह जवाब आया कि शिक्षा निदेशक से प्राप्त सूचना अस्पष्ट एवं अपूर्ण थी शिक्षा निदेशक से सम्बन्धित अध्यापक के अभिलेख मांगे गये हैं । सूचना एकत्र करने का जुमला तो नहीं आया लेकिन बात वही कह दी ।

मान्यवर, एक व्यक्ति की पेंशन और ग्रेच्युटी के सम्बन्ध में यह प्रश्न किया था। ग्रेच्युटी और पेंशन सरकार इसलिये देती है कि वह बाकी की जिन्दगी गुजार सके । जब उसे पेंशन नहीं मिलेगी, ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, तो वह क्या करेगा चोरी करेगा, डाका डालेगा, सड़कें लूटेगा । मैं चाहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे मेरे सवाल का जवाब आ जाय । मुझे मंत्री जी यकीन दिला दें कि इस व्यक्ति के जिन्दा रहते पेंशन और ग्रेच्युटी मिल जायेगी मान्यवर, इस प्रकार कब तक प्रश्नों के जवाब सदन में आते रहेंगे । इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

[श्री किरन पाल सिंह के खड़े होने पर]

श्री अध्यक्ष—

आपके कई साथी इस विभाग के उत्तरों के सम्बन्ध में अपनी बात कह चुके हैं । मैंने श्री रघुवर दयाल वर्मा जी को बुला लिया है ।

श्री किरन पाल सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

कोई बात नहीं लिखी जायेगी । मैंने रघुवर दयाल वर्मा जी को बुला लिया है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर प्रश्न संख्या 82 और 72 की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । 6-5-85 को इस पर जवाब मांगे गये थे । 29-7-85 को जवाब आया था, वही जवाब आज भी दिया जो तार भेजते हैं, जिस अधिकारी को जांच के लिये भेजते हैं, उन अधिकारियों के उत्तर नहीं आ पाते हैं । इससे माननीय सदस्यों की गरिमा पर भी प्रभाव पड़ता है और माननीय मंत्री जी की गरिमा पर भी प्रभाव पड़ता है । मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार के बार-बार उत्तर, आपके आदेशों के बावजूद आ रहे हैं, इन्हें आप प्रश्न एवं संदर्भ समिति को आवश्यक जांच आदि के लिये सुपुर्द कर दें । आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें ।

*श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, आप तारांकित प्रश्न संख्या 120, 121 और 122 को देखने का कष्ट करें । यह प्रश्न आज तीसरी बार आ रहा है और इनका जो जवाब आया है किसी में लिखा है सूचना एकत्र की जा रही है, किसी में लिखा है कि सूचना एकत्र करने के लिये अधिकारी को लिखा गया है और किसी में लिखा गया है तार भेजा गया, रेडियोग्राम भेजा गया है । मान्यवर, इसमें से एक की गम्भीरता को आप देखें । एक अध्यापक की मृत्यु सन 1968 में हो गई लेकिन आज तक उसकी विधवा को इस सरकार ने न तो पारिवारिक पेंशन दिया है और न ही जो अनुमन्य भत्ते होते हैं, वही दिये । दूसरे वाले प्रश्न में सूचना केवल शिक्षा निदेशालय से मंगानी थी और तीसरे वाले में जिलाधिकारी से सूचना मंगवानी थी । सूचना नहीं मंगाई गई और कहा जा रहा है सूचना एकत्र की जा रही है । अब मेरे इन 3 सवालों का क्या होगा? शिक्षा मंत्री जी की कोई बात नहीं मान रहा है और शिक्षा विभाग

नोटः—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चौपट होता चला जा रहा है । आप ऐसी व्यवस्था दें, जिससे इन प्रश्नों का उत्तर आ जाय ?

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, शिक्षा विभाग से संबंधित प्रश्नों के सम्बन्ध में मेरा भी एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, आप करण सं0 29 की उपधारा 2 को देखने का कष्ट करें । इसमें लिखा है "तारांकित प्रश्नों का उत्तर, यथासमय, उसी तिथि को दिया जाना चाहिए जिसके लिये वे सूचीबद्ध हों, किन्तु यदि सदस्य द्वारा वांछित सूचना समय के भीतर संग्रहीत न की जा सके और प्रश्नों को किसी आगामी तिथि को स्थगित करना अनिवार्य हो जाय तो सम्बन्धित मंत्री स्थिति को तदनुसार स्पष्ट करते हुए स्थगन की प्रार्थना कर सकते हैं और जब तक विशेष कारण न हो दो सप्ताह से अधिक के लिए स्थगन न मांगे । सामान्यतया प्रश्नों का स्थगन केवल एक ही बार स्वीकार किया जाता है किन्तु यदि दूसरी बार प्रश्नों को स्थगित कराना आवश्यक हो तो स्थगन की प्रार्थना के साथ उसके कारणों की व्याख्यात्मक टिप्पणी भी संलग्न की जानी चाहिए । परम्परा के अनुसार दूसरा स्थगन केवल आपवादिक अवस्थाओं में ही स्वीकृत किया जा सकेगा और सामान्यतया जिन प्रश्नों की सरकार को एक मास की सूचना मिल चुकी होगी उन्हें स्थगित नहीं किया जायेगा ।"

मान्यवर, इसमें लिखा है कि एक माह के समय से अधिक नहीं दिया जायेगा अर्थात् वह स्थगित नहीं होगा । अब आप मेरे प्रश्न संख्या 70 को देखने का कष्ट करें । इसमें मैंने जो प्रश्न पूछा है वह इस प्रकार है :

"क्या शिक्षा मंत्री को यह जानकारी है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत राजकीय कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति पर पेंशन गणना हेतु उनके द्वारा राजकीय सेवा में आने से पूर्व की गई गैर सरकारी सेवा को भी जोड़ कर पेंशन की राशि निर्धारित की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों में सेवा-निवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी यह सुविधा प्रदान करेगी, जिससे उनके द्वारा पूर्व की गई राजकीय सेवा की अवधि पेंशन गणना जोड़कर पेंशन निश्चित की जा सके और एकरूपता स्थापित हो सके ?"

मान्यवर, यह नीतिगत प्रश्न है । इसमें सूचना की तो कोई आवश्यकता ही नहीं है । यह प्रश्न पूछा गया था 10-6-1985 को । आज दो महीने से ज्यादा हो गया है । करण के अनुसार एक महीने के बाद प्रश्न को स्थगित नहीं किया जायेगा । मेरा प्रश्न साफ था कि यदि कोई व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में कार्य कर चुका हो, उसके बाद वह राजकीय स्कूल में आ गया हो तो प्राइवेट में उसने जितनी अवधि तक कार्य किया है, उसको भी राजकीय सेवा की अवधि पेंशन गणना में जोड़कर पेंशन निश्चित की जाती है तो क्या माननीय मंत्री जी राजकीय सेवा से प्राइवेट सेवा में आने वाले व्यक्ति के लिये भी उसकी राजकीय सेवा की अवधि को पेंशन के साथ जोड़ेंगे ? इसमें माननीय मंत्री जी को क्या कठिनाई है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपका मुद्दा यही तो है कि जवाब सही नहीं आये हैं । अब आप इस पर दिन भर लगा दीजिए ।

श्री मुहम्मद मसूद खां—

सवालों के जवाब पूरी तरह से नहीं आते हैं । लेकिन मैं व्यवस्था इस पर चाहता हूं कि शेष सवाल ही नहीं आता है । आप अपने दफ्तर में सवाल देते हैं । सवाल न तो किसी किताब

पर लिख कर जाते हैं न डुप्लीकेट में । सवाल के दफ्तर में कह रहे हैं कि यह सवाल नहीं आया जबकि मेरा दफ्तर कह रहा है कि सवाल गया है, तो इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप बैठें । इस पर काफी विवाद हो गया है ।

(व्यवधान)

अब जो भी बोलेंगे, कुछ नहीं लिखा जायगा । जो माननीय सदस्य की यह शिकायत है कि सवालों के जवाब नहीं आये हैं या सूचना एकत्र की जा रही है, या संतोषजनक नहीं है । कृपया मुझे लिख कर भेज देंगे, मैं देखूंगा, अगर सवाल महत्वपूर्ण है तो प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सौंपने की व्यवस्था करूंगा ।

(व्यवधान)

रूलिंग दे चुका । आप बैठें ।

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, माननीय सदस्यों ने जिस विषय की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, गम्भीर है । मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि बार-बार माननीय मंत्री जी या उनके विभाग द्वारा लिखने के बावजूद भी जो संबंधित अधिकारी सूचना नहीं भेजते हैं, जिसकी वजह से शासन की छवि धूमिल होती है, तो ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाय ताकि वह समय से सूचना भेज सकें और उत्तर मिल सकें ।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री अध्यक्ष—

मैं सवाल के महत्व को देखते हुए प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर दूंगा ।

राजकीय कताई मिल, अकबरपुर फैजाबाद में सत्तारूढ़ दल के राजनैतिक हस्तक्षेप से श्रमिकों में अशान्ति व्याप्त होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

नियम 301 के अंतर्गत 29 सूचनायें प्राप्त हुई । जिनमें से 8 सूचनायें स्वीकृत हुई । माननीय अकबर हुसैन बाबर, श्री किरन पाल सिंह, श्री रघुबर दयाल वर्मा, श्री देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री सत्यपाल सिंह, श्री भगवती सिंह विशारद, श्री यदुनाथ सिंह तथा डा0 दिनेश जौहरी ।

श्री अकबर हुसैन बाबर—

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजकीय कताई मिल, अकबरपुर, फैजाबाद में सत्तादल के राजनैतिक हस्तक्षेप से श्रमिक अशान्ति व्याप्त है । राजनीतिक दबाव से श्रम नियमों का उल्लंघन कर असामाजिक तत्वों को संरक्षण प्रदान किया जा रहा है । सत्तादल से सम्बद्ध अनेकों असामाजिक तत्वों को, जिन्होंने समय समय पर श्रमाधिकारी, सुरक्षा कर्मचारी, खाता सुपरवाइजर मिल ड्यूटी पर आये पी0ए0सी0 के सिपाही एवं कार्यरत श्रमिकों को मारा-पीटा, उनके विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई परन्तु उद्योग विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर निकल कर समस्त कार्यवाही को समाप्त कर दिया जिससे गुंडागर्दी को बढ़ावा मिल रहा है । सत्तादल द्वारा संरक्षण प्राप्त अवांछनीय तत्वों को मनमाने ढंग से प्रोन्नत न किये जाने पर अधिकारीगण पुनः मारे और बेइज्जत किये जा रहे हैं । श्रमिक नेता ओम प्रकाश सिंह जो सक्षम न्यायालय द्वारा निर्दोष घोषित किये जा चुके हैं उन्हें राजनीतिक द्वेष से कार्य पर जाने से रोक दिया गया है ।

प्रतिष्ठान के अन्दर खुले आम गुण्डागर्दी बढ़ रही है जिससे उत्पादन ठप्प हो रहा है और प्रतिष्ठान घाटे में जा

रहा है । इन्हीं कारणों से स्थिति भयावह हो गई है किसी भी समय श्रमिक अशान्ति व जान-माल की भारी क्षति हो सकती है ।

अतएव मैं इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाते हुए प्रतिष्ठान में व्याप्त गुण्डागर्दी और उद्योग विभाग द्वारा श्रम नियमों का उल्लंघन करने से रोके जाने के लिए सरकार द्वारा प्रभावी कदम उठाने की मांग करता हूं ।

मेरठ-मंडल के अन्तर्गत आम के पेड़ों में भयंकर रोग लगने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, मेरठ मण्डल के अनेक भागों में आम के पेड़ एक भयंकर रोग के शिकार हो रहे हैं । इस रोग में आम की पत्तियां पहले नीचे से काली हो जाती हैं उसके बाद पत्तियां किनारों से खुलने लगती हैं । इस प्रकार धीरे-धीरे सारी पत्तियां सूख जाती हैं । इसके बाद पेड़-पौधा नष्ट हो जाता है । यह भी देखने में आया है कि आम के बागों के किनारों पर हरे पेड़ भी इस रोग से प्रभावित हो रहे हैं । सड़क के किनारों पर बागों में वहां यूकेलिप्टिस के पेड़ लगे हैं, उनके साथ वाले आम के पेड़ इस रोग से अधिक प्रभावित हो रहे हैं । विशेषज्ञों द्वारा इस रोग का नाम इस्केलाइलेक्टीसाईड बताया जाता है तथा इस रोग की रोकथाम गंधक का अनेकों बार छिड़काव किये जाने पर की जा सकती है । एक अनुमान के अनुसार अब तक आम के 40 प्रतिशत से अधिक पेड़ इस रोग से प्रभावित हैं । इस रोग के कारण आम की फसल तो इस बार भी प्रभावित हुई है, मगर इस वर्ष ज्यादा मादा फसल होने के कारण यह प्रभाव कम लक्षित हुआ है । अगले वर्ष जब नर फसल होगी तो इस रोग का प्रभाव असली रूप में देखने को मिलेगा ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए शीघ्र कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूं ।

नारखी के ग्राम गांगनी में प्राइमरी पाठशाला के मृत अध्यापक श्री महाराज सिंह व श्री मनीराम नाई के परिवारों को मुआवजा देने तथा आगरा जिले के जीर्ण-शीर्ण स्कूलों के मरम्मत के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय सनसनीखेज हृदयविदारक दुर्घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि बेसिक जिला परिषद् द्वारा भवन-निर्माण की देख-रेख और उपेक्षा के कारण दि0 17-8-1985 को नारखी क्षेत्र के ग्राम गांगनी में स्थित जीर्णशीर्ण प्राइमरी पाठशाला के भवन का बरामदा धीमी वर्षा और हवा के झोंके के साथ गिर पड़ा । उसमें बैठे अध्यापक श्री महाराज सिंह गांगनी व मनीराम नाई गांगनी दब गये और उसीमें मर गये । वहीं बैठे 15-20 बच्चे और बच्चियां भी मलबे में दब गये जिन्हें गांगनी ग्राम के सैकड़ों लोगों ने आकर निकाला जिसमें अनेक बच्चे, बच्चियां गम्भीर रूप से घायल हुए हैं, अनेकों की चिन्ताजनक हालत है । इस घटना से छात्र और छात्राओं में भय और क्षोभ व्याप्त हो चुका है । छात्रों के अभिभावक का जनमानस हिल उठा है, जिससे छात्र व छात्रायें पढ़ने से वंचित हो रहे हैं । बेसिक शिक्षा परिषद् के अधिकारियों का अभी तक इस घटना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की ओर ध्यान नहीं गया है, जिससे क्षेत्र में स्कूल भवनों के प्रति बच्चों की जिन्दगी के लिये खतरे का भय व्याप्त हो गया है ।

अस्तु माननीय सदन के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि मृत अध्यापक श्री महाराजसिंह व मृत श्री मनीराम नाई के परिवारों को मुआवजा दिया जाये और बेसिक शिक्षा परिषद् अधिकारियों को उनकी इस उपेक्षापूर्ण प्रवृत्ति के विरुद्ध दण्डित किया जाये तथा नारखी फिरोजाबाद एवं जनपद आगरा के प्राइमरी पाठशालाओं के जीर्ण-शीर्ण भवनों को तत्काल गिराकर नया बनवाया जाये ताकि बच्चों व अध्यापकों का जीवन बच सके ।

सजनाम बांध में पानी रोक देने से जनपद ललितपुर के कतिपय गांवों में बीमारियां फैलाने तथा तबाही के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र कुमार सिंह—

मान्यवर, जनपद ललितपुर में सजनाम बांध में बिना सूचना दिये दरवाजों तक पानी रोक देने से इसके डूब क्षेत्र में आने वाले गांव कलोधरा, कलरव, बगौनी, जमुनिया आदि दिनांक 9/10-8-85 की रात्रि में पानी से भर गये । गांव में पानी भरने के कारण सैकड़ों मवेशी मर गये । साथ ही घरों में रखा अनाज आदि भीगकर सड़ रहा है । जिससे भीषण परिस्थिति से जनता आतंकित है ।

शासन द्वारा अभी तक उक्त गांवों में किसी भी प्रकार की सहायता नहीं की गयी है । वहां अभी भी जानवरों के मरने से और सड़ने से कई प्रकार की बीमारियां फैलने को रोकने में शासन विफल रहा है । जनता में भारी आक्रोश है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करता हूं कि उक्त क्षेत्रवासियों को शासन द्वारा अविलम्ब सहायता पहुंचायी जाये ।

थाना तिलहर, चौकी मदनापुर, जिला शाहजहांपुर की कर्मजीत कौर का कत्ल किये जाने तथा जांच में लापरवाही करने वाले शाहजहांपुर के प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री सत्य पाल सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, जनपद शाहजहांपुर के प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही सदन के संज्ञान में लाकर ऐसे लापरवाह व कर्तव्यहीन अधिकारियों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की मांग करता हूं । 25 वर्षीय कर्मजीत कौर, निवासी थाना तिलहर, चौकी मदनापुर, जिला शाहजहांपुर का कत्ल उसके भाईयों व परिवार वालों ने, जब वह गर्भावस्था में थी, 10 अगस्त, 1985 को कर दिया । तलवार से प्राणघातक हमले के बाद जब वह सदर अस्पताल लायी गयी तो अर्द्ध-रात्रि में सिटी मजिस्ट्रेट ने एस0डी0एम0 सदर, श्री भरद्वाज को मृत्यु पूर्व बयान तत्काल लेने के लिये आदेशित किया । परन्तु उक्त मैजिस्ट्रेट जो पिछले 6 सालों से अवैधानिक रूप से शाहजहांपुर में तैनात हैं, शराब के नशे में रहते हैं, अपनी लापरवाही का परिचय देते हुए 11 घंटे तक मृतक का बयान लेने नहीं गये और डाइंग डिक्लेरेशन के पहले ही उसकी मृत्यु हो गयी और हत्या की एक बहुत बड़ी साक्ष्य रेकार्ड में न आ सकी । कहा जाता है कि यह देरी एक अच्छी रकम हत्यारों के वसूलने के बाद की गयी है ।

अतएव उक्त घटना के तथ्यों की जांच व लापरवाह व घूसखोर, शराबखोर मैजिस-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

स्टेट के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।

जनपद उन्नाव में गंगा नदी से डलमऊ बी नहर के निर्माण में विलम्ब होने तथा अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा शीघ्र दिलाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री भगवती सिंह विशारद—

अध्यक्ष महोदय, जनपद उन्नाव में गंगा नदी का पानी ऊपर उठाकर सिंचाई करने के लिये डलमऊ बी नाम की एक नहर का निर्माण कराया जा रहा है । इसके निर्माण-कार्य का आरम्भ दिनांक 22-6-82 को भूमि अधिगृहीत करके किया गया था जिसमें स्थायी तथा अस्थायी दोनों तरह की भूमि अधिगृहीत की गयी थी किन्तु खेद का विषय है कि काश्तकारों को उक्त भूमि का मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है । इसके अतिरिक्त इस नहर में अनावश्यक रूप से विलम्ब होने के कारण किसानों को सन् 82 से अब तक फसल बोने को नहीं मिला है ।

नहर के निर्माण में इतनी गहरी खुदाई की गयी है कि उसका समतलीकरण कराना किसानों के बूते के बाहर है । इस समस्या के हल के लिये यह आवश्यक है कि अधिगृहीत की गयी स्थायी भूमि का मुआविजा तुरन्त प्रदान किया जाय और सन 82 से उनके नाम का लगान खारिज किया जाय । इसी प्रकार अस्थायी अधिगृहीत की गयी भूमि को विभाग द्वारा समतल कराया जाय और सन् 82 से अब तक फसल न बोने देने के कारण उनका मुआवजा फसल के आधार पर दिलाया जाय । मैं इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न की ओर आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री का ध्यान आकर्षित करते हुए उपरोक्त कार्यवाही करने की मांग करता हूं ।

रामनगर, वाराणसी, काशी विश्वविद्यालय गंगा नदी के घाटों पर स्टीमर बोट चलाने से मल्लाहों में भूखमरी की स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, इस अविलम्बनीय लोकमहत्व के प्रश्न को सदन एवं शासन के संज्ञान में लाना आवश्यक है । रामनगर वाराणसी काशी विश्वविद्यालय, गंगा नदी घाट पर दिसम्बर, 1970 के दो वर्ष के सत्याग्रह के बाद सन् 1972 में पथ कर माफ हो गया है । पी0 डब्ल्यू0 डी0 का जो पावर बोट सुबह 6 बजे से सायं 6 बजे तक चल रहा है । यह खेद की बात है कि भू0 पू0 काशी नरेश, डा0 विभूति नारायण सिंह, थानाध्यक्ष, रामनगर, वाराणसी श्री ओम प्रकाश साही एवं गोरखनाथ उपाध्याय जैसे ठेकेदार के षड़यन्त्र से उसी घाट पर स्टीमर बोट चला रहे हैं जिससे हजारों मल्लाहों के सामने नावों को चलाकर परम्परा से रोटी-रोजी कमाते थे, उनके सामने भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है ।

अतः शासन से अपेक्षा है कि उक्त घाट पर भू0 पू0 काशी नरेश के षड़यन्त्र को समाप्त किया जाय एवं नार्दन इंडिया गैंजेज फेरिज एक्ट के अनुसार भू0 पू0 काशी नरेश, थाना रामपुर, वाराणसी पर मुकदमा कायम किया जाय और मल्लाहों को पूर्ववत रोटी-रोजी कमाने दिया जाय ।

जनपद नैनीताल के कोषागार में व्याप्त भ्रष्टाचार व लाखों रुपये के गबन एवं घोटाले के सम्बन्ध में नियम 301 के अंतर्गत सूचना

*डा0 दिनेश जौहरी—

महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान एक अविलम्बनीय लोक-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

महत्व के प्रश्न की ओर दिलाना चाहता हूं । नैनीताल जनपद के कोषागार में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ग्रेच्युटी अवकाश प्राप्त लोगों के विभिन्न फन्ड्स, भविष्यनिधि आदि के भुगतान में लाखों रु0 का गबन और घोटाला हो रहा है । पिछले वर्ष इसी जनपद के हल्द्वानी उप-कोषागार में तीस हजार, काशीपुर में बीस हजार एवं नैनीताल के पच्चीस हजार रुपये के गबन का मामला प्रकाश में आया था । लेकिन अधिकारियों द्वारा जांच-पड़ताल में सावधानी नहीं बरती गई एवं उचित कार्यवाही के बजाय और अधिक ढील दे दी गई जिसके परिणाम स्वरूप इसमें लिप्त कर्मियों के हौसले और भी बढ़ गये, एक तो लाखों रु0 लेकर फरार हो गये ।

कोषागारों में व्याप्त भ्रष्टाचार को जिला प्रशासन रोकने में पूर्णतया असफल रहा है । जिससे लोगों को भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है । वे अपना धन असुरक्षित भी समझ रहे हैं ।

अतः आपसे अनुरोध है कि सरकार को इस घोटाले में व्याप्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही हेतु निर्देशित करें ।

विधायक आवासों की समुचित सुरक्षा एवं प्रबन्ध हेतु "आवास मंत्रणा एवं किचेन समिति" का गठन किये जाने की मांग के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 के अन्तर्गत 6 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली माननीय राजेन्द्र गुप्त जी की, दूसरी माननीय रेवती रमण सिंह जी और शतरुद्र प्रकाश जी की, तीसरी रघुबर दयाल वर्मा, चौथी गौरी शंकर भइया की, पांचवीं माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी और सरदार सिंह की, छठी सत्य पाल सिंह की, सातवीं जो कल परसों में नहीं लग सकी है किरन पाल सिंह आदि की ।

तो माननीय राजेन्द्र गुप्त जी पहले आप जो विधान सभा के सदस्यों के आवास के बारे में है, क्या कहना चाहते हैं ?

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं एक बहुत ही महत्व-पूर्ण विषय आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, मान्यवर हमारे नियमों में व्यवस्था है, आप देखें यह करण संख्या 143 है, जिसके अनुसार हम इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्य जहां आवास करते हैं, उसकी देखभाल, उसकी व्यवस्था आपके निर्देशन में की जायेगी, ऐसी व्यवस्था है । इस आधार पर आपके द्वारा जारी किया गया जो करण है, उसके करण 143 देखने की कृपा करें । यह जो मैंने बात बतायी कि जितने विधा-यक आवास हैं, उनकी व्यवस्था आप करें, आपका मतलब है कि आपके द्वारा नामित एक समिति करेगी और उस समिति का नाम होगा आवास मंत्रणा एवं किचेन समिति । इसमें है कि एक आवास मंत्रणा और किचेन समिति होगी जिसमें उपाध्यक्ष की, जो इसके सभा-पति होंगे, सम्मिलित करके सदस्यों की संख्या 15 से अधिक न होगी । इसके बाद इसके कार्यों पर करण संख्या 144 पर आ जाते हैं, विधान सभा के सदस्यों तथा कर्मचारियों के लिए आवास प्रबंध संबंधी सब विषयों पर कार्यवाही करना तथा विधायकों के निवास स्थानों पर अथवा अन्य स्थानों पर जहां समिति के उपवेशन किये जायें जो आवास सम्बन्धी तथा अन्य सुविधाएं सदस्यों को प्राप्त हों, उनकी देखभाल करना ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, सुविधा से तात्पर्य यह है कि उनको भोजन ठीक से मिलता है कि नहीं, उनके जानमाल की सुरक्षा ठीक से हो रही या नहीं । यह बात सही है कि पिछले कुछ वर्षों से विधायक आवास कुछ ऐसा बन गया है कि आपराधिक प्रवृत्तियों का अड्डा बन गया है, यह बात इस आदरणीय सदन में कई बार उठ चुकी है । एक आंकड़ा मैं दूंगा कि 83 से 15 जुलाई, 85 तक विधायक निवासों में हुए अपराध, जो थाने में अंकित है, 97 है । इनमें बलात्कार, छीनाछोरी, लूट वाहनचोरी, आदि की घटनाएं हुई है । वहां अय्याशी का अड्डा बन गया है, औरतों के लिए मंत्रियों तक में झगड़ा हुआ है, ऐसी बात होती है, यह बात सही है । जिसको सम्मान से देखना चाहिए वही दारूलसफा, विधायक निवास का नाम जब हम किसी के सामने लेते है तो एक अजीब सी शंका पैदा होती है उसके मन में ।

विधान सभा दारूलसफा एक आपराधिक केन्द्र बन गया है । आपको इसकी रोकथाम करने की जरूरत है, लेकिन हुआ यह है कि आपके बिना निर्देश के, आपके बिना पूंछे वहां एक चौकी को स्थापित कर दिया गया है, अब वहां पुलिस कर्मियों के माध्यम से हम लोगों की देखभाल की जायेगी । वहां पर एक सब इन्सपेक्टर, एक मुन्शी, एक हेड कान्सटेबिल और 6 सिपाही और एक पी0ए0सी0 की टुकड़ी को तैनात कर दिया गया है । मुझे इस बात पर आपत्ति है । अगर इस चीज की आवश्यकता थी, तो शासन को आपसे परामर्श करना चाहिए था और आपको व्यवस्था करना चाहिये था । मान्यवर, आवास मंत्रणा समिति ने कोई सिफारिश नहीं की है और जहां पर पुलिस का हस्तक्षेप चालू हो गया है, पुलिस कर्मचारी वहां पर घूमते है और पहरा देते है और अकारण ही हस्तक्षेप करते है । तो मैं औचित्य का प्रश्न उपस्थित करता हूं, आप का अधिकार है कि आप हमारे अधिकारों की रक्षा करें । शासन का हस्तक्षेप करना संसदीय शिष्टाचार के विरुद्ध है ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, इससे महत्वपूर्ण मसला और कोई नहीं हो सकता है । मा0 मुख्यमंत्री जी बैठे है, इस पर मैं बल देता हूं ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं एक शेर कहना चाहता हूं, रेल पर एक आदमी ने कमेन्ट किया था :

एक चौराहे पर, एक एम0एल0ए0 का कर दिया खून ।

और वहां लिखकर टांग दिया, यह मजमून ।

हम यह बरदास्त कर नहीं सकते ।
दो डकैत एक जगह रह नहीं सकते ।

श्री प्रमोद कुमार—

क्या यह कवि सम्मेलन हो रहा है ।

श्री राम सरन—

आप अपनी हैसियत पर आ गये ।

मुख्यमंत्री तथा विश्व बैंक के अध्यक्ष के मध्य वाराणसी में हुयी वार्ता की जानकारी के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, करीब 14 अगस्त, 1985 को प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री नारायण दत्त तिवारी जी वाराणसी विश्व बैंक के अध्यक्ष से मिलने गये थे और वहां पर उनकी उनसे वार्ता हुई है । मुझे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जानकारी मिली है कि श्री नारायन दत्त तिवारी, उनसे मिलने गये थे और विश्व बैंक के अध्यक्ष भी औपचारिक यात्रा के दौरान वाराणसी आये थे और कई गांवों में अपनी यात्रा की और कई ब्लाकों का भी निरीक्षण किया। मैं उनसे यह जानना चाहूंगा कि वह सदन के अन्दर इस बात की जानकारी दें और अपना वक्तव्य दें कि क्या उनकी विश्व बैंक के अध्यक्ष से क्या बात हुई है, क्या उन्होंने प्रदेश के विकास के सम्बन्ध में बातचीत की है, या वाराणसी की नगर महापालिका के बारे में बातचीत हुई है या वहां के विकास प्राधिकरण के बारे में बातचीत हुई है या मेरे मंत्रिमंडल की बात हुई है। माननीय मुख्य मंत्री जी मंत्री-परिषद् के सर्वोच्च हैं और उनकी जिम्मेदारी है कि वह इस सदन को बतायें कि उनकी क्या बात हुई है। हमारी आकांक्षा है और इच्छा है कि वह सदन को बतायें तो यह प्रदेश के बारे में और जनहित में अच्छा होगा।

मुख्यमंत्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, सम्मानित सदस्य वाराणसी कैंट ने एक प्रश्न उठाया है, तो श्रीमन् इस प्रदेश में भारत सरकार के निर्णय के अनुसार जो विश्व बैंक के सम्मानित अध्यक्ष का भ्रमण हुआ और इस सम्बन्ध में राज्य सरकार की ओर से जो मुझे प्रोटोकालानुसार उनका औपचारिक सत्कार करने का जो दायित्व था, उसके निर्वहन करने के बारे में जो उन्होंने कहा मैं उस सम्बन्ध में उनकी जिज्ञासा के अनुसार कुछ शब्द कहना अपना कर्तव्य समझता हूं। इसमें वक्तव्य देने की तो कोई आवश्यकता नहीं है, उनका निर्णय था, जो उनका यहां आगमन था वह केन्द्र सरकार और विश्व बैंक के अध्यक्ष की परामर्श के अनुसार हुआ है। वह उत्तर प्रदेश आये और उन्होंने सिंगरौली विद्युत ताप गृह को देखना चाहा, शायद जो उनका प्रथम मंतव्य था वह सिंगरौली को देखने का था जो सौभाग्य से हमारे प्रदेश में है। साथ ही साथ यहां आने पर उनके आने का लाभ उठाकर जो यहां पर ग्रामीण विकास परियोजनायें चल रही हैं उनका संक्षिप्त सिंहावलोकन करना भी उनका उद्देश्य रहा, इसलिये वे यहां दो-तीन गांवों में भी गये और फिर कानपुर गंगा प्राधिकरण जो हमारा है, उसने यह उचित समझा कि गंगा नदी जो हम सबके लिए पवित्र और मान्य है उसके प्रदूषण को रोकने के लिये क्या कार्य हो रहे हैं, क्या विचार हो रहा है। उन्हें विस्तार से जानने का यही अवसर मिला क्योंकि वे यहां दो दिन के लिये आये थे। वाराणसी में उन्हें यही बताया गया कि आद्योपांत गंगा का प्रदूषण रोकने के लिए उसके निवारण के लिये, उसके शुद्धीकरण के लिये क्या किया जा रहा है। मान्यवर, जब यहां सदन की सेवा से मैं आज्ञा लेकर सूचना देकर यहां से गया तो वहां पर हमारी ओर से शासकीय भोजन की व्यवस्था भी की गई थी। यह हमारा सौभाग्य था कि वे उत्तर प्रदेश में आये और यहां पर जो विश्व बैंक की परियोजनाएं चल रही हैं। उनकी प्रगति के बारे में हमारे अधिकारी लोग मुख्य सचिव वगैरह और उनके साथ डेविड हापेर और बोइड तथा दूसरे लोग आये थे वे यहां पर चल रही योजनाओं का सिंहावलोकन कर चुके थे। उसके बाद मेरी जो उनके साथ बातें हुईं वह मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार थी :

एक बात तो यह कही गई कि जो विश्व बैंक के ऊपर आधारित योजनायें हैं वह केन्द्रीय सरकार की ओर से स्वीकृत होती हैं। विश्व बैंक को समझाते हुये हर राज्य यह कोशिश करता है कि जो हमारी योजनायें चल रही हैं जो योजनायें पाइप लाइन में हैं, जो विचाराधीन हैं विश्व बैंक के, जैसे वनीकरण को

योजना है, तो ऐसी पाइप लाइन की योजनाओं के बारे में जिनकी संस्तुति भारत सरकार से हो चुकी है उन पर विचार करें । साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक की योजना गंगा नहर की परियोजना है यह एक हजार करोड़ की योजना है, ट्यूबवेल के प्रोजेक्ट्स हैं कानपुर में जो वर्ल्ड बैंक की योजनायें चल रही हैं । वह योजना वर्ल्ड बैंक में पहुंच गई है लेकिन अभी उनके चेयरमैन तक नहीं पहुंची है । तो यह कानपुर की जैसी योजना इस प्रदेश के 2 अन्य शहरों में भी चलाई जाय, यह हमारा प्रयास है । साथ ही साथ हमने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये कुछ नई योजनायें बनायी हैं जिसमें वाराणसी डिवीजन, गोरखपुर डिवीजन, फैजाबाद डिवीजन और लखनऊ डिवीजन के 21 जिले आते हैं । इसके अन्तर्गत हमारे ग्रामीण सड़कों को जिले की सड़कों को एक दूसरे से मिलाने वाली अन्तर्जिला सड़कों को आधुनिक तरह से बनाने के लिये 600 करोड़ की योजना विश्व बैंक को दी है । हमने मध्य उत्तर प्रदेश, गोरखपुर और फैजाबाद डिवीजन भी लिया ताकि खेती और उद्योग का विकास पूर्वी और मध्य उत्तर प्रदेश में हो सके । इसके लिये हमने विस्तृत योजना बनायी है 600 करोड़ की । इसकी हमने उनके साथ बैठकर चर्चा की और यह भी कहा कि विश्व बैंक जो योजनायें हमें देता है उसमें 50 प्रतिशत तक जो रुपये का खर्च होता है—रुपी कास्ट—वह हमें देना पड़ता है और 50 प्रतिशत विश्व बैंक देता है ।

आज की महंगाई को देखते हुए, विश्व की महंगाई को देखते हुए जबकि डालर के आधार पर कीमतें बढ़ गई हैं—50 प्रतिशत के स्थान पर विश्व बैंक की सहायता 75 प्रतिशत होनी चाहिए । इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार से भी उनकी बात हुई है और हमने भी इसकी पुष्टि की है । हमने भी अपनी योजनाओं के लिये उनसे 75 प्रतिशत सहायता के लिये कहा है । क्योंकि यह दीर्घकालीन ऋण होता है । प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से भी यह बात बात सबके सामने आ गई है । भोज के अवसर पर भी हमने उनसे यही बात कही, इन्हीं बातों का उल्लेख किया । सीधी सहायता मांगने का हमें अधिकार नहीं है । तो प्रत्येक सहायता अपनी परम्परा के अनुसार जो हमें कहना चाहिए था वह बात हमने कही, उसका हमने प्रयास किया । उन्होंने भारत के और उत्तर प्रदेश के ग्रामीण विकास और उनकी प्रगति को देखने की इच्छा की होगी । उन्हें न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि भारत की ग्रामीण समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने का अवसर मिला होगा और जो हमारी नीति है उसके आधार पर मुझे विश्वास है कि विश्व बैंक समुचित और संतुलित एक पारस्परिक विश्वास और दोनों की गरिमाओं के ऊपर आधारित जो सहायता मिलेगी उसके लिए हम उनके आभारी होंगे ।

एक बात अवश्य जो सम्मानित सदस्य वाराणसी कैंट ने मुझे कहने का मौका दिया मैं जरूर उनसे और आपके द्वारा सभी माननीय सदस्यों ने जिसके क्षेत्रों में विश्व बैंक की योजनाएं चल रही हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इन योजनाओं के कार्यान्वयन में हम सबको ऐसा वातावरण बनाना चाहिये जिससे हम उस सहायता का सदुपयोग कर सकें और उसके आधार पर हम फिर से यह देख सकें कि अगर कोई संतुलित अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिले तो उसमें हम न केवल अपने साधन जुटायें और उनका कार्यान्वयन करें बल्कि विश्व को दिखा सकें कि किस प्रकार व्यावहारिक रूप में कार्यान्वयन कर रहे हैं जिससे अपने देश और प्रदेश की आय वृद्धि हम कर रहे हैं ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष—

पहली सूचना जो माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने उठाई है उसमें 17-7-84 को तत्कालीन अध्यक्ष के चेयरमैनशिप में एक मीटिंग हुई थी जिसमें तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री श्रीपति मिश्र, संसदीय कार्य मंत्री डा0 अम्मार रिजवी, नेता विरोधी दल श्री राजेन्द्र सिंह, माननीय रियासत हुसैन, माननीय भीखालाल, माननीय मोहन सिंह वगैरह मौजूद थे । उस मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि विधायक निवास में पुलिस चौकी की व्यवस्था की जाय । इसलिये यह कोई औचित्य का मामला नहीं बनता है ।

जहां तक दूसरी सूचना का सवाल है इस सूचना के सिलसिले में मैं समझता हूं कि सभी माननीय सदस्य रुचि रखते थे मगर नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती है । इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी की सूचना जरूर महत्वपूर्ण है मगर वह नियम 300 में नहीं आती है ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपा करके बैठ जायें । यह सूचना उनकी है कि जापान की सहायता से लखनऊ में मेडिकल कालेज में फुल बाडी स्क्रेनर लगाने का मामला है । उसके लिए जमीन न मिलने की वजह से या किन्हीं और कारणों से वह लगा नहीं पा रहे हैं और यह दूसरे प्रान्त को चला जायेगा । चूंकि यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आती है इसलिए मैं इसे अस्वीकार करता हूं मगर माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी की जो सूचना है उस पर शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं ताकि यह जो सुविधा मिल रही है यह कहीं बाहर हमारे यहां से न जा सके ।

माननीय गौरीशंकर भइया जुडिशियल आफिसरों का मामला दिया । यह हाई कोर्ट से सम्बन्धित है ।

22 अगस्त, 1985 को न्यायपालिका के अधिकारियों द्वारा विधान भवन के समक्ष प्रदर्शन की, कार्यपालिका के अधिकारियों द्वारा अनुमति न दिये जाने पर औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास

श्री गौरी शंकर भइया—

आप एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष—

क्या सुन लूं ? यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आता है । (व्यवधान) जुडिशियल आफिसर्स का मामला हाईकोर्ट से संबंधित है । यहां पर लाना वाजिब नहीं है । इसको मैं अस्वीकार करता हूं ।

श्री गौरी शंकर भइया—

आप सुन तो लीजिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप बैठ जांय । (व्यवधान) यह नियम 300 के अंतर्गत आता ही नहीं है । जुडिशियल आफिसर्स का मामला हाईकोर्ट से ताल्लुक रखता है ।

श्री गौरीशंकर भइया—

हमारे साथ टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गयी है ।

श्री अध्यक्ष—

इसका औचित्य से संबंध नहीं है (व्यवधान) अगली सूचना श्री देवी प्रसाद वर्मा, श्री सरदार सिंह की है (व्यवधान) मैं निर्णय दे चुका हूं ।

श्री गौरीशंकर भइया—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

कोई चीज लिखी नहीं जायेगी ।

श्री गौरीशंकर भइया—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह मुनासिब नहीं है । हर मामले में औचित्य का प्रश्न उठाना शुरू कर दिया है ।

(व्यवधान)

नियम 300 के अन्तर्गत आपका मामला नहीं आता है ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, हमारी बात लिखी जाय या न लिखी जाये, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप औचित्य के मामले में चन्द लोगों को सुन लेते हैं हमको क्यों नहीं सुनते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

एक निर्णय होने के बाद फिर भी खड़े हैं तो इस तरह कैसे काम चलेगा, यह कोई तरीका नहीं है । आप बैठ जायं ।

18 अगस्त, 1985 को कृषि मंत्री द्वारा पत्रकार सम्मेलन में चार नीति सम्बन्धी घोषणाएं सत्र के दौरान किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, यह अच्छा नहीं लगता है कि रोज-रोज जो मंत्रि परिषद् के सदस्य हैं वह संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन करें और हमको संसदीय ज्ञान का पाठ पढ़ायें, यह शोभा नहीं देता है । मान्यवर, श्री नरेन्द्र सिंह, कृषि मंत्री ने कल अपने घर पर कानपुर में पत्रकार सम्मेलन में चार महत्वपूर्ण घोषणायें कीं नं0 1—आम विकास परिषद् का गठन किया जायेगा जिसमें किसानों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा, नं0 2—मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया जायेगा जिसमें कृषि के मामलों पर विचार किया जायेगा, 3—कृषि संबंधी कारपोरेशन्स में किसानों को प्रतिनिधित्व दिया जायेगा और चौथी घोषणा किया कि लखनऊ में विशाल किसान भवन बनाया जायेगा ।

मान्यवर, यह चारों घोषणायें नीति विषयक हैं, विधान सभा का सत्र चल रहा है, इसलिए यह संसदीय परम्पराओं और मान्यताओं के विपरीत है कि सदन के चलते कोई मंत्री अपने घर पर पत्रकार सम्मेलन में इस प्रकार की घोषणायें करे, इस पर आप व्यवस्था दें दें और मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी जो संसदीय ज्ञान के भंडार हैं, वह अपने मंत्रियों को क्लास लिया करें और जानकारी दें कि किस तरह संसदीय परम्पराओं का पालन किया जाता है, उनका मजाक न बनाया जाये ।

*कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)—

मान्यवर, माननीय सदस्य श्री बेनीप्रसाद वर्मा का है कि आम विकास बोर्ड के गठन के बारे में, दूसरा प्रश्न मंत्रिमण्डलीय उप समिति, कृषि के संबंध में, तीसरी बात किसानों के प्रतिनिधित्व के बारे में कारपोरेशन्स में और चौथी बात उन्होंने कही किसान भवन के बारे में । मान्यवर, मैं समझता हूं कि श्री वर्मा जी सदन में कम रहते हैं क्योंकि जहां तक आम विकास बोर्ड की बात है तो 2 अगस्त को जब यहां पर

नोट :—[× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उत्तर प्रदेश में फलदार वृक्षों का संवर्धन और संरक्षण विधेयक पारित हुआ तो उस समय इसकी घोषणा की गयी थी, जिससे सभी माननीय सदस्य अवगत हैं। दूसरे प्रश्न के सम्बन्ध में कि मंत्रि मण्डलीय उप समिति, कृषि के बारे में, तो यह भी फैसला जून का है और जून में ही समाचार-पत्रों के माध्यम से पूरी तरीके से अवगत करा दिया गया था। तीसरा, मान्यवर, किसानों के प्रतिनिधियों का सवाल है कारपोरेशनों में, इसके बारे में मैं निवेदन करूंगा कि इसी सदन में मैंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि किसानों का प्रतिनिधित्व उनमें होगा, तो वह कृपया कोई कार्यवाही पढ़ लिया करें। जो किसान भवन की बात है, अभी 16 अगस्त को इसी सदन में निवेदन किया था कि एक किसान भवन बनवाया जायगा तो मैं निवेदन करूंगा कि कुछ कहने के पहले पढ़ लिया करें और आप लोग भी इनको यही सलाह दें कि कुछ पढ़ने के बाद यह यहां पर कहा करें।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी के उत्तर के बाद कोई इसकी आवश्यकता नहीं रहती। फिर भी अगर नीति संबंधी कोई घोषणाएं हों और सत्र चल रहा हो तो मुनासिब यही होगा कि वह घोषणाएं सदन में ही की जायें।

[समय 1.20]

22 अगस्त 1985 को न्यायपालिका के अधिकारियों द्वारा विधान भवन समक्ष प्रदर्शन की, कार्यपालिका के अधिकारियों द्वारा अनुमति न दिये जाने पर औचित्य का प्रश्न उठाने का प्रयास (क्रमागत)

श्री गौरी शंकर भइया—

श्रीमन्, मैंने नियम 300 के अन्तर्गत एक औचित्य का सवाल आपको दिया है...

श्री अध्यक्ष—

मैंने उस सम्बन्ध में कह दिया है।

(व्यवधान)

*श्री गौरी शंकर भइया—

यह सारे के सारे आपकी पीठ से अस्वीकार हो जाते हैं, फिर भी आप कृपा पूर्वक उनको सुनने का कार्य करते हैं, लेकिन मैंने कौन सा गुनाह किया है कि आप हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं हाईकोर्ट के बारे में जाना नहीं चाहता हूं, लेकिन वह जो प्रदर्शन करना चाहते हैं विधान सभा के सामने और उसके विरुद्ध कार्य-पालिका उनको दफा 144 लगाकर रोकने की कोशिश कर रही है, तो मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं कि ....

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी—

यह आप इनको किस नियम में आप बोलने दे रहे हैं? यह तो हो चुका है।

श्री अध्यक्ष—

इन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

किन्तु व्यवस्था का सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि इस पर अभी, आप एक बार अपनी व्यवस्था दे चुके हैं। या तो आप अपना निर्णय बदल दें या इनको बोलने से रोकिये, आपका एक ही निर्णय यहां चलेगा।

श्री गौरी शंकर भइया—

[XXX]

नोट :—[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष केआदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष—

यह उचित नहीं है । यह लिखा नहीं जायगा । यह आपने जो छीटा-कशी की है वह नहीं लिखी जायेगी।

श्री गौरी शंकर भइया—

मैं नियम 300 में यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जब एसोसियेशन के जो सदस्य हैं, उन्होंने विधान सभा के सामने अपनी कतिपय मांगों के संबंध में मूक प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है । हमारे संविधान निर्माताओं ने कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग-अलग किया है और उसके आधार पर उत्तर प्रदेश सरकार ने अलग करने का नियम बनाया है । यह संविधान बनाने वालों की मंशा थी । जिससे न्याय-पालिका और कार्यपालिका में परस्पर विवाद की स्थिति में कोई वैधानिक स्थिति न पैदा होने पाये । लेकिन जब न्यायपालिका के अधिकारी विधायिका के समक्ष प्रदर्शन करना चाहते हैं और कार्य-पालिका के लोग धारा 144 लगाकर उनको विधान सभा के सामने प्रदर्शन नहीं करने देना चाहते हैं, उनको प्रदर्शन करने से रोकना चाहते हैं ।

मैं उनकी मांगों के बारे में नहीं जाना चाहता हूं, किन्तु अगर यह उनको प्रदर्शन नहीं करने देना चाहते हैं तो गवर्नर साहब का इस सम्बन्ध में एक अध्यादेश लागू हो जाना चाहिए कि वह प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं, हड़ताल नहीं कर सकते हैं । विधान सभा के सामने आने पर एक कानून और व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी । आप उनको कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब होने के नाम पर प्रदर्शन करने से रोकना चाहते हैं, इसलिए इजाजत नहीं देना चाहते हैं । किन्तु यह किसी का मूल अधिकार है कि वह विधान सभा के सामने या कहीं भी शांतिपूर्वक इकट्ठा हो सके और वह अड़े हुए हैं कि हम प्रदर्शन करेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप अपनी बात समाप्त करें । यह उचित नहीं है । माननीय नेता, जनता पार्टी से मैं अनुरोध करूंगा कि उन पर कुछ अंकुश रखें, यह कोई तरीका नहीं है ।

श्री गौरी शंकर भइया—

मान्यवर, यह लोग धारा 144 का उल्लंघन करेंगे तो 188 के अन्दर इनको गिरफ्तार किया जायगा और उसके बाद वह किसी जुडीशियल मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किये जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी—

मान्यवर, ऐसे हमें भी सुन लिया करें ।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाओं पर श्री अध्यक्ष का निर्णय (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—

माननीय सत्यपाल सिंह जी के प्रश्न के मामले में, अध्यक्ष को अपने विवेक के अनुसार काम करना पड़ता है और उनके फैसले को सदन में चुनौती नहीं दी जा सकती । यदि माननीय सदस्य को किसी विशेष मामले में कठिनाई हो तो मुझसे मिल सकते हैं । मिल कर अपनी बात बतायें और उस पर मुनासिब कार्य-वाही की जायेगी ।

श्री सत्यपाल सिंह—

[X X X]

नोट—[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

किरनपाल जी विस्तार से बतायेंगे क्योंकि यह उनके जिले का मामला है । मैं

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठ जायं । निर्णय हो गया । आप मेरे निर्णय के बाद भी बोलना चाहते हैं तो कुछ नहीं लिखा जायगा ।

श्री सत्यपाल सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री सत्यपाल सिंह—

[× × ×]

16 अगस्त, 1985 के अतारांकित प्रश्न संख्या 41 के राजस्व मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष—

सूचना नं0-7, यह औचित्य का प्रश्न माननीय श्री किरनपाल सिंह, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री त्रिलोक चन्द, श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री राम सरन, माननीय शतरुद्र प्रकाश ने उठाया है । चूंकि यह मामला न्यायालय में है . . . .

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, एक मिनट सुन लें । न्यायालय की बात नहीं कही जायेगी । आप नियम 59 को देखें ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं नियम 59 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें आदि के विचाराधीन विषयों पर चर्चा के साफ लिखा है "न्यायाधिकरण, आयोग लिये प्रस्ताव" ऐसे प्रस्तावों को प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दी जायगी जो किसी ऐसे विषय पर चर्चा उठाने के लिए हों जो किसी न्यायिक या अर्द्धन्यायिक कृत्य करने वाले किसी संविहित न्यायाधिकरण या संविहित प्राधिकारी के या किसी विषय की जांच या अनुसंधान करने के लिए नियुक्त किसी आयोग या जांच न्यायालय के सामने लम्बित हों ।

परन्तु यदि अध्यक्ष का समाधान हो जाय कि इससे न्यायाधिकार संविहित प्राधिकारी आयोग या जांच न्यायालय द्वारा उस विषय के विचार किया जाने पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है, तो अध्यक्ष स्वविवेक से ऐसे विषय को सदन में उठाने की अनुमति दे सकेंगे जो जांच की प्रक्रिया या व्याप्ति या प्रक्रम से संबंधित हो । मेरा निवेदन है कि यह नियम में साफ लिखा है कि न्यायाधिकरण जांच आयोग या जांच जो भी हो रही है उसके सम्बन्ध में किसी प्रकार की चर्चा नहीं हो सकती । उसके बारे में आप इजाजत नहीं देंगे । लेकिन यदि आपको यह समाधान हो जाय यह सारी बात हम उस प्रक्रिया या जांच आयोग पर प्रभाव डालने के लिए नहीं कर रहे हैं, तो आप सुन सकते हैं ।

तो यह जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे जो जवाब सरकार की तरफ से आया है, माननीय बल्देव सिंह आर्य, राजस्व मंत्री जी ने जवाब दिया है, जो बातें उसमें लिखी है उन्हीं के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जवाब में जो साफ तौर पर लिखा है उसके बारे में

नोट—[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सिर्फ दो-तीन बातों के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं । बहुत सूक्ष्म में, बिल्कुल संक्षेप में मैं कहना चाहता हूं । यह खेत नम्बर 516 है, जिसका रक्बा 3 बीघा है ।

श्री अध्यक्ष—

यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

न्यायालय में जो विचाराधीन बिन्दु है, उस पर प्रतिकूल प्रभाव न डाला जाय, उसको मद्देनजर रखकर मैं कह रहा हूं । यह जो जवाब आया 1984 में मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं । यह मामला न्यायालय को सौंपा गया 1985 में । जो सरकार ने 1984 में विधान सभा के तृतीय सत्र में जवाब दिया है, वह सब-जुडिस नहीं है । जो सरकार ने जवाब दिया है, उसी के बारे में मैं निवेदन करूंगा । अगर सरकार ने जवाब दे दिया और वह सदन के पटल पर आ गया, तो उसके बारे में हम अपनी बात रख सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह कहां नियम 300 के अन्तर्गत आता है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आपने मान्यवर, निर्णय देने से पहले यह कहा कि यह न्यायालय में है । आपने अभी निर्णय नहीं दिया । अगर आप निर्णय ही दे देंगे, तब तो हम बोल ही नहीं पायेंगे । आपने एक प्रश्न उपस्थित किया कि यह तो न्यायालय में विचाराधीन है, उसके तुरन्त बाद मैंने नियम 59 आपके समक्ष पढ़ दिया । मान्यवर, अगर आपका समाधान हो जाय, तो आप अपने स्वविवेक से इजाजत दे सकते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

यह नियम 300 के अन्तर्गत कहां आता है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं न्यायालय के बारे में या जो न्यायालय में मामला है, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहूंगा, केवल तथ्यों के बारे में, जो माननीय मंत्री ने विधान सभा में जवाब दिया, उसके बारे में मैं कहूंगा । 1360 फसली में रामजी लाल और रामजी लाल के पहले बाबू लाल, 1372 में दामोदर, नन्द किशोर, श्रीमती पुनियां, 1974 में रामजी लाल के नाम के बदले प्रवीण कुमार पुत्र मंगल सिंह हो गया । श्रीमती पुनियां, जिसके 3 साल का बच्चा था, वह उसकी संरक्षक बनायी गयीं । जो माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया है, मैं उसी के बारे में कहना चाहता हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं । सरकार की तरफ से जो जवाब दिया गया है, वह मैं कह रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय शतरुद्र प्रकाश जी, आपने यह उठाया कि नियम 59 के अन्तर्गत आप इस पर बोल सकते हैं, तो यह नियम 59 के अन्तर्गत कहां आता है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश—

नहीं, आपके स्वविवेक का समाधान हो जायगा, तब बोल सकता हूं । अभी तो मैं आपके स्वविवेक का समाधान करा रहा हूं, मान्यवर ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 59 तो नियम 56 में लागू हो सकता है । नियम 56 में जब हो, तब आप उठा सकते हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश —

मान्यवर, नियम 59 के अन्तर्गत जब आपके स्वविवेक का समाधान हो जाय, तब मैं बोल सकता हूं ।

श्री अध्यक्ष—

यह एक तो न्यायालय के विचाराधीन है, दूसरे यह नियम 300 के अन्तर्गत भी नहीं है । इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश —

मान्यवर, दो प्रश्न हैं, एक न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण उठा नहीं सकते, दूसरा यह है कि यह नियम 300 के अन्तर्गत आता है कि नहीं । मान्यवर, और भी माननीय सदस्य हैं, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी हैं, माननीय किरनपाल सिंह जी हैं, उनसे भी पूंछ लिया जाय । जो माननीय राजस्व मंत्री जी ने जवाब दिया है, जो फर्जी प्रविष्टि है, जिसमें श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री मंगल सिंह का नाम दर्ज हो गया है, जो भूमि सुधार अधिनियम की धारा 202 के अन्तर्गत दर्ज करा दिया गया है, उस पर अभी कार्यवाही चलेगी । मान्यवर, मेरा कहना यह है कि 1984 में मुकदमा न्यायालय में गया और प्रवीण कुमार मंत्रि-परिषद् के सदस्य 1985 में बनाये गये । मुकदमा परगनाधिकारी के न्यायालय में चल रहा है । एक मंत्रि-परिषद् के सदस्य ने जवाब में कहा कि प्रवीण कुमार ने फर्जी तरीके से नाम चढ़वा दिया है ।

मान्यवर, जवाब में लिखा है 516 नम्बर के रकबे पर किसके दस्तखत से नाम चढ़ा यह साफ नहीं है । मेरा निवेदन है कि एक मंत्रि-परिषद् का सदस्य दूसरे मंत्रि-परिषद् के सदस्य के बारे में कहे कि प्रविष्टि फर्जी करायी गयी । यह मामला साफ-साफ भ्रष्टाचार का है, कदाचार का है, शिष्टाचार का नहीं है । मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य ने लिखित जवाब दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

गुप्ता जी, व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, आपने शंका व्यक्त किया कि यह मामला न्यायालय से सम्बन्धित है । जो बिन्दु हमने लिखकर दिया है, उसका मुकदमें से सम्बन्ध नहीं है । हम इस बिन्दु को उजागर करना चाहते हैं कि एक मंत्रि-परिषद् के सदस्य, जब वह एम0 एल0 ए0 थे, अपने पद का दुरुपयोग करके, शासन पर दबाव डालकर ऐसा काम किया है जिससे वित्तीय लाभ पहुंचता है ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 के अन्दर आता है ?

श्री राजेन्द्र गुप्त—

आप कौल शकधर को देख लें । चैप्टर 11 में और जो हस्तपुस्तिका विधान सभा से हम लोगों को मिली है उसके पृष्ठ 38 पर लिखा है । संसदीय शिष्टाचार, प्रथाएं तथा अभिसमय । इसमें एक में लिखा है सदन के बाहर उच्च स्तर का व्यवहार बनाये रखेंगे जिससे कि सदन की प्रतिष्ठा, गौरव व मर्यादा को किसी प्रकार की ठेस या आघात न पहुंचे । इसके 6 में लिखा है—किसी सदस्य को सरकारी अधिकारियों अथवा मंत्रियों को ऐसे मामले में जिनमें कि वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वित्तीय दृष्टि से संबंधित हो, अनुचित दबाव नहीं डालना चाहिए । मेरा आरोप है कि पी0 के0 शर्मा ने अपने दबाव से प्रविष्ट करा ली ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

नियम 300 में आता है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

इसी पर आ रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष—

मंत्री के दबाव की या जो कुछ बात है, वह नियम 300 का बनता है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, इसी तरह का एक मामला लोक सभा में उठा था जब मावलंकर साहब लोक सभा अध्यक्ष थे । बम्बई की एक फर्म ने यह तथ्य उजागर किया था कि मुदगल साहब ने आर्थिक इन्टरेस्ट को प्रोपोगेट करने के लिए रुपया ले लिया । इस पर सदन की एक कमेटी बनायी गई, उनके आचरण की जांच करने की । शर्मा जी का और मुदगल साहब का मामला एक प्रकार का है । मुदगल साहब ने वित्तीय हित में प्रचार का काम किया था, शर्मा जी ने अपने वित्तीय हित में ऐसा काम किया है । मान्यवर, बुलन्दशहर के किनारे की बहुत कीमती जमीन है ।

मान्यवर, शासन ने 202 के तहत मुकदमा दायर कराया । 202 में वह होता है, जो पट्टे मिलते हैं । यह मामला ट्रेसपासर का है । यह 202 में नहीं आता है । यह 209 में आता है । और मान्यवर, जानबूझकर यह मुकदमा नगरपालिका अनूप शहर के द्वारा दायर कराया गया, जबकि गांव सभा को दायर करना चाहिए था । जब कोर्ट में इश्यूज बनेगा, तो यह अपने आप खारिज हो जायेगा । मान्यवर, आप सदन की एक कमेटी बनावें, जो इस मामले की जांच करें । मेरा साफ आरोप है कि एक मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करके, अपने को वित्तीय लाभ पहुंचाने के लिए, शासन पर दबाव डाल कर फर्जी इन्दराज कराया है । मैंने यह प्रश्न नियम 300 के तहत उठाया है ।

मान्यवर, आप सदन की एक कमेटी बनावें, जो इस मामले की, मंत्री जी के भ्रष्ट आचरण की जांच करें । मंत्री जी के भ्रष्ट आचरण ने हम सबको कलंकित कर दिया है । इस आचरण के द्वारा एक धब्बा लगा दिया है, इसी का परिणाम है कि एक समय था जब जन-प्रतिनिधि सम्मानित होते थे, नेता शब्द सम्मान के साथ पूजा जाता था, लेकिन अब नेता शब्द गाली हो गयी है ।

इसलिए हो गयी है कि ऐसे काले आचरण वाले मंत्री हैं, जिन्होंने अपने आचरण के द्वारा नेता शब्द और विधायक शब्द को कलंकित किया है । इस कलंक को धोने के लिए आवश्यक है कि नीर-क्षीर-विवेक हो जाय, इसके लिये आवश्यक है कि इस सदन की एक कमेटी बना दी जाय, उससे जांच कराई जाय और दोषी को दण्डित किया जाय। एक दण्डित हो जायगा तो पूरे सदन का रूप उज्जवल हो जायगा कि सारे विधायक दोषी नहीं हैं । श्री प्रवीण कुमार शर्मा, मंत्रि-मण्डल के सदस्य हैं, पहले भी थे । अतः यह औचित्य का प्रश्न बनता है । समय कम है, अन्यथा मैं पूरे मुदगल केस की प्रोसीडिंग आपके सामने रखता । अतः श्री प्रवीण कुमार शर्मा के मामले में भी मुदगल के मामले के समान ही एक कमेटी बनाने का कष्ट करें ।

*श्री किरन पाल सिंह—

मान्यवर, मेरा प्रश्न था । कोई भी विधान सभा का कानून किसी को दोषी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

या दुराचारी नहीं कह सकता, यह सही है । मान्यवर, आप कहते हैं कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता । मान्यवर, 15 लाख रुपये की जमीन हजम कर ली और गरीबों का नाम कटवाकर उन्हें भूमिहीन बना दिया और आप जमींदार बन गये । एस0 डी0 एम0 के यहां मामला है और कह दिया कि न्यायालय में मुकदमा चल रहा है । मान्यवर, मैं इसमें दूसरी बात कहना चाहता हूं । यह मेरे पास उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष पद से दिये गये महत्वपूर्ण निर्णयों का संहत संकलन है । इसका पृष्ठ 27 देखें ।

मान्यवर, इसमें लिखा है कि मंत्रियों द्वारा किये गये कार्य पर तो टीका की जा सकती है, किन्तु नियत पर नहीं की जा सकती । मान्यवर, राजस्व मंत्री ने श्री प्रवीण कुमार शर्मा की नीयत पर टीका की । फिर आगे है कि किसी की टीका टिप्पणी पद नाम से तो की जा सकती है किन्तु व्यक्तिगत रूप से नहीं की जा सकती । तो इसमें श्री प्रवीण कुमार शर्मा का नाम भी आया । फिर है कि व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किया जा सकता, तो राजस्व मंत्री ने श्री प्रवीण कुमार शर्मा पर व्यक्तिगत आक्षेप किया । अध्यक्ष पीठ से निर्णय है कि सदस्य की हैसियत से किये गये बदनाम करना विशेषाधिकार की अवहेलना हो सकती है । तो क्या राजस्व मंत्री के खिलाफ श्री प्रवीण कुमार शर्मा विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना देने जा रहे हैं । यह संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन हुआ है ।

सदन के अन्दर एक मंत्री दूसरे मंत्री का भ्रष्टाचार उजागर करके उसके नीयत के बारे में व्यक्तिगत तौर से उनके खिलाफ कहता है कि फर्जी प्रविष्टि करवाकर और उससे लाभान्वित होने वाले व्यक्ति का नाम प्रवीण कुमार शर्मा पुत्र मंगल सेन, कहा है । आप इन तमाम चीजों को देखते हुए, यह सत्य है कि अपने पद का दुरुपयोग करते हुए श्री प्रवीण कुमार शर्मा ने तमाम गरीबों को भूमिहीन कर दिया । अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जबर्दस्ती उनको बेदखल कर दिया । राजस्व मंत्री ने यही जवाब दिया कि जाली इंट्री करके श्री प्रवीण कुमार शर्मा लाभान्वित हुए हैं। अतः यह स्पष्ट रूप से औचित्य का प्रश्न बनता है । इस प्रश्न को औचित्य के प्रश्न के रूप में स्वीकार करें । इसमें तमाम संसदीय परम्पराओं की अवहेलना हुई है और सदन को बदनाम किया है । एक मंत्री दूसरे मंत्री पर आरोप लगा रहा है । फिर एस0 डी0 एम0 के यहां मुकदमा है और कहते हैं कि न्यायालय में चल रहा है । श्री प्रवीण कुमार शर्मा के मंत्री पद पर रहते हुए एस0 डी0 एम0 की हैसियत क्या है कि इसको तय करें । इस मामले पर सदन में ही कोई न कोई कार्यवाही करायें, संसदीय समिति बनायें या और कोई कदम उठायें । अन्त में निवेदन करता हूं कि औचित्य के प्रश्न के रूप में अवश्य स्वीकार कर लें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, जहां तक नियमों का सवाल है, यह ऐसा गम्भीर मामला है जिसमें मेरी आपसे प्रार्थना है कि नियमों के जाल में न फंसिये । एक महत्वपूर्ण पद पर एक मंत्री हैं, उससे संबंधित भ्रष्टाचार का सवाल है और एक मंत्री ने स्वीकार कर लिया है कि एक मंत्री ने गलत तरीके से अपने नाम जमीन कर ली है और उसकी कीमत भी, कितनी भी हो, 12, 15 लाख हो चाहे एक लाख, मंत्री पद पर बैठे हुए भ्रष्टाचार किया है इसलिए मेरी प्रार्थना है कि नियमों से अलग हट करके इस सवाल को स्वीकार करना चाहिए और दूसरी बात मुख्य मंत्री से मेरी प्रार्थना

है कि अपनी छवि उज्जवल करने के लिए, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, और जो इनके नेता राजीव गांधी ने कहा, जो भ्रष्टाचार मिटाने का एलान कर रहे हैं, प्रवीन कुमार शर्मा को बरखास्त करके, एलान करिये । इसलिए यह नियमों का प्रश्न नहीं है, एक मंत्री के आचरण का, अपने पद पर रहकर इस तरह से जाल बट्टे का काम करेगा, तो समाज में हम सबका क्या सम्मान होगा। औचित्य का सवाल भी बनता है और भ्रष्टाचार का भी । न्यायालय की बात मान लें, तो क्या एस0 डी0 एम की हिम्मत है कि वह मंत्री के खिलाफ निर्णय कर सकेगा । इसलिए भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आज ही सदन में उन्हें बरखास्त करना चाहिए, मेरी मांग है ।

*श्री त्रिलोक चन्द—

अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी माननीय सदस्यों ने और नेता विरोधी दल ने कहा कि औचित्य का प्रश्न बनता है और नेता विरोधी दल ने यहां तक कह दिया कि औचित्य का प्रश्न नहीं भी बनता हो तो भी मर्यादा का प्रश्न है । मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि यह औचित्य का तो प्रश्न है ही, इसमें दो राय नहीं है । इसके साथ-साथ एक समस्या और पैदा हो गई कि मंत्रि मण्डल की सामूहिक जिम्मेदारी होती है और मंत्री के ऊपर दूसरा मंत्री उत्तरदायी होता है । अभी एक मंत्री ने जवाब दे दिया कि दूसरे मंत्री ने फर्जी पट्टा करा लिया । तो औचित्य का तो सवाल है ही यहां एक सवाल यह भी पैदा हो गया कि एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ जवाब दे रहे हैं, इसमें क्या मंत्रि-मण्डल भी है या नहीं, सरकार है भी या नहीं, संयुक्त जिम्मेदारी निभाने का फर्ज था, वह भी समाप्त हो गया । इस तरह से कोई सरकार चल सकती है ? गुप्ता जी ने दूसरे सदस्यों ने कहा और मंत्री जी ने मान भी लिया कि अपने लाभ के लिए यह किया । तो मैं व्यवस्था चाहता हूं कि मंत्रि मण्डल है या नहीं ?

यह भी आप व्यवस्था दे दें । यह मंत्रि-मण्डल सामूहिक जिम्मेदारी से काम कर रहा है कि या फिर अपने-अपने अलग-अलग विभाग के नाते मंत्री लोग काम कर रहे हैं, इस पर भी आप व्यवस्था दे दें । नियम 300 के अन्तर्गत उठाने के औचित्य और अनौचित्य का प्रश्न महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु यह देश, प्रदेश और इस मंत्रि-मण्डल का प्रश्न है । आज यहां पर ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं कि यदि आज इस मामले पर अगर जांच हो जाये, तो मैं आपको यकीन दिलवाता हूं कि तमाम चीजें प्रकाश में आ जायेंगी । आप इस सदन की एक कमेटी बना दें । पार्लियामेन्ट में भी ऐसे मामलों पर सदन की कमेटी बनाई गई है । जब तक आप इस पर जांच नहीं करवायेंगे तब तक भ्रष्टाचार कम होने वाले नहीं है । आप इस पर भी व्यवस्था दें कि कहीं इस मंत्रि-मण्डल की ज्वाइन्ट-रिसपान्सेबिलिटी खत्म तो नहीं हो गयी है ? नियम 300 में आता है या नहीं आता है, इससे काम चलने वाला नहीं है ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा एक निवेदन सुन लें । मेरा दूसरा प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आपके हस्ताक्षर इस पर नहीं हैं, इसलिए आप बैठ जायें ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप व्यवस्था की आड़ में इस सिलसिले में कुछ कहना चाहेंगे तो वह नहीं लिखा जायेगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मेरा भी एक प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

आप लोग सदन की कार्यवाही नियमों के अन्दर चलने देंगे या नहीं ?

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं नियमों के अन्दर ही बोलूंगा । यदि मैं कोई इरेलीवेन्ट बात कहूंगा तो आप मुझे रोक देना । (कई माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

कई माननीय सदस्य खड़े हुए हैं, इसलिए कोई बात नहीं लिखी जायेगी ।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि आप भी नियमों से बंधे हैं । आप भी कोई नियमों से ऊपर नहीं हैं । आपने साफ कह दिया कि यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है । जितने भी आरग्यूमेन्ट्स दिये गये हैं, उनके हिसाब से यह क्लियर-कट भ्रष्टाचार और कन्टेम्प्ट का मामला है । इसके बावजूद भी आप सुनना नहीं चाहते हैं । इसका एक ही मतलब है कि आप भी सत्तादल को संरक्षण देकर उनके भ्रष्टाचार के कारनामों पर परदा डालना चाहते हैं ।

मान्यवर, जिस दिन आप इस पीठ पर आसीन हुए थे, उस दिन आपने कहा था कि यदि कोई भी व्यक्ति मेरे आचरण पर सन्देह या शंका करेगा तो मैं अपना इस्तीफा दे दूंगा । मैं आपकी सज्जनता पर, आचरण पर और ईमानदारी पर अंगुली नहीं उठाता हूं लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि हम जैसे व्यक्तियों को जब इस तरह के भ्रष्टाचार के मामालों पर नियमों की आड़ लेकर सत्तादल नहीं बोलने देगा और आप उन्हें संरक्षण देंगे, तो हम किसके सहारे सदन में अपनी बात कहेंगे ।

मान्यवर, माननीय श्री राजेन्द्र गुप्त जी ने मुदगल के केस का हवाला देते हुए अपने आरग्यूमेन्ट को एडवांस किया था और माननीय नेता विरोधी दल ने भी आपसे निवेदन किया था कि यह भ्रष्टाचार का प्रकरण है । माननीय मंत्री जी का जवाब सदन के फ्लोर पर आ गया है, उसमें स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि मंत्रि-मण्डल के एक सदस्य ने अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके फर्जी इन्ट्री कराई है अभिलेखों के अन्दर । औचित्य का प्रश्न बने या न बने, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं अगर आपके संज्ञान में एक भ्रष्टाचार का मामला आया है और एक सदस्य का ऐसा आचरण आपके समक्ष आया है, जिससे सदन की गरिमा को आघात लगा है तो यह निश्चित रूप से सदन की अवमानना का प्रश्न है । आप इस पर जांच करें या न करें, ट्रेजरी बेंच का मामला भी नहीं है, एक माननीय सदस्य जो मंत्रि-मण्डल का भी सदस्य है, के बारे में जवाब सदन में आ चुका है और वह सदस्य है प्रवीण कुमार शर्मा । प्रवीण कुमार शर्मा ने अपने पद का दुरुपयोग करके अभिलेखों में फर्जी इन्ट्री कराई। इसीलिए इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द करें या नेता सदन आज यहां कम से कम घोषणा करें कि वह माननीय मंत्री जी को बर्खास्त करने के लिए राज्यपाल को लिखने जा रहे हैं, इसके बीच में भ्रष्टाचार का कोई समझौता नहीं होना चाहिए, यही हमारा आपसे निवेदन है ।

(संसदीय कार्य मंत्री को पुकारे जाने पर श्री हुकम सिंह खड़े हुए इसके विरोध में विरोध पक्ष के सदस्य खड़े होकर शोर करने लगे तथा कहने लगे

कि "नेता सदन जवाब दें", और यह कहते हुए विरोध पक्ष के कई सदस्यों सहित श्री गया प्रसाद वर्मा एवं श्री यदुनाथ सिंह सदन के फ्लोर पर आ गये। इसके बाद सत्ता पक्ष के भी कई सदस्य अपने स्थान पर खड़े हो गये। सदन के फ्लोर पर सदस्यों के द्वारा "भ्रष्ट मंत्री को बर्खास्त करो", "भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा" के नारे लगाने पर)

श्री अध्यक्ष—

मैं सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(इस समय श्री अध्यक्ष ने 1 बजकर 52 मिनट पर सदन को 20 मिनट के लिए स्थगित किया। डिप्टी मार्शल ने 2 बजकर 12 मिनट पर सदन को 2 बजकर 45 मिनट तक के लिए और स्थगित किये जाने की सूचना दी। 2 बजकर 45 मिनट पर पुनः डिप्टी मार्शल ने 3 बजे तक सदन की कार्यवाही स्थगित किये जाने की सूचना सदन को दी। तदुपरान्त 3 बजे श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः प्रारम्भ हुई।)

[समय 3.00]

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

माननीय अध्यक्ष जी, एक अतारांकित प्रश्न संख्या 41 को लेकर उसका उत्तर दिया गया, कुछ औचित्य के प्रश्न के रूप में आज एक मामला उठाया गया। मान्यवर, जिस प्रकार से उत्तर को देखते हुए, जो उत्तर आया और जितनी गहराई से विशेष तौर से उनको किरनपाल सिंह जी ने लिया उसकी ओर मैं विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि इस बात के लिए कि कम से कम एक सदस्य में कमी निकालने की जिज्ञासा थी और जिज्ञासा के फलस्वरूप एक-एक शब्द का विश्लेषण उन्होंने किया और इसी कारण से कुछ कमियां उन्होंने उत्तर में पाईं, उन कमियों को दर्शाते हुए सारे तथ्य का जिक्र करना चाहिए।

मान्यवर, उत्तर भी आपके समक्ष है और प्रश्न भी है, इसके आगे मैं कुछ बात कहूं, आप स्वयं देखें कि प्रश्न में एक शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि एक फर्जी एन्ट्री के आधार पर अवैधानिक रूप से काट दिया गया था।" कुछ लोगों का नाम 1360 फसली से पूर्व से कुछ व्यक्तियों का नाम जमीन के ऊपर चला आ रहा था बतौर आसामी के। फिर 1372 फ0 में अन्य व्यक्ति के नाम हुआ और 1374 फसली में वह एक व्यक्ति जिसका नाम प्रवीण कुमार पुत्र मंगलसेन है, दर्ज कर दिया गया। दर्ज करने वाले इन्द्राज पर किसी अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं है। उस फर्जी प्रविष्टि पर अनूपशहर नगरपालिका ने सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया। फर्जी शब्द को लेकर इसका अर्थ यह निकलता है कि इन्द्राज फर्जी था। इस कारण से किसी के प्रभाव में आकर यह इन्द्राज किया गया जिसका इसमें लाभ हुआ है उस हिसाब से कहने का तात्पर्य है कि लाभ लेने वाले व्यक्ति का नाम है प्रवीण कुमार पुत्र मंगलसेन।

इसमें यह दिखाया गया कि चूंकि प्रवीण कुमार शर्मा राज्य मंत्री हैं उनसे संबंधित है। इसलिए प्रभाव डालकर उन्होंने इन्द्राज कराया है। वह बात अलग है, इस प्रश्न के सम्बन्ध में अब तक जो मान्यता रही है, मापदण्ड रहे हैं, औचित्य का प्रश्न बनता है या नहीं बनता है क्योंकि जितनी रूलिंग आई है चाहे पार्लियामेन्ट्री प्रैक्टिस का हो चाहे कौल शकधर हो, चाहे आपका पूर्वाधिकार में दिया गया निर्णय हो कोई एक निर्णय ही नहीं है, औचित्य के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्रश्न के रूप में यह मामला नहीं उठाया जा सकता है। लेकिन इस बात को देखते हुए इस मामले में एक सम्मानित सदस्य को जोड़े जाने का प्रयास किया गया है। मैं अपना कर्तव्य समझता हूं कि वह तथ्य आपके सामने रखूं।

मान्यवर, अगर यह फर्जी न रहा होता तो यह शब्द इसमें "फर्जी प्रविष्टि से लाभान्वित होने वाले व्यक्ति का नाम प्रवीण कुमार पुत्र मंगलसेन है", तो शायद यह बात न आयी होती। क्योंकि शासन ने इस इन्ट्री को फर्जी मान लिया है, एक मंत्रि-मण्डल के सदस्य हैं इसलिए इन्होंने अनुचित फायदा उठाया।

आप मान्यवर, देखें, कब का इन्द्राज है, 1374 फ0 का है। 1374 फ0 का तात्पर्य है 1965। तो मान्यवर, जब 1374 फ0 में इन्द्राज किया गया उस समय वह अपने पद का दुरुपयोग करने की स्थिति में थे या नहीं।

1374 फ0 लिखा हुआ है.....

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, एक स्पष्टकिरण चाहता हूं।

श्री किरनपाल सिंह—

मान्यवर, तथ्यों को छिपाया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

आप सुन लीजिये।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, जब तक मंत्री का भाषण पूर्ण न हो जाये, तब तक स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता है या जब तक माननीय मंत्री जी बैठ न जायें, स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी को बोल लेने दें।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, यह आपकी व्यवस्था है अथवा खान गुफरान जाहिदी की व्यवस्था है? आप सुन लें। माननीय सदस्य ने कहा कि स्पष्टीकरण हम नहीं मांग सकते हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं और माननीय सदस्य की भी करता हूं। क्या जब माननीय मंत्री जी बोल रहे हों तो क्या स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता है? और माननीय सदस्य की राय है कि स्पष्टीकरण नहीं मांगा जा सकता है। हो सकता है कि वह ठीक हों, तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, कि मैंने जवाब को नहीं देखा है और 1965 से आज तक की बात है। तो वह किसलिए तथ्यों को छिपा रहे हैं?

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, ऐसा लगता है कि शतरुद्र प्रकाश जी ने उत्तर को नहीं पढ़ा है, उत्तर की 7-8वीं लाइन में लिखा हुआ है—राम लाल पुत्र भगवंत मृतक के स्थान पर दामोदर (वयस्क) शंकर लाल (आयु 15 वर्ष), हरी सिंह (12 वर्ष), नन्द किशोर (9 वर्ष), गुलाब सिंह (आयु 30 वर्ष) अवयस्क संरक्षक श्रीमती पुनियां माता स्वयं के नाम वरासतन दर्ज हुए। परन्तु 1374 फ0 में.....

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

आप उनका भाषण सुन लीजिये।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय मुख्य मंत्री जी वहां पर बैठे हुए हैं और उनकी कुर्सी खाली है ।

मुख्य मंत्री (श्री नारायन दत्त)—

श्रीमन्, मैं केवल संसदीय परिपाटी का परिपालन कर रहा था । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे थे, जब वह बैठ जायेंगे तो मैं आ जाऊंगा ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

व्यवस्था का प्रश्न उठाकर, हम कुर्सी पर बैठाना चाहते थे ।

श्री हुकुम सिंह—

तो मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, उसमें लिखा है बाबू पुत्र भगवंत व रामजी लाल मृतक उपरोक्त के वारिसान के स्थान पर प्रवीण कुमार पुत्र मंगलसेन का नाम खतौनी में अमल दरामद किया गया है । 1375 फ0 का तात्पर्य है 1965 । उस समय वह न मंत्री थे और न ही विधायक थे, वह कोई पब्लिक अभिमत नहीं होल्ड कर रहे थे । जहां तक मेरी जानकारी है, श्री शर्मा उस समय अध्यापक थे और मेरा ख्याल है कि श्री किरनपाल सिंह उनके विद्यार्थी रहे होंगे । दोनों विद्यार्थी और अध्यापक थे ।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह—

[× × ×]

श्री अध्यक्ष—

यह सब कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री किरनपाल सिंह—

[× × ×]

नोट—[××× यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं माननीय किरनपाल सिंह जी का सहयोग चाहता हूं । मैं यह आग्रह कर रहा था कि सन् 1965 में ऐसा व्यक्ति जिसके नाम इन्द्राज किया गया हो . . .

(व्यवधान)

(कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

श्री विजय सिंह राणा—

वह बाद में लिखाया गया । प्रश्न यह है कि सन् 1963 सन् 1966 नहीं लिखाया गया और यह जो लिखाया गया वह उनके मंत्री बनने के बाद लिखाया गया ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने से सदन में घोर व्यवधान हो गया ।)

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठ जायं । शांत रहें ।

श्री हुकुम सिंह—

1374 फसली इसमें लिखा हुआ है ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैंने पढ़कर सुनाया । कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनमें कानून की बात होती है तो यह जरूरी नहीं है कि उसको सब समझ सकें । माननीय राणा जी, किरनपाल सिंह जी प्रोफेसर हैं । मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि इसमें लिखा हुआ है 1374 फसली . . . . . (व्यवधान) । इसका तात्पर्य यह होता है कि फसली वर्ष अलग होता है और ईसवी सन् का वर्ष अलग होता है । तो

1374 फसली वर्ष 1965 सन् का वर्ष है ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, कोई भी खसरा खतौनी में यह बात लिखी जाती है कि जब जमीन का इन्द्राज होता है, तो उस पर डेट भी लिखी जाती है इन्द्राज करते समय । उसमें पटवारी या लेखपाल तारीख डालता है कि फलां दिनांक को इन्द्राज किया जाता है । इसमें तारीख कहां है । फसली और सन् दे दिया है । इन्द्राज की तारीख कहां है . . . (व्यवधान) ।

(श्री विजय सिंह राणा और श्री किरन पाल सिंह तथा अन्य विरोधी पक्ष के सदस्य एक साथ खड़े होकर बोलने पर ।)

श्री अध्यक्ष—

कृपया बैठ जायें । मंत्री जी को सुन लें ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इन्द्राज की डेट भी हुआ करती है । वह इसमें नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

राम सरन जी, आप कृपा करके पहले मंत्री जी को सुन लें ।

श्री विजय सिंह राणा—

क्या सुन लें । वे गलत बता रहे हैं ।

श्री त्रिलोक चन्द—

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं . . . . (व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, सवाल इन्द्राज का सही होने या गलत होने से नहीं है, वह बात अलग है । सवाल यह है कि किसी व्यक्ति के प्रभाव डालने से है । वह गलत बात है ।

(व्यवधान)

(दोनों पक्षों के सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर जोर-जोर से बोलने से सदन में घोर व्यवधान हो गया) ।

श्री राम सागर—

यह भ्रष्टाचार का मामला है लीपा-पोती करके दबाया जा रहा है . . . (व्यवधान)

श्री हुकुम सिंह—

हमें बिना उत्तेजित हुए, इस पर सोचना चाहिए । क्योंकि लोकतंत्र की भावना यही है कि आप भी अपनी बात कह सकें और हमें भी अपनी बात कहने का अधिकार है । आपकी बात सही थी या गलत थी. . . .

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोलें लेकिन उन्हें इस विषय की ग्राह्यता पर और फैक्ट्स पर ही बोलना चाहिए ।

मान्यवर, इनको तो ग्राह्यता पर बोलना चाहिए । जो कुछ कहना है वह ग्राह्यता पर कहना चाहिये । चर्चा हो या न हो यह अलग बात है (व्यवधान) तब तो मुख्य मंत्री जी भी नहीं बोल पायेंगे ।

(घोर व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

यह [XXX] कर रहे हैं ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, आरोप यह लगाया गया कि पद का दुरुपयोग करके फर्जी इन्द्राज कागज पर दिखाया गया है (व्यवधान) ।

नोट—[XXX] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री राम आतार दीक्षित—

मान्यवर, नियमों के अनुसार यह सदन को क्या नहीं चलने देंगे ? (व्यवधान)

श्री मुईद अहमद—

एक तरफ की बात सुनी जा रही है । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग क्या चाहते हैं सदन चले या न चले ?

श्री हुकुम सिंह—

मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, कोई ऐसा नियम नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार को दबाया जाय । कोई कानून ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार को उजागर न किया जाय लिखा हो ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, मैं संक्षेप में अपनी बात खतम करता हूं मैंने जो कहना था कह दिया । माननीय साथियों से कहना चाहता हूं जो बार-बार भ्रष्टाचार की दुहाई देकर हमको बोलने से रोकना चाहते हैं । मैं आगाह करना चाहता हूं वे शोर मचाने से हमारी आवाज दबा नहीं सकते हैं । हम लोग जनता के चुने हुए हैं । और यह कांग्रेस सरकार ही है जिसने इस इन्द्राज के खिलाफ बेदखली की कार्यवाही की है । (व्यवधान) आप भी ढाई साल यहां रह चुके हैं (व्यवधान) मैं मान्यवर, आपसे आग्रह करूंगा यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है इसे आप अस्वीकार कर दें । (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, शांति रखें । (व्यवधान) आप लोग शांत रहें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, मैं समझता हूं कि हमारे सभी नेता इधर और उधर के बैठे हुए सभी साथी यही नारा लगाते हैं कि हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है । इसका उन्होंने सारी जनता से वायदा भी किया है । इस तहत हमारे माननीय सदस्यों की भावना है कोई ऐसा काम न हो । हम किसी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहते हैं। हम लोगों को यह किसी तरह से उनके मंत्री के जवाब से यह मिल गया । माननीय किरनपाल सिंह जी का एक प्रश्न था उसके उत्तर में यह आया है । उसी उत्तर में लिखा हुआ है कि फर्जी इन्द्राज हुआ है जो फैक्ट था । अब माननीय मुख्य मंत्री जी को तय करना है यह मैं उन पर छोड़ता हूं कि कौन मंत्री गलत है या कौन क्या है । सवाल इतना है कि संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उस पर दस्तखत नहीं है और 1965 का यह मामला है जब वे मंत्री नहीं थे और विधायक भी नहीं थे । तो उनको पता होगा वे इधर रह चुके हैं और आज उधर कुर्सी पर बैठे हैं तो उनको मालूम होना चाहिए जब कोई मुख्य मंत्री अपना मंत्रि-मण्डल बनाता है तो उसका उत्तरदायित्व है कि वह मंत्री के पिछले इतिहास या जीवन को देखें । इसलिए उस समय यह सवाल नहीं आया है लेकिन अब तो पता चला है कि जब वह ऊंचे पद पर हैं । (व्यवधान) छोटा सवाल है, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को इतराज क्या है, गलत या सही है । लेकिन हमारे लोगों ने तो एक कमेटी की मांग किया है ।

श्री राम आतार दीक्षित—

इतराज सिर्फ है कि औचित्य का प्रश्न बनता है कि नहीं । सदन के अन्दर औचित्य का प्रश्न बनता है कि नहीं ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय सदस्य का तो मैं सम्मान करता हूं । लेकिन जो नियम बता रहे हैं तो वह किस नियम से बोल रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग शांत रहें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

हमारी मांग है कि एक सदन की समिति का गठन किया जाये ।

श्री मुईद अहमद—

व्यवस्था का प्रश्न है कि एक आरोप लगाया गया था इधर की बात पूरी नहीं हुई, इसलिए पूरी बात सुनी जाये ।

श्री अध्यक्ष—

नेता विरोधी दल बोल रहे हैं तो आप बैठ जायं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, इस तरह सदन नहीं चलेगा। हमारे नेता बोल रहे हैं तो उधर के माननीय सदस्य व्यवधान डालते हैं जबकि नेता सदन जब बोलते हैं तो हम लोग उनकी बात शांत होकर सुनते हैं। इस तरह सदन नहीं चलेगा ।

(श्री विजय सिंह राणा, श्री किरनपाल सिंह, श्री महेन्द्र सिंह भाटी तथा विरोध पक्ष के कई सदस्य सदन के फ्लोर में आ गये और नारे लगाने लगे कि भ्रष्टाचारी मंत्री को बर्खास्त करो ।)

श्री अध्यक्ष—

अपने-अपने स्थान पर माननीय सदस्य बैठें ।

(नेता विरोधी दल व श्री शतरुद्र प्रकाश के प्रयास से सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गये ।)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, अब भी हमारे माननीय सदस्यों की राय नहीं है कि इस तरह की स्थिति पैदा हो । लेकिन मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को सत्ता का मद है, जो बहुमत में हैं, इसलिए चाहते हैं कि मनमाने तरीके से बोलें, जिस तरह संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने अभी चुनौती देकर कहा था कि हमारी आवाज को नहीं रोक सकते हैं । लेकिन हम चुनौती नहीं देना चाहते हैं । सत्ता का मद हमेशा नहीं रहेगा । इसलिए आप लोग सुनें । यदि वास्तव में जनता के प्रतिनिधि हैं, जो वायदा करके आये हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि कोई इमानदार आदमी है और समझता है कि मैं इमानदार हूं, तो उससे भी काम नहीं चलेगा जब तक कि सभी न समझें कि वह इमानदार है । इसलिये स्वतंत्र एजेन्सी जांच के लिए बिठाई जाय और उसके जो परिणाम होंगे उससे मालूम होगा सही या गलत, बेइमान या इमानदार । इसलिए हम चाहते हैं कि इसके लिए एक निष्पक्ष जांच के लिए इस सदन की एक समिति का गठन किया जाये । और मुख्य मंत्री जी से कहता हूं, मेरा इरादा यह कहने का नहीं है कि मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं, लेकिन उनके कंधों पर दिल्ली बैठी हुई है, इसलिए हम लोगों को मजा नहीं आता है । छाया से लड़ने में मजा नहीं और असली यहां है नहीं । मैं मुख्यमंत्री जी की मजबूरी को समझता हूं । लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हिम्मत के साथ वह यह सोचकर कि दुनियां में कोई अमर नहीं है, यह आपकी कुर्सी अमर नहीं है . . . (व्यवधान) आज ही जो आरोप लगा है, भले ही आपसे भूल हुई है कि पूर्व के इतिहास को नहीं समझा और उन्हें मंत्रिमंडल में ले लिया है, आज ही उनको बरखास्त किया जाये और एक कमेटी को गठित किया जाए । यह

हमारी मांग है और मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसको स्वीकार करेंगे। आज उत्तर प्रदेश को चरागाह बना दिया है कुछ मंत्रियों और कुछ अधिकारियों ने मिलकर। पूरा प्रदेश यह दोनों मिलकर चर रहे हैं और सबसे बड़ी समस्या भ्रष्टाचार की है। मंत्री लोग बैठे हैं और जब उन पर दाग लगता है तो हमें सार्वजनिक जीवन में काम करने वालों पर यह दाग लगता है। इसलिए एक समिति यहां बैठे, जो जांच करे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। यही मैं आपसे मांग करता हूं।

श्री नारायन दत्त—

श्रीमन्, जो प्रश्न हमारे सामने प्रस्तुत है, वह नियम 300 के अन्तर्गत है और औचित्य का प्रश्न है। इस औचित्य के प्रश्न में यह लिखा गया है—"राजस्व मंत्री द्वारा दिए गये उत्तर से मंत्रिपरिषद् के एक अन्य सदस्य की गरिमा का ही हनन नहीं होता है।" श्रीमन्, इस औचित्य के प्रश्न में स्वयं शंका उठाई गयी है कि जिन प्रवीण कुमार का नाम उत्तर में दिया गया है, वह मंत्री है या नहीं है। . . . (व्यवधान) अब आप देखें, पैरा 3 में लिखा हुआ है—"अगर जिला बुलंदशहर के निवासी श्री प्रदीप कुमार, सदस्य, मंत्रिपरिषद्, उत्तर प्रदेश हैं तो" . . . तो इससे स्पष्ट है कि स्वयं प्रश्न करने वाले सदस्य को भी यह शंका थी कि आया यह वही प्रवीण कुमार है या नहीं जो मंत्री है। इन्हें खुद शंका थी इस बारे में, और यदि शंका न होती तो फिर जो यह नियम 300 का औचित्य का प्रश्न है, तो उसका संदर्भ और स्थल यहां उसका उठाना नहीं था। अभी सामान्य प्रशासन का बजट आ रहा था, उस समय कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का उनके लिए अवसर था और उसमें वह इस तथाकथित भ्रष्टाचार के प्रश्न को उठाकर रखते या फिर अपने बजट भाषण में बताया होता, यदि उनको इसकी जानकारी थी। भ्रष्टाचार को मिटाने में जितनी उनकी निष्ठा है, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा कि उतनी ही इस पक्ष की और मुझ सेवक की भी है। और अगर कोई ऐसी बात कहीं हमारे सामने आये, हमारे संज्ञान में आए तो कोई कारण नहीं है कि जो सार्वजनिक जीवन में निर्णय लेने चाहिए, वह हम न लें। लेकिन इस समय औचित्य का प्रश्न किया गया है। यह प्रश्न अभी न्यायालय के विचाराधीन है, क्योंकि सन् 65 से यह प्रवीण कुमार एक व्यक्ति के नाम है, जैसा केस रजिस्टर्ड हुआ है। यदि मंत्रिपरिषद् के सदस्य के नाम होता तो दिया होता। यह कब हुआ? जिला शासन ने पिछले वर्ष सन् 84 में इसे दायर किया था। इन्हें तो बधाई देनी चाहिए कि 19 मई, 84 को यह वाद दायर किया गया स्थानीय शासन की ओर से। मान्यवर, उनको बधाई देनी चाहिए थी कि कोई मंत्रिमंडल का सदस्य हुआ उसके कब्जे के बारे में या नगर पालिका की ओर से, जिला शासन की ओर से या जिलाधिकारी की ओर से दावा दायर किया जाय, इसके लिये जिला शासन को बधाई देनी चाहिए कि उन्होंने यह वाद दायर किया है, स्थानीय शासन की तारीफ होनी चाहिए थी। चूंकि माननीय नेता विरोधी दल के इस पर हस्ताक्षर नहीं हैं इसलिए मैं पढ़ देना चाहता हूं, अगर जिला बुलन्दशहर से अनूपशहर निवासी श्री प्रवीण कुमार सदस्य मंत्रिपरिषद्, उ0 प्र0 हैं" तो इसमें अगर, मगर शब्द हैं।

श्रीमन्, अब यह प्रश्न न्यायालय के सामने है। प्रवीण कुमार पुत्र मंगल सेन के नाम सन् 65 में जो एंट्री हुई है, वह सही हुई है या गलत हुई है वह न्यायालय के सामने है। माननीय राजेन्द्र गुप्त ने एक प्रश्न उठाया कि

नगर पालिका कैसे दावा कर रही है, इसमें षड़यंत्र है। ग्राम सभा के बजाय नगर पालिका दायर कर रही है यह उन्होंने कहा था अगर मैंने ठीक सुना है। तो मान्यवर, यह 20 साल पुराना केस है। ग्राम सभा का क्षेत्र, आज वह नगर पालिका क्षेत्र में आ गया है। 20 साल में इतना कब्जे में परिवर्तन हो गया है।

तो श्रीमन्, यह प्रश्न न्यायालय के सामने है जिसमें प्रवीण कुमार शर्मा अपनी बात रखेंगे जिसका उन्हें हक है और नगर पालिका अनूप शहर अपनी बात रखेगी और न्यायालय का फैसला होगा कि यह कब्जा गलत था, फर्जी था या नहीं था। दृष्टिकोण जो तहसीलदार का है या हमारे विभाग का है, वह सामने आ गया है। न्यायालय में तय होने की बात है कि वह कब्जा आया कानूनन ठीक था या नहीं था। यह मामला सब-जुडिस है। अब यह उनके विवेक में है कि जो निर्णय लें किसी दबाव का प्रश्न नहीं है। दबाव का प्रश्न होता तो यह कैसे दायर होता आज एक एस0डी0 एम0 के कोर्ट में, अगर किसी दबाव की मंशा होती तो यह केस चलता क्यों। अगर दबाव या छिपाने का मामला होता तो इस प्रश्न का उत्तर दिया ही क्यों जाता। इसलिए दबाने का कोई प्रश्न नहीं है। न्यायालय का फैसला हो जाय तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जायगा कि किसके कब्जे में है। फर्जी या गलत या सही है न्यायालय की बात आने दीजिए। "मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस" जब वह शासन में थे, मा0 नेता विरोधी दल लाते थे, यह पुस्तक उनके सहयोगियों ने दी है या नहीं, लेकिन यह पुस्तक उनके पास जरूर होगी। मैं देख रहा हूं कि कुछ पुस्तकें माननीय सदस्य वाराणसी कैंट के सामने रखी है। मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पृष्ठ 342, 343 को देखें, "मैटर्स सब-जुडिस", पूरी बात उसमें लिखी है।

मैटर्स अवेटिंग जुडिशियल डिसिसन—

"ए मैटर अवेटिंग आर अन्डर एडजुडिकेशन बाई ए कोर्ट आफ ला शुड नाट बी ब्राट विफोर दि हाउस बाई मोशन आर अदरवाइज"

मेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस के पृष्ठ 378 पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है कि मामला जो पंचनिर्णय या अदालत में है वह हाउस में मोशन के जरिए किसी प्रकार नहीं लाया जाना चाहिए। 429 और 430 पेज भी देखें। तो मैं बड़े अदब के साथ कहूंगा कि यह नियम 300 का जो उनका अभिप्राय था, वह आ गया सामने और उन्होंने जो बात कही है, वह सामने आ गयी है। मैं इस बात को उनसे कहूंगा कि हमारी कोई भी मंशा किसी प्रकार के भ्रष्टाचार को दबाने की नहीं है। अदालत का फैसला आ जाने दीजिए और अन्तिम निर्णय अदालत का हो जाने दीजिए, तो अपने आप तथा सामने आ जायगा कि क्या सत्य है और क्या असत्य है।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मैं यह जानना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी साफ यह नहीं कहा कि प्रवीण कुमार शर्मा वही हैं या दूसरे हैं। वह मौका ले लें एक-दो दिन का। यदि प्रवीण कुमार शर्मा निकलें, तो क्या माननीय मंत्री जी कमेटी बैठायेंगे ?

श्री नारायण दत्त—

हमारे नेता विरोधी दल पार्लियामेंटरियन हैं, जो विषय अदालत में लम्बित हो, उस पर कमेटी नहीं बैठाई जा सकती है।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

क्या माननीय मुख्यमंत्री को यह जानकारी है कि खतौनी तीन साल के बाद

दाखिल हो जाती है, इसलिए यह तीन साल पुनर्जीवित हुआ । जब माननीय मंत्री को यह पता लगा कि मेरे खिलाफ यह आरोप है और प्राइमाफेसी वह फर्जी पाया गया, तो उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए था । यह धारा 202 में जो एसेसी है, उस पर दावा है । यह इजेक्टमेंट का है । इसमें सब-जुडिस नहीं होता । यह मामला वाद का नहीं होता है कि उनका इन्दराज गलत है या सही है । इसलिए माननीय मुख्य मंत्री मेरे दोनों सवालों का जवाब देने की कृपा करें ।

श्री नारायण दत्त—

जो माननीय सदस्य ने कहा है उसको संज्ञान में रख कर न्यायालय के समक्ष रखा जा सकता है, यहां नहीं ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष—

नेताओं की बैठक में यह तय हो गया था कि माननीय संसदीय-कार्य मंत्री, माननीय नेता सदन और माननीय नेता विरोधी दल बोलेंगे । मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कृपा करके आप बैठें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मेरा आरोप है सरकार पर कि यह भ्रष्टाचार को दबाना चाहती है । इस-लिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मुलायम सिंह यादव अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र गुप्त—

शासन पक्ष तथ्यों को छिपा रहा है। इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(राजेन्द्र गुप्त भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री तथ्यों को छिपा रहे हैं । इसलिए मैं भी अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मैं भी अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राम चन्द्र बख्श सिंह भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं भी अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(कुंवर रेवती रमण सिंह भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री कौशिक रमा शंकर—

मान्यवर, मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री कौशिक रमा शंकर भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राज किशोर सिंह—

मान्यवर, मैं भी सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री राज किशोर सिंह भी सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री अध्यक्ष—

चूंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, इसलिए इस पर कोई

कमेटी मुकर्रर नहीं की जा सकती है। इसलिए मैं इसे उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

उत्तर प्रदेश आकस्मिक निधि (संशोधन) विधेयक, 1985

सचिव, विधान सभा—

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 1985 पर, जिसे उत्तर प्रदेश विधान सभा ने अपनी दिनांक 7 अगस्त, 1985 के उपवेशन में पारित किया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 13 अगस्त, 1985 को वापस प्राप्त हुआ था, राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 14 अगस्त, 1985 को प्राप्त हो गयी और वह सन् 1985 का उत्तर प्रदेश का सोलहवां अधिनियम बन गया।

बरेली में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने, राजकीय इण्टर कालेज बरेली के भवन का पुनर्निर्माण तथा बरेली में महिला पालिटेक्निक खोलने के संबंध में याचिका

*डाक्टर दिनेश जौहरी—

(1) मान्यवर, मैं बरेली में इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने विषयक श्री राजेश अग्रवाल आदि निवासीगण बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

(2) मान्यवर, मैं राजकीय इण्टर कालेज, बरेली के भवन के पुनर्निर्माण विषयक डाक्टर संतोष कुमार सक्सेना आदि निवासीगण बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

(3) मान्यवर, बरेली में महिला पालिटेक्निक खोलने विषयक श्री दिलीप आर्य तथा अन्य निवासीगण बरेली द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष—

नियम 56 के अन्तर्गत 20 सूचनाएं प्राप्त हुई थी । पहली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह वगैरह की बलिया नगरपालिका के प्रभारी अधिकारी एवं अन्य अधिकारियों पर असामाजिक तत्वों द्वारा प्रहार, दूसरी श्री अशोक बाजपेयी की शुगर कारपोरेशन यूनिट हरदोई पर गन्ना किसानों का लाखों रुपयों का बकाया, तीसरी श्री बेनी प्रसाद वर्मा वगैरह की बाराबंकी जनपद में 10 व्यक्तियों द्वारा आमरण अनशन, चौथी श्री सुखपाल पाण्डेय व श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ की सवर्णों द्वारा अनुसूचित जाति की सुविधा प्राप्त करने के संबंध में पांचवीं श्री सूर्य प्रताप शाही की फर्रुखाबाद-मथुरा रोड पर बसों में डकैती, छठीं श्री सरदार सिंह, श्री राजेन्द्र गुप्त, श्री किरणपाल सिंह, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी की 22-8-85 को न्यायिक अधिकारियों का मूक प्रदर्शन, दसवीं श्री हर्षवर्धन की गोरखपुर में सूखा, ग्यारहवीं श्री गौरी शंकर भइया की आई0 जी0 पुलिस के घर में डकैती, बारहवी श्री गया प्रसाद वर्मा, चौधरी महाराज सिंह, श्री बाबूराम यादव की 3-7-85 को इटावा में तीन आदमियों के नाक काटने के संबंध में, तेरहवीं श्री शारदा प्रताप की प्रदेश में पुलिस की निरंकुशता, चौदहवीं श्री अनुग्रह नारायण सिंह, श्री हरेन्द्र सिंह, श्री लक्ष्मी नारायण, श्री दीपचन्द्र की स्वाधीनता की 38वीं वर्षगांठ पर राष्ट्रीय ध्वज का अपमान, पन्द्रहवीं श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की विश्वविद्यालय छात्रावास में भोजन की दुर्व्यवस्था, सोलहवीं श्री बदन सिंह की आगरा में गलघोंटू बीमारी, सत्रहवीं श्री राम गोविन्द चौधरी की

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आनन्द शुगर मिल बस्ती के मिल बन्दी के बारे में, अट्ठारहवीं श्री यदुनाथ सिंह की रामनगर वाराणसी में स्टीमर चलाने के बारे में, उन्नीसवीं श्री देव कुमार यादव, श्री सूर्य प्रताप शाही की प्रयाग विश्वविद्यालय के अनशनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज, बीसवीं श्री अकबर हुसैन बाबर, श्री मित्रसेन, श्री शारदानन्द अंचल, श्री रमाकान्त की रत्ना शुगर मिल जौनपुर पर बकाया ।

*कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, बलिया में अभी हाल में एक ऐसी घटना घटी, जिससे शर्म से सिर झुक जाता है । तथाकथित असामाजिक व्यक्ति बलिया नगरपालिका में गये और उन्होंने चन्दा के नाम पर चुनाव का चन्दा मांगा था, चन्दा नहीं मिला । उनका कहना यह था कि मुख्यमंत्री बलिया जायेंगे, उनको चन्दा दिया जायेगा । यह शर्म की बात है। नगरपालिका के अधिकारियों ने चन्दा देने से इंकार कर दिया, इस पर वहां के प्रभारी अधिकारी, अधिशासी अभियन्ता, अतिरिक्त अभियन्ता को मारा-पीटा और गालीगुप्ता दिया । उनको सड़क पर खींच लाये । वहां हड़ताल हुई, नगरपालिका बन्द हो गयी । जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया कि एक हफ्ते में जांच करके दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी और दण्डित किया जायेगा । लेकिन आज तक उन व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही न करने के कारण वहां असन्तोष फैल गया है, निकट भविष्य में कार्यवाही न की गई, उनके खिलाफ एफ0 आई0 आर0 लिखाई गई है, नामजद रिपोर्ट है, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण कोई कार्यवाही नहीं की गई । अगर जल्द से जल्द कार्यवाही न की गई तो विषम स्थिति उत्पन्न हो जाएगी । और पूरे बलिया जनपद में रोष व्याप्त है । मैं आपसे चाहूंगा कि आप माननीय मंत्री जी से इस पर वक्तव्य दिलवा दें, ताकि स्थिति स्पष्ट हो जाय और उन दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही हो सके ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, 22 जुलाई को रामजी पाण्डे और कुछ लोग नगरपालिका, बलिया के कार्यालय में गए और प्रभारी अधिकारी श्री के0 सी0 अग्रवाल से कहा कि माननीय मुख्य मंत्री जी का अगस्त में आगमन हो रहा है । उनकी तैयारी के लिए 10 हजार रुपये दीजिए । प्रभारी अधिकारी ने देने से इन्कार किया। उन लोगों ने यह बहाना निकाला कि तुम जनता पार्टी के दलाल हो और यह कह कर उन्हें मारा पीटा । मान्यवर, जिन व्यक्तियों ने यह कार्यवाही की, उन लोगों ने नलकूप के एक और इंजीनियर पी0 एन0 सिंह को भी पीटा था । इन्होंने श्री पण्डा एस0 पी0 को भी पीटा था । मेरी जानकारी है कि शासन की साजिश से एक माफिया गिरोह वहां पर उत्पन्न किया जा रहा है, जो सरकारी कर्मचारियों को ब्लैक मेल करता है । बाईस तारीख की इस घटना से कर्मचारियों में काफी असन्तोष है और उन्होंने एक प्रकार से धमकी दे रखी है कि यदि जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा इसकी जांच के लिए नियुक्त मैजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट जल्द नहीं दी तो वे काम ठप्प कर देंगे । कर्मचारियों में असंतोष और असुरक्षा की भावना है और काम ठप्प पड़ा है । ऐसी स्थिति में मान्यवर, आपके माध्यम से मांग करता हूं कि सारी कार्यवाही रोक करके इस पर चर्चा करावें और शासन को निर्देश दें कि इस प्रकार के भ्रष्ट व्यक्तियों को बलिया से हमेशा के लिये समाप्त किया जाय ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मैंने नियम 63 में विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी और आप आगे बढ़ गये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठें, माननीय मंत्रीजी बोल रहे हैं ।

*संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, जो सूचना दी गयी है कुंवर रेवती रमण सिंह जी द्वारा, इसमें आप देखें, मान्यवर, तारीख और समय तक नहीं दिया गया है । नियम 56 की कुछ परिधि है । यह नहीं लिखा गया है कि किस समय की घटना है । अभी यहां पर कहा कि 22 जुलाई की घटना है । आज हम 19 अगस्त में प्रवेश कर चुके हैं । तो 22 जुलाई की घटना 19 अगस्त को कार्य-स्थगन के रूप में प्रस्तुत की जा रही है । इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

वहां हड़ताल होने जा रही है, उन्होंने नोटिस दे दी है ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, 22 अगस्त से ये क्षेत्र में थे । इनको जानकारी होगी माननीय सदस्य ने बताया कि मैजिस्टीरियल जांच चल रही है । शासन की ओर से जो कार्यवाही हो सकती है, की जा रही है । हर घटना को लेकर चाहे जितनी पुरानी हो, कार्य स्थगन के माध्यम से, उठाना सही नहीं है । वहां की कानून व्यवस्था के संबंध में हमने जानकारी की है । वहां उत्तेजना की कोई स्थिति नहीं है । मैजिस्टीरियल जांच की कार्यवाही की जा रही है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा, माननीय मंत्रीजी कार्यस्थगन प्रस्ताव को पढ़ लें । इसमें लिखा है कि जिलाधिकारी ने जो कार्यवाही करने के आदेश दिए थे, कार्यवाही नहीं हो रही है, अतः हड़ताल की स्थिति बन गयी है और कल परसों हड़ताल हो जायेगी । माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि तत्काल की बात नहीं है । कल हड़ताल होने जा रही है तो मैंने सूचना दी है, और माननीय मंत्रीजी कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में है ।

श्री अध्यक्ष—

आपने जो सूचना दी, उस पर मैंने आपको सुना, मंत्री जी को सुना, उसकी जांच होगी, जो दोषी होंगे, उनको सजा दी जायेगी । अब मैं अगली सूचना लेता हूं । बाजपेयी जी संक्षेप में अपनी बात कहेंगे ।

*श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, शनिवार को नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के रूप में मैंने सूचना दी थी और उस पर सदन में अपनी बात कही थी । मेरी बात इतनी गलत ढंग से लिख दी गयी कि उसमें पूरे अंश नहीं आ सके ।

मान्यवर, मैंने आज नियम 56 के अन्तर्गत आज सूचना दी, विशेषाधिकार के अन्तर्गत सूचना दी है । मान्यवर, चुनार में पी0 ए0 सी0 लगी हुई है ।

श्री अध्यक्ष—

माननीय सदस्य कृपया बैठें ।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, मुझे मौका दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, एक माननीय सदस्य का मामला है, यदुनाथ सिंह जी बहुत बेचैन हैं, परेशानी में हैं। उनको आप मौका दे दीजिए 2 मिनट के लिए। चाहे आज मौका दे दीजिए या कल दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

जब उनका नम्बर आयेगा, तो उन्हें मौका मिलेगा।

श्री अशोक बाजपेयी—

मान्यवर, हरदोई जनपद के गन्ना किसानों का 3 करोड़ रुपया अधिग्रहीत शुगर फैक्ट्री पर बकाया है। 15 लाख रुपए तिलहर मिल पर हरदोई के किसानों का बकाया है। मान्यवर, स्थिति यह है कि पैसे के अभाव में किसानों के रोज सरकारी देयों के मामले में घर, खेती, जानवर नीलाम होते हैं। उन किसानों को सरकारी देयों के संबंध में कैद में बंद किया जाता है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी टूट चुकी है कि लोग भुखमरी का शिकार हो रहे हैं। न वे अपने बच्चों की शादियां कर सकते हैं और न उनकी पढ़ाई करा सकते हैं। इस स्थिति से वहां के किसानों में घोर असन्तोष एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है। यही नहीं शुगर फैक्ट्री में जो कर्मचारी काम करते हैं, उनके पिछले वर्षों का वेतन का भुगतान भी बाकी है। मान्यवर, बकाये के भुगतान के लिए लगातार प्रयास किए गये, किसानों ने आन्दोलन किये लेकिन वहां के गरीब, निरीह किसानों को गन्ने के बकाये का भुगतान नहीं किया गया। हरदोई जनपद में यह गन्ना किसानों के समक्ष एक अविलम्बनीय एवं अति गम्भीर समस्या का रूप धारण कर चुकी है। मान्यवर, मैं अनुरोध करूंगा कि सदन की आज की शेष कार्यवाही रोककर इस पर अविलम्ब चर्चा करायें तथा सरकार को निर्देशित करें कि 15 दिनों के भीतर जो भी गन्ना किसानों का पिछले वर्षों का बकाया है, उसका भुगतान किया जाय। यदि भुगतान में विलम्ब होता है, तो सारे सरकारी देयों की वसुली रोक दी जाय।

श्री हुकुम सिंह—

जिस बिन्दु की ओर ध्यान आकृष्ट किया है। मान्यवर, अभी 2 दिन बाद गन्ना विभाग का बजट यहां आ रहा है, उस समय माननीय सदस्य बड़े विस्तार से अपनी बात रखते। इसमें जो कार्यवाही होगी, करेंगे। लेकिन, यह कार्य-स्थगन के रूप में तो कोई व्यवस्था बनती नहीं।

*श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, क्या भ्रष्टाचार के शोर में शिक्षा विभाग का बजट पेश नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष—

अब मैं अगली सूचना लेता हूं। श्री बेनी प्रसाद वर्मा अपनी बात संक्षेप में कहेंगे।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

मान्यवर, बाराबंकी चीनी मिल पर 67 लाख रुपया बकाया है। 52 लाख रुपये इसी सीजन के बाकी हैं। मान्यवर, बाराबंकी जेल में 100 से ऊपर ऐसे किसान बंद हैं, जिनका चीनी मिल पर 10 हजार, 5 हजार भुगतान होना बाकी है, सरकारी देयों का भुगतान न करने की वजह से जेल में बंद हैं। मान्यवर, 3-4 गांव बाढ़ में डूब गये हैं, वहां के लोग बिल्कुल बेघर हो गए हैं, उनसे वसूली की जा रही है। उनके पास खाने को अनाज नहीं है, उनका चीनी मिल पर बकाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, लेकिन सरकार उनके लिए कोई इन्तजाम नहीं कर रही है। वहां के किसानों में से 10 लोग पिछले हफ्ते से अनशन पर बैठे और 100 लोग रोजाना क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं। स्थिति दिन-प्रतिदिन भयानक होती जा रही है। यह सूचना देने के बाद हमें इत्तला मिली है कि तीन लोग राम संजीवन, विनोद सिंह और राम गोपाल आत्म दाह करने जा रहे हैं। एक हफ्ते से ये लोग अनशन पर हैं। यदि सरकार ने इन्हें कोई आश्वासन नहीं दिया तो यह आत्म दाह कर लेंगे। इसलिए मान्यवर, आप शासन को निर्देशित करें कि गन्ना किसानों का तुरन्त भुगतान करवाया जाय। इस पर आप चर्चा करवायें। राम सजीवन और विनोद सिंह जो ग्राम प्रधान संघ के प्रधान हैं, इन दो व्यक्तियों की हालत बहुत ही खतरनाक है। यह हमारी व्यक्तिगत जानकारी है। यदि सरकार ने कोई आश्वासन नहीं दिया और बाराबंकी में कोई अप्रिय घटना हो गई तो यह आग पूरे प्रदेश में फैल जायेगी।

मान्यवर, मुख्य मंत्री जी ने जब अपना बजट भाषण दिया था तो उस समय बड़े दम्भ के साथ कहा था कि हमने 94 प्रतिशत गन्ना किसानों का बकाया का भुगतान करा दिया है। 52 लाख रुपया अभी गन्ना किसानों का बाराबंकी में बकाया है। बड़ी मुश्किल से 25 प्रतिशत भुगतान खलीलाबाद में गन्ना किसानों के बकाया का किया गया है, हरदोई चीनी मिल पर भी लाखों रुपया गन्ना किसानों का बकाया है। किसान आज मर रहा है। उसका भुगतान करने के बजाय सरकार उन्हें जेल में बन्द कर रही है।

श्रीमन्, जब यह सरकार गन्ने का मूल्य का निर्धारण करती है, तो वह उनकी लागत के बराबर मूल्य का भी नहीं हो पाता है। मूल्य कम दिया जाता है, इसके बावजूद भी कई सालों तक उसका भुगतान यह सरकार नहीं कर पाती है। जिससे आज किसानों की जरजर स्थिति होती जा रही है। ये तीन लोग आत्मदाह न करने पायें इसलिए मेरा पुनः निवेदन है कि आप शासन को निर्देशित करें कि गन्ने के बकाया का भुगतान वहां पर तुरन्त कर दिया जाय और इस विषय पर आज आप यहां पर चर्चा करवा दें।

श्री राम सरन—

मान्यवर, यह बाराबंकी शुगर फैक्ट्री का मामला है। 1984-85 का 52 लाख रुपया किसानों के गन्ने का बकाया है। माननीय श्री अशोक बाजपेयी जी ने कहा कि हरदोई मिल पर 3 करोड़ रुपये बकाया है। मान्यवर, इस समय करीब-करीब 30 करोड़ रुपए विभिन्न मिलों पर उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का बकाया है। अखबार कहते हैं 26 करोड़ रुपया बकाया है आपका रेडियो कहता है 21 करोड़ बकाया है और राम सरन दास 30 करोड़ रुपया बकाया कहता है।

मान्यवर, इस समय बाराबंकी में भूख-हड़ताल चल रही है। 10 आदमी आमरण अनशन पर बैठे हैं परमानेन्टली और 100 आदमी रोजाना क्रमिक अनशन पर बैठ रहे हैं। यही स्थिति आज सहारनपुर की दो-तीन मिलों की भी है। देव बन्द और इकाबपुर में भी यही स्थिति है, खलीलाबाद और हरदोई में भी यही स्थिति है। आज सभी मिलों में यही स्थिति है। 30 करोड़ रुपया बकाया है, इसके बावजूद भी आप शेखी बघारते हैं कि हमने भुगतान कर दिया है। अपने भुगतान करने के लिए आज तक क्या उपाय किए हैं, इसे बता दें। इसलिए मान्यवर, आप इस पर सरकार का वक्तव्य दिलवा दें और चर्चा करवा दें। हुकुम सिंह जी को आप कुछ

कहने के लिए कहेंगे तो वह यही कहेंगे कि 3 दिन के बाद इसका बजट आ रहा है, तब आप उस दिन इस विषय पर विस्तार से चर्चा कर लेगा । क्या उस दिन चर्चा में भाग लेकर हमें कोई तोप का लाइसेन्स मिल जायेगा । यदि आप इस पर चर्चा करवा देंगे और वक्तव्य दिलवा देंगे तो सारी स्थिति सामने आ जायेगी कि गन्ना किसानों का कितना बकाया है और शेष का भुगतान करने के लिये सरकार क्या कर रही है । जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि राम संजीवन जी जो ग्राम प्रधान संघ के प्रधान हैं, अनशन पर बैठे हुए हैं और वे आत्म दाह करने जा रहे हैं । अब आप ही सोचिये कि इतना जिम्मेदार व्यक्ति अनशन पर बैठा हुआ है । माननीय संसदीय मंत्री जी हंस रहे हैं। मान्यवर, आप इन्हें समझाइये । पुनः आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस पर चर्चा करवा दें ।

[समय 4-00 बजे]

श्री राम सागर—

मान्यवर, यह जो मामला गन्ना कृषकों के बकाये का आया इसमें बाराबंकी के किसानों का जो मामला है, आपके संज्ञान में लाया गया है, यह बिलकुल दूसरों से भिन्न है । यह आमरण अनशन पर बैठे हैं और आत्मदाह पर तैयार हैं । सरकारी देनों की वसूली में सख्ती की जा रही है और गन्ना किसान जेल में डाले जा रहे हैं । लेकिन जो गन्ना किसानों का बकाया है 52 लाख के बराबर सरकार देने के लिए तैयार नहीं है और मंत्री जी यह कहने वाले हैं कि गन्ना विभाग के बजट पर चर्चा में भाग लें । मैं आप के माध्यम से यह मांग करता हूं कि आप मंत्री जी को निर्देश दें कि जो 52 लाख का बाराबंकी का बकाया है उसे तत्काल भुगतान करें इससे नीचे चलने वाला नहीं है । इसलिए इसमें अध्यक्ष जी तत्काल निर्णय लेने का कष्ट करें ।

श्री मुलायम सिंह यादव—

किसानों के लिए जो गम्भीर स्थिति है पूरे प्रदेश में, उसमें बाराबंकी की बहुत ही गम्भीर है । मंत्री जी के पास भी और मेरे पास भी, जिनकी जमीन नीलाम हो रही है, ऐसे किसान आ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार जबरदस्ती वसूली कर रही है अपने पैसे की और दूसरी तरफ बकाया दे भी नहीं रही है । दोनों तरफ से किसान पिस रहा है । प्रधान संघ के जो प्रधान हैं, वह प्रधान भी हैं, अनशन पर बैठे हैं और आत्मदाह का नोटिस भी दे दिया है और हो सकता है कि शाम तक आत्मदाह हो जाये । कानपुर में यही स्थिति हो गई थी । सरकार और अधिकारी यही समझते रहे कि घोषणा है खोखली, वहां एक वाजपेयी ने, जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने आत्म-दाह कर लिया, इस तरह की स्थिति अगर बाराबंकी में हुई तो बहुत गम्भीर स्थिति हो जायगी । किसान भूखों मर रहा है । इससे लचिलमानीय लोक महत्व का क्या प्रश्न हो सकता है ? इसलिए यह पूरे प्रदेश के किसानों का मामला है, इस पर चर्चा जरूर करा दीजिए ।

कुंवर रेवती रमण सिंह—

इस पर चर्चा करने के लिए निर्देश दे दें, पूरे प्रदेश का मामला है ।

श्री हुकुम सिंह—

जहां तक गन्ना किसानों के बकाये, मूलों का प्रश्न है, बाजपेयी जी ने हरदोई का मामला उठाया था, आपने बाराबंकी का उठाया, तो जो मुझे जान-कारी उपलब्ध है, उसमें 95 प्रतिशत गन्ना किसानों का दे दिया गया है ।

वर्ष 1984-85 का मामला है, यह पैसा नहीं रुकना चाहिए था, इसके बारे में जानकारी करा कर प्रयास करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र निर्णय हो जाय। गन्ना किसानों की चिन्ता करते हुए उधर के लोगों को देखता हूं, तो बड़ा इत्तिफाक होता है, वही राम सरन जी और नेता विरोधी दल यहां बैठते थे, इस तरफ, 3 रुपये भी गन्ना नहीं बिकता था, सारा गन्ना जला दिया गया था . . .

(मेजों की थपथपाहट)

मैं आश्वस्त करता हूं कि जो पैसा बकाया है, उसकी अदायगी शीघ्रातिशीघ्र कराऊंगा।

श्री मुलायम सिंह यादव—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आक्षेप लगा दिया, तो हम जब उधर बैठते थे, मंत्री जी को याद होगा, 23 करोड़ की सबसिडी भी दी थी इनको और भूल गये क्या 85 करोड़ का बकाया दूर किया था।

(व्यवधान)

अनशन लोग कर रहे हैं, आत्मदाह की भी नोटिस है, आप उनका अनशन तो तुड़वा दीजिए, इसके लिए क्या किया ?

श्री हुकुम सिंह—

मैंने तो आश्वासन दिया था कि जो भी बकाया किसानों का है, उसको दिलवाकर शीघ्र व्यवस्था की जायगी। दूसरा प्रश्न रखा है कि अनशन पर हैं मैं जानकारी करूंगा कि क्या मांगे हैं, क्योंकि मेरे पास अभी जानकारी उपलब्ध नहीं है। जानकारी प्राप्त करने के बाद यथोचित कार्यवाही की जायगी।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैं माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहूंगा। आपने पैसे के भुगतान के लिए तो कहा कि जानकारी करके पैसा दिलवायेंगे, लेकिन काश्तकार इस समय दोहरी मार में है, पैसा यह दे नहीं रहे हैं और वसूलयाबी अलग की जा रही है, तो क्या वसूलयाबी को रोकने के आदेश देंगे ?

श्री अध्यक्ष—

नेता, विरोधी दल के बोलने के बाद भी आप लोग खड़े हो जाते हैं और बोल देते हैं। आप ही लोग तय करते हैं, जब नेता दल के बोल देते हैं तो उसके बाद आप लोग फिर बोलते हैं।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैं आपको उसूल नहीं सिखा रहा हूं, स्पष्टीकरण तो कोई भी माननीय सदस्य मांग सकता है, यह उसका अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—

फिर भी जब एक चीज तय हो जाती है तो आपको उसका पालन करना चाहिए।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, सभी माननीय सदस्यों की इच्छा है, इस पर एक घण्टे की चर्चा करा दें। आज हरदोई और बाराबंकी का मामला आ गया है लेकिन प्रदेश की सभी चीनी मिलों में यह समस्या है। विशेष परिस्थिति में मैं भी बल दे रहा हूं कि इस पर एक घण्टे की चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष—

मैं इस सूचना को एक घण्टे की चर्चा के लिए स्वीकार करता हूं।

*श्री सुखपाल पाण्डे—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

फैजाबाद और बस्ती जिले में ग्राम—गोसाईगंज और भटहा जंगल में कुछ ऐसे लोग हैं जो सवर्ण जाति के हैं और फर्जी अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र लेकर सरकारी नौकरियों में प्रवेश कर लिया है । इनमें 5 डाक्टर एम0बी0बी0एस0, 6 असिस्टेण्ट इन्जीनियर, 7 अवर अभियंता, 2 सेल्स टैक्स आफीसर तथा एक इन्कम टैक्स और एक्साइज आफिसर हैं, जो अनुसूचित जाति का प्रमाण-पत्र लेकर सरकार से जो हरिजनों को सुविधाएं प्राप्त हैं, उसे प्राप्त कर रहे हैं । मुझे जानकारी है कि ये धनाढ्य परिवार के वैश्य बनिया हैं । सरकार की जानकारी में यह मामला 1980 में आया । आज तक सरकार का, चूंकि कांग्रेस के बहुत से ऐसे एम0 एल0 ए0 हैं जो प्रमाण-पत्र देने में समर्थ हैं और प्रमाण-पत्र दिलाया है और दिया है । मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि इतने बड़े गम्भीर मामले को जो कि हरिजनों के अधिकारों का अपहरण किया जा रहा है और यह बात सरकार के भी संज्ञान में है, इसके बावजूद सरकार ने इसे 16 तारीख को स्वीकार किया है कि अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरियों में लोगों को प्रवेश मिला है इस प्रकार के दोषी 8 आदमी बताये गये हैं जिसमें कानूनगो और लेखपाल भी हैं । उसमें यहां का परगनाधिकारी भी दोषी है जिसकी नकल मेरे पास मौजूद है जिसको वहां के तत्कालीन परगनाधिकारी ने की है ।

श्री अध्यक्ष—

आप कृपया ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

मैं ग्राह्यता पर ही बोल रहा हूं । जांचोपरांत काशी प्रसाद परगनाधिकारी ने लिखा है कि ये लोग गड़रिया जाति के हैं और अनुसूचित जाति के प्रमाण-पत्र के अधिकारी हैं । मैं इस आख्या से पूर्ण सहमत हूं और इसे अवलोकनार्थ भेज रहा हूं । दूसरे परगनाधिकारी से जब कम्पलेन की गयी तो फिर जांच करायी गयी और उस जांच की रिपोर्ट आयी जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें गड़रिया जाति का प्रमाण-पत्र फर्जी ढंग से दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप इसको मेरे पास भेज दीजिये क्योंकि आप इसे पढ़ नहीं सकते हैं ।

श्री सुखपाल पाण्डे—

भटहा जंगल के लोगों को फर्जी जाति का प्रमाण-पत्र दिया गया है । इण्डियन आयल गैस कारपोरेशन से भी प्रकाशित हुआ है कि राधेचरण नामक व्यक्ति की नियुक्ति इस तरह से दी गयी है । यह हरिजन उपासक सरकार बनती है और हरिजनों के अधिकारों पर कुठाराघात हो रहा है इसको नहीं देख रही है और न कोई कार्यवाही कर रही है । इसलिये माननीय विधायक रवीन्द्रनाथ तिवारी ने भूख हड़ताल की थी फैजाबाद में लेकिन आज तक इस कांग्रेस सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंगी क्योंकि वहां का जो डी0 एम0 है, वह भ्रष्ट है । मान्यवर, सारे तथ्यों को छिपाया जा रहा है । मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि जिन लोगों ने साजिश करके ऐसा काम किया है उन्हें मोअत्तल किया जाय, उन पर मुकदमा चलाया जाय और उनको जेल भेजा जाय । जो कांग्रेस के एम0एल0ए0 इसमें शामिल हैं उनकी सदस्यता को समाप्त किया जाय । मुझे विश्वास है कि आप इसको स्वीकार करके सरकार को निर्देश देंगे कि इस पर चर्चा करायी जाय ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, कार्य-स्थगन प्रस्ताव को जो सूचना दी गयी है इसमें लिखा है कि

5 वर्षों से कोई कार्यवाही नहीं करायी गयी है, मुझे तो मान्यवर, आज ही इस बात की सूचना मिली है । मैं इसको दिखवा लूंगा यदि कोई दोषी पाया गया तो दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी ।

*श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय है । राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें रात को चलती है उसमें आये दिन कोई न कोई घटना होती रहती है, डकैती होती है, उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार कुछ नहीं कर रही है । तीन-चार घटनायें फर्रुखाबाद में ही हुई हैं । 10-8-85 को अतरौली से दिल्ली जाने वाली बस को लूट लिया गया । पिछले शुक्रवार को जी0 टी0 रोड पर फर्रुखाबाद से दिल्ली जाने वाली बस को लूटा गया । 2 जुलाई को मथुरा से फर्रुखाबाद जाने वाली बस में 40 यात्रियों को लूटा गया, ड्राइवर को चाकू मार दिया गया, उसमें एक महिला भी घायल हो गयी थी । उसके ड्राइवर को चाकू मारा गया, वह ड्राइवर अस्पताल में भर्ती कराया गया, 2 यात्रियों की ओर घायल किया गया उसमें एक महिला भी थी और करीब 40 यात्रियों से लाखों रुपये की लूट की गयी । इसी तरह से ट्रेन की डकैतियां भी हो रही हैं । बाराबंकी से गोंडा के बीच में बाम्बे बी0 टी0 ट्रेन लूटी गयी । रात्रि में चलना उत्तर प्रदेश में पूर्णतः असुरक्षित हो गया है और यात्रियों में भय और आतंक व्याप्त हो गया है । परिवहन मंत्री अब हैं नहीं, चले गये । मान्यवर, लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं । एक भी अभियुक्त इन 3-4 घटनाओं में जिनको मैंने रखा है, किसी भी अभियुक्त को पुलिस ने नहीं पकड़ा है । यह सरकार संरक्षण दे रही है खासकर फर्रुखाबाद जिले में, इसलिए बराबर घटनाएं हो रही हैं, इसके बावजूद वहां का प्रशासन सोया हुआ है । लूट, डकैती की घटनाओं पर रोक लगाने को कोई प्रयत्न नहीं है । यह हाल की जो घटना है 10-8-85 की है, 2 जुलाई की है । इसलिए मैं कहता हूं कि आज की कार्यवाही को रोककर, आज कार्यस्थगन के प्रस्ताव को स्वीकार कर इस मामले में चर्चा करायें और इसलिए चर्चा करायें कि यह सरकार रात्रि को यात्रियों की सुरक्षा की गारण्टी दे सके जिससे जानमाल और सम्पत्ति की सुरक्षा हो सके इसलिये आप निर्देश दें ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, माननीय शाही जी इस सदन के योग्य सदस्य हैं, इन्होंने 4-5 घटनाओं का वर्णन किया है । यह कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के रूप में एक सुनिश्चित घटना के बारे में, यह कार्य-स्थगन इसमें आना चाहिए । जहां तक कानून व्यवस्था का प्रश्न है । अभी 2-3 दिन में कार्य-स्थगन की बात करेंगे, आप फर्रुखाबाद को दे सकते हैं, देवरिया को दे सकते हैं ।

(व्यवधान)

जहां तक कार्य-स्थगन का प्रश्न है, कार्य-स्थगन के प्रस्ताव के रूप में यह सूचना ग्राह्य नहीं होनी चाहिए ।

श्री सूर्य प्रताप शाही—

मान्यवर, 10-8-85 की घटना है, आज से 7 दिन पहले की घटना है और एक भी अभियुक्त नहीं पकड़ा गया है रोज वहां घटनायें हो रही हैं, क्यों नहीं एक भी डकैत पकड़ा गया ?

श्री सरदार सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा कार्य-स्थगन का प्रस्ताव लोक महत्व का है और जो आने वाली 22 तारीख है उसमें हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

न्यायपालिका के न्यायिक मैजिस्ट्रेट अपनी मांगों को लेकर मौन जुलूस निकालने जा रहे हैं । हमारे 38 साल के स्वतंत्रता इतिहास में यह पहली घटना है, जब उनको पहली बार इस निकम्मी और निर्लज्ज सरकार ने सड़क पर आने के लिए बाध्य कर दिया है । मान्यवर, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्याय प्राप्त करने के लिए हमारी जो न्यायपालिका है वह विधायिका से और हमारी इक्जीक्यूटिव के प्रभाव क्षेत्र से अलग रहनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष—

यह हमारे सदन का नहीं है ।

श्री सरदार सिंह—

यहां हड़ताल होने जा रही है, यह प्रशासनिक मामला है ।

श्री अध्यक्ष—

यह हाईकोर्ट से संबंधित है, आप कृपा कर बैठें ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर, यह न्यायपालिका के अधिकारियों का मामला अवश्य है लेकिन संबंधित नहीं है, वह अपनी सुख-सुविधाओं के लिए है । शासन का नियम है कि समान कार्य के लिए समान वेतन । लेकिन उनकी तन्ख्वाह कम है और उनकी ओर शासन का कतई ध्यान नहीं है । इसलिए हमारी न्यायपालिका से हमारे प्रदेश की जनता को निष्पक्ष न्याय मिलने में बहुत खतरा पैदा हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आप इसकी ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री सरदार सिंह—

मान्यवर मैं ग्राह्यता पर बोल रहा हूं । पूरे प्रदेश की जनता जानती है, अगर उनका मामला हल नहीं होगा तो वह नेताओं के पास जायेंगे और कांग्रेस के लोगों के पास जायेंगे, उनके दरवाजे खटखटायेंगे, इसीलिये परेशानी है ।

श्री अध्यक्ष—

किरनपाल सिंह जी आप बैठें । सभी को नहीं सुना जा सकता है । सिर्फ राजेन्द्र गुप्त जी बोलेंगे ।

श्री अध्यक्ष—

यह हाई कोर्ट से ताल्लुक रखता है । सरकार से ताल्लुक नहीं है इसका, न्यायालय को यहां पर न घसीटें ।

श्री सरदार सिंह—

यह न्यायालय से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—

आपकी बात सुन ली गयी है । अब 4.20 हो गया है । इतनी सूचनाओं को सुन लेता हूं फिर भी आप लोग नाजायज फायदा उठाते हैं ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, यह न्यायालय के दण्डाधिकारियों और कार्यपालिका के बीच का मामला है, इसको दूर करना चाहिये । यह न्याय विभाग का मामला है, हाई कोर्ट से सम्बन्धित नहीं है । एक बार यह सवाल उठा था, उनकी एक आध डिमान्ड तो हाई कोर्ट के सामने हो सकती है, लेकिन अधिकांश मांगे राज्य सरकार से सम्बन्धित है । अपनी मांगों को बल प्रदान करने के लिये जुलूस निकालना चाहते हैं और कार्यपालिका ने कह दिया कि जुलूस नहीं निकाल सकते हैं । मान्यवर, यह इतिहास में पहली बार अवधारणा बनी है कि न्यायपालिका के दण्डाधिकारियों से शासन को खतरा उत्पन्न हो गया है । जब वह जुलूस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

निकालेंगे तो आप वहां पर पुलिस भेजेंगे उनको गिरफ्तार करने के लिए, 188 में पकड़े जायेंगे और जब पुलिस वारण्ट बनाने के लिये जायेगी तो वह किसके पास जायेगी । इसलिये मैंने समय रहते सूचना दी है । यह नीतिगत मामला है । अगर फैक्टरी के मजदूर जुलूस निकालना चाहते तो आप उनको इजाजत दे देते । वह लोग अपनी मांगों को बल प्रदान करना चाहते हैं, तो सरकार उनको मना करती है और उनसे सरकार को खतरा पैदा हो गया है और यह एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है । वह जुलूस बनाकर आयेंगे लेकिन सरकार ने मना कर दिया । एक साल पहले सवाल किया था और कहा कि मामला विचाराधीन है, मान्यवर, सरकार स्वयं परिस्थिति पैदा कर रही है, जिसके कारण वह जुलूस बनाकर निकलना चाहते हैं । उनकी मांगों पर विचार करना सरकार का दायित्व है ।

श्री अध्यक्ष—

(श्री किरन पाल सिंह के खड़े होने पर) आप कितना बोलेंगे । आप अलग से लिखाकार दे दें । आप बैठ जायें मैं आपको नहीं सुनूंगा ।

श्री किरन पाल सिंह—

आप नाराज न हों । मैं निवेदन कर रहा था ।

श्री अध्यक्ष—

4.25 हो गया है । नियम 561, नियम 56 चलाये जा रहे हैं ।

(श्री किरन पाल सिंह के न बैठने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय नेता विरोधी दल, आप अपने सदस्यों से कहें ।

श्री किरन पाल सिंह—

मान्यावर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष—

कुछ नहीं ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, जिस कार्य स्थगन की ओर आपने ध्यान आकृष्ट किया है, वह 22 तारीख को प्रस्तावित मार्च का है ।

मान्यवर सारी कल्पनायें कर ली गयी हैं और यह सारी कल्पनायें कर के आप खुद विवाद खड़ा कर रहे हैं । हम अपने स्तर से आज भी प्रयास कर रहे हैं । (व्यवधान) मुझे विश्वास है कि न्यायपालिका और हम में जो बात चल रही है वह सफल होगी । मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि आप कल्पना के ऊपर कोई बात खड़ी न करें । 2 तारीख अभी दूर है और बात चल रही है और मुझे विश्वास है कि हम उसमें सफल होंगे ।

श्री राजेन्द्र गुप्ता—

मान्यवर, मेरा विनम्र निवेदन है ।

मैं व्यवस्था के प्रश्न पर खड़ा हुआ हूं । जिस प्रकार संसदीय कार्य मंत्री उत्तर दे रहे थे

(श्री किरनपाल सिंह के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

आप लोग खुद ही फैसला कर लीजिए । वह भी कह रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं । जब यही हालत हो जायेगी तो दूसरे की पैरवी क्या करेंगे ?

श्री राजेन्द्र गुप्त—

संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि अगर प्रतिपक्ष उनको मजबूर कर देगा तो

इस तरह से किसी पर इल्जाम लगाना ठीक नहीं है ।

श्री हुकुम सिंह—

मेरा कोई आशय इल्जाम लगाने का नहीं था । आप अगर समझ गये होंगे (व्यवधान) । मेरा कहना यह था कि मैं आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं और आपका सहयोग मिलने पर ही समस्या का निराकरण होगा । मैंने सारी बात स्पष्ट कर दी है ।

(श्री यदुनाथ सिंह के खड़े होकर कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष—

माननीय यदुनाथ सिंह जी, आप एक ही विषय को कई नियमों के अंतर्गत उठाते हैं ।

*श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, आपने एक बात कही । आपने विशेषाधिकार के रूप में मुझे यह प्रश्न उठाने की इजाजत नहीं दी । यदि आप उसमें इजाजत दे दिये होते तो मैं लाबी में बैठा रहता । लेकिन विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना आपने स्वीकार नहीं की इसलिये नियम 56 में मैं यह प्रश्न उठाना चाहता हूं और उसके लिये मैं मजबूर हूं । मान्यवर, जिस तरीके से हमारे सामने घटना हुई है किसी एम0 एल0 ए0 के साथ नहीं हुई होगी । आज 425 एल0एल0 ए0 हैं । एक अभी मनोनीत नहीं हुआ है । आज उत्तर प्रदेश में स्पेसिफकली पूर्वी उत्तर प्रदेश में दरोगा इतने बड़े तानाशाह हो गये हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं । जैसी मेरे सामने घटना घटी 11 अगस्त को, जिस समय मैं बनारस होते हुए रामनगर होते हुए चुनार जा रहा था और आप को मालूम होना चाहिए कि जिस समय यहां पर टी0 एन0 सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, अनन्तराम जायसवाल पी0 डब्लू0 डी0 के मंत्री थी, प्रभु नारायण सिंह राजस्व मंत्री थे उस समय रामनगर गंगा नदी के घाट पर दिसंबर 1970 से दो वर्ष के सत्याग्रह के बाद 1972 में पथकर माफ हो गया था । वहां पर पी0 डब्लू0 डी0 के दो पावर वार्ज सुबह के 6 बजे शाम के 6 बजे तक आज चल रहे हैं । काशी नरेश आज हर-हर महादेव नहीं हैं । उनकी तीन लड़कियां हैं, जिनकी सबकी शादी हो गई है और एक लड़का है । इसके बारे में पूरा बनारस जानता है ।

सन 72 से जिले के पूर्वी और पश्चिमी घाट पर दो किलोमीटर तक पथकर फ्री है भूतपूर्व काशी नरेश डाक्टर विभूति नारायण सिंह थानाध्यक्ष के साथ इस तरह का कार्य कर रहे हैं । मान्यवर, गंगा गंगोत्री से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है । अंग्रेजों का कानून जब था कमिश्नर पावर रखता था उसकी परमीशन से बोट चलायी जा सकती थी गंगा नदी पर । आपने कहा कि नवम्बर में उसको पक्का कर दिया जायेगा जिसका शिलान्यास सन् 74 में किया गया था । लेकिन 11 अगस्त को जिस प्रकार से भूतपूर्व काशी नरेश जो किसी राजे महाराजे में नहीं है, मैं भी किसी समय हाथी पर बैठता था लेकिन आज जमीन्दार हूं । भूतपूर्व काशी नरेश ठेका देकर इस तरह का काम कर रहे हैं । मैं जानता हूं कि भूतपूर्व काशीनरेश के पास हजारों एकड़ जमीन है लेकिन आज वे चावल खरीद कर खाते हैं । गेहूं खरीद कर खाते हैं । हमारे यहां का दो बीघा रखने वाला किसान सालभर रोजी रोटी खेत में कमाता है ।

माननीय लोकपति त्रिपाठी या पंडित कमलापति त्रिपाठी उसके प्रशंसक हो सकते हैं । मैं राजा महाराजाओं के

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

खिलाफ हूं । आज वह किस प्रकार वहां पर ठेकेदारी चला रहे हैं और स्टीमर चलाते हैं जिससे हजारों मल्लाहों की रोजी रोटी समाप्त हो रही है । किस तरह से मुझे वहां परेशान किया गया । वहां का दरोगा मुझसे कहता है । ओम प्रकाश शाही मुझसे कहता है कि तुम राजा के खिलाफ बोलोगे मुझे उसने धक्का देकर नीचे उतार दिया । किसी तरह से मल्लाहों ने मुझे बचाया । मैं राजघाट बनारस से किसी तरह से 11 ता0 से 15 ता0 तक किसी प्रकार पटना पहुंच सका हूं साढ़े 7 बजे किसी प्रकार मल्लाहों ने पहुंचाया है । वहां पर गोरखनाथ उपाध्याय जैसे ठेकेदार वहां पर कब्जा किये हुए हैं । मेरी किसी तरह से जान बच पाई है । मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कोई गम्भीर मामला नहीं हो सकता है । इससे ज्यादा अहम कोई मसला नहीं हो सकता है । मैं दावे के साथ कह सकता हूं इसकी जांच कराई जाय । मैं एम0एल0ए0 से इस्तीफा दे दूंगा आप चाहें जिस किसी को चुनाव लड़ा सकते हैं और राजीव गांधी को चुनाव लड़ा दीजिये मेरे खिलाफ ।

श्री अध्यक्ष—

अब आप समाप्त कीजिये ।

श्री यदुनाथ सिंह—

चुनार में पी0ए0सी0 लगी हुई है लोग इनके खिलाफ हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र में पी0ए0सी0 लगा दी है और वे लोग उसके खिलाफ लड़ रहे हैं । आप सरकार को निर्देश दें इसकी जांच करायी जाय डी0 एम0 और एस0 एस0 पी0 सब मिले हुये हैं ।

श्री अध्यक्ष—

नियम-56 के अंतर्गत जो सूचनायें प्राप्त हुई उसमें गन्ना के सम्बन्ध में एक घण्टे की चर्चा होगी । बाकी सब सूचनायें अस्वीकार हुई ।

चुनार, मिर्जापुर में दरोगा द्वारा श्री यदुनाथ सिंह के प्रति अभद्र व्यवहार किये जाने के सम्बन्ध में सदन का ध्यानाकर्षण

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं (व्यवधान)

(श्री यदुनाथ सिंह सदन के मध्य आकर लेट गये तथा श्री माता प्रसाद पाण्डेय, श्री मलिक मोहम्मद कमाल युसुफ, श्री शफीकुर्रहमान वर्क आदि के उनको समझाने का प्रयास करने पर वे उठ कर अध्यक्ष पीठ की तरफ भागे किन्तु विधान सभा रक्षकों द्वारा पकड़ लिये गये तदुपरांत कुछ सदस्यों के समझाने से पुनः अपने स्थान पर वापस चले गये)

श्री मुलायम सिंह यादव—

मान्यवर, माननीय यदुनाथ सिंह इस वक्त बहुत परेशान हैं वे दिमाग से विक्षुब्ध से हो गये हैं ।

लेकिन आज वह बहुत दुखी हैं क्योंकि 5 दिन जो आदमी पटना जाते हुए बीच में फंसा रहे, मरने से बच जाय, तो उसके लिये कम से कम बयान सरकार का आना चाहिए । एक विधायक के साथ दरोगा ने गाली गलौज किया, उनको अपशब्द कहे, उनको दहशत है कि वहां का काशी नरेश उनकी हत्या न करवा दें, इसलिये सरकार की तरफ से इस पर वक्तव्य आना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

मैं सरकार का इस पर ध्यान आकर्षित करता हूं ।

श्री हुकुम सिंह—

मान्यवर, यह मामला सोमवार को उठाया गया था और इसमें समस्त तथ्यों की जानकारी कराकर अवगत करा दूंगा ।

(इस समय 4 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, कुंवर रेवती रमण सिंह पीठासीन हुए ।)

1985-86 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान
अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग, अनुदान संख्या 56—शिक्षा विभाग

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39—मुस्लिम वक्फ विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56—शिक्षा विभाग के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,89,19,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

मान्यवर, सबसे पहले तो मुझे आज इस माननीय सदन के सामने शिक्षा से संबंधित बजट को प्रस्तुत करते हुए अत्यन्त गौरव, प्रसन्नता और अपने दायित्वों का भी अहसास हो रहा है । मान्यवर, गौरव इसलिये है कि इस महान प्रदेश की शिक्षा मंत्री की हैसियत से डा0 संपूर्णानन्द जी और माननीय कमलापति त्रिपाठी जी ने जब हमारा कारवां आजादी के बाद उत्तर प्रदेश में शिक्षा की मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयास कर रहा था, तो उस समय से ही इस पूरी शिक्षा प्रणाली को गति दी । मान्यवर, प्रसन्नता इसलिये है कि वित्तीय संसाधनों की कमी के बावजूद आज शिक्षा के जिस बजट पर चर्चा करने के लिये खड़े हुये हैं, इस महान सदन की स्वीकृति हासिल करने के लिये अभी-अभी आपके माध्यम से अनुरोध किया है कि 1985-86 के लिये 662 करोड़ 28 लाख 27 हजार रुपये का यह बजट पिछले साल के बजट से लगभग 135 करोड़ रुपये अधिक है ।

मान्यवर, शिक्षा विभाग की अपनी व्यापकता इस बात से पता चलती है, और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मा0 सदस्य विरोध पक्ष या सत्ता पक्ष के रोज ही शिक्षा से संबंधित कुछ न कुछ सवाल यहां उठाते हैं और इसकी व्यापकता ही बहुत सी समस्याओं का कारण बनती है क्योंकि यह महान प्रदेश जो तमाम भारत के अन्य प्रदेशों से जनसंख्या के हिसाब से बड़ा माना जाता है और क्षेत्रफल को देखें तो 2,94,000 वर्ग किलोमीटर में यह महान प्रदेश फैला है । जो एकरूपता नहीं रखता—कहीं पर मैदान है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर जंगल है और कहीं दरिया है । इसके अलावा इतने बड़े और विशाल प्रदेश में कहीं पर पढ़े-लिखे लोग हैं, कहीं पर आदिवासी हैं, कहीं पर पर्वतीय लोग हैं, कहीं पर अति गरीब लोग हैं और कहीं पर समृद्धशाली लोग हैं । तमाम व्यापकताओं के बावजूद इस प्रदेश के अन्दर हमने जो अपनी 6 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी की हैं, उनके द्वारा अपने इस महान संकल्प को, जो भारत की स्वतंत्रता के बाद, लोकतंत्र को देश के लोगों को समर्पित करते हुए हमने अपने संविधान में कहा था—कि हम 6 से 14 साल की आयु तक के बच्चों के लिए सार्वजनिक शिक्षा की व्यवस्था की ओर 10 साल में पहुंचेंगे ।

इस समय लगभग हमारे यहां 72962 प्राइमरी स्कूल, 14600 मिडिल स्कूल, 460 माध्यमिक शिक्षा के स्कूल, 401 महाविद्यालय और 21 विश्वविद्यालय हैं। इनको हमने अपनी 6 पंचवर्षीय योजनाओं के द्वारा प्राप्त करने और बनाने का प्रयास किया है। यदि हम देखें तो एक प्वाइण्ट फाइव किलोमीटर क्षेत्र में हमने एक प्राइमरी स्कूल बना देने में सफलता प्राप्त की है। वित्तीय संसाधनों की दिक्कतें आजादी के बाद से ही हमारे सामने थीं, लेकिन यदि हम मात्र आलोचक की हैसियत से नहीं बल्कि एक बच्चे क्रिटिक की दृष्टि से देखें तो, हम यह नहीं कहते कि हमारी बहुत ज्यादा सराहना की जाए, लेकिन जो हमने प्रयास किया है, वह इस मौके के लिए बिलकुल उपयुक्त है कि कम से कम हमारी निन्दा न की जाए, जिससे हमारे बढ़ते हुए संकल्प और चरण में अवरोध न उत्पन्न हो। 85-86 के बजट में करीब 135 करोड़ रुपया आयोजनागत और आयोजनेतर पक्षों में अधिक रखा गया है।

मान्यवर, यदि गत वर्ष के हिसाब से देखें तो गत वर्ष हमारा व्यय कुल राजस्व का 17.8 प्रतिशत था, जो इस वर्ष बढ़कर 18.8 प्रतिशत होता है और पर्वतीय क्षेत्र का जो बढ़ाया है, उसको भी जोड़ लिया जाए तो यह लगभग 19.1 प्रतिशत आता है।

इस वर्ष, पिछले वर्षों की भांति जो हमारी प्राथमिक शिक्षा है, प्रारम्भिक शिक्षा है, उसपर हमने पूरा जोर देने का प्रयास किया है और हमने प्रारम्भिक शिक्षा पर 51 प्रतिशत, माध्यमिक शिक्षा के ऊपर 36 प्रतिशत, उच्च शिक्षा पर 9 प्रतिशत और अन्य जो हमारा शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है, उस पर 4 प्रतिशत खर्च करने का इरादा, निश्चय किया है। लेकिन मान्यवर, इतना सब होने के बावजूद लगभग 135 करोड़ की जो हमने बढ़ोत्तरी की है उसके बावजूद ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं, कोई न कोई कमी जरूर है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो 662 करोड़ रुपये का हमारा बजट है उसमें लगभग 80 प्रतिशत हमें तनख्वाहों को बांटने में ही खर्च करना पड़ता है। हर साल बजट आता है और इस साल भी बजट आया है, लोगों में नई-नई आकांक्षायें जगीं हैं, लेकिन हम खुले दिल से यदि इस बात की विवेचना करें तो हमारे सामने उत्तर प्रदेश के बहुत सारे विद्यालयों का नक्शा आयेगा, जहां पर विज्ञान की शिक्षा शुरू कर दी गयी है किन्तु वहां पर प्रयोगशालायें नहीं हैं या फिर प्राइमरी स्कूलों की दीवारें तो हैं लेकिन उनकी छत नहीं है।

जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हमारे विद्यालय खड़े हुए हैं। आज शिक्षा मन्त्री की हैसियत से, शिक्षा जगत के सबसे निम्न स्तर का कहिए, एक सेवक होने के नाते आज मेरे दिल के अन्दर मेरे दिमाग के अन्दर सबसे ज्यादा गंभीर विषय बार-बार उठ रहा है कि यदि प्राथमिक शिक्षा के स्तर के ऊपर हम अपने बच्चों को खुली हवा, खुले वातावरण, गर्मी और धूप में बैठाते रहे या पूरी तरह से अपने उन प्राइमरी विद्यालयों के अन्दर अध्यापकों को समय से न पहुंचा सके, यदि साज-सज्जा जो मामूली स्तर की टाट पट्टी, ब्लैक बोर्ड न दे सके, खड़िया, चाक न दे सके तो प्रदेश का वह वर्ग जो वास्तविक भारत है, प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ जायेगा।

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जैसे आप को चिन्ता बराबर बनी हुई है प्रारम्भिक शिक्षा की उसी तरह से सत्ता पक्ष के लोगों की भी चिन्ता बराबर बनी हुयी है। हम

चाहते हैं कि एक ऐसा माहौल बने जनता का सहयोग हम लेना चाहते हैं, आपका सहयोग हम लेना चाहते हैं इस सिलसिले में । हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रधान और वहां के जनता के प्रतिनिधि हमारे आंख और कान बनें और वह देखें कि हमारे जो अध्यापक हैं वह समय से स्कूल जायें यह हम चाहते हैं । मान्यवर, हमारे प्रदेश में बहुत तरह की हड़तालों की बात चल रही है । मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस मुद्दे को मैंने मिटाने का प्रयास किया है । अध्यापकों के स्तर को ऊंचा उठाने की बात जब आयी है तो हमेशा हमने इसका प्रयास किया है कि उनका स्तर ऊंचा हो । हम मानते हैं कि गुरू, टीचर, उस्ताद का पेट भूखा हो, जिस्म पर अच्छे कपड़े न हों, उनके सामने अपने परिवार के पालन-पोषण की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की समस्यायें हों तो वह पूरी तरह से दिल लगाकर अध्यापन का कार्य नहीं कर सकते । इसको देखते हुए बहुत सारे फैसले किये गये हैं, वेतन के बारे में, ग्रेच्युटी के बारे में, पेंशन के बारे में । हमारी यही कोशिश है कि जो हमारे वित्तीय संसाधन हैं उसके अनुसार उनको सहायता दी जाये, आजाद भारत में उनको सर उठाकर चलने का मौका मिले और उनकी जो समस्यायें हैं उनका जहां तक सम्भव हो सके निराकरण कर सकें । लेकिन आज आप जानते हैं कि सदन में रोज चर्चायें आती हैं कि बहुत सारे लोग विशेष तौर पर अध्यापक वर्ग के लोग इस बात को लेकर कभी-कभी हड़ताल की बातें करते हैं । तो मैं आप के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वित्तीय संसाधन जो घटे हुए हैं यह हमेशा के लिये नहीं हैं । आज जो कुछ हमारे पास है उसको मिल-बांट कर खायें और एक दूसरे के दुख-सुख हमें बांटें ।

हमें वरीयता के आधार पर प्रयास करना होगा कि प्राइमरी विद्यालयों के अन्दर साजसज्जा, पाठ्य-पुस्तकें श्यामपट का प्रबन्ध करें और हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं जो प्राथमिक शिक्षा के केन्द्र हैं वह ऊंचे उठें । इस स्थिति को देखते हुए जो कुछ हमारे पास है 80 प्रतिशत अपने बजट का हम वेतन वितरण कर देते हैं । आज से कुछ दिनों पीछे चलें, कई वर्षों पहले इसी भारतीय समाज के अन्दर ऐसे-ऐसे लोग उठकर आये थे शिक्षा में क्रांति लाने के लिये, गति देने के लिये, शिक्षा जगत को दिशा देने के लिये जब हम गुलाम थे । सर सैयद अहमद खां, पंडित मदन मोहन मालवीय एक प्रेरणा लेकर उठे, वित्तीय संसाधनों का उनके रास्ते में अवरोध नहीं खड़ा हुआ और पूरे देश को उन्होंने दिशा दी ।

(मेजों की थपथपाहट)

इसीलिये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बी0 एच0 यू0 आपके सामने उभर कर आये । मैं कहना चाहूंगा कि आज केवल शासन की तरफ ही केवल आंख उठाकर नहीं देखना चाहिये बल्कि प्रयास करना है कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर जो सार्वजनिकीकरण की बात है और हमने संकल्प लिया कि 10 वर्ष में पूरा कर देंगे लेकिन वित्तीय संसाधन की कमी के कारण पूरे देश के स्तर पर हम सफल नहीं हुए । आज हम फिर आवाहन करें कि समाज सेवी और क्रांतिकारी लोग आगे आयें और जो उनका दायित्व है शिक्षा के क्षेत्र में उसको पूरा करें । हर बार आशा जोड़ेंगे और हमारी स्थिति वैसी बनी रहेगी, मैं समझता हूं कि आज हम यहां पर इस बारे में चर्चा करें, इसपर विचार आयें कि क्या तरीका अपनाया जाय और उन कारणों का पता चलायें जिसकी वजह से समाजसेवी संस्थायें आगे बढ़ कर नहीं आ रही हैं । शिक्षा के दायित्व को पूरा करने के लिये वह आगे आयें ।

मैं चाहूंगा कि इस पर विचार किया जाय और एक ऐसा कोष एक ऐसी निधि बनाई जाय, जिससे हमारे जो माध्यमिक विद्यालय हैं या दूसरे विद्यालय हैं उनकी गिरती हुई स्थिति को फिर से अच्छी स्थिति में लाया जा सके । मान्यवर, बिना शिक्षा के कोई कार्यक्रम निश्चित नहीं हो सकता है यदि निश्चित भी हो जाय तो वह बहुत लम्बे अर्से के लिये कामयाब नहीं हो सकता है । इसके लिये हमारी सरकार की नीति रही है समय-समय पर चाहे 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम रहा हो, उसमें प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा के बारे में अपना बिन्दु रखा ।

मान्यवर, आज हमारे बजट का हमारे विभाग का थर्स्ट यही है जो स्कूल खुले हैं उनका कन्सालीडेशन किया जाय, उनका स्तर बढ़ाया जाय, उनका सुदृढ़ीकरण किया जाय । जो हमारा सम्पर्क है, हमारा रिश्ता है, वह एक-दो या 10 लोगों से नहीं है बल्कि प्रदेश के करोड़ों लोगों से हमारा रिश्ता है । माध्यमिक अध्यापक की सूरत में, प्राइमरी स्कूल की सूरत में, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों की सूरत में । कहीं न कहीं हमारा रिश्ता सबसे जुड़ता है । इसलिये हम हर एक के मन में ऐसा जज्बा पैदा करें कि वह समाज और देश के प्रति जो शिक्षा का दायित्व है उसको पूरा करने के लिये आगे आयें और आगे बढ़ें । चूंकि यह बजट बहुत पहले शुरू होने वाला था काफी विलम्ब हो गया है । इसलिये मैं बहुत लम्बी बात नहीं कहूंगा क्योंकि विरोध पक्ष और सत्तापक्ष के माननीय सदस्य शिक्षा के मामले में अपने विचार देंगे ।

मान्यवर, 17 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने कपूरथला में कहा कि देश को मजबूत बनाने के लिये आर्थिक विकास ही आवश्यक नहीं है, इसके लिये व्यक्ति के व्यक्तित्व को मजबूत बनाना होगा । उत्कृष्टता के आधार पर हमें पूरी शिक्षा व्यवस्था बनानी होगी । प्रधानमंत्री की इस राय से हम सब ही सहमत होंगे । देश की नींव ईंट, गारा और पत्थर से मजबूत नहीं की जा सकती है । आर्थिक रूप से सशक्त देशों को हमने टूटते हुए देखा है, क्योंकि वह देश अपने अच्छे दायित्व को पूर्ण करने वाले नागरिक पैदा नहीं कर सका । इसलिये अपने देश को मजबूत बनाने के लिये प्रदेश का जो दायित्व है, उसको करने के लिये भविष्य में अच्छे नागरिक लाने के लिये अच्छे स्कूल बनाये जायें जो बने हैं उसका सुदृढ़ीकरण किया जाये और हमारी यह कोशिश हो कि जो जरूरी साधन है वह वहां तक पहुंचाये जायें । मैं कहना चाहूंगा कि हमारा शिक्षा विभाग रूटीन विभाग बन गया है । आज आवश्यकता इस बात की है कि रूटीन से हट कर नई बात सोचें । हम आज विज्ञान युग में आ गये हैं ।

मान्यवर, हम प्रयास करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि टेक्नालोजी के साथ-साथ अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के ऊपर भी हम गौरव करने का एक ऐसा माहौल बनायें, अपनी पाठ्य-पुस्तक के अन्दर अपने सिलेबस के अन्दर जिससे हमारा बच्चा यह महसूस कर सके कि हम भारत के नागरिक हैं । अगर हम अमेरिका में जायें और वहां के बच्चों से पूंछे कि कौन सा देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो वहां के बच्चे कहेंगे कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट आफ अमेरिका । सोवियत यूनियन के बच्चों से पूंछे तो वह यही कहेंगे कि सोवियत यूनियन सब से ज्यादा शक्तिशाली देश है । लेकिन यदि भारत के बच्चों से पूछा जाय कि कौन सा देश सबसे ज्यादा शक्तिशाली है तो शायद वे कहेंगे कि यूनाइटेड स्टेट आफ अमे-

रिका, सोवियत यूनियन और चाइना सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश है ।

मान्यवर, भारत के बच्चों को हमें इस प्रकार से बना देना है जिससे कि वह यह समझने लगें कि भारत बुनियादी तौर पर, समाजवादी तौर पर एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा है । हमारी शिक्षा प्रणाली लार्ड मैकाले की प्रणाली पर आधारित है । हम आभारी हैं अपने प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के जिन्होंने पहली बार प्रधान मंत्री बनने के बाद सारे देश के लोगों का आह्वान किया । हम इन्तजार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जिस प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षा रोजगारपरक बना पायेंगे । जो शिक्षा प्राप्त किये हुए लाखों, हजारों लोग हैं जिनको जाब नहीं मिल पा रही है उनको जाब मिलने का प्रयास किया जायेगा । इण्टरमीडिएट के बाद माध्यमिक शिक्षा को समाप्त करने के बाद हमारे विद्यार्थी के सामने कोई रास्ता नहीं रहता है । ब्लाइन्डेड स्थिति आकर खड़ी हो जाती है । डिग्री हासिल करने के बाद जो दिक्कतें आती हैं उससे उसकी जो आशायें हैं वह टूटती जाती हैं । सारे समाज के अन्दर अजीब कुण्ठा बढ़ती है । हम प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी स्थिति समाप्त हो । अपनी सातवीं पंच वर्षीय योजना में आशा है हम इसमें कामयाब होंगे । हम माध्यमिक शिक्षा में इस तरह का परिवर्तन ला दें कि बच्चा अपने पैरों पर खुद खड़ा हो सके । ऐसा वह न महसूस कर सके कि समय बिताने के लिये उसे विश्वविद्यालय जाना है । प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिये जो हमारे संसाधन हैं वह हम कह चुके हैं । जो हमारे विभाग की ओर से साहित्य प्रस्तुत किये गये हैं उसमें सारे आंकड़े दे दिये गये हैं । हम आंकड़ों में फंसना नहीं चाहते हैं । आंकड़ों में कहां गलतियां हैं उस को पकड़ना भी अच्छी तरह से आप जानते हैं । जैसा मैंने कहा, हमारी प्रारम्भिक शिक्षा में जो हमारे संसाधन थे उसके लिहाज से उचित प्रयास करके पर्याप्त विस्तार कर लिया है । जैसा मैंने अर्ज किया कि हमें आवश्यकता है कि हम उसका सुदृढ़ीकरण करें । जो हमारी आबादी है उसके पांच किलो मीटर पर स्कूल खोलने की व्यवस्था हो चुकी है । हमें याद है कि हमें मीलों पढ़ने के लिये जाना पड़ता था । उस व्यवस्था में अब तबदीली आयी है । छठी पंच वर्षीय योजना में हमने 2031 प्राइमरी स्कूल खोले और उसके बाद अनौपचारिक स्कूल 31459 खोले गये । हमने उन बच्चों के लिये जो अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण अपनी शिक्षा आगे बढ़ा नहीं सकते थे जिसको ड्राप आउट कहते हैं उसके लिये हमने व्यवस्था की है । जो हमने पिछले वर्ष स्कूल खोले थे, जो हमारे केन्द्र थे अनौपचारिक शिक्षा के वह हमारे चलते रहेंगे । मान्यवर, हम पांच सालों के अन्दर इस बात का प्रयास करेंगे कि सार्वजनीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़ें । तो 50 लाख बच्चों को प्राइमरी स्कूल भेजने का प्रयास करेंगे और जैसा मैंने कहा कि गांव के स्तर पर जनजागरण पैदा करेंगे । आज यह कहते हुए खेद होता है कि वस्तुस्थिति यह है कि बहुत से प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं जिनमें बच्चे पूरी तादाद में नहीं पहुंचते इसलिये क्षमता का पूरा प्रयोग नहीं हो पा रहा है । मान्यवर, हम कोशिश करेंगे कि जो जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चे हैं, बालिकायें हैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा यूनीफर्म दे सकें, पोषाक दे सकें । स्लेट और पेंसिल, खड़िया और पुस्तकों का प्रबन्ध कर सकें । मान्यवर, जैसा आपसे कहा साज-सज्जा के बारे में बहुत से हमारे विज्ञान के कक्ष हैं जिन में पूरी तरह से लबोरेट्री नहीं है ।

हमने 1985-86 में 23.70 लाख रुपये प्राइमरी स्कूलों के लिये, मिडिल

के लिये 37.05 लाख रुपये का प्राविधान किया है। इसके अतिरिक्त आगोजनेतर पक्ष का जहां तक प्रश्न है प्राइमरी के लिये 320 और मिडिल के लिये 200 रुपये प्रति यूनिट देंगे। भवनहीन विद्यालयों में निर्माण के लिए 3.16 करोड़ का प्राविधान किया गया है। मान्यवर, मैंने शुरू में ही स्पष्ट कर दिया है कि वित्तीय संसाधनों की कमी है, अतः इस बारे में पंचायती राज विभाग देख रहा है। हम कोशिश करेंगे कि इसमें जो कुछ शिकायतें आ रही हैं कि प्राइमरी शिक्षा पूरी तरह से नहीं हो पा रही है, प्राइमरी शिक्षा के भवन पूरी तरह से ठीक नहीं होते हैं, हम कोशिश करेंगे और फैसला किया है कि जो ग्रामीण शिक्षा समितियां हैं वह यह शिकायतें देखें। इन समितियों को मजबूत बनाया जायेगा। ब्लाक विकास समितियां जो हैं उनमें जो जन प्रतिनिधि हैं उनसे आग्रह करेंगे और इस तरह का प्रयास करेंगे कि ऐसी व्यवस्था बनें जिसमें उन्हें इस प्रकार का अधिकार मिले कि प्राइमरी स्कूलों की देख-भाल कर सकें। मैं समझता हूं कि इससे हम लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे लेकिन कुछ समय लग सकता है।

मान्यवर, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा के विकास के लिए हम प्रयत्नशील हैं। हमने वार्षिक योजना परिव्यय का 24 प्रतिशत इस सम्बन्ध में प्राइमरी स्तर पर जो योजनायें हैं उनमें लगाने का प्रयास किया है। जैसा हमने कहा कि नैतिक मूल्यों की शिक्षा देने का भी प्रयास करेंगे। माध्यमिक शिक्षा के बारे में कहूंगा कि यह स्तर बड़ा महत्वपूर्ण स्तर है और इसके लिये हमने छठी योजना के अन्तर्गत 137 नये राजकीय स्कूल खोले थे और 86 राजकीय हाई स्कूलों को इण्टर स्तर पर उच्चीकृत किया था। इस बार भी 85-86 में 12 लड़कियों के हाई-स्कूल तहसील स्तर पर खोलेंगे। देखने में 12 की संख्या कम लगती है। यह भी प्रश्न उठ सकता है कि केवल लड़कियों के लिये क्यों? अपने राज्य में अगर देखा जाये तो निश्चित ही हमारी बालिकाओं के लिये इतने स्कूल नहीं हैं, जितने बालकों के हैं। लड़कियों की शिक्षा के लिये पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अतः 12 राजकीय कन्या हाई स्कूल अपनी बच्चियों के लिये, बहनों के लिये खोलेंगे।

बुन्देलखण्ड, जमुना पार का जो इलाका है उसमें जो प्रबन्धीकरण है वह मानक पूरा नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें मान्यता नहीं मिलती है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इस साल 5 ऐसे विद्यालयों को अनुदान दें जिससे वह उनके मानक पूरे करके पिछड़े इलाकों में भी काम कर सकें, लड़कियों के लिये। 1985-86 में 3 विद्यालयों को 1-1 लाख रुपये का पुरस्कार रखा है, उन्हें उत्साहित करने के लिये उनका मनोबल बढ़ाने के लिये, उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिये और उत्कृष्टता प्रदान करने के लिये शिक्षा को विकासोन्मुख करने का, रोजगारपरक करने के लिये, केन्द्र की जैसी शिक्षा नीति की घोषणा होगी उसके अनुसार हम परिव्यय जुटाने का प्रयास करेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

आप कितना समय और लेंगे?

[समय 5-10]

श्री सिब्ते रजी—

5 मिनट और लूंगा।

मान्यवर, शिक्षा परिषद् के बारे में, माध्यमिक शिक्षा के बारे में इस सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है। मैं इन्टरमीडिएट बोर्ड और हाई स्कूल बोर्ड की बात कर रहा हूं। इसकी

बाबत कई बार ध्यान दिलाने का प्रयास किया गया है । मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि शासन पूर्ण रूप से जागरूक है । एक टास्क फोर्स बना दिया गया है । जो इसके विकेन्द्रीकरण की ओर ध्यान देगा । मान्यवर, मैं डा0 सम्पूर्णानन्द जो 1951-52 में शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बजट भाषण में माध्यमिक शिक्षा परिषद् के बारे में कहे गये कुछ वाक्यों को यहां उद्धरित करना चाहता हूं । मैं सिर्फ अपनी बात कहने के लिये इसे यहां रखना चाहता हूं । उन्होंने कहा था "एक चीज और है जिस पर हमें अगले साल गौर करना है । इस समय यू0 पी0 में दुनिया के दो सबसे बड़े इम्तिहान कंडक्ट (संचालित) कर रहे हैं, एक तो हाई स्कूल का है और दूसरा इण्टरमीडिएट का है । पहले में 1 लाख 10 हजार लड़के इस साल बैठे और 41 हजार इण्टरमीडिएट में बैठे हैं । जिस तरह से तादाद बढ़ रही है उससे अन्दाजा यह होता है कि अगले साल दोनों का नम्बर एक लाख 90 हजार हो जायेगा । हमारे लिये यह इम्तिहान चलाना गैर मुमकिन है । दुनियां में इतने बड़े इम्तिहान कहीं भी नहीं होते हैं । यह गैरमुमकिन क्यों है यह भी आप देखें ।" उन्होंने विस्तार से इस पर कहा था ।

मान्यवर, इस समय लगभग 18 लाख परीक्षार्थी बैठते हैं । मुमकिन है किसी तरह की गलतियां हो जाती हैं । मान्यवर, सुबह प्रश्नकाल में भी मैंने इस पर रोशनी डालने की कोशिश की थी । मान्यवर, किन्तु मैं समझता हूं कि अगर एक हजार विद्यार्थियों का नतीजा रुकता है तो वह बहुत बड़ी चिन्ता का विषय है । हम कोशिश करेंगे कि जब अगले इम्तिहान हों तब तक विकेन्द्रीकरण परिषद् का हो चुका हो। हम इसे 3-4 भागों में बांट देंगे । 18 लाख परीक्षार्थियों की परीक्षा एक जगह से संचालित होती है, मान्यवर, आप स्थिति समझ सकते हैं । इलाहाबाद में मैंने जाकर खुद वहां की स्थिति को देखा । मान्यवर, वहां स्थिति देखने से नहीं लगता है कि वह कोई शैक्षिक संस्था है, या ऐसी कोई संस्था है जो एकेडेमिक इम्तिहान आदि लेती हो । मान्यवर, बड़े-बड़े हाल कापियों से भरे हुए हैं । जो अनुक्रमांक का इन्डेक्स रखा जाता है, अगर बोरे के अन्दर बंध जाय या कुछ इधर-उधर हो जाय तो सारा अव्यवस्थित हो जाता है । 1985 के इम्तिहान में कुछ ऐसी स्थिति आयी थी । एक बोरा इधर उधर हो जाय तो उस बोरे को ढूंढ़ने में कई दिन लग सकते हैं । मान्यवर, इसलिए कहीं-कहीं गल्तियां हो जाती हैं । मैंने जैसा कि निवेदन किया कि एक हाई पावर टास्क फोर्स शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में बना दिया गया है । वे जल्दी निर्णय लेकर, विकेन्द्रीकरण के बारे में कोशिश कर रहे हैं ।

मान्यवर, जो हमारे इण्टरमीडिएट के संस्थागत विद्यार्थी हैं उनको तो कालेज से मैटिरियल मिल जाता है । लेकिन, जो प्राइवेट इम्तिहान देते हैं उन्हें पूरी तरह से कोर्स के पढ़ने का समय नहीं मिलता, मैटिरियल नहीं मिल पाता है तो मान्यवर, उसके लिये हम पत्राचार कोर्स की व्यवस्था कर रहे हैं । इण्टरमीडिएट में 15 विषय ऐसे हैं जिन्हें हम पत्राचार के जरिये पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि इस सिलसिले में और अधिक कामयाब हो जायें । पिछले साल भी संवाद गोष्ठियां हुईं ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मन्त्री जी आप अपनी बात को संक्षेप में कह कर समाप्त करें । आप को बाद में भी समय मिलेगा ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, मैं इस लिये अपनी बात को विस्तार से कह रहा था कि जब माननीय

सदस्य कटौती के प्रस्ताव पर बोलेंगे तो उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी । समय तो ज्यादा हो ही गया था इसलिए मैं समझ रहा था कि मैं अपनी बात शुरू में ही कह दूं । उसके बाद माननीय सदस्यों को जो शंकायें होंगी अपनी समर्थ के अनुसार और अपनी लियाकत के अनुसार मैं उनके उत्तर देने की कोशिश करूंगा ।

मान्यवर, इस बार हमने चालू वित्तीय वर्ष 1985-86 में विश्वविद्यालयों के विकास के लिये 75 लाख रुपये का प्राविधान किया है । इसमें बिल्डिंग बनाने के लिये और जमीन खरीदने के लिये यू0 जी0 सी0 से जो पैसा मिलता है इसके मैचिंग का भी, इस धनराशि से प्रयोग कर सकते हैं । अध्यापकों की प्रोन्नति के बारे में भी यहां पर विधेयक आ चुका है सभी माननीय सदस्य इसे जानते होंगे । विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के सभी अध्यापकों के लिये जुलाई, 1984 से 70 रुपये और 100 रुपये अन्तरिम सहायता दे रहे हैं । प्रवक्ताओं के बारे में भी आप लोग जानते ही हैं कि आज ही यहां पर उसके लिये विधेयक आ रहा है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि वे अपने विचार रखें ताकि हम जो नई शिक्षा प्रणाली बनाने जा रहे हैं जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री जी ने भी आह्वान किया है उस को बल मिले, उसको एक नई दिशा मिले और एक नई गति मिले ।

(कटौती के प्रस्तावकर्ता को बुलाये जाने पर ।)

*श्री शफीकुर्रहमान बर्क—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मुस्लिम वक्फ का बजट नहीं रखा और न ही उन्होंने उसके बारे में कोई बात ही कही ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, मुझे समझने में थोड़ा सा भ्रम हुआ है इसलिए मैं माफी चाहता हूं । आपने शिक्षा की बातें कर दीं इसलिए मैंने शिक्षा के बारे में ही कह दिया । माननीय सदस्य लोग पहले शिक्षा के बारे में कह लें उसके पश्चात् मैं वक्फ पर कह दूंगा ।

श्री अधिष्ठाता—

वक्फ पर भी आप कह दीजिए ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, एक बार तो आपने कटौती के प्रस्ताव पर माननीय सदस्य को बुलवा लिया फिर आप मंत्री को बुलवा रहे हैं ।

श्री सिब्ते रजी—

खूब परदा है चिलमन से लगे बैठे हैं,

साफ छुपते भी नहीं सामने आते भी नहीं ।

मान्यवर, वक्फ के दो कार्यालय हैं— एक लखनऊ में है और दूसरा बनारस में है । इसमें लगभग 1100 वसीकेदार हैं और 350 अमानत नोट हैं । इन्हीं वसीका कार्यालयों से वसीका तथा अमानती नोट ब्याज के भागेदारों को भुगतान हम करते हैं । जैसा कि सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि वक्फ का सारा इन्तेजाम निगम स्तर की स्वायत्तशासी बोर्डों के माध्यम से होता है और वे हैं सुन्नी और शिया वक्फ बोर्ड । शिया वक्फ बोर्ड के माध्यम से होता है । इस समय सुन्नी वक्फ बोर्ड के अन्तर्गत 16 हजार रजिस्टर्ड हैं और शिया के अन्तर्गत 2400 वक्फ रजिस्टर्ड हैं । वक्फ को चलाने के लिये और उसके प्रशासन के खर्च का कोई दायित्व प्रत्यक्ष रूप से शासन का नहीं है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेकिन औकाफ का सही तरह से देख-रेख हो सके, जो बेजा कब्जे होते हैं उनको देखने तथा अच्छे सुपरवीजन के लिये मार्च 85 में ही सुन्नी वक्फ बोर्ड को 24 लाख एक हजार और इसी तरह से शिया को 24 लाख 86 हजार दिया है । दूसरा सदन है, उसमें भी हमारे पास लगातार वक्फ बोर्ड के अनधिकृत कब्जों के बारे में सवाल आते रहते हैं और माननीय सदस्य चिन्ता व्यक्त करते हैं । प्रत्यक्ष रूप से औकाफ की जो प्रापर्टी है, अनधिकृत कब्जे हैं इस संबंध में प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायित्व संबंधित वक्फ बोर्डों का है । शासन ने भी इस सम्बन्ध में जागरूकता दिखाई है और 27 अगस्त, 83 को विभिन्न जिलाधिकारी, जिलाधीश जो हैं उन को निर्देश दे दिये हैं कि कोई भी बोर्ड शिया हो या सुन्नी, अनधिकृत कब्जे को हटवाना चाहता है उस सम्बन्ध में नियमानुसार तुरन्त कार्यवाही करें । मार्च 84 में पुन: निर्देश भेजे हैं । अब भी इस को दिखवा रहे हैं, जिले का प्रशासन अनधिकृत कब्जों को हटाने का ज्यादा तेज, ज्यादा उत्तरदायी....

(व्यवधान)

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

सुन्नी वक्फ बोर्ड का गठन नहीं किया है उसको कौन करेगा ?

श्री प्रमोद कुमार—

सब यही कह देंगे तो आप क्या कहेंगे ?

(हंसी)

श्री सिब्ते रजी—

शासन के पास विभिन्न स्तरों से ऐसी सूचनायें आती रहती हैं कि बहुत से कब्जे और औकाफ ऐसे हैं जो सैकड़ों साल पहले की हैं लेकिन अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है, तो मान्यवर, 76 में 12, 82-83 में 12 और 83-84 में 12, इस प्रकार 27 जिलों के अन्दर सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया गया है और आशा है 1.25 लाख नये अवकाफ रजिस्टर्ड होंगे और उनको आंका गया है कि उनसे लगभग 3 करोड़ रुपये की आमदनी वक्फ बोर्डों की होगी । इससे पहले 3 वर्ष पहले जो रखे गये थे, इन्सपेक्टर लेविल से ऊपर, उनका स्थाईकरण कर दिया गया है और जहां तक कमाल साहब ने जो बात कही शासन पूरी तरह से सचेत है और भरसक प्रयत्न होगा कि इसी सत्र के अन्दर हमारे विधायकगण सुन्नी या शिया वक्फ बोर्डों में अवसर मिले सदस्य की सूरत में चुनकर पहुंचने का ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 38—मुस्लिम वक्फ विभाग, के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना । मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 56—शिक्षा विभाग के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग को घटाकर, एक रुपया कर दी जाय, कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना । अभी मा0 शिक्षा मंत्री जी का भाषण बड़े गौर के साथ सुना क्योंकि भाषण के अलावा कोई स्रोत नहीं था इनके शिक्षा विभाग की नीतियों को समझने के लिये क्योंकि सभी मा0 सदस्यों की जानकारी है कि शिक्षा विभाग का साहित्य आज ही मिला है । भाषण सुनने के बाद बड़ी निराशा हुई । वित्तीय संसाधनों का बहाना लेकर हर चीज पर पर्दा डालने की कोशिश की है । मैं सुनना चाहता था कि राजीव गांधी ने जो नई शिक्षा नीति की घोषणा की है, उसके बारे में कुछ बतायेंगे यह सही है जब कोई चमत्कारिक बात प्रधान मन्त्री के मुंह से निक-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लती है, तो बड़ा प्रचार होता है । चुनाव के दौरान घोषणा की कि नई शिक्षा नीति लायेंगे, लेकिन जब पार्लियामेन्ट गठित हुई तो एक मा0 सदस्य ने लोक सभा में सवाल पूछा की नयी शिक्षा नीति बनाने के लिये क्या आधार गठित किये हैं ? शिक्षा मंत्री की ओर से उत्तर मिला कि कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इसके ठीक 15 दिन बाद जब शिक्षामंत्री भाषण देने खड़े हुए तो उन्होंने घोषणा कर दी कि नई शिक्षा नीति का प्रारूप तैयार है, अगले वर्ष से लागू हो जायगा । आवश्यकता इस बात की थी कि विशेषज्ञ मण्डल गठित होता, चर्चा प्रारम्भ होती, वह तो नहीं हुआ, असलियत यह है कि शिक्षा विभाग एक प्रयोगशाला बनकर रह गया है ।

मुझे याद आ रहा है 1968 में लोक-सभा ने शिक्षा नीति के बारे में प्रस्ताव पारित किया था । आपके साहित्य में कहीं पर नयी नीति के बारे में कुछ नहीं है । एक जगह आपने कहा है कि 7वीं योजना में शिक्षा के लिये कुछ करने जा रहे हैं । 17 वर्ष पूर्व लोक-सभा ने जो प्रस्ताव पास किया था, उससे भी आप हट गये हैं । जो लोकसभा ने प्रस्ताव पारित किया था, उसके तहत उत्तर प्रदेश के बजट की मीमांसा करूंगा । उसमें था :

(1) 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा

(2) शिक्षकों के वेतन तथा स्तर की शिक्षा हेतु सतत सतर्कता

(3) प्रतिभाओं की पहचान बहुत कच्ची उम्र में ही कर लेना तथा उनके विकास हेतु सुविधायें मुहैय्या कराना,

(4) कार्यानुभव तथा राष्ट्रीय सेवा को शिक्षा का अनिवार्य अंग बनाना

(5) पाठ्यपुस्तकों का सभी स्तरों पर संशोधन तथा सुधार

(6) शिक्षा पद्धति में सुधार

(7) एकरूप शिक्षा पद्धति लागू करने की दृष्टि से 10 वर्ष की सामान्य शिक्षा की व्यवस्था । इसके बाद दो वर्ष की उच्चतर माध्यमिक शिक्षा तथा 3 वर्ष का डिग्री पाठ्यक्रम लागू करना ।

शिक्षा पर बल दिया गया था, रोजगार से जोड़ने पर बल दिया गया था । यह भी तय हुआ था कि बजट का इतना प्रतिशत खर्च होगा । हम देखें कि उत्तर प्रदेश में हम हैं कहां ? हमें विचार करना होगा, हम हैं कहां । लोकसभा में मा0 केन्द्रीय शिक्षा मंत्री ने 2 अगस्त को एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सबसे कम खर्च उत्तर प्रदेश में शिक्षा पर कर रहे हैं । साक्षरता की दृष्टि से भारत का प्रतिशत है 36.23 प्रतिशत, जबकि उत्तर प्रदेश का 27.16 प्रतिशत है ।

केवल दो राज्य हमसे पीछे हैं बिहार और राजस्थान, बाकी सब हमसे आगे हैं । जो राज्य साक्षरता की दृष्टि से हमसे पिछड़े हुए हैं, उसका भी बजटरी एक्सपैण्डीचर यानी शिक्षा पर प्रति व्यक्ति खर्च हमसे ज्यादा है । बिहार का प्रति व्यक्ति शिक्षा पर खर्च 56.05 है, राजस्थान का 76.22 है, जबकि उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति शिक्षा पर खर्च 52.41 है । आपने तो 135 करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी, लेकिन मान्यवर, मैं आयोजनागत खर्चों को आपके सामने रखना चाहता हूं कि पता चले कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है क्योंकि सरकार की नीति का फैसला उसकी प्राथमिकताओं से भी किया जायेगा । हम बात करते हैं राष्ट्रीयकरण की, आधुनिक भारतीय भाषाओं की सदस्यता की प्रोन्नति दक्षिण भारतीय भाषाओं के लिये अनुदान 1983-84 में 22,71,000 रु0, 1984-85 में 22,60,000 रु0 तथा 1985-86 में 22,40,000 रु0

का है, यह दिशा है देखने की । इस सरकार ने अशासकीय प्राथमिक विद्यालयों को अनुदान सहायता वर्ष 1983-84 में 2,60,62,76,000 रु0, 1984-85 में 2,34,21,29,000 रु0 तथा 1985-86 में 2,22,00,00,000 रु0 दिया है ।

इसी तरह से राजकीय प्रशिक्षण संस्थाओं में और छात्र छात्रवृत्ति में भी कमी आयी है । प्रतिभावान छात्रों के लिये 30 मा0 विद्यालयों में आवासीय शिक्षा व्यवस्था में 2,18,000 रु0 की कमी आयी है । हमारी शिक्षा व्यवस्था में खेलकूद पर बड़ा बल दिया गया है । अभी प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने भी कहा है कि मनुष्य के विकास के लिये खेलकूद बहुत ही आवश्यक है । इसमें शारीरिक शिक्षा में युवक कल्याण कार्यक्रम की प्रोन्नति में 1,50,00 रु0 की कमी आयी है । छात्रों के सैन्य प्रशिक्षण में 9,22,000 रु0 की कमी आयी है । योजनागत में बताया गया है कि वर्ष 1984-85 में 59,92,000 रु0 और आयोजनागत 9,60,000 रु0 तथा शिक्षा, कला और संस्कृति के लिये कर्ज 7,00,000 रु0 की कमी आयी है ।

हां, एक बात मंत्री जी ने नई की है जिसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं कि इसमें नया खर्चा अंग्रेजी प्रेम के लिये जोड़ा गया है जिसमें राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् का अंग्रेजी विभाग के लिये आयोजनेतर का नया खर्चा 5,20,000 रु0 का रखा गया है, जो कि आपके अंग्रेजी प्रेम का परिचायक है ।

इसी तरह से प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में आप देखें कि भारत के संविधान में कहा गया है कि 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी । यह सांख्यिकी विभाग की डायरी है इसके अनुसार 1983-84 में 1 करोड़ 29 लाख और 1971 के सेनसेज के मुताबिक 3,69,6500 बच्चे यानी कि केवल 35 फीसदी बच्चे स्कूल जाते हैं । जबकि संविधान का लक्ष्य है कि 14 साल तक के बच्चे निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करेंगे ।

1985-86 में प्लान्ड एक्सपेन्डीचर रखा गया है 17 करोड़, 43 लाख, 16 हजार । न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अन्तर्गत 12 करोड़, 39 लाख के बजाय इस साल मात्र 8 करोड़, 71 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । मैं समझता हूं कि इससे शर्मनाक दूसरी बात है । गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालयों को 11 करोड़ 4 लाख 52 हजार के बजाय दिया है 8 करोड़ 69 लाख 31 हजार रुपये ।

प्राइमरी साजसज्जा मात्र की बात है । अभी आपने दुख प्रकट किया अभी 301 में भी एक सूचना आई थी । मान्यवर, विद्यालयों की छतें गिर गयी और अध्यापक चरमरा गये । आप इसमें टारगेट लीजिए । प्राइमरी साज सज्जा मात्र 100 स्कूलों के लिए 3,000 रुपए प्रति स्कूल है यह लक्ष्य है । इसमें मैंने कई बार कहा, मैं कोई विरोध करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं । लेकिन मैं बजट का आंकड़ा देना चाहता हूं माननीय सदस्य आंख खोलकर देख लें । आप जब निरीक्षण के लिए जाते हैं तो आप खुद देखते हैं कि टूटी हुई छत के नीचे, पेड़ के नीचे बच्चे पढ़ रहे हैं । मतदाता के सामने आप जवाब नहीं दे पाते होंगे ।

पूरे उत्तर प्रदेश में 100 स्कूलों के लिए 3000 रुपया प्रति स्कूल देंगे । इस हिसाब से एक जिले में 2 स्कूल भी नहीं पड़ेगा । कम से कम विधानसभा क्षेत्र के क्षेत्र में एक स्कूल का हिसाब तो आता है । प्राइमरी विद्यालय चल

कैसे रहे हैं 3 शर्तें हैं, मैं आंकड़े दूं लेकिन समय कम है, जो आपकी डायरी दी हुई है, नर्सरी में तो आपके बच्चे घटे हैं। अब तीन शर्तें हैं एक तो आपकी बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा चल रही है, एक निजी स्कूल चल रहा है और तीसरा पब्लिक स्कूल चल रहे हैं।

हमारा लक्ष्य समाजवादी समाज की स्थापना करने का है हमें एक ऐसे देश की स्थापना करना है जिससे कि निराश्रित, पिछड़े हुए हरिजनों को विशेष अवसर प्राप्त हो। हम ऐसे समाज की रक्षा करना चाहते हैं, जो धनाढ्य लोग हैं, जो सामन्त वर्ग के लोग हैं चाहे उनके बच्चों में प्रतिभा हो न हो, अच्छे स्कूलों में पढ़ेंगे और गरीब का बच्चा चाहे कितना प्रतिभाशाली क्यों न हो अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ सकता है, यह क्या नीति है ? मान्यवर, आपके ऐसे भी अध्यापक हैं जिनको 60 रुपये, 70 रुपये और 100 रुपया दिया जाता है। इस सम्बन्ध में मान्यवर, आप देखें, यह कोचिंग के बारे में बात कर रहे थे। जहां पर आपने केवल 600 स्कूलों को मान्यता दे दिया, 73 में 192 को दिया उसके बाद स्टाप कर दिया। सेकेण्ड्री स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों के अध्यापकों की जहां बात है तो इसमें आप कहेंगे कि हमने न्यूनतम वेतन अधिनियम बना दिया है जिसके अंतर्गत 600 रुपया तनख्वाह का बना दिया गया है। यह तो केवल आपके भाषण के लिए है। आप कोचिंग के स्कूलों को देखिये, एक नये पैसे का भी लाभ किसी कोचिंग के स्कूलों के अध्यापक को नहीं होता है। आपकी एक राजाज्ञा है इसमें लिखा हुआ है कि उन कर्मचारियों को जिनका सेवाश्रम अन्तराल काम के घण्टे एक दिन में 6 घंटे होंगे वह अंशकालिक कर्मचारी माने जायेंगे। 6 घंटे जो काम करेंगे, अंशकालिक उनको वेजेज का 6 प्रतिशत जो वेजेज लागू किया गया, उनको मिल पायेगा।

मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कोचिंग और नर्सरी के नाम पर जो शिक्षा की दुकानें चल रही हैं वह अध्यापकों का शोषण कर रही है जिससे लेबर इन्सपेक्टर हावी हो जायेगा। अगर आपमें साहस हो तो आप वादा करें कि जो यह शर्त आपने रखी है वह वेग कर दी जायेगी तो हम फिर इस बात का विरोध नहीं करेंगे।

एक बात और है। आज स्थिति यह है कि मास्टर स्कूलों में पढ़ाने के लिये जाते ही नहीं हैं। आपके एस0 डी0 आई0 और बी0 एस0 ए0 जा नहीं पाते हैं। क्योंकि यह उनके लिये व्यावहारिक भी नहीं है। उनकी आज क्या हालत है। उसका कारण यह है कि डी0 आई0 और बेसिक शिक्षा परिषद् जिला परिषदों के कंट्रोल में नहीं है। यदि ये सब एक ही बिल्डिंग में हों, तो उनमें कोआर्डिनेशन हो पायेगा।

माननीय मंत्री जी ने एक बात बहुत अच्छी कही थी—ड्राप आउट की। प्राइमरी से माध्यमिक विद्यालयों में केवल 30 प्रतिशत बच्चे ही जा पाते हैं और और 70 प्रतिशत बच्चे ड्राप कर जाते हैं। आज जूनियर बेसिक और सीनियर बेसिक स्कूलों में 1,20,54000 बच्चे हैं जिनमें से केवल 30 प्रतिशत बच्चे ही आगे माध्यमिक स्कूलों में जा पाते हैं। इसी तरह से माध्यमिक से विश्वविद्यालयों में पहुंचने वालों की संख्या 10 प्रतिशत है। 90 प्रतिशत बच्चे ड्राप कर जाते हैं। इसका क्या कारण है। इसका कारण है गरीबी, शिक्षा जीवन के साथ जुड़ी नहीं है और तीसरे आपकी जो शिक्षा है वह रोजगार परक नहीं है। बच्चे जब सेकेन्डरी

स्कूलों में पहुंचते हैं तो उन्हें अपने परिवार के लिए काम भी करना पड़ता है। उन्हें अपने बैल-गाय के लिये सानी भी लगानी पड़ती है। उनके सामने मजबूरियां हैं। इसी कारण वे आगे नहीं बढ़ पाते हैं और बीच में ही उन्हें ड्राप कर देना पड़ता है। इस तरफ आपको विचार करना चाहिए।

अब मैं माध्यमिक शिक्षा पर आता हूं। माध्यमिक शिक्षा की हालत बहुत खराब है। एक नये पैसे का आपने प्राविधान इसके लिये नहीं किया है। आप स्कूलों में नये क्लासेज, नये सेक्शन खोलने की इजाजत नहीं देते जिससे उनमें गतिरोध पैदा हो गया है। माननीय मंत्री जी के मुंह से एक बात सुनकर मैं चिन्तित हो गया। सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य मैंने पढ़े हैं। उससे मालूम हुआ कि आप वही पुरानी शिक्षा पद्धति की ओर प्रदेश को ले जाना चाहते हैं। आप पीछे हट रहे हैं। आपके लक्ष्यों को देखने से और आपके भाषण सुनने के बाद हमारी यह धारणा बन रही है कि आप शिक्षा को पुराने मैनेजमेन्ट के हाथ में देना चाहते हैं। आप कहते हैं कि हम लोगों को आह्वान करना चाहते हैं। यह हमारी जानकारी है कि आपके विभाग ने फैसला किया है कि वेतन वितरण का काम कुछ विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को प्रयोगात्मक रूप में दिया जायेगा। यदि यह स्थिति करने जा रहे हैं कि प्रधानाचार्यों को जो सही रूप से उनके वेतन का वितरण आज तक करते तो फिर सरकार ऐसा क्यों करती, इस काम को आप स्वयं करते। ऐसा करके आप प्राइवेट मैनेजमेन्ट को फिर से जिन्दा कर रहे हैं। मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि अब निजी प्रबंध आउट-डेटेड हो गया है। इसकी जिम्मेदारी आप लेते। इसीलिये हम यह चाहते हैं और हमारी मांग है कि माध्यमिक शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त कोई दूसरा विकल्प नहीं है।

आप देखें 1984-85 में 12,69,01,000 रुपये इस मद में आयोजनेतर था और इस साल मात्र 48 हजार का प्राविधान किया गया है। हम यह कह रहे हैं कि जब यह एक्युमुलेटेड एक्सपेंडिचर था तो फिर 12 करोड़ के बजाय 48 हजार रखना क्या आश्चर्यजनक बात नहीं है?

अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि हम राजकीय हाई स्कूल खोलेंगे। लेकिन यह बात उन्होंने थोड़ा दब करके कही। मैंने पूछा और माननीय रामचन्द्र बख्श सिंह से जानकारी मिली कि इस साल एक स्कूल जायस में आप खोलेंगे जा रहे हैं। वह माननीय मंत्री जी की जन्मभूमि है। वहां खुले, हमें कोई एतराज नहीं है लेकिन और निर्वाचन क्षेत्रों में जहां का हम यहां पर प्रतिनिधित्व करते हैं और यदि उनका निर्वाचित आदमी शिक्षा मंत्री के पद पर न जा पाये तो उसके क्षेत्र में स्कूल नहीं खुलेगा? आप एक शहर में स्कूल खोलना चाहते हैं और लक्ष्य हमारे सामने बहुत ऊंचे हैं।

इसी आदरणीय सदन में, बच्चों के एडमिशन की प्राब्लम हुई, तो आपने कह दिया कि बच्चों का एडमिशन कर लो। आप एक भी सेक्शन नहीं खोलेंगे, एक भी अध्यापक नहीं बढ़ायेंगे और एक भी विषय नहीं खोलेंगे। मान्यवर, मेरे पास लिस्ट है, अब मैं और चीजों को छोड़कर बोर्ड पर आता हूं। आप विद्यालयों में चले जायं, सेकेण्डरी स्कूल में जो अध्यापक होंगे, यहां पर बैठे हैं, उनको समय पर वेतन नहीं मिलता है। अगर 20 तारीख को वेतन नहीं मिलेगा तो मैनेजमेन्ट का प्रासीक्यूशन किया जाएगा।

आप इसके विरुद्ध क्या कर रहे हैं । 16 करोड़ 7 लाख का बिल था, लेकिन 16 लाख ही पास हुआ, इसलिये हर महीने बिल पिछड़ गया । यह अव्यवस्था कैसे हुई, आप इसको देखें ।

अब मैं बोर्ड के बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं । मुझे जानकारी मिली है कि आपके यहां से एक सरकुलर गया है कि परिवार नियोजन का सर्टीफिकेट बच्चों से मांगा जाये । मैं इसका पक्षधर नहीं हूं । एक लड़की एडमिशन के लिये जाती है, और उससे कहा जाता है कि अपने माता पिता का परिवार नियोजन का सर्टीफिकेट लगायें तो मैं कहना चाहता हूं कि एडमिशन में इसका बन्धन लगाना उचित नहीं है । हां, आपने नैतिक शिक्षा की बात कह दी ।

उत्तर प्रदेश में नैतिक शिक्षा अनिवार्य शिक्षा की गयी है, इससे बड़ा अनैतिक और कुछ नहीं है । हर लड़के को नैतिक शिक्षा का प्रमाण-पत्र लगाना पड़ता है । प्रधानाचार्य बिना पैसे लिये प्रमाण-पत्र नहीं देते हैं । इस साल से शायद आपने समाप्त कर दिया है, यह अच्छी बात है । पिछले सोमवार को बोर्ड के बारे में काफी चर्चा इस सदन में हुई थी । आप इसको चार हिस्सों में बांट दें क्योंकि मेरे पास बहुत से उदाहरण हैं, मैं एक ही उदाहरण देना चाहता हूं । मेरी कान्स्टीटुएन्सी में आर्य कन्या इण्टर कालेज है 1973 में प्राइवेट परीक्षार्थियों के रूप में सीतारानी श्रीवास्तव ने हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की, इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर बी0टी0सी0 कर लिया, लेकिन अभी तक उसको एक भी सर्टीफिकेट नहीं मिला । मान्यवर, बी0टी0सी0 के नाते उसका चयन अध्यापिका के लिये हो गया, तो उससे कहा गया कि ओरिजनल प्रमाण-पत्र लायें । वह बहुत दौड़ी लेकिन आज तक उसको प्रमाण-पत्र नहीं मिला है तो मान्यवर, यह परिस्थिति है । फर्जी अंक तालिकायें तो सामने आ रही हैं । मैं कारण बताना चाहता हूं । मा0 मंत्री जी ने अपूर्ण परीक्षा फल की बात कही, इसका कारण यह है कि जो आपने कम्प्यूटर की व्यवस्था लागू किया है, अपूर्ण परीक्षाफल के लिये यही जिम्मेदार है, फीडिंग इसीलिये गलत की जाती है कि लड़के बोर्ड के चक्कर लगाने के लिये आवें ।

बोर्ड में पहले गोपनीय विभाग था, इसके लिये डाइरेक्ट भर्ती होती थी और उनको अच्छी सेलरी दी जाती थी, लेकिन अब आपने सब धान बाइस पसेरी कर दिया है, परिणाम उसका यह है कि गोपनीय व्यवस्था को सभी जान गये हैं और वहां धन्धा खूब चला । मान्यवर, मा0 मंत्री जी को जानकारी होगी कि फार्म 16 जो होता है, वह बड़े पैमाने पर चोरी चला गया है । मान्यवर, यह जो आपका चयन बोर्ड बना है, इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है जिसकी चर्चा सदन में भी आती रही । अगर गंगोत्री में ही विष मिल जाय तो फिर कानपुर, बनारस या इलाहाबाद में पानी स्वच्छ कैसे मिलेगा । जब चयन बोर्ड का ही गठन भ्रष्टाचार पर हुआ है तो क्या होगा । चयन बोर्ड की एक प्रक्रिया बनी है उसकी संरचना कैसे होगी उसमें अध्यक्ष के अलावा 7-8 आदमी और सदस्य हैं जिनकी क्वालिफिकेशन दी हुई है एक उसमें न्यायिक सेवा का आदमी होगा, दो शिक्षा सेवा के होंगे, एक विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि होंगे, दो महाविद्यालयों के प्रतिनिधि होंगे, इस तरह से सबकी क्वालिफिकेशन दी हुई है ।

आज आपके चयन बोर्ड का अध्यक्ष कौन बना है ? मैं संसदीय परंपरानुसार नाम नहीं लेना चाहता हूं । माध्यमिक शिक्षा आयोग में चयन बोर्ड के सम्बन्ध में क्वालिफिकेशन दी हुई है, तो क्या

वह उस क्वालिफिकेशन को रखते हैं। व फारस्ट सोक्स के आदमी हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वे कभी किसी विद्यालय में प्राचार्य रहे हैं, या अध्यापक रहे हैं? तो किस प्रकार सिफारिश के बल पर भ्रष्टाचार के बल पर अध्यक्ष चुन लिये गये इसकी आप स्वयं कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार वहां भ्रष्टाचार नहीं होगा, जिनका जन्म ही भ्रष्टाचार पर हुआ है उसका परिणाम क्या होगा। मेरे यहां एक आर्य कन्या पाठशाला कालेज है वहां पर प्रधानाचार्या का जो चयन हुआ उसका उदाहरण देता हूं पिछले 15 सालों से जो इस पद पर कार्य कर रही थी वह क्वालिफाइड नहीं मानी गयी और उनकी जगह पर उन्हीं के नीचे जो 3 नम्बर पर थी उनको उसी संस्था में पोस्ट कर दिया तो फिर कैसे व्यावहारिकता होगी अगर इस तरह से ही प्रधानाचार्यों का चयन होगा।

एक बात मैं संस्कृत शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं। आज प्रातःकाल ही एक सवाल था तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण सवाल और क्या हो सकता है कि जो नीति शिक्षा के बारे में है आखिर प्राईमरी से विश्वविद्यालय तक सभी को वेतन समुदाय के अंतर्गत ले लिया लेकिन संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों को नहीं लिया तो उन्होंने कौन सा पाप किया है।

हमारे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में 50 परसेंट से कम लड़कियों का परसेन्टेज है लड़कों का प्रतिशत 38.36 है और महिलाओं का 14 प्रतिशत है और ग्रामीण क्षेत्रों में 9.68 परसेन्ट महिलाओं का है। माननीय मंत्री जी ने 12 नये महिलाओं के लिए स्कूल खोलने की बात की है तो यह ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात है। हमारे यहां 54 तहसीलें ऐसी हैं जहां पर महिलाओं के लिए कोई स्कूल नहीं है और माननीय मंत्री जी 12 जगहों पर स्कूल उनके लिए खोलने जा रहे हैं। मैं अपने जिले की बात जानता हूं पिछले तीन वर्षों में एक लड़कियों का स्कूल खुला है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें। बाद में समय मिलेगा।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

केवल दो बातें कह कर समाप्त करता हूं। जो हमारे अल्पसंख्यक विद्यालय हैं। हमारा इसमें कहीं मतभेद नहीं है कि अनुच्छेद 30 (1) के अंतर्गत भाषा के आधार पर शिक्षा का अधिकार होना चाहिये। लेकिन एक बात किसी से छिपी नहीं है कि इन विद्यालयों में अध्यापकों का, कर्मचारियों का शोषण होता है। अभी 7-8 दिन पूर्व सदन में जूनियर हाईस्कूल चयन नियमावली रखी गयी उसमें उनको नहीं लिया गया। इस आदरणीय सदन में उनमें धांधली की कई बार शिकायतें आई हैं। अम्मार रिजवी साहब जब संसदीय कार्यमंत्री थे और माननीय स्वरूप कुमारी बख्शी शिक्षा मंत्री थी तो उन्होंने इस बात से सहमति प्रकट की कि अल्पसंख्यक संस्थाओं में अध्यापकों का शोषण हो रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप इस संबंध में कोई नीति तय कीजिये। उनके यहां कोई एपेक्स बाडी बनाइये जिसमें कम से कम ऐसी व्यवस्था करें कि वहां शोषण बंद हो।

मैं आखिरी बात कह कर समाप्त करता हूं विश्वविद्यालयों के बारे में कुछ कह नहीं पाया। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं बाकी चीज उत्तर भाषण में रखूंगा।

मान्यवर, सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज्यादा हो गया है। इसका एक उदाहरण देना चाहता हूं कि हापुड़ में

एस0एस0बी0 कालेज है, वहां के बारे में 1981 में विधान सभा में सवाल किया था कि एस0 पी0 सिंह नाम के व्यक्ति का चयन किया जाता है जो मिनिमम क्वालीफिकेशन नहीं रखता था किन्तु उसकी नियुक्ति हो गयी । लेकिन वाइस चांसलर ने उसकी नियुक्ति को रद्द कर दिया जिस पर दुबारा चयन हुआ 1982 में किन्तु फिर उन्हीं सिंह को चयन किया गया जबकि नम्बर दो पर श्री राम औतार नाम का व्यक्ति था किन्तु उसको चयन नहीं किया गया । हाईकोर्ट में मामला गया और वहां फैसला हुआ कि राम औतार तीन फर्स्ट क्लास रखता है इसलिये उसको चयनित किया जाना चाहिए । सभी ने गलत काम किया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में गया उसने फैसला किया कि एस0 पी0 सिंह के पास न्यूनतम योग्यता नहीं है, इसलिये राम औतार को लिया जाना चाहिए । 1981 की नियुक्ति 1985 हो रहा है । अब इस सरकार की तरफ से राजाज्ञा जारी हुई है, यूनिवर्सिटी एक्ट की धारा 50 के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा अनुभाग-10 संख्या 2864/15-10-85-9-(1)-84, लखनऊ दिनांक 31 मई 1984 की प्रमाणित प्रतिलिपि, जारी किया है । इसके आधार पर यह घोषित कर दिया कि 1980 से यह राजाज्ञा प्रभावित होगी क्योंकि इन्हें श्री एस0 पी 0सिंह को लाभ पहुंचाना था और लिख दिया कि टीचिंग एक्सपीरिएन्स के कारण न्यूनतम योग्यता से छूट दी गई । यह सब के लिये होता तो कोई बात नहीं किन्तु केवल एक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने के लिये विश्वविद्यालय में हस्त-क्षेप करना ठीक नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह—

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया । मैं शिक्षा मन्त्री जी का बहुत ही आभारी हूं कि जिन्होंने शिक्षा विभाग का बजट 1985-86 का प्रस्तुत किया है जो बहुत ही संतुलित और नई दिशा देने में सक्षम है ।

मान्यवर अब मैं अपने जनपद इलाहाबाद के क्षेत्र झूंसी की तरफ मा0 मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में बेसिक शिक्षा विद्यालयों की दशा बहुत ही दयनीय है और भवनों की हालत खराब है । विद्यालयों की छतों का चूना या छतों का न होना अथवा तमाम भवन विहीन विद्यालय हैं । इसलिये मैं शिक्षा मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि झूंसी क्षेत्र के विद्यालयों की दशा सुधारने हेतु कुछ धन आवंटित करने की कृपा करें ।

मान्यवर, अब मैं मंत्री जी का ध्यान बेसिक शिक्षा की ओर ले जाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि जिस तरह पहले बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों की व्यवस्था जिला परिषदों के माध्यम से होती थी उसी प्रकार पुनः वह व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि जबसे यह वर्तमान व्यवस्था लागू है तबसे शिक्षा विद्यालयों की स्थिति बहुत खराब और दयनीय हो गयी है । मा0 राजेन्द्र गुप्त ने जैसा कहा कि ज्यादातर विद्यालय के अध्यापक स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं जिससे शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है । इसलिये मैं पुनः निवेदन करूंगा कि जिला परिषद् के प्रत्यक्ष अधिकार क्षेत्र में इन विद्यालयों की व्यवस्था दे दी जाये ।

मान्यवर, अब मैं बालिका विद्यालयों की तरफ मा0 शिक्षा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में एक भी बालिका विद्यालय हाई स्कूल स्तर की शिक्षा के लिये

नहीं है जिससे वहां ग्रामीण क्षेत्र की बालिकायें शिक्षा पाने में असमर्थ हैं । अतः मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि हमारे झूंसी क्षेत्र में हाई स्कूल स्तर का एक राजकीय बालिका विद्यालय खोलने का कष्ट करें ।

इसके साथ-साथ, मान्यवर, बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों की खराब स्थिति को देखते हुए जो नर्सरी स्कूल बढ़ते चले जा रहे हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में उनसे शिक्षा क्षेत्र में अत्यन्त अव्यवस्था पैदा होती चली जा रही है और नर्सरी स्कूलों के अध्यापकों का शोषण हो रहा है । इसके साथ ही नित्यप्रति मोहल्ले मोहल्ले में ये जो नर्सरी स्कूल खुल रहे हैं वह बालक-बालिकाओं के भविष्य के बारे में एक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं । इसलिए मैं मंत्री जी से कहूंगा कि वह कोई ऐसी व्यवस्था करें, जिससे नर्सरी विद्यालयों पर कोई प्रभावी नियंत्रण हो और उनके अध्यापकों को समुचित वेतन-मान मिल सके । इसके साथ मैं माननीय शिक्षा मंत्री का आभारी हूं कि उन्होंने विद्यालयों में रोजगारपरक शिक्षा देने की हिमायत की है और उसकी व्यवस्था की है । जो रोजगारपरक शिक्षा व्यवस्था वर्तमान समय में विद्यालयों में चल रही है, उसको और व्यवस्थित करने की आवश्यकता है । ग्रामीण अंचलों में भी इस तरह की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे वहां के युवक तकनीकी शिक्षा प्राप्त कर सकें और उससे शहरी क्षेत्र के लोग भी लाभ प्राप्त कर सकें । मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि ऐसे तकनीकी विद्यालय सुदूर ग्रामीण अंचलों में खोले जाने चाहिए, जिससे ग्रामीण युवकों को लाभ मिल सके ।

अब मैं प्रौढ़ शिक्षा की ओर मंत्री जी का ध्यान इंगित करना चाहता हूं, जिस ढंग की यह शिक्षा होनी चाहिए, उस ढंग से यह नहीं चल रही है । उसमें बहुत कुछ सुधार की आवश्यकता है । मैं शिक्षा मंत्री से आग्रह करूंगा कि आप ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करें और ऐसा न हो जाये कि वे महज कागज पर चलती रह जायें । इसलिये ब्लाकों के माध्यम से गांव-गांव में इस शिक्षा की व्यवस्था की जाए ।

इसके साथ-साथ मैं अपने जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति की ओर शिक्षा मन्त्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं । तीन महीने हो गये, अभी हमारे यहां बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पायी है, जिससे बेसिक शिक्षा की व्यवस्था में बहुत गड़बड़ हमारे यहां हो रही है । इसलिए निवेदन करूंगा कि वह हमारे जिले इलाहाबाद में शीघ्रातिशीघ्र बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति करें, जिससे विद्यालय ठीक से चल सकें । इसके साथ मैं पुनः शिक्षा मंत्री का संतुलित बजट देने के लिए आभारी हूं और अधिष्ठाता महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने बोलने का मुझे अवसर दिया ।

[समय 6.00]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मैं कटौती के प्रस्ताव को समर्थन देने के लिए खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्गठन के लिए शिक्षा एक सशक्त माध्यम ही नहीं है, बल्कि इसे लोकतंत्र की आत्मा कहें तो यह अतिशयोक्ति न होगी । लेकिन यह कितने दुःख और शर्म की बात है कि आज जहां इस देश में साक्षरता का प्रतिशत, जैसा गुप्ता जी ने कटौती का प्रस्ताव मूव करते हुए कहा, 36.23 प्रतिशत है, वहां इस प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत केवल 27.16 है । केरल प्रदेश में यह प्रतिशत

70.42 प्रतिशत है, मणिपुर और नागालैण्ड जैसे तथाकथित छोटे और पिछड़े कहे जाने वाले राज्यों में यह प्रतिशत क्रमश: 41.35 और 42.57 है।

मान्यवर, स्त्री शिक्षा के मामले में इस प्रदेश की और भी दुर्गति है। जहां पर केरल में यह प्रतिशत 65.73 है, मणिपुर में 29.06 है और नागालैण्ड में 32.89 प्रतिशत है, वहीं पर हमारे प्रदेश में इसका प्रतिशत केवल 14.04 प्रतिशत है। उसमें भी बहुत सारे अभागे क्षेत्र ऐसे हैं जो, इस प्रदेश में शिक्षा का जो प्रतिशत है, उससे भी बहुत पीछे हैं। जहां से मैं आता हूं—फैजाबाद मंडल, वहां के पूरे के पूरे मंडल में और हर जिले में शिक्षा का प्रतिशत प्रदेश के शिक्षा प्रतिशत से कहीं नीचे है। इसलिये मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि पिछले 38 वर्षों से शिक्षा का जो सत्यानाश हो रहा है—शिक्षा रूपी पवित्र सरस्वती आज न केवल सूख गई है, बल्कि अन्तर्ध्यान हो गई है, फिर से उसे इसी धरती पर लायें जिससे एक बार फिर राम और कृष्ण की इस धरती पर सम्पूर्ण क्रान्ति की लोक-गंगा का नैतिक मूल्यों से ओत-प्रोत शिक्षा रूपी सरस्वती से संगम हो सके। और उससे उत्पन्न त्रिवेणी की लहरों से एक बार पुन: सारे देश में सत्यं शिवं सुन्दरम का स्वर गूंज सके। मान्यवर, हमारे देश में आज शिक्षा एक त्रिपक्षीय व्यापार बनकर रह गयी है। सरस्वती के आराध्य सारे विद्या मन्दिर कारखानों में परिवर्तित हो चुके हैं और इस तरह से शिक्षा की गंगोत्री में जहर घोल दिया गया है। जैसा कि माननीय गुप्त जी ने कटौती का प्रस्ताव पेश करते हुये कहा, आज 500 से अधिक ऐसे मान्यता प्राप्त हाई स्कूल हैं जिनको आज तक ग्रेड नहीं मिलती। नतीजा यह है कि उनमें काम करने वाले अध्यापक मैनेजमेन्ट की दया पर रहते हैं। उनको 50-100 रुपये वेतन दिया जाता है लेकिन इधर सरकार का ध्यान नहीं जाने वाला है।

मैं अपने जिले का उदाहरण देना चाहूंगा। मेरे क्षेत्र में एक माधुरी बालिका विद्यालय, कटेहरी नाम की संस्था है। रंगनाथ तिवारी जी उसके प्रबंधक हैं, दर्जनों शिक्षा संस्थायें उनकी हैं लेकिन वह केवल कागज पर चलती हैं। लाखों रुपये सरकार के चाहे छात्रों की छात्रवृत्ति का हो अनुदान का हो, हरिजन छात्रों की छात्रवृत्ति का या अनुदान का हो या अध्यापक और अध्यापिकाओं का वेतन हो, वह सारा पैसा हड़प कर जाते हैं। उसका कोई बाल बांका करने वाला नहीं है क्योंकि आज फैजाबाद का वह डी0 डी0 आर0 डी0 आई0 ओ0 एस0 भी वह है और बेसिक शिक्षा अधिकारी भी है इसलिये कि उसका एक सिद्धांत है कि अगर 100 रुपए भी सरकारी अनुदान मिलता है, क्षतिपूर्ति का मिलता है, वह डंके की चोट पर कहता है कि अगर 99 रुपये मेरे घूस में चले जाते हैं तब भी मैं एक रुपये के लाभ में रहता हूं। इसलिए आज हो क्या रहा है।

मैंने इस मामले को बार-बार उठाया। मैंने 3-9-83 को लिखा, 15-1-84 को और 23-1-84 को इस प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा कि आज वह जितनी महिला शिक्षा संस्थायें चला रहा है उसको उसने वेश्यालयों का रूप दे दिया है। उनमें काम करने वाली अध्यापिकाओं के वेतन का शोषण तो करता ही है लेकिन अध्यापिकाओं और छात्राओं पर दबाव डालता है अनैतिक कार्य करने के लिए। मेरी शिकायत पर उत्तर प्रदेश की राजधानी से खुफिया जांच भी गयी थी और खुफिया जांच में आरोप सिद्ध पाये गये। मेरा आरोप है कि चूंकि उसके हाथ

बड़े लंबे हैं, उसने इस देश के प्रधान-मंत्री जो हैं, उनके चुनाव में 55 हजार रुपये और 2 जीपें भेजी थी। (शेम शेम की आवाजें)। आज फैजाबाद के शिक्षा विभाग का हर अधिकारी उसके हाथ में है, चंगुल में है। इसलिये सी0 आई0 डी0 की जांच रिपोर्ट आने के बाद भी उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। मेरी चुनौती है, माननीय शिक्षा मंत्री जी, उसकी जितनी भी एजूकेशन संस्थायें हैं उनकी एक साथ चेकिंग कराइये तो उनकी सही संख्या साबित होगी और जितनी अध्यापिकायें काम करती हैं वह साबित हो पायेंगी। लेकिन माननीय मंत्री जी की हैसियत नहीं है। जिस दिन उसके विद्यालयों पर कलम उठायेंगे उससे पहले मंत्री जी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिये जायेंगे।

मेरी निश्चित जानकारी है, मेरी चुनौती है कि जो तीनों खत मैंने मुख्य-मंत्री जी को लिखे हैं, मैंने प्रदर्शन भी किया था। मैंने जब प्रदर्शन किया था तो जिले के सारे आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 अधिकारी एकजुट हो गये थे। एडीशनल कमिश्नर से लेकर नायब तहसीलदार ने मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमें दर्ज कराये थे और आंदोलन किया था कि रवीन्द्र नाथ तिवारी को गिरफ्तार करो, नहीं तो हड़ताल कर देंगे। लेकिन जब जिला प्रशासन को मुझे गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं हुई तो एडीशनल कमिश्नर से लेकर नायब तहसीलदार तक ने जिले में हड़ताल किया। जब माननीय सदस्यों ने पिछली विधान सभा में सवाल किया तो शर्म नहीं आयी सरकार को, उन्होंने जवाब दिया कि लोग साप्ताहिक अवकाश पर गये थे, कुछ लोग सरकारी काम से लखनऊ गये थे, हड़ताल नहीं हुयी थी। आज यह सरकार की नैतिकता है।

मान्यवर, आखिर शिक्षा का कोई उद्देश्य हुआ करता है। शिक्षा का उद्देश्य होता है कि जो बालक है, उसके अंतर्मन में जो कुछ है, जो खूबियां हैं उनको विकसित करना, उसके व्यक्तित्व का विकास करना। लेकिन आज शिक्षा अपने उस पुनीत दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रही है। इसलिए मान्यवर, मेरी पहली मांग है कि माध्यमिक शिक्षा का अविलम्ब राष्ट्रीयकरण किया जाय, ताकि शिक्षा के तीनों पक्षों विद्यार्थियों, अध्यापक और प्रशासन में समुचित सामंजस्य स्थापित किया जा सके। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक की अन्तरात्मा अथवा अन्तर्मानस में सोई हुई क्षमताओं को जागृत एवं विकसित करके व्यक्ति के व्यक्तित्व को संवारना है, क्योंकि जब व्यक्ति बनेगा, तो उसके व्यक्तित्व में निखार आयेगा, तब अच्छा समाज बनेगा, क्योंकि व्यक्ति ही समाज की इकाई है। अच्छा समाज बनेगा, तभी अच्छा देश बनेगा। लेकिन आज शिक्षा विभाग अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहा है। मुदालियर कमेटी बनी, डाक्टर राधाकृष्णन् कमेटी बनी, आचार्य नरेन्द्र देव जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी और कई अन्य कमेटियां बनीं, परन्तु उनकी संस्तुतियों को आज तक लागू नहीं किया गया। उनको अमल में लाने का प्रयास नहीं किया गया।

इसलिए मेरा माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि शिक्षा को पूर्णतः यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाते हुए पुनर्गठित किया जाय। शिक्षा में आमूल परिवर्तन लाये। आज की जो हमारी शिक्षा है, उससे कोल बाबू पैदा होते हैं, क्लर्क पैदा होते हैं, देश बनने वाला नहीं है। समाज को बनाना है, तो शिक्षा में मौलिक परिवर्तन करना होगा। जैसा गुप्ता जी ने इशारा किया कि यह माध्यमिक शिक्षा परिषद् दुनिया की सबसे बड़ी इक्जामिइसको आज बदल कर देश को बनाना है,

निंग बाडी है, आज यह भ्रष्टाचार की बन गई है ।

इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस आउट डेटेड संस्था को अविलम्ब विघटित कीजिए इसकी जगह पर नेशनल कौंसिल आफ रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग, दिल्ली की सहायता एवं परामर्श से वस्तुमूलक परीक्षायें करायें । उसका जो भी रूप आप चाहें, कैसा परिवर्तन करें, लेकिन इसे अवश्य भंग कर दें, क्योंकि शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है, उसको रोक पाना, उस पर अंकुश लगा पाना इस सरकार के बाहर हो गया है । इसलिए माध्यमिक शिक्षा परिषद् या बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन, इलाहाबाद के द्वारा इसमें सुधार ला पाना सम्भव नहीं है । इसलिए इसको खत्म कीजिए । शिक्षा में यह जो दोहरी नीति है, इसको समाप्त कीजिए । आप एक तरफ तो व्यक्ति का विकास करना चाहते हैं, दूसरी तरफ बड़े लोगों के लड़के कनौरा कान्वेंट दून स्कूल और शिशु मंदिर में शिक्षा पाते हैं । दूसरी तरफ गरीब के लड़के 10 बजे तक खेतों में काम करते हैं, आधा पेट खाकर बिना किताब के पैदल चलकर उन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं जहां न अध्यापक हैं, न भवन हैं और न कोई सुविधा है । खुले आसमान में पढ़ते हैं और शाम को वापस आने पर फिर घर पर काम करते हैं और रात में टिमटिमाती चिराग की रोशनी में पढ़ते हैं और दोनों ही स्कूलों के विद्यार्थियों को एक ही तरह के कम्पेटीशन में बैठना पड़ता है । समान अवसर के नाम पर यह बात ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है । अगर इस व्यवस्था को चलायेंगे, तो क्रांति का आह्वान करेंगे । मान्यवर, इस व्यवस्था को यह देश अब और अधिक बरदास्त नहीं कर सकेगा ।

श्री सच्चिदानन्द वाजपेयी—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने अवसर दिया शिक्षा के इस बजट पर बोलने का आभारी हूं आपका । मैं सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा अपने शिक्षा मंत्री जी को जिन्होंने हृदय मन से स्वीकार किया है, कहां क्या कमियां हैं । यह इस बात का द्योतक है कि उनके मन में वही पीड़ा है जो आज हम सबके मन में है । उन्होंने यह स्वीकार किया है स्पष्ट रूप से किस तरह से हमारी प्राइमरी पाठशालाओं में भवन नहीं हैं, उपस्करों की कमी का भी उनको एहसास है । सीमित साधनों का जिक्र उन्होंने किया है । मैं समझता हूं, हमारे सभी माननीय सदस्य चाहे, इस पक्ष में हों, या उस पक्ष में हों, सबको इस बात का एहसास भी है । जहां हम बधाई देना चाहते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी को उनकी स्पष्ट वक्तृता के लिए, वहीं बधाई देना चाहता हूं, आपके माध्यम से अपने प्रधानमन्त्री जी को कि उन्होंने प्रधान मंत्री का पद भार ग्रहण करते ही यह घोषणा की थी कि शिक्षा में एक नई नीति, उन्हें लाना है । 15 अगस्त को भी राष्ट्र का आवाह्न करते हुए स्पष्टरूप से उन्होंने कहा कि शिक्षा की नई नीति पूरे देश को देने जा रहे हैं ।

मुझे विश्वास है कि शिक्षा की नई नीति से निश्चित रूप से हम लोगों को नई दिशा मिलेगी । मान्यवर, यह जो शिक्षा विभाग की पुस्तिका मिली है, इसको आप देखें, इसका अध्ययन करके स्पष्ट रूप से यह देखा जा सकता है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना में बेसिक शिक्षा के मद में यह सरकार निश्चित रूप से लगभग 2 गुना धन खर्च करने जा रही है । न केवल बेसिक शिक्षा पर दुगुने धन का प्राविधान है, चाहे पुस्तकालय की बात हो या दूसरी दिशाओं में भी सातवीं पंचवर्षीय योजना में काफी धन व्यय करने का प्राविधान है, अवसर कम है कुछ शब्दों में संकेतों में उन बिन्दुओं की तरफ भी आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । यद्यपि कुछ सीमायें

हैं, कुछ विषय ऐसे हैं, जिनमें वह चाहते हुए भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब आज देश में नई शिक्षा नीति पर विचार हो रहा है, संभवतः कुछ दिनों में शिक्षा की नई नीति आने वाली है। उस समय मैं समझता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री उन बिन्दुओं की तरफ भी भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। मैं बात कर रहा हूं अनौपचारिक शिक्षा की। इस बजट में लगभग 8 करोड़ का प्राविधान इस अनौपचारिक शिक्षा के लिये किया गया है। जिसमें राज्यों का धन लगेगा, केन्द्र का धन लगेगा और जिला योजना से भी पैसा लिया जायेगा। इस अनौपचारिक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि अधिक से अधिक हम बच्चों को शिक्षा दे सकें। मैं समझता हूं कि यदि इस अनौपचारिक शिक्षा का धन प्राइमरी विद्यालयों पर खर्च किया जाय, जो व्यवस्था थी 1980 के पहले, इस 8 करोड़ से प्राइमरी पाठशालायें खोलें, भवन विहीन, तो एक वर्ष में 8 हजार विद्यालय खोल सकते हैं। इस तरह से तमाम सुदूर गांवों में खेड़ों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना हो सकती है। जहां हमारे पास 20 हजार विद्यालयों के पास भवन नहीं है वहीं थोड़े और खुलेंगे और भवन नहीं होंगे तो कोई बात नहीं लेकिन जो हमारा उद्देश्य है, सार्वभौमीकरण की उसकी पूर्ति कर सकते हैं।

मान्यवर, एक बात की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। मेरी मान्यता है और मैं समझता हूं, गम्भीरतापूर्वक मंत्री जी विचार करेंगे, जो हमारे कक्षा 8 तक के छात्र हैं, उनको पढ़ो और कमाओ योजना के द्वारा लाभान्वित किया जाना चाहिए। गांव में स्कूलों में टाटपट्टी, डेस्क और ब्लेक बोर्ड बनाने का काम सिखाया जाय, इससे हम व्यवसायीकृत होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं समझता हूं आज हमारे विद्यालयों में जो उपस्करों की कमी है, वहां पर हम आगे बढ़ सकेंगे।

मान्यवर, शिक्षा मंत्री जी ने अदम्य उत्साह के साथ शिक्षा में अपने सीमित संसाधनों के अन्तर्गत काफी कुछ करने की चेष्टा प्रारम्भ की है। लड़कियों की शिक्षा के सिलसिले में 12 हायर सेकेंडरी स्कूल खोलने की बात उन्होंने की है। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से उस दिशा में हमारे कदम हैं। मेरा एक सुझाव है कि हमारे प्रदेश में तमाम बी0टी0सी0 ट्रेनिंग के लिये विद्यालय हैं। उनमें छात्र संख्या 30 या 40 की होती है। उनका पूरा उपयोग हम नहीं कर रहे हैं। यह उचित होगा कि माननीय शिक्षा मंत्रीजी सम्भवतः विचार करें कि उनमें से कुछ को लड़कियों के हायर सेकेण्डरी स्कूल के लिये या लड़कों के हायर सेकेण्डरी स्कूल के रूप में परिवर्तित कर दें, तो बच्चों को लाभ होगा।

जहां तक व्यवसायीकृत शिक्षा की बात है, इसके लिये प्रयास प्रदेश में 1981 में प्रारम्भ हुआ था। कुछ जिलों में सर्वेक्षण इसके लिये कराया गया। मैं समझता हूं कि अगले सत्र से माननीय शिक्षा मंत्री स्वयं इस बात को सुनिश्चित अवश्य करायेंगे कि व्यवसायीकृत शिक्षा के माध्यम से इण्टरमीडिएट के लड़कों को लाभ मिले और हमारी इस शिक्षा को यदि जिलों के उद्योग विभाग से और जिलों के बेरोजगार कार्यालय से जोड़ा जा सके तो शायद लाभ हो, क्योंकि धीरे-धीरे, मैं यह देख रहा हूं कि तमाम लड़के यह समझने लगे हैं कि बी0ए0 और एम0ए0 पास करने से लाभ नहीं है। उन्हें रोजी रोटी के साधन इण्टरमीडिएट के बाद मिलें।

मान्यवर, आज साक्षरता की भी बात कही गयी। छोटे से प्रदेश केरल का

उदाहरण दिया गया कि वहां साक्षरता अधिक है। लेकिन जितना बड़ा हमारा प्रदेश है, उतनी ही बड़ी हमारी समस्यायें हैं। हर क्षेत्र में पिछड़ा होने के बाद भी शिक्षा की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें काफी कुछ अभी करना है। एक बात मैं मान्यवर, कहना चाहूंगा कि शिक्षा का स्वरूप आदर्शमय हो और हमारी शिक्षा का यथार्थ ही आधार हो। थोड़े शब्दों में अपनी बात समाप्त करता हूं। पूरे प्रदेश में विज्ञान की शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया, लेकिन यह देखकर दुख होता है कि बहुत से विद्यालयों में विज्ञान के शिक्षक ही नहीं हैं। दूसरी ओर समाज-विज्ञान की पुस्तकों को देखा है। उस सम्बन्ध में मात्र संकेत ही कर रहा हूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी देख लें कि जो विषय हैं उनमें कितने परिवर्तन की आवश्यकता है। नैतिक शिक्षा के नाम पर जो कुछ हो रहा है, उसे भी देखने की आवश्यकता है। मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा कि एक दिन मुझसे किसी माननीय सदस्य ने कहा कि जो हमारी महिला अधिकारी हैं, उनकी प्रोन्नति के अवसर कम हैं। जहां साथ-साथ नियुक्त किये गये महिला और पुरुष अधिकारियों को, आज पुरुष अधिकारी क्लास वन में हैं और महिला अधिकारी क्लास-दो में हैं। इन विषमताओं की ओर आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

मान्यवर, जहां तक उर्दू और संस्कृत की शिक्षा देने की बात है, आज आवश्यकता है इस बात की कि जिन विद्यालयों में अपेक्षित छात्र मिलें उर्दू के, वहां उर्दू के और जहां अपेक्षित छात्र मिलें संस्कृत के, वहां संस्कृत के अध्यापक नियुक्ति करे जायं। अन्त में एक बात कह कर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा कि मान्यवर, आज मुझे खुशी है कि गांव-गांव में जागरूकता है और हर व्यक्ति, चाहे उसके पास खाने को और पहनने को न हो, वह देखना चाहता है कि उसका बालक, लड़का निश्चित रूप से अच्छी शिक्षा ग्रहण करे। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और शिक्षा मंत्रीजी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं। वहीं निवेदन करता हूं अपने गुप्त जी से कि जहां वे कटौती की बात कर रहे हैं कि एक रुपया कर दिया जाय, उन्हें मांग करनी चाहिये कि इस बजट को और बढ़ाया जाय ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री कौशिक रमाशंकर—

मान्यवर, जब मैं माननीय मंत्री जी का भाषण सुन रहा था, बीच-बीच में, ऐसा एहसास होता था कि माननीय मंत्री जी ही कटौती का प्रस्ताव रख रहे हैं। खैर, इस बात की मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने जो सत्यता है, उसको स्वीकार किया। मान्यवर, जहां तक और दूसरे विभागों का सम्बन्ध है, वे भी निरपेक्ष तो नहीं हैं, हर विभाग एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। लेकिन, शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है जिसका सम्बन्ध हमारी जीवन शैली से है, हमारे पूरे जीवन से है। इसलिए जब इस पर हम बहस करते हैं तो इस बात को सोचकर चलना होगा कि जिन्दगी के दूसरे आयाम हैं, पहलू हैं, शिक्षा विभाग एक ऐसा विभाग है, जिसका उन सभी से बहुत बड़ा ताल्लुक है। हमें कुछ बुनियादी बातों को लेकर चलना पड़ेगा।

मान्यवर, शिक्षा विभाग जितना आवश्यक है, उतना ही हमारे यहां उ0 प्र0 में, उपेक्षित है। यह इस बात से जाहिर है कि हम कितना बजट रखते

है । मान्यवर, शिक्षा विभाग में कम से कम 33 फीसदी कुल बजट का रखना चाहिये । ताकि हमारा समाज अच्छा बने, हमारी शिक्षा रोजगारपरक हो, संस्कारपरक हो । अगर हम यह चाहते हैं तो निश्चित रूप से कुल बजट का 33 फीसदी बजट रखना होगा । लेकिन, वह होता नहीं । मान्यवर, जो 600 करोड़ रुपये का बजट इस निमित्त रखा गया है, उसमें 80 फीसदी वेतन में चला जाता है । 20 फीसदी शिक्षा के अन्य कामों के लिये रह जाता है । जिसमें कि इतनी बड़ी खामियां हैं ।

मान्यवर, तमाम प्राइमरी स्कूल ऐसे हैं, जिनमें न छते हैं, न दीवारें हैं । कहा जाता है कि मास्टर लोग जाते नहीं अधिकांश में । हो सकता है मास्टर की कमी हो । यह भी कहा गया कि उन पर प्रभावी रूप से नियंत्रण नहीं हो पाता है । मान्यवर, जब 80 फीसदी वेतन में चला गया पूरे बजट का और 20 फीसदी रह गया शिक्षा के अन्य कामों के लिये तो यह बिल्कुल शिक्षा के साथ मजाक है । मान्यवर, एक बहुत बड़ा खतरा, मौजूदा शिक्षा प्रणाली से पैदा हो रहा है । सदियों पहले जो हमारे बुजुर्गों ने एक गल्ती की थी, समाज के बहुत बड़े हिस्से को शिक्षा से काट दिया था और आज हम उस कमी को पूरा कर रहे हैं आरक्षण के जरिये से । हम कहते हैं कि उस कमी को पूरा करें । जो हम खामियाजा भुगत रहे हैं, भुगतने के लिए तैयार हैं, चूंकि वह एक अन्याय हुआ ।

मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि मौजूदा जो शिक्षा प्रणाली है, जिसके तहत प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी शिक्षा चल रही है, उसमें फिर यह खतरा है । मगर यह मौजूदा स्थितियां चलती रहीं तो आने वाले 10 वर्षों में आपको ब्राह्मण तथा क्षत्रियों के 80 फीसदी लड़कों का भी आरक्षण देना होगा । जिनके बच्चे आज अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, वे उत्तर प्रदेश के चन्द मुट्ठी भर लोगों के हैं चाहे वह नौकर-शाह हों या बड़े-बड़े धनपति के हों । आज 90 फीसदी बच्चों को सिर्फ उसी ढंग से, जिस ढंग से सदियों पूर्व किया गया है, अच्छी शिक्षा से हम काट रहे हैं । वह उस कम्पटीशन से, जिस कम्पटीशन से होकर उन्हें गुजरना है, वह समाज में कहां टिकेंगे । एक पब्लिक स्कूल में एक बच्चे पर प्राइमरी स्तर पर 300 रु0, 500 रु0 या 1,000 रु प्रतिमाह तक खर्च होता है वहीं जो स्कूल बेसिक शिक्षा परिषद् के माध्यम से चल रहे हैं, उसमें एक लड़के पर मुश्किल से 2 रु0 खर्च आता है । वह कैसे चलेगा । 2 रु0 पर पढ़ने वाला बालक 1,000 रु0 पर पढ़ने वाले बालक के सामने कहां टिकेगा ?

इन 90 फीसदी लोगों को फिर से आपको आरक्षण देना पड़ेगा, यह मानकर आप चलिये । यदि बुनियादी तौर पर आप कोई शिक्षा नीति लाने वाले हैं, राजीव गांधी जी की आप जय बोलिये हम भी जय बोलेंगे, आप इस पूरे प्रदेश में प्रत्येक बच्चे चाहे वह किसी भी बिरादरी का हो, चाहे वह किसी भी सामाजिक स्तर का हो और चाहे वह किसी भी आर्थिक स्तर का हो, को कम से कम प्राइमरी पाठशाला तक तो समान शिक्षा दीजिए । आज आरक्षण के प्रश्न पर जो स्थिति अन्य प्रदेशों में बनी हुई है और हमारे प्रदेश में उठी हुई है, यह 10 वर्षों के बाद और भयंकर होगी, यदि आपकी यही शिक्षा नीति रही तो आप यदि हर बच्चे को समान शिक्षा देंगे तो आपकी वाह-वाह होगी और राजीव गांधी की भी जय-जय बोली जायेगी ।

मान्यवर, बेसिक शिक्षा परिषद् का जो उद्देश्य था, मेरा मानना है कि आज यह बेसिक शिक्षा परिषद् बिलकुल फेल

हो गयी है । आज बेसिक शिक्षा परिषद् में जिस तरह की व्यवस्था चल रही है और जिस तरह से प्राइमरी पाठशालायें चल रही हैं, उससे न तो बच्चों का कल्याण होने वाला है और न ही शिक्षा का । आज इन पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं है । आज हममें जितने भी माननीय सदस्य हैं, चाहे वे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के, इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां किस तरह से पढ़ाई हो रही है । 1 करोड़ 10 लाख बच्चे प्राइमरी स्कूलों में पढ़ने जाते हैं, मैं इसको अस्वीकार नहीं करता, लेकिन आप यह भी सही मान लीजिए कि इन 1 करोड़ 10 लाख बच्चों में से सिर्फ 70 लाख बच्चे 5वीं तक की शिक्षा पा पाते हैं और शेष बच्चे घर बैठ जाते हैं । वहां मास्टर जाता नहीं है और न ही वहां कोई सुविधा है । इसलिए मेरा सुझाव है कि बेसिक शिक्षा परिषद् की व्यवस्था को खत्म किया जाय और जिला परिषद् के माध्यम से इनकी व्यवस्था की जाय । इसका चुनाव भी आप कराने जा रहे हैं । जो व्यवस्था इस समय है उससे वह अच्छी है । पहले भी जिला परिषद् के माध्यम से स्कूल चलाये जाते थे । यदि आप यह थोड़ा सा काम कर देंगे, तब हम समझेंगे कि आप काम शुरू कर रहे हैं ।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के बारे में यहां पर कहा गया । कई बार इस प्रश्न पर विचार भी किया गया कि माध्यमिक शिक्षा को ऐसा होना चाहिए । यह जरूरी नहीं है कि माध्यमिक शिक्षा पढ़ने के बाद लड़का आगे की शिक्षा पढ़े। इसे माननीय मंत्री जी ने भी स्वयं स्वीकार किया है । उन्होंने यह भी कहा कि हमारे विश्वविद्यालयों में जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, वे बेचारे केवल समय काटने के लिए जाते हैं । जवान हो गये हैं । काम करना चाहते हैं, लेकिन कोई काम मिलता नहीं है । आज हमारी जो माध्यमिक शिक्षा की व्यवस्था है वह उन्हें इस योग्य नहीं बना पा रही है वह अपने पैरों पर खड़े होकर काम कर सकें । जब आप नई शिक्षा की नीति निर्धारित करने जा ही रहे हैं, तो इस बात को भी ध्यान में रख लीजियेगा कि माध्यमिक शिक्षा ऐसी हो जिससे लड़कों को रोजगार के पूरे अवसर मिलें । शिक्षा से हमारी संस्कृति बननी चाहिए, इसमें कोई सन्देह नहीं है । लेकिन आज हम संस्कृति से कटते जा रहे हैं । बहुत वर्ष पुरानी अंग्रेजों द्वारा बनाई गई जो शिक्षा पद्धति थी, उसी ढर्रे पर हम आज भी चल रहे हैं । हम लोग आज अपने ज्ञान से और संस्कृति से गिरते जा रहे हैं । हम चाहे अपनी संस्कृति से कितने ही हटें, लेकिन हम पश्चिमी संस्कृति से नहीं जुड़ पायेंगे, भले ही 4-5 परसेन्ट लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि वे पश्चिमी सभ्यता से जुड़ जायं, लेकिन वे भी उससे नहीं जुड़ पायेंगे क्योंकि हमारी संस्कृति वह नहीं है ।

मान्यवर, विश्वविद्यालय के स्तर के बारे में कहना चाहता हूं । काशी विद्यापीठ की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । आप यह देखें कि काशी विद्यापीठ का जो विश्वविद्यालय है, वह आपके नियमों और कानूनों से बंधा हुआ है । आपका तार जाता है, टेलेक्स जाता है, पत्र जाता है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता । टेलेक्स गया उप कुलपति के पास कि आप कोई भी सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति नहीं कर सकते लेकिन उन्होंने सुरक्षा गार्ड की नियुक्ति कर दी । किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन नहीं किया कि वहां पर बी0 एड0 के कितने विद्यार्थी होंगे और वहां 5 सौ, 6 सौ रख लिये जाते हैं, कोई निर्देश नहीं दिया, यूनिवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने आलोचना की कि जब तक

सरकार की संस्तुति न हो, सरकार की तरफ से न कहा जाये किसी प्रकार की काइ नियुक्त नहीं करगे और पचासों-पचासों अध्यापक नियुक्त कर लिये गये और जितने आदेश जाते हैं वह सारे के सारे रद्दी की टोकरी में फेंक दिये जाते हैं ।

आप का पूरा नियंत्रण उन पर होना चाहिए । जो कानून हैं, उनके तहत बंधे हुए हैं, एक्ट के तहत बंधे हुए हैं, इसके बावजूद हजारों छात्रों, मास्टरों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । अध्यापकों का नियुक्त हो रहा है ऐसे लोगों की जो सजायाफ्ता हैं, अपील पर छूटे हुए हैं तो इसको देखें । इन शब्दों के साथ, मैं बहुत कुछ कहना चाहता था, किन्तु बहुत से लोग बोलने वाले हैं, आपके सामने भी परेशानियां हैं, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री भोला सिंह—

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अधिष्ठाता जी, मुझे आपने शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूं । हमारे शिक्षा मंत्री ने जो बजट रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं । हमारे युवा प्रधान मंत्री जी ने जो दृढ़ संकल्प किया है, शिक्षा प्रणाली में, नई प्रणाली लाना चाहते हैं, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं । मेरा क्षेत्र सोरांव, इलाहाबाद सबसे पिछड़ा क्षेत्र है । यह 14 साल तक विपक्ष में रहा है, लेकिन शिक्षा का, स्कूलों का इतना अभाव है कि विद्यालय के नाम की कोई चीज नहीं है । मैं आपसे निवेदन करूंगा, शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वहां विद्यालयों का, कुछ ऐसा प्रबन्ध करें कि कुछ विद्यालय दिये जायें और वहां भी पढ़ाई का साधन बने । शिक्षा का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र है । इसका स्तर गिरता जा रहा है । प्राइमरी स्कूलों के भवनों की दशा खराब हो रही है ....

एक सदस्य—

मान्यवर, इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

एक सदस्य—

नये सदस्य हैं, सुन लीजिये ।

श्री भोला सिंह—

बच्चे पेड़ों के नीचे पढ़ने जाते हैं । शिक्षकगण भी समय पर विद्यालय नहीं आते और आते हैं तो मन लगाकर पढ़ाते नहीं । इसकी व्यवस्था की जाय । मेरा सुझाव है कि शिक्षकों को उनके घर से दूर के विद्यालयों में रखा जाय ताकि वह समय पर विद्यालय आवें और पढ़ाई में मन लगे । शिक्षकों के पेंशन का सरकार बन्दोबस्त करे । अन्य सुविधाओं का भी इन्तजाम करे । उनको घर से इतनी दूर रखा जाये कि हफ्ते में एक दिन के लिए घर आ जा सके ताकि पढ़ाई की व्यवस्था ठीक तरह से करें । शिक्षा का स्तर नीचे गिरने का कारण यह भी है कि विद्यालयों का बन्दोबस्त विद्यालयों के भवनों का बन्दोबस्त इतना खराब हो गया है कि पढ़ाने की जगह नहीं है, पेड़ों के नीचे बैठकर पढ़ाते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं सदन में बैठे हुए सभी विधायकगण और मन्त्रीगण का स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं और अपने अध्यक्ष महोदय को भी बधाई देता हूं जिन्होंने हमको बोलने का मौका दिया । इसके साथ ही मैं अपने शिक्षा मंत्री को भी बधाई देता हूं ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया है । मैं कटौती के प्रस्ताव की हिमायत और कट जो पेश किया है

उसकी मुखालफत में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं ।

एक अंग्रेजी कहावत का तर्जुमा है कि इतना झूठ बोलो कि वह सच लगने लगे। साथ ही एक और कहावत है कि जिसका तर्जुमा है कि कुछ दिन तक बहुत से लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है लेकिन हमेशा के लिए कुछ लोगों को भी बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता । बहुत अच्छी आपकी तकरीर थी । आपने एक शेर भी सुनाया, जिसके जवाब में दूसरा शेर अर्ज है—

> पत्ता-पत्ता बूटा-बूटा हाल हमारा जाने है,
> जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने है ।

यह वक्त की बदनसीबी है कि हमारे माननीय मंत्री जी, जो शिक्षा के मंत्री हैं, उन्होंने प्राइमरी शिक्षा, शिक्षा प्रणाली, उससे जुड़ी हुई बदनसीबियां, अध्यापकों के साथ क्या परेशानियां हैं, उसका बहुत लम्बा चौड़ा वर्णन किया । आज अपने बच्चों को कपड़े पहनाने की भी बात की मगर जो टूटे स्कूलों को छत नहीं पहना सके, वह बच्चों को कपड़े क्या पहनायेंगे ? माननीय मंत्री जी के बच्चे तो ला मार्टीनियर में पढ़ते हैं, आप बात करते हैं प्राइमरी स्कूल की ? आप अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ाकर देखिये, जब तक आग घर में नहीं लगेगी, आग की और आंच का अंदाजा नहीं हो सकता । जब तक आपके ऊपर नहीं बीतेगी आपको पता नहीं चलेगा कि प्राइमरी स्कूल और अंग्रेजी स्कूल के बच्चों में कितना अन्तर होता है अपने बच्चों की बर्बादी अपने आंखों से देखिये तबदीली तब आयेगी । कटौती का प्रस्ताव आया लेकिन उर्दू का जिक्र उसमें नहीं था । मेरी जिम्मेदारी है कि जो बात छूट गयी हो, उसको कहूं । कटौती का प्रस्ताव आया, मंत्री जी भी बोले, लेकिन उन्हें न कभी कोई हमदर्दी रही है न लगाव, लिहाजा वक्फ का जिक्र करने से पहले वो बैठ गये । हमारे साथी से भी एक चीज छूट गयी है । एक पुर्जा आयी है, "उत्तर प्रदेश में उर्दू शिक्षा की व्यवस्था", इसकी छपाई में हजारों रुपया खर्च हुआ होगा । जिसने लिखा होगा, उसको भी कुछ मिला होगा । इसमें वक्त भी लगा होगा ।

मेरा कहना है कि इस पुर्जे की छपाई में नाजायज खर्चा हुआ है । यह बरबादी की है सरकार ने । अगर यह इतना ही अहम था तो कम से कम एक जुमला मंत्री जी की जुबान से निकलना चाहिये था । इसलिए नहीं निकला कि उन्हें पता है कि एक ऐसा फिरकापरस्त मंत्री यहां बैठा है, जो उर्दू की बात नहीं सुनना चाहता, जिस दिन कहेंगे मन्त्री पद पर नहीं रहेंगे । अगर उर्दू के बारे में संजीदा थे या हैं तो पिछली एसेम्बली में तीन बार बिल पेश हुआ और अपनी मौत आप मर गया, अगर आपकी नीयत साफ है, अगर आप उर्दू के बारे में कुछ करना चाहते हैं तो अभी लाइये बिल, वह पास हो जायेगा तो आपकी वाह-वाह होगी और अगर नहीं पास होता है तो जिल्लत भी आपको ही मिलेगी, इसके लिए आप तैयार रहिये । पिछली सत्र में एक मंत्री ने सदन में कहा था कि उर्दू इस दरवाजे से नहीं उस दरवाजे से दाखिल होनी चाहिए । कहा गया कि आठवें तक इसे लाजमी करार दे दिया जाये हमने भी इसे इत्तेफाक किया । उर्दू को दूसरी सरकारी जबान बनाने के मुतालबे को वापस ले लेना चाहिये ।

अब मैं वक्फ को भी एजूकेशन से जोड़ता चलूं । रामपुर में एक पाठशाला है उसमें वहां डिप्लोमा क्लासेज होने वाले हैं । हमारे यहां उसका प्रधानाचार्य बड़ा चरित्रवान है । यही नहीं अध्यापकों का हाल यह है कि जब तक उसे घी

की पिपिया नहीं दी जाय तो टी0 सी0 नहीं मिलेगी, पांच किलो धान जब तक न दिये जायं तो नम्बर नहीं बढ़ेंगे । इसी सदन में कहा गया है कि पांच ऐसे तालीमयाफ्ता लोग हैं जिनके कि मैं नाम दे सकता हूं जिन्होंने दूसरी हाई स्कूल की मार्कशीट बनवाई है एक हजार और दो हजार रुपये देकर । मेरे यहां के आई0 टी0 आई0 के प्रिंसिपल का भी जरा चरित्र सुन लीजिये । यहां से जो टी0 वी0 भेजा गया है उसे उन्होंने अपने घर में रख लिया है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

इसे आप टेक्निकल एजूकेशन पर बोलियेगा ।

श्री मुहम्मद आजम खां—

ठीक है, यह टेक्निकल में आयेगा, उसे अब मैं नहीं कहता हूं, वापस ले लेता हूं । मैंने तो अपनी गलती मान ली, आप भी मान जाइये नहीं तो ऐसे ही शोर करते रहेंगे इससे आपकी ही अक्लमन्दी साबित होगी ।

अब मैं वक्फ पर कहने जा रहा हूं कि अरबों रुपये की जायदाद का नाजायज इस्तेमाल हो रहा है और मंत्री जी को वक्त ही नहीं मिल रहा है ठीक भी है एक मंत्रालय से वक्त मिले तो देखें भी । मान्यवर, आपने देखा होगा पिछले दिनों मेरा वक्फ के बारे में प्रश्न भी था इसे हमारी खुशफहमी या गलतफहमी कहिये कि मंत्री जी से मेरी जानकारी वक्फ के जाबतों के बारे में ज्यादा है, ने जवाब दिया कि उसका ताल्लुक वक्फ से नहीं था । उस समय माननीय अध्यक्ष ने कहा था कि जब तक जाब्ते नहीं बदले जायेंगे तब तक वक्फ जायदादें महफूज नहीं हो सकता । गोण्डा की एक जायदाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम आजादी से दस साल पहले वक्फ की गयी थी । यह इतनी बड़ी जायदाद है जिसमें एक लाख रुपये के स्टैम्प पेपर आजादी के 10 वर्ष पहले लगे थे । उस जायदाद को शहर के गुण्डों ने हड़प लिया है । यह जायदाद हार्ट आफ द सिटी में है तकरीबन बीस करोड़ की मालियात है और बहुत बड़ी जायदाद है। इसी तरह से मेरे शहर में भी सिविल लाइन्स में डेढ़, दो करोड़ रु0 की जायदाद है, उसको भी ठीक से देखने की जरूरत है और गलत काबिज लोगों से कब्जा हटवाने की जरूरत है । अगर इन दो कामों को ही आप मंत्री रहते करते तो बड़ा करनामा होगा ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, अभी मैंने अपने मंत्री जी को जो बजट पेश करते हुए जो बात कही गयी उसको सुना और कटौती को भी सुना । स्वयं माननीय सदस्य रामपुर ने यह बात कहा था कि उनके अपनी ओर से जो कटौती का बजट पेश हुआ उसमें न तो उर्दू का हवाला दिया गया और न संस्कृत का जिक्र करते हुए अरबी मदरसे का जिक्र किया गया ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

उन्होंने सरकार को भी कहा ।

(व्यवधान)

*श्री खान गुफरान जाहिदी—

चूंकि शेरों में बात हो गयी है इसलिए एक शेर मैं भी सुनाये देता हूं—

"जिक्र जब छिड़ गया कयामत का,
बात पहुंची तेरी जवानी पर ।"

उस तरफ जवानी के जितने मेम्बर उर्दू को न चाहने वाले बैठे हैं वह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ज्यादा है । मैंने ज्यादा तादाद उधर की बताई है । मान्यवर, मैं तालीम के बजट पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । मैं बुनियादी तौर पर कुछ बातों की ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं । 3-4 बातें खास आई । एक तो यह कि वक्तन जिसकी तारीफ विपक्ष ने की और माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में किसी तरह का आपकी इस स्कीम का जिक्र नहीं किया जो लाभदायक हो सकती थी, जिनको कबूल करने में कोई दिक्कत हो सकती थी । बल्कि वास्तविक स्थिति जो थी उसका जिक्र किया उसमें जो कमियां थी वह कटौती की तरफ से आई । मैं आपसे यह कहता हूं कि 3 करोड़ 18 लाख रुपये का कुल 47 में बजट था और आज 640 करोड़ रुपये का बजट हो गया । मैं मसकूर था कि इतना पैसा व्यय करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद भी बड़ा कन्ट्राडिक्शन दिखाई दे रहा है । तालीम की मियार आज से 10—20 साल पहले जो थी वह स्टैण्डर्ड आज नहीं मिलता । क्योंकि अब इसमें दो राय दो बात आती है । एक तो यह कि हमने सिस्टम बदल दिया, जो प्राइवेट मैनेजमेन्ट था, वह बदल दिया जिसकी तरफ माननीय गुप्ता जी ने इशारा किया ।

मैं मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने कहा कि जब तक आवाम का सहयोग नहीं होगा, चाहे वह अस्पताल हो, चाहे स्कूल हो चाहे इस तरह की तमाम सामाजिक काम करने का हो, जब तक सब सरीक नहीं होंगे यह काम नहीं होगा । आज तक जितनी सूरते हाल रही है मान्यवर, यह देखा जाय कि सरकारी और गैर सरकारी स्कूल कितने हैं, उसका अनुपात क्या होगा तो हम पायेंगे कि 10 में से 3 या 4 स्कूल सरकारी हैं और 6 या 7 गैर सरकारी होंगे तो अब दो तरह की बातें कही गयी एक तो नर्सरी के बारे में कही गयी बहुत साथियों ने सही-सही इजहार किया, दूसरी तरफ मियार कर रहे हैं। बच्चे टाट पट्टी पर बैठे हैं, वह पढ़ नहीं पाते हैं, मैं कहता हूं कि अध्यापकों को काफी वेतन दीजिए, उनका बीमा कम्पनी से बीमा करा दीजिए । लेकिन लिल्लाह और खुदा के वास्ते आप कुछ ऐसा कीजिए कि मास्टर सब स्कूलों में जायें । अगर स्कूलों में नहीं जाते हैं तो यह मैनेजमेन्ट और इन मास्टरों पर बराबर जुर्माना और बराबर सजा दी जाय । अगर यह नहीं किया जायेगा तो आपके स्कूलों में बच्चे नहीं आयेंगे। मैंने रिक्शे वाले को अपने बच्चे को नर्सरी स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते देखा है । क्यों ऐसा है ? यह इसलिए है कि आपके यहां पर स्टैंडर्ड नहीं है और पढ़ाने के लिए अध्यापक नहीं हैं । मैं भी प्राइमरी पाठशाला का पढ़ा हुआ हूं, ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी स्कूल में ही तालीम होती है । आई0 ए0 एस0 और आई0 पी0 एस0 का रिजल्ट निकला, तो जो नीचे के स्तर से गये थे, उनकी तादाद ज्यादा थी ।

मान्यवर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मंत्री जी ने इंकलाबी कदम उठाने की बात सोचते हैं और समाजवादी नुक्तों को ध्यान में रखते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि मास्टरों की तनख्वाहें चाहे जितनी आप बढ़ायें, लेकिन उसके साथ ही साथ यह भी व्यवस्था करें जिन अध्यापकों का तीन साल का रेजल्ट खराब होगा, उनको हटा दिया जायेगा, उस स्कूल का अनुदान बन्द कर दिया जायेगा ।

मान्यवर, लामार्टिनियर और इस प्रकार के दूसरे और स्कूल चल रहे हैं, लोग कहते हैं कि उनको बहुत अख्त्यार है । वह माइनारिटी के इन्स्टीट्यूशन्स हैं, तो मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर भी बहुत एक्सप्लायटेशन है । अगर यह न होता तो सरसैयद, विद्यासागर, मदन

मोहन मालवीय जैसे लोग विश्वविद्यालयों की स्थापना न करते और हजारों कालेज न फैले होते । तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कोई न कोई सामंजस्य स्थापित कीजिये । क्या बात है कि हमारे स्कूलों का स्तर रोज नीचे गिरता जा रहा है ।

अब मान्यवर, मैं टीचर्स पर आता हूं 365 दिन में 220 दिन ही वर्किंग होते हैं और औसत निकला है कि 100 दिन भी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। आप स्ट्राइक करें, खूब करें, तनख्वाह लें, ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ बच्चों की तालीम के साथ धोखा न हो । यह देश द्रोह नहीं है तो क्या है ? बच्चों को पढ़ने के लिये भेजा जाये और वहां पर पढ़ाई न हो और वहां पर कोई पढ़ाने वाला न हो । आप हिसाब लगावें, आप प्रतिदिन 3 करोड़ रुपया वेतन में देते हैं और फिर भी पढ़ाई नहीं हो रही है तो आपको कदम उठाना है और सख्त कदम उठाना है ।

मान्यवर, सरकार के सारे विभागों का आडिट होता है, पी0 ए0 सी0 करती है और पी0 यू0 सी0 करती है, जो सच्चाई है, वह बयान की जा रही है । आपने कहा कि आपके साधन सीमित हैं, तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन आपके जो साधन हैं उन्हीं के अन्तर्गत सख्ती करें, कि पढ़ाई का स्तर अच्छा हो और काम बढ़े । सरकार के सारे विभागों का आडिट होता है, माननीय गुप्ता जी ने कहा और शतरुद्र जी ने कहा, 640 करोड़ रुपये की बात है और जहां पर लेन-देन की गड़बड़ियां हैं, कितने स्कूल इस सम्बन्ध में पकड़े गये हैं ? मान्यवर, इसी प्रकार से सहकारिता में में भी है और इसी तरह की बहुत सी संस्थायें हैं जिनका आडिट नहीं होता है । मैं कहना चाहता हूं कि इन स्कूलों के लिए आप एक स्पेशल आडिट सेल खोलें और जिनका औसत 220 दिन से कम आता है, उनके खिलाफ कहीं न कहीं कार्यवाही की जाये ।

मैं इन शब्दों के साथ यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो आपने संस्थान बना रखे हैं जिनमें डेढ़-दो करोड़ रुपया खर्च होता होगा, उनमें आज कोई काम नहीं होता है । उनमें ट्रेन्ड और सीनियर लोग मौजूद हैं । मैं चाहूंगा कि वहां पर लड़कियों के स्कूल कायम किये जायें । 1 और 5 का रोशियो रखा है बच्चों और बच्चियों का । जब कि 51 प्रतिशत लड़के और 49 प्रतिशत लड़कियों का अनुपात आता है । तो यह एक और पांच का अनुपात उसमें क्यों है । यह पढ़ने और पढ़ाने वालों में फर्क क्यों है । आपने 12 लड़कियों के स्कूल खोलने की बात कही है । मैं आपको इस बात का स्वागत करता हूं । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का भरपूर स्वागत करता हूं और गुप्ता जी से कहूंगा कि जिस तरह से उन्होंने बात रखी है, उसके ऊपर वे बल न दें और अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें ।

*श्री मनोहर लाल—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का मौका दिया । माननीय गुप्ता जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं । अधिष्ठाता महोदय, 12 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में एक मात्र सरस्वती पुत्र शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, मैं उसकी निन्दा करता हूं और उसका मैं विरोध करता हूं । माननीय राजीव गांधी के बाद हमारे शिक्षा मंत्री जी ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में कहा कि हम देश को और उत्तर प्रदेश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं । कोई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

न कोई घोषणा माननीय शिक्षा मंत्री जी करेंगे, हम यह उम्मीद कर रहे थे, जिससे उत्तर प्रदेश के रहने वाले करोड़ों करोड़ नौजवान लोग जो एम0 ए0 और बी0 ए0 की डिग्री लेकर घूम रहे हैं उनको किसी तरह से भरोसा मिलेगा ।

मैं यह समझता था कि वे इस तरह की घोषणा करेंगे जिस तरह से प्राचीनकाल में हिन्दुस्तान में गुरुकुल बने हुए थे, जिस तरह से यहां पर शिक्षा दी जाती थी, पेड़ों के नीचे पढ़कर राम और दूसरे अवतार यहां हुए हैं, उनको जिस तरह की शिक्षा मिलती थी, उस तरह की शिक्षा नीति की कोई घोषणा माननीय शिक्षा मंत्री जी करेंगे । क्योंकि आज हम स्कूल नहीं जा सकते हैं, स्कूलों की छत नहीं बनवा सकते हैं, स्कूल नहीं खोल सकते हैं, अध्यापकों की संख्या नहीं बढ़ा सकते हैं तो कम से कम जो पेड़ों के नीचे स्कूल चल रहे हैं उनमें बढ़ोत्तरी तो कर सकते हैं । इस तरह की कोई घोषणा माननीय मंत्री जी जरूर करेंगे, ऐसी आशा हम कर रहे थे । लेकिन वह घोषणा माननीय मंत्री जी ने नहीं की ।

मैं ज्यादा आंकड़े नहीं देना चाहता हूं । सिर्फ दो-तीन आंकड़े दूंगा । प्रति लाख जनसंख्या पर स्कूलों की संख्या के आंकड़े देना चाहता हूं । मान्यवर, प्रति लाख जनसंख्या पर जूनियर हाई स्कूल 1978-79 में 68, 1981-82 में 65 और 1982-83 में 64 थे । इसी तरह से सीनियर बेसिक स्कूल 1978-79 में प्रति लाख 11, 1981-82 में 12 और 1982-83 में 12 थे । इसी तरह से हाई स्कूल प्रति एक लाख की जनसंख्या में 1978-79 में 5, 1981-82 में 5 और 1982-83 में 5 थे । यानी 1978 से लेकर 1983 तक हायर सेकेन्डरी स्कूलों की संख्या नहीं बढ़ाई जा सकी । जूनियर बेसिक स्कूलों की संख्या जो 1978-79 में थी उसके बाद वह कम हो गई । ये आंकड़े हैं आपकी सांख्यिकीय डायरी में । इसी तरह से खर्चे की बात ले लें । जो खर्च आप शिक्षा के ऊपर करते हैं उसको ले लें तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रकार की शिक्षा पर राजस्व व्यय में 2/3 आंकड़े देना चाहता हूं । यह 1978-79 में 34.4 था, 1983-84 में 36.6 तथा 1984-85 में 34.6 था । 1983-84 में 36.6 था, 1984-85 में 34.6 था तो आप देखेंगे कि खर्च में कमी होती गयी है ।

श्री राम सरन—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है यहां के कुछ नियम हैं और कायदा है जिसके हिसाब से हम बोलते हैं और आपस में हम लोगों का एक सामंजस्य रहता है । आपके पास एक लिस्ट हम देते हैं, चाहे अध्यक्ष हों या अधिष्ठाता हो उसी हिसाब से आप बुलवाते हैं । वह आपका अधिकार है जिससे आप चाहे बुला सकते हैं मैं उसे चैलेंज नहीं कर सकता हूं लेकिन एक कायदा होता है ।

श्री अधिष्ठाता—

उसी बेसिस पर बलाया है ।

श्री राम सरन—

हर आदमी ऊपर देखता रहे तो इससे तो एसेम्बली नहीं चलेगी ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय राम सरन दास जी आप बहुत पुराने विधायक हैं । किसी को भी बुलाया जा सकता है । जो लिस्ट है उसमें से भी बुलाते हैं । आपने जो

विद्वतापूर्ण बात कही उसका आदर किया जायेगा ।

[समय 7.00]

श्री मनोहर लाल—

तो मैं कह रहा था कि शिक्षा में खर्च कम होता गया है । दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री जी कहते हैं कि हम प्रदेश में ऐसी शिक्षा व्यवस्था करेंगे जिससे आम लोगों को शिक्षा मिल सके । मैं दो-तीन सुझाव दूंगा । जब तक शिक्षा रोजगार परक नहीं होगी उस समय तक नौजवानों में असन्तोष जो है वह बढ़ता जायेगा जो हमारे एम0 ए0, एम0 एस-सी0, बी0 ए0, बी0 एस-सी0 लड़के निकलते हैं, उसमें असंतोष बढ़ता जायेगा ।

स्कूलों में अध्यापकों की जगहें अभी खाली पड़ी हैं । बहुत से स्कूल ऐसे हैं जहां पर 15-15 और 20-20 वैकेंसियां खाली हैं उनकी न सरकार व्यवस्था कर रही है और न मैनेजमेन्ट को अधिकार दे रहे हैं जिसकी वजह से हजारों जगहें स्कूलों में खाली पड़ी हैं यह स्थिति हर जिले के अन्दर है, उनमें मास्टरों का एपोइन्टमेन्ट होना है । तो जब तक शिक्षक नहीं होंगे तब तक शिक्षा ठीक से नहीं हो सकती है । तो इस तरफ ध्यान देने की बात है ।

स्कूलों में लेखाधिकारी होता है जो मास्टरों के बिलों को पास करने का काम करता है । लेकिन वह इतना भ्रष्ट है कि बिल पास ही नहीं होते । तो इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि लेखाधिकारी भ्रष्टाचार न फैलाने पायें । इन शब्दों के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव माननीय गुप्ता जी ने प्रस्तुत किया है और जो सुझाव हमने दिये हैं उन पर जरूर ध्यान दिया जायेगा, मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री पूरन सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे हमारे योग्य व कर्मठ शिक्षा मंत्री जी ने जो शिक्षा का बजट प्रस्तुत किया है उस पर बोलने का अवसर दिया मैं उसका समर्थन करता हूं और इस सदन के योग्य सदस्य श्री राजेन्द्र गुप्ता द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, इस बजट से उन कारखानों का हम निर्माण कर रहे हैं जहां से बच्चों के भविष्य का और देश के भविष्य का निर्माण होता है । हम उनकी व्यवस्था की चर्चा इसमें कर रहे हैं । हमारे विरोधी सदस्य श्री राजेन्द्र गुप्ता जी ने कहा कि हमारे युवा प्रधान मंत्री ने घोषणा की थी चुनाव के समय कि हम शिक्षा नीति में परिवर्तन करेंगे जो अभी तक नहीं कर हैं । मेरी समझ में नहीं आता है कि जब हम एक छोटे से ईंट के भट्टे का निर्माण करते हैं तो उसमें भी 6 महीने का समय लग जाता है और आप हमारे योग्य युवा प्रधान मंत्री को 6 महीने का भी समय इतने बड़े देश की शिक्षा नीति में परिवर्तन करने के लिए नहीं देना चाहते हैं यह एक अजीब विडम्बना है जिस शिक्षा नीति को हम देश में लागू करके देश के भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, यदि जल्दी में कोई कदम रखा गया तो शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं आ पायेगा और फिर हमारे प्रधान मंत्री ने तो इसी माह में शिक्षा नीति लागू करने की व्यवस्था के लिये कहा है ।

मान्यवर, अधिक समय न लेते हुए मैं शिक्षा मंत्री जी को सीधे-सीधे कुछ सुझाव देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आया हूं, पर्वतीय क्षेत्र, वहां अध्यापकों और प्रधानाध्यापकों की अत्यन्त कमी है, मैं चाहता हूं कि लोक सेवा आयोग के माध्यम से यदि इनकी नियुक्ति में विलम्ब हो

तो शिक्षा विभाग अपनी ओर से कोई आयोग नियुक्त करे जिससे अध्यापकों की नियुक्ति तुरन्त की जा सके ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि कोई ऐसी शिक्षा प्रणाली को प्रस्तुत करें जो रोजगार मूलक हो । मान्यवर, हरिजनों, गिरिजनों तथा जो पढ़ने में अव्वल छात्र हैं, उनको स्कालरशिप मिलती है उसमें काफी विलम्ब होता है, इसलिए इस पर कड़ी निगाह रखें । मेरे पास इस सम्बन्ध में कई उदाहरण हैं जिनको मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने प्रस्तुत किया भी है कि खुंचे में चाय बेचने वालों के दो लड़के जिन्होंने हाई स्कूल व इण्टर में तीन-तीन विषयों में विशिष्ट श्रेणी ली है अपने बल पर आई0 आई0 टी, कानपुर में सेलेक्ट हो गये हैं लेकिन समय से स्कालरशिप न मिलने से वहां प्रवेश पाने में परेशानी हुई क्योंकि चूंकि फीस और पुस्तकों के लिए उनके पास पैसा नहीं था । इसलिए अनुरोध है कि तीव्र व विलक्षण बुद्धि रखने वाले इन निर्धन बच्चों को परेशानी न झेलना पड़े इसके लिए उन्हें शीघ्रातिशीघ्र समय पर स्कालरशिप दिये जाने की ओर सख्ती से व्यवस्था की जाय।

मान्यवर, आज शिक्षा जगत में एक अजीब हास्यास्पद स्थिति पैदा हो गयी है कि समय पर परीक्षा न होना और समय पर रेजल्ट न निकलना । इस ओर मंत्री जी अपने योग्य राज्य मंत्री को साथ लेकर विचार-विमर्श से कोई योजना प्रस्तुत करें जिससे समय से शिक्षा सत्र चालू हो सके और समय पर परिणाम घोषित हो सके ताकि भविष्य निर्माता छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न हो सके । इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन एवं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जय हिन्द—जय भारत ।

श्री अकबर हुसैन बावर—

मान्यवर, सबसे पहले मैं मुस्लिम वक्फ पर कहना चाहता हूं कि मन्त्री जी ने उस सिलसिले में कोई पत्रावली नहीं छापी है । माननीय मंत्री जी को पूरी तकरीर वही है जो 23-3-1984 को श्री नश्तर जी ने दिया था कि 16 हजार मुसलमान सुन्नी औकाफ और 2,500 शिया औकाफ रजिस्टर्ड हैं । आपने 100 कम कर दिया है । श्री नश्तर जी ने 2500 कहा था और एक साल बाद आपने 100 कम कर दिया । दोनों तकरीर, आज और पुरानी स्पीच को आप पढ़ लें तो ऐसा लगता है कि दोहरायी गयी है, यह अजीब विडम्बना है कि मान्यवर, श्री अली जहीर के समय से आज तक सिर्फ मुसलमान मुस्लिम औकाफ के मंत्री होते रहे हैं, यह शायद इसलिए कि इनका जज्बाती रिश्ता है या फिर दूसरी बात वह होगी । जैसाकि महमूद गजनवी ने चढ़ाई के समय गायें आगे कर दीं थी उसी प्रकार यह सरकार भी कर रही है । मान्यवर, पिछले 10 साल के रिकार्ड इस बात के सबूत हैं कि मस्जिदें रौंदी गयीं और कब्रें खोदी गयीं और मंत्रियों ने सांस तक नहीं लिया । उनकी राजधानी में जंगे आजादी की लड़ाई जहां से लड़ी गयी थी आज उस मकबरे के अन्दर हमारे जासूसी होती है मंत्री जी खास शिया भी हैं और सैय्यद भी हैं और जनाबेआला, हमारे मन्त्री जी जन्तुलबकी के लिए बहुत रोते हैं, जनाबे जाहरा की कब्रें खोद दी गईं और आज वहां पर शराबखोरी होती है, ब्रिटिश जासूसी का अड्डा है, लेकिन इन सबका उनको कोई खबर नहीं है । आज तक उसकी ओर इन्होंने निगाह तक नहीं उठाई है । मान्यवर, सन् 1970 से आज 15 साल हो गये,

किन्तु आज तक शिया वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ। कन्ट्रोलर के द्वारा उसे चलाया जा रहा है और पिछले साल जब उसका एलेक्शन हुआ था, तो आपने कहा कि एक प्रतिवेदन आ गया है। साल भर तक आप उसका निर्णय नहीं कर सके हैं। 15 साल से शिया वक्फ बोर्ड का गठन नहीं हुआ, आपने कन्ट्रोलर बिठा दिया है एक डी0 आई0 जी0 साहब को। इसका नतीजा यह है कि जब कोई मरम्मत होती है तो उसका टेन्डर पड़ता है, तो उसे पुलिस के ऐसे लोग भी कभी गबन में निकाले गये हैं, उसका ठेका लेते हैं। यह काम इनकी मस्जिदों और रोजों में और मकबरों में हो रहा है...

श्री सिब्ते रजी—

मेरा मकबरा तो मान्यवर, अभी बना नहीं है।

श्री अकबर हुसैन बाबर—

मान्यवर, यह अजीब बात है कि जो कब्जे हो रहे हैं कोई हिन्दू नहीं कर रहा है, वह कोई गैर-मुस्लिम नहीं कर रहा है, आवास विकास परिषद् ने इनकी दो-दो मस्जिदें शहीद कर दीं, कब्रों पर बुल्डोजर चलाये हैं और जहां कल सिजदागाहें थीं, वहां पर फ्लश सिस्टम की लैट्रीन बना दी है। परन्तु यह इन सबके खिलाफ इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि कहीं मंत्रि पद न छिन जाये। मस्जिदें ढ़ह रही हैं, कब्रें खोदी जा रही हैं, और पुलिस के लोगों ने इनके रोजों पर कब्जा कर लिया है। परन्तु यह कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। (व्यवधान) मैं यह कह रहा था कि यह सब कुछ हो रहा है, पर हमारे नश्तर साहब चुप रहे, हमारे विधान सभा के अध्यक्ष जो किसी जमाने में औकाफ के मंत्री थे। चुप रहे और आज के हमारे जो मंत्री हैं, वह भी चुप हैं। इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि आवास विकास के लोगों ने कब्जा किया है और पुलिस लाइन के पुलिस के लोगों ने कब्जा किया है। इसलिए बोलने में असमर्थ हैं कि जंगलात लोगों ने कब्जा किया है और वह ब्रिटिश जासूसी के लोगों का अड्डा है। यह गिरा हुआ कार्य और कोई नहीं कर रहा है, स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, जिसका आवास विकास परिषद् है, जिसका एल0 डी0 ए0 है, जिसकी पुलिस है, और जिसका महकमा जंगलात है। आज तक इस पद पर कोई मुस्लिम के अलावा इसलिए नहीं हुआ कि इनको महमूद गजनवी की गाय के रूप में इसमें किया जा रहा है। सारे औकाफ को और उसकी प्रापर्टी को तमाम लोग लूट रहे हैं और मंत्री जी शिया, सैय्यद और मुसलमान हैं। मुझे फैज का एक शेर याद आ गया—

"बने हैं अहले हवस, मुद्दई भी, मुंसिफ भी,
किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें।"

श्री प्रमोद कुमार—

वकील हमको कर लीजिये।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, एक शेर मैं भी अर्ज कर रहा हूं।

क्या तारीफ करूं उस अदालत की
जो अदालत खुद ही बनी दीवानी है।

श्री अकबर हुसैन बाबर—

मान्यवर, शिक्षा के सम्बन्ध में मैं थोड़ी बातें कहना चाहता हूं अभी जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल का नतीजा हमारे सामने आया है। जूनियर हाई स्कूल का एवरेज 80 प्रतिशत है और हाई स्कूल का एवरेज 39 प्रतिशत है। तो इतना बड़ा अन्तर इन दोनों में। वही लड़के हैं जब जूनि-

यर हाई स्कूल में पास होते हैं तो एवरेज 80—85 आता है और हाई स्कूल में एवरेज 39 प्रतिशत ही रह जाता है। तो या तो हाई स्कूल के सब अध्यापक निकम्मे हैं या जूनियर हाई स्कूल के सब अध्यापक तारीफ के काबिल हैं। या यह हो सकता है नीचे सब नकल ही नकल है। इससे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि जो गवर्नमेन्ट के हाई स्कूल हैं उनका रेजल्ट देखें तो इसका ड्योढ़ा दूना है प्राइवेट स्कूलों के। तो यह चीज यह निशानदेही करती है कि जब तक राष्ट्रीयकरण नहीं हो जायगा तब तक यह रेजल्ट ठीक होने वाला नहीं है।

दोहरी शिक्षा नीति के बारे में अभी माननीय तिवारी जी ने कहा है, जिसका जिक्र बार-बार किया गया है और उर्दू का जिक्र किया गया है। उर्दू को लोग समझते हैं कि खासतौर से यह मुसलमानों की भाषा है। दुनिया में भाषा किसी जाति की नहीं हुआ करती। कम से कम आंध्र और बिहार में जो दर्जा उर्दू को दिया गया है वह दे दीजिये। उर्दू को इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि यह चुनाव का एक मुद्दा है। इन शब्दों के साथ मैं राजेन्द्र गुप्त जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और जो एक रुपया दिया जा रहा है उसका भी विरोध करता हूं कि वह न दिया जाय वरना और कब तोड़ी जायेंगी।

श्री जय नारायण तिवारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह माहौल कुछ शेरो शायरी का बना हुआ लग रहा है तो मैं भी अपनी बात शिक्षा मंत्री जी के बजट के समर्थन के पहले, शेर से शुरू करूंगा नहीं तो ऐसा लग रहा है कि कब्रिस्तान के बजट पर चर्चा हो रही है।

लिबासे रहबरी पहने रहेगी रहजनी कब तक,
दगा देती रहेगी दोस्ती को दुश्मनी कब तक।

मान्यवर, यह राम, कृष्ण, गांधी, गौतम बुद्ध की धरती का देश है। हम लोग इतने आस्थावादी हैं, इतने संतोषी हैं कि जब राह चलते हुए हमारे कांटा चुभ जाता है तो भगवान का नाम लेकर संतोष कर लेते हैं। हमारे हिन्दुस्तान के मुल्क में दो टाइम के भोजन में अगर एक टाइम का भोजन मिल जाता है तो उससे संतोष कर लेते हैं और कहते हैं कि भगवान को शायद यही मंजूर था। तो मान्यवर, यह शिक्षा पद्धति इतनी व्यापक है, इतनी विशाल है कि इसके प्रबन्ध में कुछ न कुछ त्रुटियां रह जाती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज है, इसमें संशोधनों की कमी की बात नहीं है। वित्तीय कमी आड़े हाथों नहीं आयेगी। इसके सिस्टम में परिवर्तन करने की बात है।

हमारे आदरणीय राजीव जी ने नयी शिक्षा नीति की घोषणा की है कि नई शिक्षा लागू की जायगी। लार्ड मैकाले की जो शिक्षा नीति है उसमें परिवर्तन कर रहे हैं। यह जो शिक्षा नीति में परिवर्तन किया जा रहा है यह कांग्रेसी हुकूमत की देन है, कांग्रेसी सियासत की देन है और हमारे आदरणीय युवा प्रधान मंत्री राजीव गांधी की देन है। एक चीज और कहूंगा, अभी नैतिक शिक्षा पर बहुत जोर दिया गया है। मैं मानता हूं, अगर हमारे घर में गेहूं कम हो जाय, तो हम बाजार से खरीद लेते हैं और किसी चीज की कमी हो जाय तो बाजार से खरीद लेते हैं लेकिन अगर नैतिकता और आचरण की कमी हो जाय तो कहीं से वह खरीदा नहीं जा सकता इसलिए इस पर विशेष जोर देने की जरूरत है। इसके लिए

माननीय मंत्री जी ने भी घोषणा किया । उनका यह सराहनीय कदम है, क्रांतिकारी कदम है । इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र इसौली के विकास खण्ड कूड़ेभार की ओर ले जाना चाहता हूं । यहां के लिए 1982 में एक राजकीय बालिका हायर सेकेन्डरी स्कूल स्वीकृत हुआ था । लखनऊ से टीम ने जाकर सर्वे भी वहां पर किया, हम लोगों ने आश्वासन दिया था कि हम बगैर किराये का भवन उपलब्ध करा देंगे, सिर्फ हमको शिक्षक प्रदान कर दिये जायं । लेकिन आज तक वह पत्रावली कहां पर रुकी हुई है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है ? इतना सब होने के बावजूद भी आज तक वह स्कूल नहीं खुल पाया है शासन के किस स्तर पर वह पत्रावली रुकी हुई है ? मेरे बार-बार प्रयास करने के बाद भी पता नहीं चल पा रहा है ।

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि शीघ्रातिशीघ्र उसका पता लगाकर जैसा कि उन्होंने कहा कि प्राथमिकता और वरीयता लड़कियों के विद्यालय को दूंगा और उसमें वित्तीय संसाधनों की कभी आड़े हाथ नहीं आने पायेगी । तो मान्यवर, मंत्री जी अपनी घोषणानुसार कूड़ेभार में शीघ्रातिशीघ्र लड़कियों का विद्यालय चलवाने की कृपा करें । मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी लड़कियों का विद्यालय नहीं है, जिससे कि वहां लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने में बहुत ही दिक्कतें और कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है । मैं पुनः आपके माध्यम से एक बार माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि कृपया उक्त विद्यालय की पत्रावली शासन के किस स्तर पर रुकी हुई है, उसको तलाश कर शीघ्रातिशीघ्र विद्यालय खोलवाने का कष्ट करें ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि सिस्टम तो राजीव जी बदल ही रहे हैं, लेकिन इस विभाग में जो एक भय की भावना नहीं है, उसके लिए मन्त्री जी कुछ सख्ती के कदम उठावें जिससे यह लगे कि यह प्रदेश भी देश के साथ प्रधान मंत्री जी की घोषणा के अनुसार इक्कीसवीं सदी की तरफ अग्रसर हो रहा है । सत्ता पक्ष के और विरोधी पक्ष के सारे सदस्य इस बात से अवगत हैं कि प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापक कई दिनों तक स्कूल नहीं जाते और कहीं-कहीं तो पारी बना लिये हैं कि एक दिन मैं आऊंगा, दूसरे दिन आप आयेंगे । इसके लिए सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि अध्यापकों के अन्दर यह भय पैदा हो जाय कि अगर वे स्कूल नहीं जायंगे, तो उनके खिलाफ कार्यवाही हो सकती है । मान्यवर, अब लोग अक्सर यह कहते हैं कि शिक्षा विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है । आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री जी इसको भी दूर करने की कृपा करें । इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष के द्वारा रखे हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और उसकी निन्दा करता हूं । धन्यवाद ।

(व्यवधान)

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं माननीय राजेन्द्र गुप्त के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । जैसा कि माननीय मनोहर लाल ने कहा सरस्वती मन्त्री जी को भी मैं सुन रहा था और उसके साथ-साथ महान विद्वान कालीदास जी को भी स्मरण कर रहा था । मैं मान्यवर, यह जो मौजूदा शिक्षा प्रणाली है, जिसके बारे में माननीय शिक्षा मंत्री ने यहां बजट पेश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

किया है, मैं उनकी तारीफ करना चाहता हूं और उनको बधाई देना चाहता हूं कि आने वाली कई पीढ़ियां इस सरकार को याद करेंगी, जिसने 62 साल के मुख्य मंत्री नारायण दत्त तिवारी को डबल इन्टर की परीक्षा पास करा दिया है। जब कोई बड़ा आदमी सम्मान से विभूषित किया जाता है, तो उसको डाक्टर की उपाधि दी जाती है। लेकिन आपके कार्यकाल में मुख्य मंत्री को इन्टर पास होने की उपाधि दी गयी। इसके लिए जितनी ही बधाई दी जाय, वह कम है। इस समय जो हमारी शिक्षा है, यह नौकर-शाही के और व्यवसायियों के हाथ में कसकर रह गयी है। मैं कोई नई बात नहीं कहूंगा, इतना ही कहूंगा कि शिक्षा को जनतंत्रकरण करने की जरूरत है। शिक्षा का राष्ट्रीयकरण समस्या का समाधान नहीं है। मैं यह चाहता हूं कि जनतंत्र में शिक्षा सरकारी पंजे से मुक्त होनी चाहिए। शिक्षा का समाजीकरण होना चाहिए, सरकारी-करण या राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए और मैं समझता हूं कि इस समय केवल नौकरशाही और कुछ लोगों ने व्यवसाय बना लिया है, शिक्षा को रोजगार करने के लिये। इस व्यापार में कुछ शिक्षक भी शामिल हैं, जो तथाकथित बुद्धिजीवी हैं। यह उत्तर प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आजादी के 38 साल के बाद शिक्षा की परीक्षा प्रणाली क्या हो, शिक्षा का पाठ्यक्रम क्या हो, प्राथमिक स्तर से उच्च स्तर तक शिक्षा का स्वरूप क्या हो, इसको तय करता है, आपका सेक्रेटरी आपका अफसर या गिने चुने लोग। जबकि जरूरत है, अगर आप शिक्षा का स्वरूप तय करना चाहते हैं, तो आजादी के बाद से राधाकृष्णन कमीशन की सिफारिश को देखें, कोठारी आयोग की सिफारिश को देखें; डा0 जाकिर हुसैन आयोग की सिफारिश को देखें। अगर इन आयोगों की सिफारिश पर शिक्षा नीति तय करनी है तो कोई नई चीज तय करने की नहीं है।

मान्यवर, आज परेशानी हम लोगों को है, जो आजादी के मूल्य को इस देश के स्वरूप को आगे बढ़ाने की भावना अपने दिल में रखते हैं। हम अपने बच्चे का दाखिला अंग्रेजी स्कूल में करा नहीं सकते हैं। हम अपने बच्चे का दाखिला किस माध्यम के स्कूल में करावें। अंग्रेजी स्कूल के विकल्प में किस स्कूल में दाखिला करावें। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के शिक्षा शास्त्रियों से को पब्लिक स्कूल का विकल्प क्या है। वरना स्थिति यह होगी कि न हिन्दी आयेगी और न अंग्रेजी आयेगी। आज हालत यह है कि न हिन्दी ठीक से पढ़ाई जा रही है और न अंग्रेजी ठीक से पढ़ाई जा रही है।

मान्यवर, एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूल के बच्चे, जिस मानसिकता वाले बच्चों को बनाने की बात आप कर रहे हैं, वह राष्ट्रीय नहीं हो सकता है। मान्यवर, माननीय प्रधान मंत्री राजीव गांधी का नाम लिया गया है। मैं बताना चाहता हूं माननीय शिक्षा मंत्री जी को, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि बसरी में लड़कियों का एक स्कूल खोला गया है, जिसमें 4 हजार रुपये महीने फीस ली जा रही है। इस प्रकार से जो आपने राष्ट्रीयता से आतप्रोत बच्चों की बात कही है, वह पूरी नहीं होगी। 4 हजार रुपये लड़कियों को पढ़ाने के लिए प्रति महीने लिया जा रहा है। इसकी जानकारी आपको करनी चाहिए। जो लोग हिन्दी और उर्दू का झगड़ा पैदा करते हैं, हिन्दी और उर्दू में भेदभाव पैदा करते हैं, वह उत्तर प्रदेश के विकास की बात नहीं करते हैं। आज भी ताजिये के समय हिन्दू औरतें मुसलमान औरतों के

साथ शिरकत करती है और बहुत से मुसलमान हैं, जो हिन्दुओं के त्योहारों में शामिल होते हैं। मान्यवर, यदि उर्दू और हिन्दी का झगड़ा खड़ा किया गया तो मिर्जापुर, गाजीपुर और बनारस की तमाम बस्तियां बीरान हो जायेंगी। मान्यवर, मिर्जापुर में मिर्जा उर्दू है और पुर हिन्दी है, गाजीपुर में गाजी उर्दू है और पुर हिन्दी इसी प्रकार बनारस में बना उर्दू है और रस हिन्दी है। यह हिन्दी और उर्दू से मिल कर बने हैं। हिन्दी और उर्दू को मिलकर चलने की बात है।

इस समय सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में परीक्षा प्रणाली को लेकर है। हर साल पुलिस और पी0 ए0 सी0 लगा दी जाती है कि छात्रों और शिक्षकों के सम्बन्ध खराब न हो जायं। मान्यवर, पुलिस और पी0 ए0 सी0 वहां पहरेदारी किया करती है। शिक्षा प्रणाली के बारे में अनेकों शोध सामने आये हैं। बन्द किताब की परीक्षा प्रणाली को समाप्त करके खुली किताब की शिक्षा प्रणाली लागू की जाय तो वह ज्यादा उचित होगी। मान्यवर, स्मरण शक्ति को कसौटी बनाकर बन्द किताब की परीक्षा प्रणाली से विद्यार्थी की बुद्धि का परीक्षण नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश में खुली किताब की परीक्षा प्रणाली लागू करके देखिये, मैं समझता हूं इस सिलसिले में जितने शिक्षा शास्त्री हैं, उन सबने खुली किताब परीक्षा प्रणाली को सही माना है। इससे जो आज शिक्षकों और छात्रों के सम्बन्ध खराब हो रहे हैं, वह ठीक हो जायेंगे। इसमें जो व्यवसाय बना दिया है, शिक्षा को, बनारस में एक स्कूल है सेन्ट जोन्स स्कूल, वहां पर बीस रुपये प्रति प्रवेश-पत्र के हिसाब से छपवाकर हजारों फार्म बंटवा दिये गये तथा उनका कोई हिसाब नहीं रखा गया। न कोई रसीद ही दी गयी। जून के महीने में हमारे एक साथी फूलचन्द जी ने जिला-अधिकारी से शिकायत की, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई, जांच नहीं हुई। शिक्षा के जनतंत्रीकरण की जरूरत है। उच्च स्तर पर जो निर्णय की प्रक्रिया है, विश्वविद्यालयों की जो कार्यकारिणी परिषद् है, जो विद्वद् परिषद् हैं, उनमें छात्रों और कर्मचारियों को भी भागीदार बनाया जाय। कोठारी आयोग का गठन केन्द्रीय सरकार ने 12 साल पहले किया था। उसकी सिफारिश थी कि जो शिक्षण संस्थाएं हैं, खासतौर पर विश्वविद्यालय स्तर की, उनकी प्रबन्ध समितियों में निर्णय प्रक्रिया में विद्यार्थियों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिये। वहां के कर्मचारियों को हिस्सेदारी मिलनी चाहिये, तब ये शिक्षण संस्थाएं प्रजातांत्रिक हो जायंगी।

आखिर में मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा कि शिक्षा नीति में मूल परिवर्तन की जरूरत है। केवल अध्यापकों की नियुक्ति या स्थानान्तरण की प्रक्रिया संचालित करने से शिक्षा का विकास नहीं होगा। मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री रोज-रोज पैबन्द लगाना छोड़कर प्रदेश की शिक्षा की तरक्की के लिए मूल परिवर्तन की ओर ध्यान लगा सकें तो अच्छा हो। रोज-रोज के तबादले और नियुक्ति में अपना समय न खराब करें। यही कहते हुए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

अधिष्ठाता महोदय, आपने जो मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आभार प्रकट करता हूं। माननीय शिक्षा मंत्री ने बड़ी सूझ-बूझ और कर्मठता से हमारी स्वर्गीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की भावनाओं को, जिसने इस देश की रीढ़ को, इसकी नींव को मजबूत करने

के लिए दूरदर्शिता से बेसिक और प्राथमिक शिक्षा की ओर ध्यान दिया था, उसे 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत ला करके हमारे युवा नेता, हमारे देश के जनप्रिय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी, जो इस देश को बड़ी कर्मठता, ईमानदारी और बहादुरी से चला रहे हैं, आपने उन भावनाओं का जिक्र किया है, इसलिए बधाई के पात्र हैं तथा सभी नौजवान, चाहे इस पक्ष के हों या उधर के, यह महसूस कर रहे हैं कि देश में जो बदतर हालत थी, इसमें देश किस ओर जाय इसके लिये युवा प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी की ओर देश के नौजवानों की नजर है। उनके दिलों में स्थान है कि युवा प्रधान मंत्री को हम अपना सहयोग हर तरह से देंगे। जहां तक आज के शिक्षा के बजट की बात है, शिक्षा मंत्री ने इसको बड़ी बहादुरी और गम्भीरता से रखा है और शिक्षा में सुधार की बात रखी है। इसको देखते हुए यह नहीं लगता है कि शब्दों की पुनरावृत्ति की जाय और सदन का समय बेकार किया जाय।

मान्यवर, जहां तक हमारे माननीय सदस्य शतरुद्र प्रकाश जी कह रहे थे, उनको कालीदास याद आ रहे थे। मैं समझता हूं कि उनको कालीदास नहीं कालीचरण याद आ रहे थे जो भूतपूर्व शिक्षा मंत्री थे। मैं जानता हूं कि कालीचरण जी जब मंत्री नहीं हुए थे, विधायक नहीं हुए थे, तो हमारे इलाहाबाद में डी0 ई0 आफिस में प्रबन्धक पदाधिकारी के रूप में, जैसा कहा गया कि विद्यालयों में भ्रष्टाचार फैला है, उसी लाइन में कालीचरण जी खड़े रहते थे। बाद में दुर्भाग्य कहिये या सौभाग्य वे शिक्षा मंत्री हो गये। जो अधिकारी थे, उनके साथ के, वे कहने लगे कि इनके साथ तो घूस लेते थे अब हमारा क्या होगा? तो मान्यवर, इनको कालीदास नहीं कालीचरण याद आ रहे थे, वह व्यवस्था याद आ रही थी। मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र, जनपद इलाहाबाद में परेशानी है कि वह शहर से 100 किलोमीटर दूर है।

जैसा कि हर चीजों में पिछड़ा हुआ है, नगर से दूर होने के कारण, वहां कोई अधिकारी जाना नहीं चाहता है न ही किसी योजना के बाबत सर्वे करना चाहता है। शिक्षा के मामले में भी बिल्कुल उस क्षेत्र को वंचित रखा गया है। नवीन स्कूल खोलने का मामला हो या किसी तरह की अन्य योजनाओं के मामले हों, मंझनपुर को बिल्कुल उपेक्षित किया गया है। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में 3 बड़े ब्लाक हैं। तीनों बड़े ब्लाक में जूनियर गर्ल्स कालेज तक नहीं है। यह दुर्भाग्य है कि जो अधिकारी इलाहाबाद आते हैं वह वहां से 100 कि0मी0 दूर स्थित मंझनपुर में रहना नहीं चाहते हैं, क्योंकि शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था नहीं है।

मान्यवर, जितनी भी योजनाएं बनती हैं, नगर के नजदीक के ब्लाकों को उसमें लिया जाता है, लेकिन द्वाबा जो 3 एम0 एल0 ए0 का सुरक्षित क्षेत्र है, सदैव उपेक्षित किया गया है। द्वाबा में विशेषकर मंझनपुर को शिक्षा के मामले में भी पीछे रखा गया है। मेरे यहां पूरब शरीरा सरसव ब्लाक में जूनियर हाई स्कूल का प्रस्ताव है। वहां जूनियर हाई स्कूल किया जाय। हाई स्कूल किया जाय। इसी तरह से सरसवां ब्लाक में जूनियर हाई स्कूल गर्ल्स किया जाय। और हाई स्कूल किया जाय।

मान्यवर, मंझनपुर टाउन एरिया इतनी बड़ी है लेकिन न वहां लड़कों के लिए हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज और न लड़कियों के लिये। वहां यह व्यवस्था की जाय। जो कराड़ी टाउन एरिया है, वहां जूनियर

हाई स्कूल गर्ल्स का भवन बन गया है लेकिन कोई अध्यापक नहीं । एक तरफ माननीय सदस्य कह रहे थे कि पेड़ के नीचे पढ़ाई हो रही है, दूसरी तरफ भवन बन गया है, लेकिन अध्यापक नहीं है । जहां अध्यापक हैं, वहां बच्चे नहीं । हमारे विपक्ष के साथी आलोचना और भ्रष्टाचार पर तो जाते हैं लेकिन अपने कर्तव्य पालन की ओर नहीं जाते हैं । जहां पर भवन है, विद्यालय है, लेकिन अध्यापक नहीं है । हमारे विपक्ष के साथी यहां तो आवाज उठायेंगे, लेकिन क्षेत्र में नहीं देखेंगे कि अध्यापकों की क्या स्थिति है । वहां पर जो अध्यापक कहेगा, वही अपनी आवाज उठायेंगे । आप अपने कर्तव्य का भी पालन करिये यह मैं उनसे कहना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने जिस सूझबूझ के साथ इस बजट को रखा है, मैं गुप्त जी से निवेदन करूंगा कि वे अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

मान्यवर, मैं माननीय राजेन्द्र गुप्त जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोगों ने शिक्षा नीति के सम्बन्ध में बहुत सी बातें कहीं । यह कहा कि युवा प्रधान मंत्री थोड़े ही दिनों में एक नयी शिक्षा नीति देने वाले हैं । नयी शिक्षा नीति क्या होगी, इसकी चर्चा तो मैं नहीं करूंगा । लेकिन, अब तक जो आपकी शिक्षा नीति रही है, उसका जो दुष्परिणाम रहा है, उसकी चर्चा मैं अवश्य करूंगा । आज मैंने एक प्रश्न किया था कि बलिया में कुल कितने बिना भवन के विद्यालय हैं । शिक्षा मंत्री जी का जवाब था कि 291 । मैंने उसमें यह भी कहा था कि यह कब तक बनेंगे तो आपने कहा था कि साधन को देखते हुए ही देखा जायेगा । श्रीमन्, यह बलिया की बात नहीं है, बलिया के भवन विहीन विद्यालयों की बात नहीं है, यह शिक्षा जगत की कमी को दिग्दर्शित करता है ।

मान्यवर, मैं भी शिक्षक रहा हूं । शिक्षक रहने के साथ-साथ बड़ी ईमानदारी के साथ अपने कार्य को सम्पन्न किया । बड़े सीनियर साथी जाहिदी साहब बोलने के लिए खड़े हुए तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी के कोई व्यक्ति अभिभावक संघ की दलील कर रहे हैं या प्रबन्धक संघ के सन्दर्भ में कुछ अपनी बातें कह रहे हैं भोजपुरी में कहा जाता है नाच न जाने आंगन टेढ़ा । नाचना तो जानते नहीं हैं और कहते हैं कि आंगन टेढ़ा है । ठीक उसी प्रकार से 38 वर्ष तक शिक्षा नीति का पालन करने के बाद जब आज आप इसमें फेल हो गये हैं, तो कहा जा रहा है कि हम एक नई शिक्षा नीति लाने जा रहे हैं । वर्तमान शिक्षा नीति के लिए आप कहते हैं कि इसमें दोष अध्यापकों का है, इसमें दोष प्रबन्धकों का है और इसमें दोष आज व्यवस्था का है, जिसमें हम जी रहे हैं । जो कुछ भी आज यहां पर शिक्षा हो, सभी यही कर रहे हैं कि शिक्षा इस पक्ष के हों या सत्ता पक्ष के लोग हों, सभी यही कह रहे हैं कि शिक्षा नीति दोषपूर्ण है, इसमें कोई विवाद नहीं है और इसमें अधिक कोई सोचने की गुंजाइश नहीं है । सुझाव दें भी तो किसको सुझाव दें । रहीम का एक दोहा है, जिसे मैं मान्यवर, आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं ।

"कहां चले लेकर करन हाथिन का व्यापार, नहिं जाने इस परबसे, धोबी और कुम्हार ।" हाथी को बेचने यदि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

धोबी और कुम्हार के घर चले जायेंगे तो वह वहां कैसे बिक सकता है, वहां तो केवल गधा ही बिक सकता है। हर साल सुझाव दिये जाते हैं लेकिन सरकार उसे मानने को कहां तैयार है। आपने कहा कि प्रधान मंत्री जी इस देश में एक नई शिक्षा नीति ला रहे हैं, इसे भी देखा जायेगा। एक बात बड़े अदब के साथ कही जा रही है—रोजगारपरक शिक्षा और नैतिकता। ये सारी आदर्श की बातें हैं। ये बताती हैं कि आज हमारी शिक्षा नीति में खामियां हैं, इनको ठीक किया जाना चाहिए।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने मैकाले का उदाहरण दिया कि 1835 में मैकाले ने इस शिक्षा नीति का संचालन किया था। मान्यवर, ठीक उसके थोड़े दिनों के बाद चार्जवुड की एक नई शिक्षा नीति थी और वह थी अंग्रेजों को शिक्षा। अच्छी शिक्षा समाज के कुछ ही लोग ले सकते हैं। जो बात आज कही जा रही है, उससे भी हमको भय लग रहा है। वह भय ऐसा है कि कहीं ऐसा न हो कि रोजगारपरक शिक्षा देकर कहीं ज्ञानपरक शिक्षा खत्म हो जाय और कहीं ऐसा न हो कि वह भी कुछ चन्द लोगों के हाथों में न चले जाय। हम लोग जो ज्ञान की शिक्षा को ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ते हैं, कहीं उससे हम लोग वंचित न हो जायं।

मान्यवर, अभी कहा गया कि लड़कियों की शिक्षा का प्रतिशत कम है। और यह भी कहा गया कि हमारे प्रदेश में शिक्षा का प्रतिशत अन्य प्रदेशों की तुलना में बहुत कम है। मैं उदारता के साथ सुझाव देना चाहता हूं कि आप लड़कियों के लिए स्कूल खोलें।

श्री हरदेव—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय—

संस्कृत विद्यालयों के जो अध्यापक हैं, वे हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को स्वीकार किया जाय। जो ब्वाइज स्कूल हैं और जहां पर लड़कियां अध्ययनरत हैं, वह वहां पर ठीक से रह सकें, इसलिए उनके लिए यूरोनल की अलग से व्यवस्था की जाय और एक कामन रूम बनाया जाय।

मान्यवर, जो गोरखपुर यूनीवर्सिटी है तथा जो एफीलिएटेड कालेज हैं और जो इस यूनिवर्सिटी के अन्दर 102 महाविद्यालय हैं, ये ठीक से काम नहीं कर पा रही हैं, जिससे शिक्षा का स्तर नीचे गिर रहा है, इसलिए मेरा सुझाव है कि इस विश्वविद्यालय को अलग से एक आवासीय विश्वविद्यालय बना दिया जाय और जो एफीलियेटेड कालेज हैं, उन सब को मिलाकर पूर्वांचल में एक पूर्वांचल विश्वविद्यालय की स्थापना बलिया में किया जाय।

मान्यवर, हायर सकेण्ड्री के अध्यापकों को जो समय से वेतन नहीं मिल पाता है और प्रतिमाह वित्त विभाग से जो शाख-सीमा पास करानी पड़ती है इसे खत्म किया जाय और उन्हें समय पर वेतन दिये जाने की व्यवस्था की जाय। आप शिक्षा की प्रगति की बात करते हैं। दो निदेशकों की जगहें खाली पड़ी हुई हैं। एक प्रौढ़ शिक्षा में और दूसरी बेसिक शिक्षा में। इन दोनों जगहों पर निदेशकों को तुरन्त तैनात किया जाय।

आज आई0ए0एस0 को हर जगह बैठा दिया जा रहा है। आई0ए0एस0 काफी चीजों में योग्य हो सकता है लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में इतना योग्य नहीं हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में शिक्षा के ऊंचे पदों पर जो शिक्षा के लोग हैं, उन्हीं को प्रमोट करें। अन्त में, आप ने मुझे मौका दिया शिक्षा के बजट पर बोलने के लिए, उसके लिए मैं आप

का आभारी हूं और गुप्ता जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री शैलेन्द्र कुमार—

मान्यवर, आपने मुझे शिक्षा के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन के लिए सोच रहे हैं वह हमारे देश के लिये बहुत ही बहुमूल्य सुधार की योजना होगी । उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है जिसके कारण बहुत सी अनियमितायें हो रही हैं । मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्राइवेट स्कूलों पर रोक लगावें इसके साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षाओं में जो नकलबाजी हो रही है उस पर ध्यान दें । इसका असर यह हो रहा है कि बेरोजगारी की समस्या पर इसका बड़ा प्रतिकूल असर पड़ रहा है । फलस्वरूप प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के हमारे प्रदेश के छात्र बहुत पिछड़े हुए हैं । माध्यमिक विद्यालयों के भवन निर्माण में अधिक सहायता दें । ग्रामीण अंचलों में विद्यालयों के अनुदान की राशि बढ़ायी जाये ।

बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है, मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि तकनीकी शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दें जिससे बेरोजगारी की समस्या हल हो सके । मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं जहां पर छात्र आंदोलन के रास्ते पर हैं । वहां बहुत सी अव्यवस्था फैली हुयी है । छात्र भूख हड़ताल पर हैं, मुख्य समस्या शिक्षणेतर कर्मचारियों की मांगे कक्षाओं में सीटों की कमी एवं छात्रों को निष्कासन के कारण यह पैदा हुई है । शिक्षा मंत्री इस पर तत्काल ध्यान दें और कोई प्रभावी कदम उठायें । इलाहाबाद में बेसिक शिक्षा अधिकारी की नियुक्ति तत्काल करें । इस सम्बन्ध में इलाहाबाद के लगभग सभी विधायकों ने माननीय मंत्री जी को अवगत कराया है । भूतपूर्व अध्यापकों को पेंशन नहीं मिल रही है । उस पर कोई कदम उठायें । ग्रामीण अंचल में विद्यालयों में सड़क, पेय जल, भवन की व्यवस्था नहीं है, इस पर कई सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करें । अध्यापकों की अनुपस्थिति एक मुख्य समस्या है साथ ही और अध्यापकों की नियुक्ति की जाय । मैं अपने चायल क्षेत्र में गया था मूरतगंज में ऐसी शिकायतें मिली हैं कि अध्यापक स्कूल नहीं आते, घर बैठे तनख्वाह ले रहे हैं । इस ओर मंत्री जी विशेष ध्यान दें । स्कूलों में छात्रवृत्ति संबंधी बहुत अनियमिततायें हैं, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, इस ओर विशेष ध्यान दें । अध्यापकों और छात्रों की यूनियन को समाप्त किया जाय तभी हमारे देश में शिक्षा व्यवस्था सुचारु-रूप से हो सकेगी ।

मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया इसके साथ ही साथ शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री फजलुल बारी—

मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे वक्फ और शिक्षा पर कुछ कहने का मौका दिया । तकरीर तो कोई खास करनी नहीं है, गुफरान जाहिदी साहब, हमारे बड़े भाई हैं, उन्होंने हमारा भार हल्का कर दिया उन्होंने कटौती के प्रस्ताव का विरोध जितने भाग में किया है, इसको निकाल दिया जाये और उनकी बाकी तकरीर मेरी तकरीर में जोड़ दिया जाय मेरी सभी बातें कह दी हैं । बहुत सी बातें पेश्तर आ चुकी

है । वक्फ के सिलसिले में एक बात कहना चाहता था कि आजम साहब ने गोंडा के वक्फ का तसकरा किया था, 1930 में वह जायदाद वक्फ हुई थी, 1948 में मौकूफी जायदाद को "इवेकुई प्रापर्टी" डिक्लेयर कर दिया गया । वह जायदाद मुख्तलिफ लोगों को बांट दी गयी, उस पर बहुत से लोगों का कब्जा है । साल भर पहले उस मामले को उठाया, काम रोक दिया गया, लेकिन अब कांस्ट्रक्शन का काम हो रहा है । मा0 मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि वह जायदाद जो अलीगढ़ मुस्लिम युनिवर्सिटी के नाम वक्फ हुई थी, उसको वापस दिलायें ।

आज बड़े जोरों से बात हो रही है कि शिक्षा की नीति बदली जायेगी और भारत के प्रधानमंत्री के सिलसिले में कह रहे हैं कि वह शिक्षा की नीति बदलेंगे, नयी नीति लायेंगे । सुझाव देना चाहता हूं कि विभाग की नीति जब बदल रहे हों तो इस बात का खास ख्याल रखें कि कोर्स की किताबों को सिक्यूलर पैटर्न पर बनाना चाहिये । इसलिये कि इसकी आम शिकायत है खासतौर से इस शिकायत का भी जिक्र करना चाहता हूं कि मि0 एन0 सी0 सक्सेना, एक्स-ज्वाइंट सेक्रेटरी, माइनारिटी कमीशन, गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया ने एक रिपोर्ट लिखी है "सिक्यूलेरिज्म एण्ड आवर टेक्स्ट बुक्स" इसमें उन्होंने लिखा है कि :

"अनफारचुनेटली दि मेजर आईडियोलाजी बीहाइण्ड दि राइटिंग आफ इंडियन हिस्ट्री हैज बीन कम्युनल हिस्ट्री एज इट इज टाट इन दि स्कूल्स इन दि फार्म आफ हिस्ट्री बुक्स एण्ड हिन्दी टेक्स्ट बुक्स इज फुल आफ सेक्यूलैरियन एण्ड कम्युनल बेसिस एण्ड रथिंग मोर दैन हिस्टोरिकल प्रेजुडिस"

उन्होंने लिखा है कि बदकिस्मती की बात यह है कि हिन्दुस्तान में हिस्ट्री को जो किताबें लिखी गयी हैं, उनका मैटर साम्प्रदायिक रहा है खासतौर से हिस्ट्री और हिन्दी की टेक्स्ट बुक्स । मा0 मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि प्रधानमंत्री जी को बता दें कि भारत की तरक्की, यहां की शिक्षा, ला एण्ड आर्डर, आपस का मेल जोल, यह उसी वक्त हो सकता है जबकि यहां पर जो शिक्षा दी जाय वह सिक्यूलेरिज्म की बुनियाद पर हो ।

इसी प्रकार की श्री बी0 के0 जावली ने "दि पीपुल एण्ड दि टेक्स्ट बुक्स" में लिखा है, 10 प्वाइण्ट उन्होंने दिये हैं, उसमें खास तौर से उन्होंने जो मेन इम्फेसिस दी है, वह इस पर है कि किताबें सिक्यूलेरिज्म की बुनियाद पर लिखी जायं । उत्तर प्रदेश कांस्टीट्यूशन के आर्टीकल 30 (1) के अंतर्गत जिनको माइनारिटी इन्स्टीट्यूशन्स कहते हैं, उनके साथ आजकल सौतेलेपन का व्यवहार हो रहा है क्योंकि उनको माइनारिटी कैरेक्टर पाने में बड़ी दिक्कतें सामने हैं । मिसाल के तौर पर बहराइच का आजाद इण्टर कालेज का तसकरा करूंगा । इसे मौलाना हिफजुर्रहमान साहब ने बनवाया था और इस कालेज को सिर्फ इसलिये माइनारिटी कैरेक्टर से महरूम कर दिया गया है कि गैर मुस्लिम उसकी मैनेजमेन्ट कमेटी में थे हालांकि हाईकोर्ट का यह फैसला हो चुका है कि गैर-मुस्लिम मेम्बरों की मौजूदगी से संविधान के आर्टीकल 30 (1) पर आधारित माइनारिटी पर उसका कोई असर नहीं पड़ता । माइनारिटी इंस्टीट्यूशंस रहेंगे । इसलिये हाईकोर्ट के फैसले को माननीय मंत्री जी जरा ख्याल में रखें । खासतौर से यू0 पी0 यूनीवर्सिटी एक्ट के तहत दफा 28, 30, 35 और 36 जो दफा है वह दस्तूर 30(1) में अपने टीचर का तकरूर करने का अधिकार है । तो मैं कह रहा था कि यह ऐसा सब्जेक्ट है कि इसकी बड़े पैमाने पर अनालिसिस होनी चाहिये ।

किसी जबान को अगर भाषा का दर्जा देना है तो उसे रोटी-रोजी से जोड़ दें। माननीय प्रोफेसर साहब से मैं कहना चाहूंगा कि उर्दू को तीसरी भाषा के रूप में थ्री लैंगवेज फारमूला में अपनाया जाय तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। अब मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। लेकिन समाप्त करने के पहले एक बात की तरफ मंत्रीजी का ध्यान और ले जाना चाहता हूं।

माननीय मंत्री जी आपके तमाम विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार के शिकार हैं। अवध विश्व विद्यालय के शास्त्री कालेज गोण्डा में तमाम कोशिशों के बावजूद बी0ए0 में उर्दू के खुलवाने की बात तय हुई लेकिन आज तक वहां उर्दू की क्लासेज नहीं खुल पायी। आप अवध यूनीवर्सिटी के कालेजों की आडिट रिपोर्ट को अगर देखें तो उसमें लाखों रुपये का भ्रष्टाचार है। वहां का वाइस चान्सलर अपने भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिये मुस्तकिल लखनऊ के चक्कर लगाया करता है। इसलिये माननीय मंत्री जी जो पैसे की शिकायत करते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पैसा आपका पतली-पतली नालियों से बहा जा रहा है, आप उन पर रोक लगाइये और मकतब व मदरसों को मान्यता देने का काम जो बन्द कर दिया गया है उसे जारी करें किवला।

जहां आप संस्कृत का तसकिरा करते हैं वहीं आप उर्दू का भी ख्याल रखें कि टैक्स पेयर से उनका भी खर्चा निकलता है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदन तीन घण्टे हो चुके हैं, आधा घंटे का समय शेष है। अभी मा0 मंत्री जी को और गुप्ता जी को भी बोलना है। इसलिये आप लोग दो-दो मिनट में अपनी बात को कहें।

श्री बाबू राम यादव—

अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने के लिये मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री अधिष्ठाता—

जरा रुकिये, माननीय त्रिलोक चन्द्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

अधिष्ठाता जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि शिक्षा विभाग को समय से बांधना ठीक नहीं है। यह तो माननीय सदस्यों पर है, यह पूरे प्रदेश का मसला है, इस पर तो दो दिन बहस होनी चाहिये थी।

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग दो-दो मिनट में अपने सुझाव दे दें।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

दो-दो मिनट नहीं बल्कि पांच-पांच मिनट कर दें।

श्री हरदेव—

केवल दो ही मिनट दीजिये, बहुत अच्छे सुझाव देने हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपके सुझाव तो हर एक पर अच्छे आते हैं, बड़े योग्य व्यक्ति हैं आप तो।

[समय 7.59]

कर्नल केसरी सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा

प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय गुप्ता जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, हमारे शिक्षा मंत्री जी ने पिछले कुछ महीनों में ही जिस तरह से अपने विभाग का संचालन किया है उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं । वह इस विभाग की कमजोरियों से भी अवगत हैं और उसको दूर करने के लिए प्रयत्नशील हैं इसके लिए वह बधाई के और अधिक पात्र हैं ।

मान्यवर, शिक्षा सभ्यता की बुनियाद है, हम सबको मालूम है कि समाज और मनुष्य की उन्नति के लिए शिक्षा एक प्रथम सीढ़ी है । हम जनता के प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि यह देखें कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होती है या नहीं । उसके उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम सबको प्रयत्नशील होना चाहिए । प्रदेश में शिक्षा के विकास को देखते हैं तो काफी संतोष होता है कि इसमें काफी विकास हुआ है । विशेषकर 20 सूत्री कार्यक्रम में शिक्षा को सम्मिलित करके इसकी महत्ता को बढ़ा दिया गया है । प्राथमिक शिक्षा के विषय में जो एक अलग से निदेशालय कायम किया है, यह एक स्वागत योग्य है । अलग से निदेशालय कायम करने से यह महसूस होता है कि प्राथमिक शिक्षा को हम कितना महत्व देते हैं । प्राथमिक शिक्षा के बारे में कहना चाहता हूं कि छोटे बच्चों को यहां से ही शिक्षा के प्रति रुचि जागृत होती है, अतः यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि जहां पाठशाला भवन नहीं है, उनको प्राथमिकता के आधार पर भवन अवश्य उपलब्ध करायें जांय । चरित्र निर्माण के विषय में अच्छी पुस्तक और अच्छा साहित्य विशेषकर गांवों के बच्चों को उपलब्ध नहीं होता है, जो शहरों में उपलब्ध होता है वह महंगा होता है । शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि हर एक प्राइमरी स्कूलों के स्तर पर एक लाइब्रेरी का निर्माण किया जाय और वहां निःशुल्क या कम शुल्क लेकर चरित्र निर्माण की पुस्तक उपलब्ध कराई जाय । इसी लाइब्रेरी के माध्यम से निर्बल वर्ग के बच्चों को पाठ्यक्रम की पुस्तकें भी उपलब्ध करायी जा सकती हैं । जो ड्राप आउटस होते हैं, जो प्राइमरी स्कूलों से पढ़ाई छोड़ देते हैं, या पास नहीं हो पाते हैं । यह एक गम्भीर समस्या है । इस पर और अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है । माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विषय में बहुत कहा गया है । इसमें क्रान्तिकारी सुधार की आवश्यकता है ।

हमें प्रसन्नता है कि माननीय मंत्री जी को भी माध्यमिक शिक्षा के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में और उसकी कमजोरियों के सम्बन्ध में पूरा ज्ञान है, और वह इसको दूर करने के लिये प्रयत्नशील हैं । उच्च शिक्षा का आधार माध्यमिक शिक्षा होता है । अतएव माध्यमिक शिक्षा की तरफ बहुत ध्यान देना आवश्यक है । प्रदेश में महिलाएं पुरुषों के बराबर हैं परन्तु शिक्षा का प्रतिशत उनका पुरुषों की तुलना में 50 ही है । अतः महिलाओं की शिक्षा के प्रति ध्यान देना अति आवश्यक है । उच्च शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री देना ही नहीं होना चाहिए । उच्च शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए एक उन्नतिशील, विकासशील नागरिक उत्पन्न करने का ।

हमें महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों से अनुशासनहीनता दूर करनी पड़ेगी, दादागीरी मिटानी होगी । इसके लिए हमें कठोर से कठोर कदम उठाने चाहिए, वह शिक्षामंत्री जी उठायें । 20 सूत्रीय कार्यक्रम में प्रौढ़ शिक्षा को पूरा करना है तो निष्ठावान और ईमानदार

कर्मचारियों और अधिकारियों की आवश्यकता है । वर्ष 1985-86 में प्रौढ़ शिक्षा में 6.87 लाख शिक्षित करने का लक्ष्य है यह एक सराहनीय लक्ष्य है और विशेषकर वर्ष 1990 तक 35 वर्ष के हर व्यक्ति को शिक्षित करने की जो योजना है, वह सराहनीय है ।

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन की आवश्यकता है । उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल से जो बच्चे पास होते हैं उनमें से 20-25 प्रतिशत ही राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में जाते हैं । जबकि केन्द्र के सैनिक स्कूलों से 80-90 प्रतिशत बच्चे राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में जाते हैं । एक मांग है पूर्वी उत्तर प्रदेश की, पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक मांग है सैनिक स्कूल की स्थापना करना चाहिए । पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहुत कम बच्चे राष्ट्रीय सुरक्षा अकादमी में जा पाते हैं । इसलिये बहुत कम सैनिक अफसर पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं । अतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल खोला जाय। तो उत्तर प्रदेश में एक सैनिक स्कूल की आवश्यकता है ।

(व्यवधान)

कर्नल केसरी सिंह—

मान्यवर, मैं भूतपूर्व सैनिकों के बारे में कहना चाहता हूं, मेडिकल एवं टेक्निकल संस्थाओं में उनके बच्चों उनका आरक्षण पूरा नहीं है, उसको पूरा किया जाये । 1981 में मा0 मुख्यमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने घोषणा की थी कि भू0 पू0 सैनिकों के बच्चों को हाई स्कूल में निःशुल्क शिक्षा दी जायेगी, लेकिन अभी तक यह पूरा लागू किया नहीं गया है । वर्ष 1976 के दिसम्बर में स्व0 राष्ट्रपति श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने रवीन्द्रालय में घोषणा किया था कि प्रदेश के हर स्कूल में एक भू0 पू0 सैनिक ड्रिल व पी0 टी0 प्रशिक्षक रखा जायगा । यदि बच्चों में अनुशासन व चरित्र का निर्माण करना है तो इस वादा को अमल में लाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया है ।

कर्नल केसरी सिंह—

मान्यवर, अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र में लड़कियों का हाईस्कूल और इण्टरमीडिएट कालेज कोई नहीं है, लड़कियों की शिक्षा के लिये मेरे क्षेत्र में कम से कम दो हाई स्कूल खोला जाना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

अब जो भी आप कहेंगे वह लिखा नहीं जायेगा ।

कर्नल केशरी सिंह—

इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, मैं केवल दो तीन सुझाव देना चाहता हूं । एक तो अवकाफ के सम्बन्ध में जो सर्वे हो रहे हैं, वह बड़े कीमती चीज हैं, लेकिन सारा काम खतम नहीं होता है और उनका ट्रान्सफर कर दिया जाता है । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ में वह कम्पलीट नहीं हुआ और उसका ट्रान्सफर कर दिया गया, तो इससे समय और धन दोनों का नुकसान होता है । मेरा कहना है कि जिस जिले में सर्वे शुरू करें, वहां पर मुकम्मल करा दें ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट में अमेंडमेन्ट करें, क्योंकि सन् 1920 से दूकानें किराये पर दी गयी हैं और उनका किराया एक रुपया है और वह दूकानदार एक पान की दूकान रखवाकर 500 रुपया ले रहा है, इसलिये रेन्ट कन्ट्रोल एक्ट में तरमीम होनी चाहिए । तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि लैंड एक्यूजिशन एक्ट में भी तरमीम होनी चाहिए अगर आप नहीं करेंगे तो जो आपके मकबरे और मसजिद हैं उनके सम्बन्ध में शिकायतें आती हैं, वह आती रहेंगी, तो मान्यवर, यह तीन बातें मैंने अवकाफ के सिलसिले में कहीं ।

आजमगढ़ जिले में टीचर 2 महीने से धरना दिये हैं और काम नहीं हो पा रहा है, इन्सपेक्टर की पिटाई भी की, उसके हाथ पैर टूट गये और वह लिख नहीं सकता है । इन्सपेक्टर आफ स्कूल्स दफ्तर में नहीं जा सकता है । आपके कान पर जूं नहीं रेंगती है, जब आपकी नोटिस में आ जाये तो ऐसी चीजों का हल निकालें इसका नतीजा यह है कि मंगरांवा स्कूल के लिये कृषि विज्ञान के अतिरिक्त विषय के लिये 1983 में प्रार्थना-पत्र दिया गया था और माध्यमिक शिक्षा परिषद् से बार-बार रिमाइन्डर आता है, लेकिन उसका जवाब नहीं जाता है ।

अब मैं आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं कि अरबी फारसी एक्जामिनेशन बोर्ड है अबजरमानी साहेब, 1979 में इन्सपेक्टर थे, उन्होंने 5 सफे के रूल्स एण्ड रेगुलेशन बनाये थे, 4 साल हो गये हैं और इस विभाग ने समझा कि वह पुराने हो गये हैं, लिहाजा फिर से रूल्स बन रहे हैं । 4 साल में कितने रिमाइण्डर दिये गये, इलेक्शन का जमाना आया तो अखबार में खबर छप गयी, जाहिदी साहेब मुस्करा रहे हैं, मुझको बताया कि यह मसला हल हो गया है । यह 1983 से मसला पड़ा हुआ है, नियुक्ति नहीं हुई है और न कोई रिकमेन्डेशन हुई और जो सवाल किया जाता है, उस पर मंत्री जी कह देते हैं कि शीघ्र इलाज होगा । मैं आज यह सोचता रहा कि शायद वे आज एलान करें कि कल से वहां पर नियुक्ति भी हो जायेगी और उसे मान्यता भी दी जायेगी । सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि माननीय गुफरान जाहिदी इसकी तरफ इशारा करेंगे, ऐसी उम्मीद थी लेकिन उनकी भी पालिसी वही थी कि बागवां भी खुश रहे, राजी रहे सैय्याद भी । माननीय मंत्री जी ने महामना मदन मोहन मालवीय आदि का नाम लिया । आज उनकी रूह तड़फ रही होगी । मोहकमा तालीम के अन्तर्गत जो आपने व्यवस्था की उसको देखकर उनकी रूह तड़प रही होगी । आखिर में सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूं । तालीम में कोई तरक्की नहीं हुई । तरक्की इस तरह से हुई जैसाकि पहले एक रुपये में 64 पैसे होते थे और अब 100 पैसे होते हैं । उसे चाहे आप 500 पैसे कर दें लेकिन रुपया वही रहा । मैं मंत्री जी से एक गुजारिश करना चाहूंगा—

यह गम नहीं कि नशेमन उजड़ गया अपना,
मलाल यह है कि गुलशन की आबरू न रही ।

यदि आपने शिक्षा विभाग में फैले करेप्शन को दूर नहीं किया तो आप इसकी आबरू को बचा नहीं सकते हैं । फिरका परस्त अधिकारी जब तक आपके मोहकमें में रहेंगे, 4 साल हो गये, 40 साल भी हो जायेंगे तब भी आप अरबी-फारसी की नियमावली को दुरुस्त नहीं कर पायेंगे । इसलिये मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस ओर

ध्यान दें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री शूरवीर सिंह सजवाण—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे शिक्षा के बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं । माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो बजट रखा है शिक्षा जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास का एक साधन है और जिसके माध्यम से न केवल व्यक्ति का विकास होता है बल्कि उससे सम्पूर्ण धरती में जितने जीव जन्तु हैं उनका भी विकास मनुष्य के उस सर्वांगीण विकास के साथ-साथ होता है । मान्यवर, मैं उस क्षेत्र का रहने वाला हूं जहां पर आज शिक्षा जगत में जैसा कि हमारे एक भाई ने कहा कि मैदानी क्षेत्र में अधिकांश शिक्षण संस्थायें प्राइवेट रूप से चलती हैं । लेकिन मेरे क्षेत्र में धनाभाव के कारण अधिकांश शिक्षण संस्थाएं शासन की ओर से चलाई जाती हैं और उन संस्थाओं में जो कुछ त्रुटियां हैं उनकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में सर्वप्रथम एन0 सी0सी0 विषय सभी विद्यालयों में खोला जाना चाहिये क्योंकि सीमाओं पर उस धरती के नौजवान हमेशा से इस देश की रक्षा करते आये हैं और करते रहेंगे । इस वजह से वहां पर विद्यालयों में एन0 सी0 सी0 विषय खोलना नितान्त आवश्यक है ।

इसके अतिरिक्त वहां पर लोगों का जो प्रमुख रूप से जीविकोपार्जन का साधन है वह मात्र कृषि है । मान्यवर, पंतनगर विश्वविद्यालय और उसका एक कैम्पस रानीचौरी में है इसलिये इस विषय में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर अधिकांश विद्यालयों में कृषि विषय भी खोला जाय ताकि वहां के लोग, वहां के नौजवान कृषि के माध्यम से, नये नये उपकरणों से खेती को भली प्रकार से कर सकें और अपनी जीविकोपार्जन कर सकें ।

मान्यवर, शिक्षा की नई नीति की घोषणा माननीय प्रधानमंत्री जी ने और केन्द्रीय शिक्षा मंत्री जी ने की है और उसके माध्यम से हमारे पर्वतीय क्षेत्र के लिये शिक्षा में जो सुधार हो सकता है उसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । दो मिनट मुझे और दे दीजिये । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र और मैदानी क्षेत्र का संवर्ग बना हुआ है इसमें जो राजाज्ञायें निकलती हैं उनको ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है । मैं निवेदन करूंगा कि इन राजाज्ञाओं का शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वयन कराया जाय । मंडलीय स्तर पर जो शिक्षा अधिकारी हैं उनको भरपूर अधिकार दिये जांय ताकि वहां की समस्या का वे समाधान कर सकें । शिक्षा विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और अध्यापकों का वेतनमान अन्य विभागों से जब तक अधिक नहीं होगा तब तक शिक्षा के सर्वांगीण विकास की बात करना स्वप्न होगा ।

पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारे पद शिक्षकों के रिक्त पड़े हैं । बहुत सारी शिक्षण संस्थायें अध्यापकों/प्रधानाचार्यों के अभाव में सूनी पड़ी हैं इन जगहों को शीघ्रातिशीघ्र भरा जाय ।

बी0टी0सी0 प्रशिक्षण संस्थाओं के संबंध में कहना चाहता हूं और इस सम्बन्ध में मैंने पहले भी निवेदन कई बार किया है कि बी0टी0सी0 प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापक जहां पर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं वहां पर पूर्व की भांति बी0टी0सी0 में चयन की सुविधा प्रदान की जाय । ऐसा न करने से भाषाई अड़चन पैदा होती है । मेरा निवेदन है कि हर जनपद में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण विद्यालय हैं उनमें जनपद के ही लोगों को लिया जाय इससे उस जनपद की बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जायेगी ।

पर्वतीय क्षेत्र में परिषदीय और राजकीय अध्यापकों की लड़ाई की वजह से

वहां शिक्षा पर बुरा असर पड़ रहा है जिसका शीघ्र समाधान किया जाय । वहां पर आज भी अध्यापकों का स्थायीकरण और विनियमितीकरण नहीं हो पा रहा है उसे शीघ्र किया जाय । 10 वर्ष की जिनकी सेवा हो गयी है उनका विनियमितीकरण कर दिया जाय तथा उच्चीकृत विद्यालयों के अध्यापकों की सेवाओं का सही मूल्यांकन करके उनका विनियमीतिकरण कर पदोन्नति कर दी जाय । मानकों के आधार पर राजकीय बेसिक अध्यापकों, सी0 टी0 और एल0 टी0 ग्रेड के अध्यापकों को पदोन्नति की जाय और जो पद सीधी भर्ती के हैं उन पर रोक न लगाकर पर्वतीय क्षेत्रों में शासनादेश के आधार पर नियुक्तियां शीघ्र की जायं ताकि जो रिक्त स्थान हैं उनकी पूर्ति हो सके ।

पर्वतीय क्षेत्र में मान्यता और उच्चीकरण के मानक सिथिल किये जांय क्योंकि वहां पर बहुत गरीब लोग रहते हैं, जो मानक पूरा नहीं कर सकते हैं ताकि माननीय राजीव गांधी जी का जो स्वप्न है वह पूरा हो सके । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी के बजट का स्वागत करता हूं । (श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम पुकारने पर कई सदस्य एक साथ बोलने लगे ।)

श्री अधिष्ठाता—

मैंने माननीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी का नाम पुकारा है । आपके माइक से आवाज नहीं आ रही है आप आगे आकर बोलें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय शिक्षा मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के विरोध में और कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मन में दुख होता है जब शिक्षा जैसे बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखना पड़ता है (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से सदन के सम्मुख अपनी भावना व्यक्त करने के लिए एक कविता रखना चाहता हूं ।

यह विसंगति जिंदगी के द्वार सौ सौ बार रोई,
चाह में है और कोई, बांह में है और कोई ।
सांस में है और कोई पास में है और कोई ।

मान्यवर, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने जो भाषण दिया उससे भी विसंगति की बात आई है । उसमें शिक्षा की की गई किन्तु यह साक्षरता तक ही सिमट कर रह गयी । उन्होंने केवल आंकड़ों का एक जाल बताया कि इतने डिग्री कालेज खोले, इतने इण्टर कालेज खोले इसी में सदन को उलझा दिया । मैं कहना चाहता हूं कि आजादी के 38 वर्षों में सबसे ज्यादा अगर कहीं दुर्गति हुई है, कहीं दुर्दशा हुई है तो वह शिक्षा विभाग में हुई है । इसलिए हम महसूस करते हैं कि शिक्षा विभाग हमें दे क्या रहा है । हमारी 12 करोड़ जनता को जो कुछ दे नहीं रहा है केवल भ्रष्टाचार का भागीदार हो रहा है तो उससे शिक्षा का हित नहीं हो सकता है । इसलिए यह प्रस्ताव करना कि अधिक धन दिया जाय उचित नहीं है । इसीलिये मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, मुझे याद आता है कि विद्यालयों में जांय तो जो आपने सरकार ने मानक तय किया है कि 40 विद्यार्थियों पर एक अध्यापक रहेगा तो वह अध्यापक अपनी नौकरी बचाये रखने के लिए फर्जी संख्या रजिस्टर में अंकित करता है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि प्राइमरी में जो 1 करोड़ 10 लाख छात्र पढ़ते हैं वह संख्या फर्जी है, मैंने निरीक्षण किया है, मुझे नगरपालिका में अध्यक्ष रहने का अवसर प्राप्त हुआ, एक बार अचानक एक विद्यालय में गया,

वहां कोई जानता नहीं था कि मैं कौन हूं, मैं कचहरी की ड्रेस उतारकर पैंट बुशर्ट में स्कूल गया, तो वहां के कर्मचारी कहने लगे कि डी0आई0ओ0 एस0 आ गये । मैंने विद्यार्थियों से पूछा कि कितने अध्यापक हैं, तो उन्होंने बताया कि चार हैं, लेकिन ड्यूटी लगा रखी है, एक आता है और 3 की छुट्टी की अर्जी आ जाती है, इसी प्रकार क्रम से आते हैं, तो मैंने पाया कि वहां चंद विद्यार्थी उपस्थित थे । इसलिये आप केवल आंकड़ों में पल रहे हैं तो इसको छोड़कर वास्तविकता को देखें ।

मान्यवर, आज जो भ्रष्टाचार बढ़ा है उसके लिये हमारे मंत्री जी ने शेर कहा तो मुझे याद आ गया और मैं कहना चाहता हूं :

सारे गुलशन का चलन चाहे बिगड़ जाता लेकिन
बद चलन होने से खुशबू तो बचा ली जाती ।

मान्यवर, शिक्षा विभाग में आज जो भ्रष्टाचार की भागीरथी बह रही है, जैसा श्री तिवारी जी ने कहा था, चरित्र की बात की जाती है, आचरण और संस्कारों की बात की जाती है लेकिन आज संस्कारों की सरस्वती विलुप्त हो रही है । मान्यवर, आज कहते हैं कि शिक्षा में आमूल परिवर्तन करेंगे । प्रधानमंत्री नई शिक्षा नीति को लागू करेंगे । मुझे आशा थी और जनता आशा लगाये बैठी थी कि युवा प्रधानमंत्री शिक्षा में नई नीति लागू करेंगे लेकिन ऐसा हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा है ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हो गया । आप बैठ जायें ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, अब मैं केवल चार सुझाव देकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा । मेरा पहला सुझाव है कि भारत के संविधान की मूल भावना को देखते हुये शिक्षा विभाग में महिला एवं पुरुष अधिकारियों में भेद को समाप्त करके एक कैडर स्थापित करें (व्यवधान) मेरा दूसरा सुझाव है कि बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा जो प्राइमरी एवं जूनियर हाई स्कूल के विद्यालय चलाये जा रहे हैं, उसको समाप्त करके, जैसे पहले था, जिला परिषदों और नगर पालिकाओं द्वारा यह विद्यालय चलाये जांय । मान्यवर, तीसरा सुझाव है कि परीक्षा प्रणाली को बदल कर सेमिस्टर सिस्टम लागू किया जाये । और चौथा सुझाव है कि दोहरी शिक्षा नीति समाप्त कर लोक कल्याणकारी राज्य एवं समाजवादी समाज की संरचना सुनिश्चित की जाये ।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(व्यवधान)

*श्री सुरेश चन्द्र—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव—

आप हमेशा विषमता का काम करते हैं ।

श्री सुरेश चन्द्र—

शिक्षा मंत्री जी का स्वागत करता हूं, जहां तक शिक्षा का सवाल है, प्रदेश में 12 करोड़ की जनसंख्या है, जिसमें साढ़े 8 करोड़ अशिक्षित हैं, यानी 3 में एक शिक्षित है और करीब दो अशिक्षित हैं, जो चिंता का विषय है । मैं मंत्री जी का ध्यान पर्वतीय क्षेत्र के पिछड़े भाग की ओर दिलाना चाहता

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है वहां अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों में शिक्षा और भी कम है । अतः वहां पर अधिक से अधिक स्कूल कालेज खोले जायें । आप आश्रम पद्धति को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उसको और बढ़ावा दिया जाए और वहां भी तथा उन बच्चों की देख-रेख के लिए उसी समाज के लोगों को पढ़ाने का अवसर दिया जाय और निगरानी भी की जाये । जहां तक आरक्षण का सवाल है, चतुर्थ श्रेणी में भी यह पूरा नहीं है, माध्यमिक स्कूलों और विश्वविद्यालयों में तो यह बहुत दूर की बात है । कुमायूं विश्वविद्यालय में एक परसेंट भी कोटा पूरा नहीं है । यही लखनऊ, रुहेलखंड तथा अन्य विश्वविद्यालयों की हालत है । अतः कम से कम इस कोटे को पूर्ण किया जाये ।

हमारे क्षेत्र के कई विद्यालयों में विज्ञान शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, उनमें उसकी व्यवस्था की जाए, लड़कियों की शिक्षा के लिये होम साइंस विषय पढ़ाने की व्यवस्था की जाये । हमारे रूटीना क्षेत्र में रामगढ़ और ओखलकांडा में इण्टर कालेज स्वीकृत हुए हैं । जिनमें वहां के अध्यापकों को, विद्यालयों के राष्ट्रीयकृत न होने से वह लाभ अब तक नहीं मिल पा रहा है, उनको ग्रेच्युटी पी0 एफ0 और इन्श्योरेंस का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है (व्यवधान) टेक्निकल एजूकेशन की ओर भी आप वहां ध्यान दें, आई0टी0आई0 और पालीटेक्निक खोलें . . . . (व्यवधान)

*श्री बाबू राम यादव—

मैं आपका बहुत आभारी हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया, आपने कटौती प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये जो समय दिया है, उसके लिये आभारी हूं। मान्यवर, बड़ी आशा थी कि जो हमारा बजट आ रहा है उसमें शिक्षा मंत्री कोई ऐसी घोषणा करेंगे जो समता से ताल्लुक रखती होगी । (व्यवधान) जो बजट पेश हुआ है उसको सुनकर मुझे बड़ी निराशा हुई है । हमारे युवा प्रधान मंत्री राजीव गांधी और नये शिक्षा मंत्री की यह घोषणा थी कि हम नई शिक्षा नीति की घोषणा करेंगे, लेकिन उस बारे में इसमें कुछ नहीं है । किसी परिवार में 11 बजे बच्चा हुआ और दाई ने आंगन में कह दिया कि लड़का पैदा हुआ है और घर की औरतें नाच-गाना करने लगी, सबेरे तक बधाइयां बजीं, पर जब सबेरे जच्चा के कमरे में देखा गया तो मालूम हुआ लड़की पैदा हुई है । तो आपके दोहरे मापदण्ड हैं ।

दोहरी शिक्षा नीति चल रही है । हमारे इधर और उधर के माननीय सदस्य बैठे हुये हैं और मंत्री जी भी बैठे हुए हैं कोई भी माननीय सदस्य या मंत्रिगण जो बेसिक शिक्षा के हमारे स्कूल गांव में हैं, वहां अपने बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं करते हैं अधिकारी लोगों की बात छोड़ दीजिये । गांव के लोगों की अलग शिक्षा संस्थायें हैं और उच्च वर्ग के लोगों के लिये, मंत्रिगण और अधिकारियों के लिये शिक्षा संस्थायें अलग-अलग हैं । तो यह संविधान का खुला उल्लंघन है । संविधान में जो समता की नीति है उसका पालन सरकार नहीं कर रही है । 38 वर्ष हो चुके हैं आज तक इस पर विचार नहीं हुआ कि गांव के लोगों और शहर के लोगों के लिये स्कूल एक से कर दिये जायं । अगर शिक्षा संस्थायें एक सी कर दी जायं और शिक्षा मंत्री का लड़का जहां पढ़ता है वहीं किसान का लड़का पढ़ने लगे तो शिक्षा में अपने आप सुधार हो जायेगा ।

यह जो हमारा पवित्र शिक्षा विभाग है इसने भ्रष्टाचार का लबादा ओढ़ लिया है । इसमें कितना भ्रष्टाचार है इसके मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं । यूनीवर्सिटी में जिसकी एप्रोच, पहुंच नहीं है वह लड़का चाहे जितना योग्य हो वह टाप नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कर सकता । पिछले साल की बात है । हिन्दी में एक लड़की है जो टाप कर रही थी । एक लड़की नम्बर दो पर थी उसके पिता जो महाविद्यालय में प्राचार्य हैं उन्होंने आदेश दिया कि हमारी लड़की को टाप करना चाहिए और आगरा के उप कुलपति, बी0सी0 ने आदेश जारी किया कि पहली वाली लड़की की कापी रोक दी जाय, जांची न जाय क्योंकि वह लड़की टाप कर रही थी । तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनीवर्सिटी के मिस्टर विश्वनाथ खन्ना जो अध्यापक हैं, उन्होंने वी0सी0 को चिट्ठी लिखा कि आप जो भ्रष्टाचार हमसे करवायेंगे वह हम करने के लिये तैयार नहीं हैं और कापी जांच करके भेज दिया । इसके बाद यह हुआ कि दूसरी वाली लड़की का जो वायवा हुआ उसमें 100 में से 99 नम्बर दिलाये गये और उसने टाप किया जबकि जो लड़की टाप कर रही थी वह टाप न कर सकी । इसी तरह से एक लड़की समाज शास्त्र में थी उसका रोल नं0 7113 है । उसको तीन बार मार्कशीट दी गयी । वह मार्कशीट उसके पास है, अगर चाहें तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूं । जो लड़की दूसरे नम्बर पर थी उसके लिये ऐसा किया गया ताकि वह टाप कर ले । तो इस तरह से पहली लड़की को तीन तीन मार्कशीट दी गयीं जिससे वह टाप नहीं कर सकी ।

मान्यवर, यह जो कानपुर विश्वविद्यालय है, शिक्षा मंत्री और कानपुर विश्वविद्यालय के संचालनकर्ताओं को शर्म आनी चाहिये और इस विश्वविद्यालय को समाप्त कर देना चाहिए । इसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार है । इम्तहान होने के बाद रेजल्ट आउट नहीं करते, बाबू दफ्तर में बैठता है, रुपया अगर दे दो तो रेजल्ट मिल जाता है । कानपुर विश्वविद्यालय का सत्र एक साल पीछे है । इस विश्वविद्यालय को खत्म कर देना चाहिये इसमें इतना भ्रष्टाचार है कि शर्म से सर नीचे झुक जाता है ।

अब मैं प्रशासन में जो भ्रष्टाचार है उसकी बात कहना चाहता हूं । मैं अपने जिले की बात कर रहा हूं । हमारे शिक्षा मंत्री हमारे जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं । हमारे यहां जो इंसपेक्टर हैं और जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं, उस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं । बेसिक शिक्षा अधिकारी इतना ईमानदार है कि एक पैसा भी रिश्वत नहीं लेता लेकिन उसका स्थानांतरण कर दिया गया और जिला विद्यालय निरीक्षक जो अध्यापक की जेब से 10 रुपये भी जबरदस्ती निकाल लेते हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं वह सुरक्षित हैं । जब तक बेईमान अधिकारियों को बढ़ावा मिलेगा, जब तक बेईमान अधिकारियों पर कुठाराघात नहीं होगा तब तक शासन ठीक से नहीं चल सकता । इन शब्दों के साथ मैं राजेन्द्र गुप्त जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और इस बजट का विरोध करता हूं ।

श्री महमूदुल हसन अंसारी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने शिक्षा के बजट पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं । माननीय शिक्षा मंत्री ने जो शिक्षा का बजट पेश किया है, यह हमारे प्रदेश के तालीमी तकाजों के एन मुताबिक है । हमें मुकम्मल भरोसा है कि इस बजट से प्रदेश में तालीम को एक नई दिशा मिलेगी । मैं इस बजट का मुकम्मल समर्थन करता हूं । माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि हमारे सूबे के तालीम इदारों ने जहां-जहां उर्दू की टीचर्स की जरूरत है, वहां अभी तक उर्दू टीचर्स की नियुक्ति नहीं हुई है । वहां पर जल्द से जल्द उर्दू टीचर्स नियुक्त

किये जायें । दूसरे यह कि मेरे क्षेत्र अफजलगढ़, जनपद बिजनौर में अधिक गांवों में प्राइमरी स्कूल नहीं हैं और अगर हैं तो उनमें सिर्फ एक-एक टीचर हैं, जिसकी वजह से वहां पर प्राइमरी तालीम का स्तर बहुत गिर रहा है ।

(कई माननीय सदस्य एक साथ खड़े होकर यह कहने लगे कि मान्यवर, लिखा हुआ पढ़ रहे हैं ।)

श्री महमूदुल हसन अन्सारी—

माननीय शिक्षा मंत्री जी, मेरे क्षेत्र में सर्वे करायें और प्राईमरी शिक्षा का सही प्रबन्ध करायें । मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि प्रदेश में तमाम एडहाक टीचर्स का अहम मसला है । माननीय मंत्री जी इस ओर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके एडहाक टीचर्स का मसला हल कराने की कृपा करें । मेरा क्षेत्र अफजलगढ़ बहुत बैकवर्ड है । मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि वहां पर एक डिग्री कालेज और एक गर्ल्स इण्टर कालेज की स्थापना करने की कृपा करें । अन्त में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी के शिक्षा विभाग के बजट पर पूर्णरूपेण समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं ।

श्री काशी सिंह ऐरी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे आपने माननीय गुप्ता जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं उसका समर्थन करता हूं और माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं । मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री के प्रति भी सहानुभूति प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि वह बेचारे उत्तर प्रदेश सरकार और अपने शिक्षा विभाग के निकम्मे अधिकारीगणों के बीच में पिस रहे हैं, क्योंकि शिक्षा विभाग को ज्यादा बजट मिलता ही नहीं है । आजकल हर एक कार्यक्रम अभियानों में चलता है और शिक्षा बीस सूत्री कार्यक्रम का एक अंग होते हुए भी इसके लिये कोई अभियान नहीं है । इस देश में और इस प्रदेश में शिक्षा की जो दुर्गति की गयी है, उसे देखते हुए मैं माननीय शिक्षा मंत्री को ज्यादा दोष नहीं देता हूं, क्योंकि उनकी भी अपनी सीमायें हैं । माननीय प्रधानमंत्री जी की जो नई शिक्षा नीति घोषित होने वाली है, उसके लिए कई माननीय सदस्यों की भांति मैं भी इन्तजार कर रहा हूं ।

मैं इस सदन के माध्यम से सरकार को आगाह कर देना चाहता हूं कि नई शिक्षा नीति इस तरह से लागू न कीजिए कि—ये कैसी मशालें ले के चलें, तीरगी में आप, कि जो रोशनी थी, वह भी सलामत न रही । मैं मान्यवर, अब कुछ बिन्दुओं की ओर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं विशेष तौर से मैं पर्वतीय क्षेत्र की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । मैं माननीय शिक्षा मंत्री को यह याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में वकील आपके ही जैसा आपने बताया है कि केवल अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में 196 और 173 प्रधानाध्यापक और अध्यापकों के पद रिक्त हैं, तो पढ़ाई कैसे होगी । दूसरे प्राइमरी से लेकर डिग्री कालेजेज तक जितनी शिक्षण संस्थायें, हैं, उनमें अध्यापक नहीं हैं, साज-सज्जा का बिलकुल अभाव है । सामान्य चीजें जैसे हाई स्कूल की प्रयोगशालाओं में कहीं पर टेस्ट ट्यूब तक नहीं है । इसके अलावा बहुत सी समस्यायें हैं, जैसे विकेन्द्रीकरण । जहां तक नियुक्ति में विकेन्द्रीकरण का सवाल है, आपके अधिकारियों ने राजाज्ञा का खुला

उल्लंघन किया है । जो विकेन्द्रीकरण की प्रणाली है उसका खुला उल्लंघन अधिकारियों ने हर स्तर तक किया है । पर्वतीय संवर्ग से लोगों का स्थानांतरण मैदानी क्षेत्र में किया गया है और मैदानी संवर्ग क्षेत्र के लोगों को प्रमोशन देकर पर्वतीय अंचल में भेजा जा रहा है । मान्यवर, इस प्रकार से एक संवर्ग को दूसरे संवर्ग में जो मिलाया जा रहा है, इसमें सुधार करायें । इसका सही ढंग से पालन करवायें । मान्यवर, जो इलाहाबाद बोर्ड है, उसके बारे में आम भावना यह है वहां पर इतनी धांधली है कि उस बिल्डिंग को बम से उड़ा देना चाहिये तब जाकर सही काम होगा । परीक्षा प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है । धन्यवाद ।

श्री गजराज सिंह—

परम आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा बजट पर बोलने का अवसर दिया । साथ ही मैं मंत्री जी का भी हृदय से स्वागत करता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा बजट प्रस्तुत किया है कि उसमें जो कमियां थीं उनको भी उन्होंने छिपाया नहीं है । इसके साथ ही अधिष्ठाता, महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मैंने लगभग 12 वर्षों तक एक अध्यापक के रूप में प्राइमरी और जूनियर कक्षाओं के लिए कार्य किया है । उसके सम्बन्ध में मेरे कुछ सुझाव हैं माननीय मंत्री जी थोड़ा ध्यान दें । मान्यवर, जितने भी सम्मानित सदस्य सदन के अन्दर बैठे हैं, उनमें से 90 प्रतिशत सदस्यों ने ग्रामीण अंचल से प्राइमरी संस्थाओं से शिक्षा टाटपट्टी पर बैठकर ली है । बहुत कम सदस्य ऐसे हैं, जिन्होंने पब्लिक स्कूल से शिक्षा ली है । जो कमी है वह किसी से छिपी नहीं है । सभी ने इस विषय पर चर्चा की है । मैं शुरू में बोलना चाहता था लेकिन सम्मानित सदस्यों ने अच्छी चर्चा की । देखने में आता है कि हर अध्यापक जो जिस गांव का रहने वाला है उसी गांव का स्टेशन चाहता है दूसरे गांव में नहीं जाना चाहता यह बात बार-बार कही गई कि 5-5 स्कूलों में अध्यापक होते हैं लेकिन देखने में एक ही मिलता यह बात झूठ नहीं है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि बेसिक शिक्षा परिषद् से इन स्कूलों को हटाकर जिला परिषद् के अन्दर दे दिया जाये । इससे निश्चय ही स्कूलों में सुधार आयेगा । अर्थात जिला परिषद् के अन्दर जो पद्धति थी उसे ही रहने दिया जाये दूसरी तरफ शिक्षा के बजट में पैसा कम है तो इसके लिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि प्रौढ़ शिक्षा केवल कागजों पर रह गई है, इसका दुरुपयोग होता है, अनौपचारिक शिक्षा और बालाहार योजना में जो खर्च होता है वह बिल्डिंग बनाने पर खर्च करें तो जहां छत नहीं है या छत टूटी है वह पूरी हो सकती है । एक निवेदन और करना चाहूंगा उदर्ू के अध्यापक हापुड़ में 33 हैं जबकि छात्र 55 हैं । मैंने कल जाकर मालूम किया कि कुछ ग्रामीण अंचलों के ऐसे स्कूल भी हैं जहां 50-60 के करीब छात्र हैं, अध्यापक 5-6 मिलेंगे जो कि अधिक हैं । मैं मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि एक बार फिजिकल सर्वे कराकर जहां संस्कृत और विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं, जहां एक ही अध्यापक उन बच्चों की देखभाल करता है, वहां पर इन अध्यापकों को भेजा जाय । मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा बोर्ड से होती है लेकिन जो इण्टर कालेज में आठवीं कक्षा में हैं, उनमें बोर्ड की परीक्षा नहीं होती है, उसमें इतना अन्तर क्यों है । दोनों विद्यालयों में बोर्ड की परीक्षा हो अन्यथा नहीं । क्योंकि आठवीं कक्षा की परीक्षा देने के बाद भी उन्हें 9वीं कक्षा में प्रवेश के लिये टेस्ट देना पड़ता है । इसमें

सुधार अवश्य किया जाय । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री रघुवर दयाल वर्मा—

मान्यवर, मा0 मंत्रीजी को गंभीरता से सुनने के बाद और उनके बजट की प्रस्तावित भूमिका का गम्भीर अध्ययन करने के बाद मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि वर्ष 1974 के बाद से हिन्दुस्तान में जब इस शिक्षा का जीवन से कोई संबंध नहीं जुड़ा तो माननीय जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार और गुजरात में संपूर्ण क्रान्ति का आन्दोलन हुआ, क्रान्ति हुई । उन्होंने कहा कि यह शिक्षा जो जीवन से कोई रिश्ता नहीं जोड़ती, इसमें आमूल-चूल परिवर्तन हो । सन् 1973 में पहली बार श्री जय प्रकाश नारायण के नेतृत्व में इस ओर जागृति हुई ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आमूल-चूल परिवर्तन करने की नीति है, उसकी आधारशिला क्या है । आज बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एम0 काम0 पास विद्यार्थी दुकानों में बही खाते नहीं लिख सकता । एम0 एस-सी0 (ए0जी0) पास करने के बाद विद्यार्थी खेत में हल नहीं चला सकता । उसका जीवन की शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं जुड़ता । इस शिक्षा को हटाया जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज शिक्षा के क्षेत्र में विसंगतियां हैं, विषमताएं हैं । किंडरगार्टेन, मान्टेसरी, शिशु मन्दिर, आदि इतनी पद्धतियां आपने खोल रखी हैं, जबकि 80 फीसदी लोग गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले बेसिक और प्राइमरी स्कूलों में महात्मा गांधी की बेसिक शिक्षा पद्धति में पढ़ते हैं । एक तरफ किंडरगार्टेन और मान्टेसरी के लड़के आई0ए0एस0 और आई0पी0एस0 परीक्षा में जाते हैं और दूसरी तरफ बेसिक शिक्षा प्राप्त करने वाले 80 प्रतिशत लोग, इनकी प्रगति का आधार क्या है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जहां ऐसी दो पद्धतियां चल रही हों तो सरकार यदि कुछ करना चाहती हो, उसमें कुछ हिम्मत हो तो वे सबसे पहले कम से कम एक काम तो कर दीजिए कि ये तो मांटेसरी आदि तमाम पद्धतियां चल रही हैं, इन सबमें एक सा परीक्षा का मानक करा दीजिये तो कम से कम बहुत बड़ा कल्याण हो जायगा । इसलिये मैं यह सुझाव देना चाहता हूं और निवेदन करना चाहता हूं कि आज जो स्थिति है उसको देखें तो पायेंगे कि वर्तमान शिक्षा का हमारे जीवन से कोई रिश्ता नहीं जुड़ता । इसलिए इसमें परिवर्तन कीजिये । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज वे प्राइमरी स्कूल जिन्हें एड मिलती है उनके अध्यापकों का वेतनमान बार-बार आश्वासन देने के बाद भी उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है । तीन आदमियों को जेल में बन्द कर दिया है । बाकी हड़ताल कर रहे हैं । हालांकि दिनों दिन खराब होती जा रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं । भवन नहीं हैं । मैंने 301 में सूचना दी थी । परसों पढ़ा था कि 2 व्यक्ति मर गये और 25-30 घायल हो गये । दीवार गिर गयी थी । वहां भवन नहीं है । स्कूलों में अध्यापक नहीं हैं । आपके बेसिक शिक्षा अधिकारी में हिम्मत नहीं है कि किसी विद्यालय में अध्यापक को भेजने के लिये मजबूर कर सकें । ऐसी स्थिति में बेसिक शिक्षा अधिकारी बेकार हो गया है ।

बेसिक शिक्षा अधिकारी डी0डी0आर0 आफिस में जितना भ्रष्टाचार आगरा में है उतना कहीं दूसरी जगह नहीं है । फर्जी विद्यालय चल रहे हैं । फर्जी

अनुदान लिये जा रहे हैं । मान्यवर तमाम विद्यालय ऐसे हैं जो फर्जी अनुदान लेते चले आ रहे हैं । मान्यवर मैं 1978 में भी मेम्बर था, मैंने इस बारे में विधान सभा में सवाल किया था । मान्यवर, करीब 25 विद्यालय ऐसे हैं, जिनको फर्जी अनुदान मिल रहा है । मान्यवर, मैं कहूंगा कि फिरोजाबाद में बी0एड0 की कक्षायें खोली जायं एल0 एल0बी0 की शिक्षा की व्यवस्था हो । मैं कटौती के प्रस्ताव का इन्हीं शब्दों के साथ समर्थन करता हूं ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, शिक्षा विभाग पर काफी लम्बी चर्चा हो रही है । अभी नियोजन विभाग पर भी चर्चा होनी है । माननीय नियोजन मंत्री जी थके हुए ज्यादा नजर आ रहे हैं, आप पहले उसको पारित करा दें फिर शिक्षा विभाग को जारी रखें, या फिर नियोजन मंत्री जी चाय आदि का इन्तजाम करायें माननीय सदस्यों के लिये ताकि हम लोग बैठे रहें ।

श्री प्रदीप माथुर—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने शिक्षा विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी प्रयत्नशील हैं शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिये और कोशिश कर रहे हैं कि जितनी भी खामियां हैं, इस प्रणाली में, उसको दूर करने की । मान्यवर, आप देखें कि प्राइमरी शिक्षा पर इस सरकार द्वारा कितना ध्यान दिया गया है । हमारे बजट का 51 प्रतिशत उसके लिये रखा गया है । माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिये भी माननीय मंत्री जी प्रयत्नशील हैं और उच्च शिक्षा की ओर भी शासन जागरूक है ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने क्षेत्र मथुरा वृंदावन की ओर ले जाना चाहता हूं । मान्यवर, वहां के प्राथमिक विद्यालयों में से अधिकांश में छते नहीं हैं, बच्चे खुले में पढ़ने के लिये मजबूर हैं । इसके अलावा अधिकांश अध्यापक गायब रहते हैं । उनकी फेक एटेंडेंस लग जाती है । ऐसा महसूस होता है कि वे अपने सहयोगियों को रिश्वत आदि खिलाकर काम चलाते रहते हैं । इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स चल रहे हैं, उन्होंने भी एजूकेशन को कमाई का एक धंधा बना लिया है । उनका प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक पैसा बटोरा जाय । मैं मांग करूंगा कि ऐसे इंस्टीट्यूशन पर पाबंदी लगायी जाय ।

इसके अलावा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आगरा विश्वविद्यालय की जो ग्रांट है उसको 5 लाख रु0 से बढ़ाकर 15 लाख रु0 किया जाय ताकि आगरा विश्वविद्यालय और हमारे मंडल को अधिक से अधिक लाभ हो सके । इसके अतिरिक्त हमारे यह एक चम्पा अग्रवाल इण्टर कालेज है, वहां मैनेजमेन्ट और स्टाफ में मतभेद होने के कारण वहां की शिक्षा व्यवस्था ठप्प सी हो गयी है । मान्यवर, यह काफी जगह देखा गया है कि मैनेजमेन्ट और स्टाफ में कुछ बिंदुओं पर मतभेद के कारण शिक्षण संस्थायें अधिकांशत: बंद रहती हैं । इस पर कोई व्यवस्था होनी चाहिये । मान्यवर, मैं चाहूंगा कि चम्पा अग्रवाल इण्टर कालेज की स्थिति को देखा जाय ताकि वहां पर प्रापरली शिक्षण कार्य चलता रहे । इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, किसी भी आजाद मुल्क की आजादी को बरकरार

रखने के लिये और उसके अस्तित्व को बरकरार रखने के लिये यह आवश्यक है खाद्य और उद्योग से भी ज्यादा ध्यान शिक्षा की तरफ दिया जाना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य, आप केवल सुझाव दें और एक-दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मान्यवर, यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा कि हम अपने देश की समाजवादी व्यवस्था के अनुकूल शिक्षा व्यवस्था को नहीं कर पाये । आज हमारी दोहरी शिक्षा का जो ढांचा है वह पूंजीवादी व्यवस्था का ढांचा है । यही कारण है कि हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में नीचे से तीसरे स्थान पर है । आज हमारे प्रान्त में 5 करोड़ 2 लाख 38 हजार 46 सौ ऐसे नौजवान हैं, जो काम के लिए भटक रहे हैं । जिन्होंने कभी विद्यालय का मुंह नहीं देखा है । इसलिए आज हमारे प्रदेश की उन्नति एकदम अवरुद्ध है । आज नयी शिक्षा नीति के बारे में कहा जा रहा है । इस देश में तीन प्रधानमंत्री बदल चुके हैं । पंडित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और मोरारजी देसाई । इन सभी लोगों ने शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तन की बात कही, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया ।

हमारे नये प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है । अब कि कुछ ही दिनों में एक नई शिक्षा नीति आयेगी । उस शिक्षा नीति का हम इन्तजार कर रहे हैं । इस समय इस शिक्षा के बजट पर ज्यादा नहीं बोलना है क्योंकि एक नयी शिक्षा नीति आनी है । जिन मूल बिन्दुओं की घोषणा की गई है उसमें एक यह भी है कि रोजगार को शिक्षा की डिग्री से अलग किया जायेगा और प्रत्येक जिलों में एक सेन्ट्रल स्कूल खोले जायेंगे । हमारे ख्याल से तो ये सेन्ट्रल स्कूल पब्लिक स्कूलों की ही तरह होंगे । आज आवश्यकता इस बात की है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा लागू किया जाय और प्राइमरी स्कूलों में जो अन्धविश्वास और अवैज्ञानिक शिक्षा दी जाती है और जो इस प्रकार का पाठ्यक्रम है, उसकी जगह पर ऐसे पाठ्यक्रम लाये जायं, जो बच्चों में रुचि पैदा करे और बच्चे पढ़ने में मन लगायें ।

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा के बारे में यहां पर बातें कहीं गयीं । माध्यमिक शिक्षा में ज्ञानवर्धन के साथ-साथ कला और कौशल की तरफ भी ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि कक्षा 10 या 12 तक आने पर हम में ऐसी प्रतिभा पनप जाय कि हम स्वयं कोई काम करने के लिए कुछ सोच सकें । समाजवादी व्यवस्था का चरित्र ही शिक्षा मूलक है । उच्च शिक्षा विशिष्टता या ज्ञान प्राप्ति के लिए दिया जाय । ऐसे लोगों को ही शिक्षा के क्षेत्र में रखा जाय जो उत्कृष्ट प्रतिभावान हों और केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही समाज में रहना चाहते हों । इस तरह की शिक्षा नीति हमारी होनी चाहिए ।

श्री राम नाथ मुन्शी—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे शिक्षा विभाग के बजट पर 2 मिनट बोलने का सुअवसर दिया । माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है उसका मैं विरोध करता हूं । मान्यवर, जब शिक्षा बजट के ऊपर माननीय मंत्री जी इस आदरणीय सदन में बोल रहे थे तो उनकी अन्तरवेदना के ऐसे भाव आ रहे थे जो आने स्वाभाविक ही थे क्योंकि

उन्हें कोई ईंटें, गारे और पत्थर से महल नहीं बनाना है उन्हें तो सजीव हड्डियों और मांस के पुतले से मकान बनाना है और देश के उन शिष्यों का निर्माण करना है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप केवल सुझाव दें ।

श्री राम नाथ मुन्शी—

इस लिये आज उनके ऊपर 85 हजार विद्यालयों के माध्यम से साढ़े चार लाख अध्यापकों द्वारा लगभग 2 करोड़ बच्चों को शिक्षा देने की व्यवस्था के बोझ से वह दबे हुए हैं । 3 अरब 90 करोड़ 34 लाख 41 हजार के सीमित दायरे में इतनी बड़ी विकास की प्रक्रिया और इतनी लम्बी जीवन प्रक्रिया को लेकर वह चल रहे हैं । मैं इस आदरणीय सदन में एक सुझाव देना चाहता हूं ।

स्वर्गीय महामना मदन मोहन मालवीय और स्वर्गीय सर सैयद अहमद खां जी का नाम लिया गया । अगर पूरे बजट में से 1 प्रतिशत कटौती करके 56 करोड़ रुपये, दान में प्राप्त किया जा सकता है, जैसी की हमारी परम्परा रही है । गरीबों को दान दिया जाता है, शिक्षा में दान दिया जाता है तो 56 सौ विद्यालय प्रतिवर्ष बन सकते हैं । माननीय मंत्री जी मर्यादित सदन में इस चीज को कहें लक्ष्य को पूरा करें । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि विद्या मंदिर में जल कर और बिजली कर, गृह कर नहीं लगता है । सुना जाता है कि शहरी विद्यालयों में यह भी लगता है । मैं यह भी निवेदन करूंगा कि जो प्रबन्धक अपनी स्वेच्छा से अपने विद्यालयों को सरकार को बिना मुआवजा के दे रहे हैं, सरकार को उसको ले लेना चाहिए । 30 हजार बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापक जो बेकार पड़े हैं, उनके लिए भी सरकार व्यवस्था करे । इसके साथ ही साथ गाजीपुर में पूर्वांचल विश्वविद्यालय की मांग करता है । समय के लिये आप को पुनः पुनः धन्यवाद देता हूं और बजट का समर्थन करते हुए कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । जय हिन्द-जय भारत ।

[समय 9.00 बजे]

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आप का आभारी हूं । अभी शेरो-शायरी का माहौल चल रहा था । मैं एक मुक्तक पेश कर रहा हूं—

देख कर वक्त का यह अजब फैसला,
मुझ को रोते हुए भी हंसी आ गयी,
जिनको खुशबू की कोई न पहचान थी,
उनके घर फूलों की पालकी आ गयी ।

आज बदकिस्मती है देश की कि जिन को कोई पहचान नहीं थी आज उनके घर फूलों की पालकी आ गयी । चन्द सुझाव रखना चाहता हूं । कभी आप ने इस पर गौर किया, रोना रो रहे थे कि हमारे पास सीमित संसाधन हैं, कभी सोचा कि धन, जो पैसा प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल के लिये पी0 डब्लू0 डी0 को, आई0 ई0 एस0 को दिया है, क्या हुआ । मेरे जिले में 70 लाख 74 और 72 का पड़ा हुआ है और आज इंजीनियर कह रहे हैं कि चूंकि समय बीत गया है इसलिये कुछ नहीं हो सकता । प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग नहीं बन सकी । जो बढ़ी हुई कीमत लगेगी तो कौन उसका जिम्मेदार होगा, कहां से वह आयेगा । इसी के सम्बन्ध में मैंने एक सवाल किया था, आज तक उसका जवाब नहीं आया । हम लोगों के यहां स्कूलों में साइंस की मान्यता नहीं दी जा रही है । कहा जाता है कि पैसा नहीं है । आप हम लोगों को इजाजत दे दीजिये जो लोग खुशी से कहीं से मांग जांच कर साइंस पढ़ाना चाहते हैं आपके पास नहीं है पैसा कोई बात नहीं । मैं एक सुझाव देना चाहता

हूं । राजकीय कन्या इण्टर कालेज है, उसका कोई भवन नहीं है । जिला परिषद् को लिख कर दें, कलेक्टर को दे दें ।

श्री शारदा प्रताप—

राजेन्द्र जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव पर आपने जो सुझाव देने का मौका दिया मैं उसके लिए शुक्रिया अदा करता हूं। मान्यवर, मैं लखनऊ जनपद के बेसिक शिक्षा विभाग की बात बताना चाहता हूं । लम्बा भाषण नहीं करना चाहता बेसिक शिक्षा कार्यालय, जिला परिषद् के पास स्थित है और उस जिला परिषद् की बिल्डिंग में करीब 4-5 वर्षों से लाखों रुपये का टाट सड़ रहा है । जब वह टाट पर्चेज किया गया था, खरीदा गया था, बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा तो उसकी कीमत 23 रुपये थे और आज उसकी कीमत 46 रुपये है । आज कर्मचारियों के बीच में और जो टाट का सप्लाई करने वाला है उसके बीच में कुछ डिस्प्यूट खड़ा हो गया है । मैं चाहता हूं मंत्री जी की नाक के नीचे का मामला है, उसी रास्ते पर रोज गुजरते हैं जहां पर जिला परिषद् का कार्यालय है वहीं पर उप विद्यालय निरीक्षक का कार्यालय है, लाखों-लाखों रुपये का टाट सड़ रहा है, मेरा सुझाव है उस कार्यालय को चेक करें जहां तमाम टाट सड़ रहा है ।

लखनऊ जिले के विद्यालयों में टाट की सप्लाई नहीं हो रही है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्यों से आग्रह है कि वे अपने सुझाव माननीय मंत्री जी को लिख कर भेज दें, उस पर वह कार्यवाही करेंगे ।

(श्री राजेन्द्र गुप्त को पुकारे जाने पर ।)

श्री त्रिलोक चन्द्र—

एक-एक मिनट सब को दे दें ।

श्री अधिष्ठाता—

अब इतना समय नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा—

मेरा सुझाव है कि जो माननीय सदस्य लिखकर सुझाव देना चाहते हों उनको सदन की कार्यवाही में सम्मिलित कर लिया जाय ।

(श्री गया प्रसाद वर्मा तथा सुखपाल पांडे के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता—

आप लोग बैठ जायें, मैंने एक बार कह दिया है कि आप लोग माननीय मंत्री जी को लिख कर दे दें, वे उस को कार्यवाही मान कर ही कार्यवाही करेंगे ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

मैं उन सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने मेरे कटौती के प्रस्ताव पर अपने मूल्यवान विचार प्रस्तुत किये हैं । जब से इस बजट पर चर्चा प्रारम्भ हुई है, प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा पर काफी प्रकाश डाला गया है किन्तु विश्वविद्यालय पर चर्चा नहीं हुई । मैं भी कम ध्यान दे पाया था, अब विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा हूं । जैसा माननीय फजलुल बारी ने अवध विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में चर्चा की थी । वित्तीय अनियमितताओं की ओर माननीय शिक्षा मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहूंगा । अवध विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी ने एक पत्र लिखा था जिसमें गम्भीर वित्तीय अनियमितताओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया गया है लेकिन शासन की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गयी । उसी ने 3-1-85 को दूसरा पत्र लिखा । भ्रष्टाचार के दो उदाहरण दूंगा ।

एक, इस राज्य मन्त्रिमण्डल के सदस्य हैं, वे पी0 एच0 डी0 की डिग्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लेने विश्वविद्यालय में पहुंचे, कनवोकेशन का कार्यक्रम प्रारम्भ हो चुका था, पी0 एच0 डी0 की मौखिक परीक्षा कनवोकेशन के चलते ही हो गयी और डिग्री दे दी गयी । दूसरा, एम0 एल0 के0 कालेज, बलरामपुर, एक संस्कृत प्रवक्ता की थीसिस जब परीक्षक के पास गयी तो उन्होंने लिखा कि यह तो नकल है, इस पर एक्शन लेना चाहिए, लेकिन डिग्री एवार्ड कर दी गयी ।

इस तरह एक नहीं कितने उदाहरण मेरे पास है इस लिये विस्तार में नहीं जाता हूं ।

विश्वविद्यालय की शिक्षा के दो अंग है—एक शैक्षणिक और दूसरा प्रशासनिक । शैक्षणिक में पठन-पाठन, शोध अनुसंधान, क्रियात्मक शिक्षा आदि आते हैं लेकिन इसमें पूरी स्वायत्तता होनी चाहिए और प्रशासनिक अंग का जहां तक सवाल है इसमें कुछ अधिकार को बढ़ाये जाने की आवश्यकता है ।

विश्वविद्यालय में अध्यापकों के चयन के बारे में बराबर शिकायतें आती रहती हैं । इसीलिए मान्यवर, मेरा सुझाव है कि अध्यापकों की नियुक्ति के बारे में चयन के लिये एक अधिकरण की स्थापना करने की आवश्यकता है । मैनेजमेन्ट की स्टेच्युरी बाडी होनी चाहिए । आपने इसकी इण्टरमीडिएट में व्यवस्था की है और कहा है कि 60-65 जनरल बाड़ी बनायी जायेगी । आपने कहा कि 337 लखनऊ मण्डल में ही हैं । 193 ने प्रशासनिक योजना में संशोधन किया है लेकिन बराबर रिमाइन्डर दिये जाने के बावजूद भी क्या कारण है कि वह हो नहीं पाया । इसलिये विश्वविद्यालय की प्रबन्ध समिति को स्टैच्युरी बाडी बनाना चाहिए । हमारे यहां एच0 के0 पी0 कालेज है, वहां 80 प्रतिशत फीस नहीं जमा की जाती है । इन सब में सुधार लाने की आवश्यकता है ।

कुलाधिपति का अधिकार है विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 168 के अन्तर्गत जो कि बहुत सीमित है । उसको न्याय मिले इसलिए उनके केसेज के निस्तारण के लिये यूनीवर्सिटी सर्विस ट्रिब्यूनल का गठन किया जाना चाहिए । धारा 40 में निरीक्षण कराया जाता है, धारा 57 को भी बढ़ाने की आवश्यकता है ।

एक यह व्यवस्था हुई थी कि विश्व विद्यालय के डिग्री कालेज के अध्यापकों को चयन वेतनमान दिया जायेगा । 17-11-84 को आपने आदेश भी दे दिए थे लेकिन बन्धन लगा दिया कि पहले उनको चयन समिति के सामने जाना पड़ेगा इसलिये वह ठप हो गया । कहीं भी कोई फैकल्टी खोलने की बात हो जैसे कि मेरे जिले सीतापुर में ही कामर्स की कोई व्यवस्था नहीं है, नित्य वहां से लगभग 400 विद्यार्थी कामर्स की पढ़ाई के लिये बाहर जाता है । लोगों ने प्रयास किया कि कामर्स वहां खोल दी जाय । किसी तरह नो आब-जेक्शन भी मिल गया लेकिन तीन लाख रुपये का प्रतिबन्ध लगा दिया गया । इसलिये मैं मांग करता हूं कि वहां की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सीतापुर में कामर्स को डिग्री कालेज में खोल दें, जो तीन लाख रुपये देने की आवश्यकता की बात है इसमें आपको कुछ शिथिलता देनी चाहिए ताकि जो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं वहां के लिये वैसे भी थोड़ी शिथिलता तो होनी ही चाहिए ।

दो-एक सुझाव और देना चाहता हूं इण्टरमीडिएट एजुकेशन की व्यवस्था के बारे में । एक बात यह कहना चाहता हूं कि, जैसा कि सदन में बराबर ही होता रहा है कि लोगों को अनुदान और सहायता देने की बात साथ-साथ होनी चाहिए ।

(इस समय 9 बजकर 15 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

लोगों को अनुदान और सहायता या मान्यता और सहायता यह दोनों बातें साथ-साथ होनी चाहिए। आपने मान्यता दे दिया और अनुदान के लिए उसको वर्षानुवर्ष उसको जाकर लाना पड़ता है। आपके शिक्षकों के बीच में समझौता हुआ कि 200 विद्यालय अनुदान सुविधा पर लगायें जायेंगे और इस बजट में एक भी पैसा नहीं है। इसलिए आपको परिवर्तन करने की आवश्यकता है और सहायता और अनुदान यह साथ-साथ होने चाहिए और यह भी नीति ठीक नहीं है कि आपका जो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग है, वह अध्यापक या प्रिंसिपल का चयन कर लेता है और तब वह ग्रान्ट लिस्ट में होता है। उसके बाद जब उसकी नियुक्ति होती है तो वह ग्रान्ट लिस्ट में नहीं होता है। वह वेतन से बंचित हो गया।

इसलिए मैं बल देना चाहता हूं कि आप अनुदान और मान्यता यह दोनों साथ-साथ दें। माध्यमिक शिक्षा की जो स्थिति है वह गड़बड़ हो गयी है। अब मैं इण्टरमीडिएट बोर्ड के बारे में सूचना दे रहा हूं। इस आदरणीय सदन में इण्टरमीडिएट बोर्ड में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि विजिलेंस से जांच करायी जायेगी। मेरे पास जानकारी आई है कि जब से विजिलेन्स की घोषणा की गयी है, वहां के लोग सामान ढो रहे हैं, रिकार्ड को समाप्त किया जा रहा है। चाहिए तो यह था कि जब विजिलेन्स की घोषणा की गयी थी तो चारों तरफ की चीजों का वहां से रोक दिया जाता जिससे जो वहां पर मजदूर लगाकर सामान को ढलाया जा रहा है, वह न होता। आप इसकी जांच करायें। जितने शिक्षकों के मामले हैं। आपने नियम बना दिया है कि जो 2 वर्ष तक लगातार फेल हो गया है उसको हाई स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

मैंने पहले क्या बात कही कि गरीबी के कारण नहीं पास हो पाते हैं तो इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर आपने प्रवेश में रोक लगायी है तो यह बंधक अध्यापकों के ऊपर भी लगाइये कि उनके इन्क्रीमेन्ट को आप परीक्षा के परिणाम के स्थिति पर दीजिए। अगर अध्यापकों के ऊपर यह लगाये तब तो यह ठीक है। 3-4 सब्जेक्ट में फेल हो गया तो उनको आप वंचित कर देते हैं और अध्यापकों पर बंधन नहीं लगाना चाहते हैं। इसलिए आप पुनर्विचार करें। आप शिक्षकों को सारी सुविधाएं यात्रा, चिकित्सा आदि दें दें। राजपत्रित, अराजपत्रित सबको दें जो पद 21,928 अस्थायी हैं, उनको स्थायी कर दें इसे भी कंट्रोल करने की जरूरत है लिखाई पढ़ाई में रुचि होनी चाहिए।

अन्त में मैं यह कहना चाहूंगा कि नयी शिक्षा प्रणाली पर विचार हो रहा है अब नयी शिक्षा प्रणाली होनी क्या चाहिए। सबसे पहले जो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया था जिसमें उन्होंने व्यक्तित्व की बात कही थी। व्यक्तित्व का मतलब फिजिकल पर्सनालिटी से नहीं होता है। आप कौन सी व्यक्तित्व की बात करते हैं हम सब महात्मा गांधी को मानने वाले हैं। हमारी कोई मान्यता है हमारी गौरवमयी भारतीय संस्कृति है। हमारी जाति मजहब कोई नहीं है, राष्ट्र परले है उसके लिए हम जियेंगे, मरेंगे इसको जब हम कर लेंगे तो हम सफल होंगे। अन्यथा पुस्तकीय ज्ञान देने से राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। मान्यवर, समाज में असमानता व्याप्त है, जो बीच का काल है, उस समय से समाज में असमानता व्याप्त है, तो इस असमानता को

दूर करने के लिए शिक्षा में जो असमानता है, उनको दूर किया जाये ।

मान्यवर, आप जानते हैं कि अनेकों प्रकार के स्कूल हैं । इसी सम्बन्ध में माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि एक ऐसा स्कूल है जहां पर 4,000 रुपये फीस पड़ती है, जो पैसे वाले लोग हैं वह अपने बच्चों को पढ़ा लेंगे, धूरे और मगरे कैसे उस स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगे, तो मान्यवर, राष्ट्र का निर्माण नहीं हो सकता है और समानता नहीं आ सकती है । यह विशिष्ट जनों के लिए शिक्षा है यह राष्ट्र की गरिमा के प्रतिकूल है । समाजवादी समाज की भावना के प्रतिकूल है ।

मान्यवर, शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए । मान्यवर, शिक्षा देना शासन का दायित्व है और उसे प्राप्त करना बालकों का अधिकार है, उनका जन्म सिद्ध अधिकार है । जब तक आप प्राइमरी शिक्षा का विकास नहीं करेंगे, माध्यमिक शिक्षा का विकास नहीं करेंगे तब तक आप क्लर्क पैदा करते रहेंगे । मान्यवर, संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये निःशुल्क शिक्षा की कामना की गयी थी, वह पूरी नहीं हुई है । शिक्षा का स्वरूप एकात्मकता का होना चाहिये । इस शरीर को बौद्धिक आवश्यकताओं के साथ ही साथ आत्मिक आवश्यकता भी है और मानसिक और आध्यात्मिक विकास होने की आवश्यकता है । इसके द्वारा ही मनुष्य का सर्वांगीण विकास हो सकता है और इसी से राष्ट्र का निर्माण होगा । जब तक, राजीव गांधी हों या और कोई हों, शिक्षा में इसको नहीं जोड़ पायेंगे, तो कुछ नहीं होगा । आपने कोई कमेटी नहीं बनायी है, यह लफाजी है, अगर कहीं है तो आप मेरे शब्द वहां तक पहुंचा दें । गरीब आदमी पढ़ नहीं पायेगा और नाम की शिक्षा होती रहेगी । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन बिन्दुओं को मैंने उठाया है, उन पर अवश्य प्रकाश डालेंगे ।

श्री सिब्ते रजी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने अपने मूल्यवान विचार यहां पर रखे । उन्होंने शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषय से अपने को जोड़ने का प्रयास किया है और महत्वपूर्ण विचार रखे हैं । मैं निश्चय ही उन तमाम विचारों को बड़ी गम्भीरता के साथ कार्यान्वयन करने का प्रयास करूंगा और उसके आधार पर आगे हमारा प्रयास क्या हो, इसमें शक्ति लेने का प्रयास करूंगा ।

मान्यवर, समय बहुत कम है, बहुत से मूल्यवान सुझाव दिये गये हैं । मैं तो चाहता था कि प्रत्येक का जवाब दूं, लेकिन खेद है कि बहुत से सदस्य जिन्होंने विचार रखे थे, वह यहां पर नहीं हैं । मैं चाहूंगा कि जो महत्वपूर्ण बिन्दु हैं उनका उत्तर दे दूं । मैं अपनी बात राजेन्द्र गुप्त जी ने जो सुझाव रखे हैं उनसे शुरू करता हूं और प्रयास करूंगा कि उनकी बातों का उत्तर दूं । सबसे पहले आज गुप्ता जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा और जो बजट में प्राविधान किया गया है, उसमें कुछ कमियां बतायीं, उसके बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 6ठी योजना का जो प्लान व्यय था लगभग 32 करोड़ रुपये नान प्लान में रखा गया था । अतः सातवीं योजना के प्रथम वर्ष में यदि हम इसको मिलायें तो निश्चय ही वह कम लगेगा । मान्यवर, माध्यमिक शिक्षा में आयोजनागत में 1984-85 में 12.67 करोड़ रुपया पुनरीक्षित प्राविधान था और इस वर्ष कुल 48.22

लाख का प्राविधान है । इस प्रकार आयोजनागत पक्ष में नई मदों में कमी हुई है । यह स्वाभाविक है । 1984-85 में छठी पंचवर्षीय योजना का अंतिम वर्ष था और जो विगत योजना का वचनबद्ध खर्चा था और एक्युमुलेशन था जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि सातवीं योजना का प्रथम वर्ष का खर्चा है उसमें कमी हुई । 1984-85 में एक्युमुलेटेड व्यय से कम होना स्वाभाविक था और इस प्रकार से इस वर्ष यह मुख्यत: प्राविधान कम लगता है । मान्यवर, जैसा कि गुप्ता जी ने कहा कि एस0 डी0 आई0 और बेसिक शिक्षा परिषद् को बी0 एस0 ए0 के अधीन आना चाहिए । तो इसके सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि बेसिक शिक्षा निदेशक का पद जो है वह अलग से बना दिया गया है और वह अलग से काम कर रहा है । मुझे विश्वास है कि जो विचार माननीय सदस्य ने इस सम्बन्ध में रखे हैं उन पर विचार किया जायेगा और मूल रूप से जो निरीक्षण की प्रक्रिया है उसको सुदृढ़ बनाना होगा और उसमें मैं समझता हूं कि कुछ नतीजे अवश्य सामने आयेंगे (व्यवधान)

माननीय राजेन्द्र गुप्त जी मुझे आज्ञा दें कि मैं उनकी बात का जवाब न देकर आपकी बात का जवाब पहले दूं तो मैं उसके लिए तैयार हूं । क्योंकि कटौती का प्रस्ताव उन्होंने रखा है और यह मेरा दायित्व है कि उनकी बातों का जवाब मैं पहले दूं । चूंकि समय बहुत कम है और इसके बाद एक बिल भी है । इसलिए केवल सूक्ष्म में ही कहूंगा । मान्यवर, उन्होंने कहा कि आयोग में चेयरमैन की नियुक्ति की है उनकी योग्यता होनी चाहिए थी और जो मानक होने चाहिए थे, उसके अनुसार वह नहीं किया गया है । जो अधिनियम है उसमें इस प्रकार की कोई बात नहीं है विशेष रूप से . . .

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, बीच में इन्टरप्शन के लिये माफी चाहता हूं माननीय मंत्री जी, मेरे पास अधिनियम है, यह मैं आपके पास भेज दूंगा । इसमें लिखा हुआ है कि सदस्य चेयरमैन . . . .

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, मैं इसको देख लूंगा । अगर कोई ऐसी अनियमितता है तो उसको देख लिया जायेगा । लेकिन मैं समझता हूं कि कोई अनियमितता नहीं है । गुप्ता जी ने परिनियमों की बात कही कि मेरठ विश्वविद्यालय में परिनियमों में संशोधन किया गया है, उसमें उनका खासतौर से कहने का तात्पर्य यह था कि किसी खास व्यक्ति विशेष को फायदा पहुंचाने के लिये ऐसा किया गया है । किन्तु ऐसी बात नहीं है । मान्यवर, विश्वविद्यालय परिनियम आप जानते हैं कि पिछले सदन में भी कहा गया था और उससे पहले भी बहुत सारे परिनियम ऐसे बने हैं जो रिट्रास्पेक्टिव इफेक्ट से बने हैं । लाजिक यह है कि जिस तिथि से परिनियम लाया गया था और उसमें संशोधन किया गया उसे उसके साथ ही जोड़ा गया है । यदि 5 साल तक काम करने का तजुर्बा किसी भी सम्बद्ध विश्वविद्यालय के अन्दर किसी की नियुक्ति के लिये कोई सेलेक्शन होना है तो उस व्यक्ति को छूट दे दी जायेगी । मैं समझता हूं कि गुप्ता जी इससे सहमत होंगे । बहुत से लोग और बहुत से अध्यापक इस आधार को व्यापक बनाने की मांग कर रहे थे और इसको व्यापकता देने के बाद एक ही सम्बद्ध विश्वविद्यालय से नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के किसी भी सम्बद्ध कालेज में काम करने वाले अध्यापक के बराबर काम करने का तजुर्बा हो तो जो वर्तमान मानक होंगे वह इसके लिए जरूरी नहीं होंगे, इसलिए छूट

दी गई । इसीलिए इसमें जो हमारा शिक्षक संघ है और महाविद्यालयों की तरफ से भी यह मांग आई थी । इसलिए मैं कहूंगा कि किसी व्यक्ति विशेष को कोई फायदा पहुंचाने के लिए किया गया है ऐसी बात नहीं है ?

अब मैं साक्षरता के संबंध में जो तिवारी जी ने बात कही बताना चाहता हूं । पिछले तीन दशक के आंकड़े बताना चाहता हूं । साक्षरता में 1961 में भारत का प्रतिशत 24.2 था उसमें उत्तर प्रदेश का प्रतिशत 17.65 था, 1971 के दशक में भारत का प्रतिशत 29.45 था उत्तर प्रदेश का 21.70 था और 1981 में भारत का प्रतिशत 36.178 हुआ जो उत्तर प्रदेश का प्रतिशत 27.38 हुआ । इसलिए धीरे-धीरे हम प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं और हमारी असाक्षरता का प्रतिशत कम हो रहा है और जो पिछले वर्ष काम हुआ उसमें 3200 प्रौढ़ केन्द्र चलाये हैं जिनमें 96,000 प्रतिभागियों के पंजीयन का लक्ष्य है । इस वर्ष माह जून 1985 तक इन अभिकरणों द्वारा कुल 343 प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों पर 10,273 प्रतिभागी पंजीकृत किये जा चुके हैं । सातवीं योजना में प्रौढ़ शिक्षा पर अवश्य अधिक ध्यान देंगे क्योंकि हम यह मानकर चलते हैं कि शिक्षा व्यक्ति के लिए प्रगति का द्वार खोलती है और इसी के द्वारा राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है । यह व्यक्ति के लिए संसार में नयी अपोरचुनिटी देती है ।

महिलाओं और पुरुषों के बारे में बाजपेयी जी ने कहा कि महिलाओं के लिए पदोन्नति के कम पद हैं उसमें समानता आनी चाहिये । निदेशालय स्तर पर और दूसरी जगहों में । तो जैसे-जैसे काम में प्रगति होगी पद और सृजित किये जायेंगे । जैसे ही उनके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी उनको सीनियारिटी और वेतन में समानता लायेंगे ।

बेसिक शिक्षा परिषद् के बारे में उसके फेल होने की बात कही कई लोगों ने चिन्ता व्यक्त की । हम देखेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् में क्या किया जा सकता है कैसे कार्यकुशलता लाई जाय ताकि हम ध्येय की प्राप्ति कर सकें ।

माननीय आजम खां साहब नहीं हैं उन्होंने कुछ बुनियादी मुद्दे उठाये । सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कभी यह प्रयास नहीं किया है कि मैं अपने को सबसे ज्यादा योग्य साबित करूं । प्रश्नकाल में जब सवालात किये जाते हैं उसमें जो मेरी क्षमता है उसके अनुसार मैं माननीय सदस्यों को संतुष्ट करने का प्रयास करता हूं । वक्फ के बारे में जो विचार उन्होंने व्यक्त किये मुझे अफसोस है उनको अधिक दिलचस्पी नहीं है अगर दिलचस्पी होती तो वे यहां पर रहते । नशा पिलाकर गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि जब गिरते को थाम लें साकी

वक्फ के बारे में हम खुद चिंतित हैं । हमने जो सर्वे किया है उसमें 1 लाख 25 हजार औकाफ नहीं आयेंगे जो शिया और सुन्नी बोर्ड से जुड़े होंगे और जिनका करीब 3 करोड़ रुपया बनता है । हमारे माननीय तावर साहब चले गये उन्होंने कुछ संकीर्ण बातें कही तो मैं कहना चाहता हूं कि—

हिन्दू नजर आया न मुसलमां नजर आया,
इंसा मेरे आइने में इंसा नजर आया ।

हमारी पार्टी की यही नीति रही है । इस प्रदेश के अन्दर जो अवकाफ की प्रापर्टीज हैं उनका संरक्षण करना हमारा दायित्व है इसीलिए मान्यवर,

बहुत जल्द हम एक ऐसा निगम बनाने जा रहे हैं जिसके जरिये से उन जमीनों के ऊपर निर्माण कार्य हो और कोई नाजायज कब्जा उन पर न कर सके और उसमें जो आज की मनोवैज्ञानिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है उसको ध्यान में रखा जायगा। पूरे प्रदेश के अन्दर जनसंख्या बढ़ रही है और 11-12 करोड़ की आबादी का प्रदेश हो गया है। आज स्थिति यह है कि हर व्यक्ति सर छिपाने के लिए जमीन चाहता है और यदि उसे जमीन कहीं खाली मिलती है तो उस पर अनाधिकृत कब्जा करने का प्रयास करता है और यदि इसी तरह खाली जमीन रही तो अनाधिकृत कब्जे को फौज लगाकर भी रोका नहीं जा सकता है। इसलिए सरकार प्रयास कर रही है कि यदि वह लोन लेना चाहते हैं और कुछ बनाना चाहते हैं तो उनको यह सहायता देने पर विचार और निर्णय लिया जायेगा।

मान्यवर, अध्यापकों के स्कूलों में जाने के संबंध में जो सुझाव दिये गये उसमें मैं कहना चाहता हूं कि इसे दण्ड प्रक्रिया द्वारा नहीं बल्कि शिक्षकों में दायित्वों और कर्तव्यों को निभाने की प्रवृत्ति पैदा करने की कोशिश की जाय और इसमें विभाग, समाज की, आपकी और विरोध पक्ष की सभी मिलकर एक ऐसा वातावरण बनायें। जिले में आने क्षेत्रों में देखें कि हम अपने दायित्वों की कहां तक पूर्ति कर रहे हैं।

मान्यवर, शिक्षा बोर्ड के गठन के बारे में कहा गया, तो मैं बताना चाहता हूं कि पिछले सदन में इस सम्बन्ध में प्रक्रिया जारी हो चुकी थी लेकिन सदन के समाप्त होने के कारण कुछ विलम्ब हुआ किन्तु अब शीघ्र ही इस बोर्ड का गठन कर देंगे।

मान्यवर, जिन स्कूलों में अध्यापकों की जगहें खाली हैं वह भरी जायं, तो मैं बताना चाहता हूं कि 7-8 हजार अध्यापक ऐसे स्कूलों में हैं जहां पठन-पाठन का काम नहीं है। इसलिए इस पर विचार करेंगे कि इन अध्यापकों को उन विद्यालयों में उपयोग किया जाये जहां अध्यापक नहीं हैं।

मान्यवर, शिक्षा और नौकरशाही के बारे में जैसा कहा गया। श्री शतरुद्र प्रकाश जी बैठे हैं, उन्हें देखकर विवेकानन्द जी की याद आ रही है क्योंकि जो उन्होंने कहा वह उनका दिल बोल रहा था कि वाकई में कुछ कर जाने और कुछ कर देने की उनकी अभिलाषा है जिसको मैं पूरा करने का प्रयास करूंगा।

मान्यवर, जहां तक लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक और गणतांत्रिक शिक्षा को बनाने की बात है तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं।

मान्यवर, उन्होंने हिन्दी और उर्दू के झगड़े की बात याद दिलायी है, तो जबानों के बारे में निश्चय ही हमारा कोई मतभेद नहीं होना चाहिए। हर जबान देश की प्यारी जबान है। मान्यवर, श्री राजेन्द्र गुप्त ने संस्कृत भाषा के संबंध में अपनी बात रखी। तो मैं उन्हें बतलाना चाहता हूं कि स्वर्गीया श्रीमती इंदिरा गांधी ने संस्कृत भाषा के बारे में कहा था कि संस्कृत भाषा अनुशासन की भाषा है और इसका सम्बर्द्धन एवं संरक्षण करना चाहिए। मान्यवर, निश्चय ही संस्कृत भाषा हमारे देश की समस्त भाषाओं की मां है और इसलिए इसका सम्बर्द्धन एवं संरक्षण का जो दायित्व है वह हमारा मौलिक दायित्व है इसको निभाया है और आगे भी निभाने का प्रयास करेंगे।

मान्यवर, एक बात मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भाषा का कोई धर्म नहीं होता है। संस्कृत भाषा हिन्दुओं की है तो ऐसा नहीं है बल्कि

संस्कृत भाषा हमारी सभ्यता की भाषा है। आज दुनिया की अनेक विदेशी भाषाओं में हमारी संस्कृत भाषा की छाप है। मान्यवर, उसी तरह उर्दू भाषा हमारी अपनी भाषा है किन्तु उसको एक फिरके से जोड़ना यह भारतीय संविधान के प्रति मैं समझता हूं कि आस्था व्यक्त नहीं करना नहीं है बल्कि यह संकीर्णता को बढ़ाना है।

जवाहर लाल नेहरू ने उर्दू जबान के बारे में कहा था—"उर्दू हमारी तहजीब का जुज है, क्योंकि इसका असर दूसरी जबानों पर अजीम तौर खुशगवार रहा है और यह तमाम दूसरी जबानों की तरह हमारी खूबियों में इजाफा करती है और मजीद की दूसरी जबानों से इसका टकराव नहीं होता। दस्तूर की रूह से उर्दू को एक कौमी जबान करार दिया गया है।" मान्यवर, कभी-कभी इस तरह की गलतफहमियां हमारे सामने आ जाती हैं, हम कोशिश करेंगे कि शासन की ओर से जहां तक हमारा दायित्व है उनको निभाने का प्रयास करेंगे। 5 हजार उर्दू अध्यापक हैं, उनके पद सृजित किये गये थे, उनमें से लगभग ढाई हजार अध्यापकों की नियुक्ति हो चुकी है। इसके साथ-साथ, उर्दू अध्यापकों के साथ एक साल पहले एक हजार संस्कृत अध्यापकों के पद जूनियर स्कूलों में पढ़ाने के लिए सृजित किये गये थे, इसमें से लगभग 800 की नियुक्ति हो चुकी है, और अरबी मदरसों आदि के लिए भी शासन के जो वित्तीय संसाधन हैं, उसके अनुसार मदद करने का पूरा प्रयास करते हैं।

परीक्षा में सुधार की जो बात है, मुझे सूचित करते हुए खुशी है कि हम तेजी से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि "खुली किताब पद्धति का जो सिलसिला है, नया तजर्बा है, उसको हम लोकल होम एक्जामिनेशन में प्रयोग करें और आशा है इस दिशा में हम बहुत जल्दी कोई निर्णय लेंगे। राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा कि शिक्षा को प्रयोगशाला न बनायें लेकिन जब तक जीवन है, जीवन की गति है, तब तक शिक्षा बाकी है और जब तक शिक्षा बाकी है आयाम बदलते रहेंगे और नये-नये आयाम आते रहेंगे। कुछ स्टेगनेशन जो सूरतेहाल में आ गया है उस अवरोध को रोककर शिक्षा के पग को आगे बढ़ने देना होगा। इसके लिए शासन पूर्ण रूप से सजग है और समय आने पर इसमें नये कदम और आवश्यक कदम उठाये जायेंगे। गोण्डा में वक्फ की प्रापर्टी के संबंध में जो बात कही गई है शासन इस ओर देखेगा। हमने शुरू में ही कह दिया था कि हम अपने कामों के अनुसार बदलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं राजेन्द्र गुप्त जी की भावना से शत प्रतिशत सहमत हूं और उसके अनुसार हम चलने का प्रयास करेंगे कि जो पाठ्यक्रम देशभक्ति और राष्ट्रीयता की भावना नहीं जगाता, वह शिक्षा नहीं है और जो शिक्षा दिलों को दिल से नहीं मिलाती, मातृभूमि के गौरव के लिए बलि-बलि जाने की भावना नहीं जगाती, वह शिक्षा, शिक्षा नहीं है। मान्यवर, हमारा इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो कुछ हमने कहा है, करके दिखाया है। आज से 7-8 महीने पहले माननीय प्रधान मंत्री की शहादत इस मामले में पुकार-पुकार कर कहती रहेगी—

"बहारे गुलसितां हमको न पहचाने,
ताज्जुब है,
गुलों के रूख में छिड़का है बहुत
खूने जिगर हमने"

मसूद खां ने रेन्ट कन्ट्रोल, सर्वे और अरबी फारसी के बारे में कहा है, अरबी फारसी की नियमावली तैयार हो रही है, उसकी यथाशीघ्र घोषणा कर दी जाएगी। सर्वे के बारे में जो आजमगढ़ की बात है, मैं देखूंगा कि

इसको ठीक करने का प्रयास किया जाए। वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है, उसमें परिवर्तन लाने का शासन का विचार है और जब भी सम्भव होगा, हम उसमें कोई निर्णय लेंगे। लोकदल के विधायक ने जच्चाखाने की बात कही, खूब नाच गाने और बजाने की बात कही, लेकिन आज हमें अपने में इस नजरिये पर बदलाव लाने की आवश्यकता है। आज लड़के-लड़कियां बराबर हैं और दोनों को समान अधिकार प्राप्त हैं। हमारे संविधान का उद्देश्य तब तक पूरा नहीं होगा, जब तक हम इस देश की महिलाओं को अपने बराबर लाकर नहीं खड़ा करेंगे। मान्यवर, जहां तक मांटेसरी पद्धति और दूसरे जो हमारे ऐसे स्कूल चल रहे हैं इन पर रोक लगाने की बात है तो जैसा अभी शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा कि लोकतंत्रता, डेमोक्रेटलाइजेशन होना चाहिए तो लोकतंत्र के अन्दर इस प्रकार का प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि किसी स्तर पर यदि शोषण हो रहा है तो उस शोषण के हाथ हर जगह तोड़ने हैं। इसको जरूर ठीक करेंगे। मान्यवर, पी0 डब्लू0 डी0, आर0 ई0 एस0 और जिला परिषद् द्वारा जो भवन बनाये गये हैं, जितना शिक्षा के बजट से आवंटन किया गया है तो निश्चय ही हम अधिकारियों को निर्देश देंगे कि वह देखें कि कहां-कहां धन उपयोग हुआ है। और कहां-कहां उपयोग नहीं हुआ है। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के बारे में जरूर जवाब देना चाहूंगा, मैं गुप्त जी की बात के जवाब से, उनसे अनुरोध करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

मान्यवर, यह बात सत्य है कि स्वायत्तता के नाम पर आज हमारे विश्वविद्यालयों में कहीं न कहीं गड़बड़ियां हो रही हैं, मैं इस बात से सहमत हूं। हम देखेंगे कि एकेडेमिक क्षेत्र में तो शासन का किसी प्रकार का हस्तक्षेप न हो लेकिन जो प्रशासनिक मामले हैं, मैं इस बात को अवश्य दिखलाऊंगा। ताकि शासन के जो दायित्व हैं यदि जरूरत पड़े तो निभा सके। क्योंकि प्रदेश की जनता ऐसे मौके पर जब विश्वविद्यालय में कोई गड़बड़ी होती है तो उस बात के लिये शासन को जिम्मेदार समझती है कि शासन अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से नहीं निभा रहा है। अभी बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय में पुनः परीक्षा की बात आयी।

आप सब जानते हैं कि विश्वविद्यालय की अपनी एक परीक्षा समिति होती है। वही सारे फैसले करती है कि परीक्षा निरस्त होनी चाहिए या दोबारा होनी चाहिए। यह एकेडेमिक फैसले वह खुद किया करती है उन फैसलों के अन्दर इन्टरवेंशन शासन के स्तर से नहीं होना चाहिये। लेकिन चेयर से जो आदेश हुआ है उसके सम्बन्ध में वक्तव्य देने की बात की गयी है तो निश्चय ही वक्तव्य उसमें दिया जायगा। तो मैं कह रहा था कि बहुत सी जगहों पर जहां शासन की जिम्मेदारी निभाने की जो बात है वहां शासन अवश्य अपनी जिम्मेदारी निभायेगा।

एक सदस्य—

पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री सिब्ते रजी—

आप कहें कि सुना हुआ मान लिया जाय। तो मान्यवर, विश्वविद्यालय में चयन पर अंकुश के बारे में आपने कहा तो निश्चय ही हम इसको देखेंगे और इसमें यदि कुछ कर सकते हैं, विश्वविद्यालय की स्वायत्तता पर किसी प्रकार का प्रभाव न पड़े, तो शासन इस बारे में अवश्य विचार-विमर्श करेगा। धारा 57 की बात आपने कही। तो जरूर हम इस प्रकरण पर विचार करेंगे जिससे आपकी जो समस्याएं हैं उनका

कुछ न कुछ निराकरण हो सके। मान्यवर, यह मान्यता और सहायता के प्रकरण पर जो बातें कही गयीं तो निश्चय ही हम उस पर विचार करेंगे लेकिन वित्तीय साधनों का प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है। हम इस पर वित्तीय साधनों की वजह से कोई विशेष निर्णय नहीं ले सकते हैं।

इन शब्दों के साथ माननीय सदस्यों ने जो विचार रखे हैं मैं कोशिश करूंगा कि उन्हें सुनिश्चित बिन्दुओं पर बाद में बैठकर और विचार करूंगा। क्योंकि इस वक्त हमारे सदस्य काफी थक चुके हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा में क्रान्ति लाने की बात है, शिक्षा का जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, हम थोड़ा-थोड़ा करके कोशिश करेंगे कि हमारा समाज इस दृष्टिकोण को समझे और यह शासन की जिम्मेदारी है कि हम उसमें तब्दीली लायें। पैसा शासन देता है लेकिन उस पैसे का सही इस्तेमाल हो रहा है या नहीं, समाज भी इसके प्रति जब तक जागरूक नहीं होगा तब तक केवल अधिकारियों के जरिये सारी परम्पराओं को सफलतापूर्वक निभाया नहीं जा सकता। पर्वतीय क्षेत्र की जो बात की गयी तो हमारा जो पर्वतीय विभाग है वह परा बजट अलग से रख चुका है मैं नहीं समझता हूं कि इसके अन्दर कोई कमी रह जायगी। मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं माननीय राजेन्द्र गुप्त जी से अनुरोध करूंगा कि वह अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री त्रिलोक चन्द्र—

मान्यवर, मैं माननीय शिक्षा मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि जो हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट स्कूल हैं, जिन्हें मान्यता मिल चुकी है, उन्हें अनुदान की सूची में शामिल करने की कृपा करेंगे?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य का प्रश्न यह है कि जो मान्यताप्राप्त हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट स्कूल हैं, उनको अनुदान में शामिल करने का प्रयास करेंगे?

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, जैसे-जैसे वित्तीय संसाधन जुटते जायंगे, हम मान्यता देते जायेंगे।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी—

मान्यवर, जनपद फर्रुखाबाद में दयानन्द इण्टर कालेज है, आज माननीय शिक्षा मंत्री ने यह बताया था कि 1983-84 के जितने परीक्षाफल रुके हुए थे, सब घोषित कर दिये गये। मैंने आज बात किया, वहां 600 विद्यार्थियों का परीक्षाफल अभी तक घोषित नहीं किया गया, कारण यह बताया गया कि परीक्षा शुल्क नहीं जमा हुआ है, विद्यार्थियों द्वारा जमा किये हुए परीक्षा शुल्क को वहां के प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य ने घपला कर लिया है। क्या माननीय मंत्री जी वहां के विद्यार्थियों का परीक्षाफल घोषित कराकर 600 विद्यार्थियों के भविष्य को बरबाद होने से बचाने की कृपा करेंगे?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, जवाब दिलवा दें।

(व्यवधान)

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, पिछली विधान सभा में भी कई बार यह प्रश्न आया कि विधायक भी रहते हैं और अध्यापक भी रहते हैं और अध्यापक का भी पूरा वेतन ले लेते हैं और विधायक का भी पूरा वेतन ले लेते हैं। पिछली विधान सभा में यह बात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आयी थी कि जो अध्यापक विधायक होगा, वह पूर्ण अवकाश ले लेगा, और उसकी जगह पर दूसरा अध्यापक रख लिया जायगा । स्टैंडिंग कमेटी ने यह सुझाव

(व्यवधान)

दिया था कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को कम से कम 30 किलोमीटर दूर निवास स्थान से रखा जाय । (व्यवधान) तो माननीय मंत्री जी उन्हें वापस लेने पर विचार करेंगे ?

(व्यवधान के मध्य)

श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो आपकी हाई स्कूल और इण्टरमीडिएट की परीक्षाएं होती हैं, उनमें पुराना सिस्टम लागू रखेंगे या खुली किताब परीक्षा लागू करायेंगे ?

(व्यवधान)

श्री अशोक बाजपेयी—

उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे को देखते हुए जिसमें कि 400 महाविद्यालय तथा 19 विश्वविद्यालय हैं और उत्तरोत्तर उच्च शिक्षा के क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, सन् 1975 में विधान सभा के दोनों सदनों से पारित विधेयक जिसमें कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना का निर्णय लिया गया था, उसे अविलम्ब लागू करने का आश्वासन देंगे ?

मान्यवर, प्रदेश की उच्च शिक्षा का भविष्य अनुत्तरदायित्वपूर्ण होता जा रहा है, उच्च शिक्षा के व्यावहारिकता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करके उच्च शिक्षा के लिए निश्चित दिशा निर्दिष्ट की जाय ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, खुली किताब परीक्षा प्रणाली इण्टरमीडिएट से लेकर यूनिवर्सिटी तक लागू करें और प्रयोग के तौर पर शुरूआत विश्वविद्यालय स्तर से करें, इसमें क्या दिक्कत है ?

*श्री शारदा नन्द अंचल—

मेरी निश्चित जानकारी है कि बलिया जिले के डी0 ए0 वी0 कालेज, बेलथरा रोड के प्रधानाचार्य कार्यालय और लिपिक कार्यालय को विगत एक साल से अवांछनीय तत्वों ने अनधिकृत रूप से कब्जा कर रखा है, जिसमें 4 हजार से अधिक विद्यार्थियों के कागजात बन्द पड़े हैं, जिसका परीक्षा और प्रवेश दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है । क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी उन तालों को खुलवाकर प्रधानाचार्य और प्रबन्धकों के हक में सौंपने की कार्यवाही करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता—

भाषण में जो बात कही गई हो उस पर स्पष्टीकरण करें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

जवाब दिला दें ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39-मुस्लिम वक्फ के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39-मुस्लिम वक्फ, विभाग को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,66,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 56-शिक्षा विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 56-शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,89,19,65,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या 26-नियोजन विभाग

श्री जय राम वर्मा—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26-नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,42,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1986 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 26-नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4,42,05,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1985 के अननुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मेरा प्रस्ताव था कि आगे की मद स्थगित कर दें । 10 बज गये हैं, यह महत्वपूर्ण विधेयक है ।

श्री अधिष्ठाता—

राजेन्द्र गुप्त जी कोरम मौजूद हैं ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है ।

मान्यवर, यह अध्यादेश अत्यन्त दोषपूर्ण है और भेदभाव पूर्ण भी है । दिक्कत यह है कि पूरी समस्या के निराकरण की एक व्यवस्था एक समय नहीं मंत्री जी प्रस्तुत करते हैं जिसके कारण तमाम मामले अनावश्यक रूप से उठते हैं ।

अब मान्यवर, महाविद्यालयों के जो तदर्थ अध्यापक हैं, उनको नियमित किया जा रहा है । लेकिन जो उन

महाविद्यालयों के तदर्थ प्रधानाचार्य हैं, उनको नियमित नहीं किया जा रहा है। हमारा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि प्रदेश के इन महाविद्यालयों के तदर्थ अध्यापकों की भांति कठिनाई निवारण आदेश, 1982-83 के प्राविधानों के अनुसार विधि विहित रूप से चयनित तथा नियुक्त उन प्राचार्यों को भी इसी अध्यादेश में नियमित किया जाना चाहिये जो 3 जनवरी, 1984 के पूर्व नियुक्त हुए थे क्योंकि उन्होंने उन सारी चीजों को पूरा कर लिया था। इनके पद नियमानुसार विज्ञापित हुए थे। कुलपतियों द्वारा नामित विशेषज्ञों के परामर्श से गठित चयन समिति द्वारा इनका चयन हुआ था। चयन समिति की संस्तुतियों पर महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति द्वारा इन तदर्थ प्राचार्यों की नियुक्ति 1200-50-1900 के वेतनमान में (प्राचार्यों के ग्रेड) में की गयी थी। संबंधित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों ने इनका अनुमोदन किया था और उपरोक्त प्राचार्य नियुक्ति की तिथि से आज तक कार्यरत हैं। लेकिन दुख है कि इन तदर्थ अध्यापकों को तो नियमित किया जा रहा है लेकिन प्राचार्यों को नियमित नहीं किया जा रहा है। विधान परिषद में जब यह विधेयक आया था, तो वहां पर शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि यह प्रधानाचार्य स्थानापन्न प्राचार्य हैं, इसलिए नियमित नहीं कर रहे हैं।

मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि स्थानापन्न प्राचार्य कौन लोग हैं? स्थानापन्न वह होते हैं जो प्रबन्धतन्त्र द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अनुसार तीन माह की अवधि के लिए वरिष्ठतम अध्यापक होने के नाते किये जाते हैं। लेकिन यह जो प्राचार्य हैं, जिन 8 महाविद्यालयों को प्रदेश शासन ने 1 जुलाई, 1981 से 1 जुलाई, 1982 की अवधि में मान्यता प्रदान की है, वहां प्राचार्य एवं अध्यापक पहले थे ही नहीं। वे आठ महाविद्यालय ये हैं—

(1) श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर, स्थापना वर्ष 1981;

(2) किसान डिग्री कालेज, तमकुही रोड, सेवरही, देवरिया, स्थापना वर्ष 1981;

(3) रामनगर महाविद्यालय, रामनगर, बाराबंकी, स्थापना वर्ष 1981;

(4) संजय गांधी मेमोरियल जनता महाविद्यालय, सरूरपुरखुर्द, मेरठ, स्थापना 1982;

(5) गुलशन राय वैदिक पुत्री महाविद्यालय, मुजफ्फरनगर, स्थापना वर्ष 1982;

(6) गिन्दो देवी महिला महाविद्यालय, बदायूं, स्थापना वर्ष 1982;

(7) संजय गांधी महाविद्यालय, चौकिया, सुल्तानपुर, स्थापना वर्ष 1982;

(8) कौशाम्बी महाविद्यालय, मऊ, बांदा, स्थापना वर्ष 1982।

अब मान्यवर, यह जो आठ महाविद्यालयों के तदर्थ प्राचार्य हैं, इन महाविद्यालयों को प्रदेश शासन ने जुलाई, 1981 से 82 के बीच मान्यता दी थी। उस समय उनमें न तो कोई शिक्षक था और न प्राचार्य। वहां पर कालेज के स्थापना वर्ष में ही कठिनाई निवारण आदेश, 1982 के प्राविधानों के अनुसार पहले प्राचार्यों की, फिर उनके सहयोग से गठित चयन समिति की संस्तुतियों के आधार पर तदर्थ अध्यापकों की नियुक्तियां की गयीं। तो उनको नियमित न किये जाने का क्या कारण

है ? मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस पूरी चीज पर विचार करें । जो लाभ तदर्थ अध्यापकों को दिया जा रहा है, उसे उन्हीं महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भी देने की कृपा करें । अध्यापक की परिभाषा से प्राचार्यों को वंचित किया जा रहा है । अध्यापकों की परिभाषा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के चैप्टर 1 के पैरा 18 में दी गयी है जिसके अनुसार अध्यापक का अर्थ एवं अभिप्राय है ऐसे व्यक्ति से जो किसी विश्वविद्यालय या सहयुक्त या उससे संबंधित महाविद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु अथवा शोध-निर्देशन हेतु नियोजित हो, जिसमें प्राचार्य और निदेशक भी सम्मिलित है । अब अध्यापक की परिभाषा जो है उसमें प्राचार्य को अलग किया जा रहा है । यह परिभाषा उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत जो अध्यापक की है उसमें प्राचार्य भी शामिल है । यह निवेदन करना है कि जो लाभ तदर्थ अध्यापकों को दिया जा रहा है, वही लाभ उन प्राचार्यों को न दिये जाने का कोई कारण नहीं है, न कोई औचित्य है । जो लाभ तदर्थ अध्यापकों को दिया जा रहा है वही लाभ प्राचार्यों को भी दिया जाय ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

यह अध्यादेश नहीं है, जिसका आप अननुमोदन कर रहे हैं । यह विधेयक विधान परिषद् द्वारा पारित होकर यहां रखा गया है । इसलिए संकल्प फालतू है, इस पर आप विचार कर लें ।

शिक्षा मंत्री (श्री सिब्ते रजी)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

[समय 10.05]

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी अध्यक्ष भी रहे हैं। वे कह रहे हैं यह फालतू है । यह अध्यादेश नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—

यह अध्यादेश है ।

श्री वासुदेव सिंह—

यह एक संसदीय दिलचस्पी की बात है । माननीय राजेन्द्र गुप्त ने अननुमोदन प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर किये हैं और प्रवर समिति के प्रस्ताव पर भी हस्ताक्षर किये हैं । वे तो संसदीय कार्य के ज्ञाता हैं । यह अध्यादेश अलग समझ करके वे दस्तखत किये होंगे ।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, आप हमसे विद्वान हैं । कहा गया है कि—पोथी पढ़-पढ़ जग मुआ पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मेरा नाम आया है ।

श्री अधिष्ठाता—

मैं आपका नाम बाद में लूंगा ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के संबंध में मैं कहना चाहूंगा । 21 अगस्त, 1981 को जैसा कि आप जानते हैं जो उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से संबंधित जो अधिनियम था, वह प्रवृत्त किया गया था । आयोग का गठन 1 नवम्बर, 1982 को संभव हो पाया और आयोग ने अपना काम लगभग मार्च, 1984 में प्रारम्भ किया। इसी बीच हमारे जो महाविद्यालय थे

और वहां हमारे जो प्रवक्ता थे, उनकी नियुक्तियों के संबंध में कठिनाइयां पैदा हुईं । इसलिए दो कठिनाई निवारण अध्यादेश शासन ने पारित किये । नजरिया बिलकुल साफ था कि प्राचार्य उन अध्यापकों की श्रेणी में नहीं आते हैं जिनका वर्णन अध्यादेश में किया गया है । कठिनाइयां जो थी, उन्हीं के बारे में अध्यादेश लाया गया था । प्राचार्य की नियुक्ति परिनियम में स्पष्ट थी । प्राचार्य और प्रधानाचार्य वैसे तो पठन-पाठन में सम्मिलित रहते हैं लेकिन आप सभी लोगों को इस बात पर कोई मतभेद नहीं होगा कि प्रवक्ता का और प्रधानाचार्य और प्राचार्य के उत्तरदायित्व में काफी अन्तर है और हमारा जो परिनियम है वह महाविद्यालयों से संबंधित है । आफीसिएटिंग प्रिंसिपल कौन हो सकता है और प्राचार्य कौन हो सकता है और किन-किन अर्हताओं को रखने वाला व्यक्ति प्रवक्ता हो सकता है । कम से कम 7 साल का काम करने का तजुर्बा होना प्राचार्य के लिए बहुत आवश्यक है । ये चीजें बिलकुल स्पष्ट थी । जब बात स्पष्ट थी तो किसी प्रकार के अध्यादेश को लाने की आवश्यकता नहीं थी इसलिए अध्यादेश के अन्दर केवल अध्यापकों का तजकिरा किया गया । इस अध्यादेश से जो वहां पर अध्यापक नियुक्त हैं और जिनकी काफी समय से मांग चली आ रही थी, उन प्रवक्ताओं का नियमितीकरण किया जायेगा ।

मान्यवर, नियमितीकरण का भी एक मौलिक मुद्दा होता है । लोकहित में ऐसे नियमितीकरण किये जाते हैं। वे लोग लगभग 2-3 साल से काम कर रहे थे । हमारी लोकप्रिय सरकार है और हमने उनसे कुछ वायदे किये थे इसलिए हमने सोचा कि उनका नियमितीकरण किया जाय । इस विधेयक से हमारे लगभग 400 प्रवक्ताओं का नियमितीकरण होगा । मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा बिल है । विरोध पक्ष के माननीय सदस्यों को भी इसका स्वागत करना चाहिए ।

*श्री राजेन्द्र गुप्त—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

मान्यवर, कभी-कभी, मैंने भी अनुभव किया है और शायद आपने भी अनुभव किया होगा, आदमी को दिशा भ्रम हो जाता है । इसी तरह से इस समय हमको यह लगा कि हमारे माननीय खाद्य मंत्री जी को वह दिशा भ्रम हो गया । वह संसदीय परम्पराओं के प्रकाण्ड विद्वान रहे हैं। जब कोई अध्यादेश निर्गत होता है और अगले सत्र के आहूत के प्रथम दिन सदन के पटल पर रखा जाता है, तो उसी प्रक्रियाधीन अननुमोदन को लाने का प्रस्ताव है, उसी तहत यह प्रस्ताव आया है । यह तो संसदीय कार्य मंत्री जी को या कार्य मंत्रणा समिति को और या फिर माननीय सभाध्यक्ष को तय करना था कि इस अननुमोदन की सूचना वह तीन दिन पहले दे देते । उन्होंने इसे एक साथ कर दिया । इसलिए इसमें कोई विसंगति नहीं है । यह केवल दिशा भ्रम है । मान्यवर, अभी माननीय शिक्षा मंत्री जी का भाषण सुना और मुझसे पहले अननुमोदन के प्रस्ताव पर सिंह साहब बोल चुके हैं, मैं उन्हीं बातों को दोहराना नहीं चाहता । बहुत सही बातें माननीय शिक्षा मंत्री

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जी ने कहा कि वायदा किया था अध्यापकों के साथ और उसी के लिए यह विधेयक आया । जहां तक मुझे स्मरण है नियम 51 में मेरा ही प्रस्ताव था और उस पर चर्चा हुई थी और वह तारीख है 13 मार्च, 1984 । उसी दिन चर्चा हुई थी कि तदर्थ टीचर्स जो हैं उनको एक तरफ से नियमित किया जाय । उस समय शिक्षा मंत्री ने साफ आश्वासन दिया था कि जितने भी हैं सब को नियमित किया जायगा और मेरा दिशा भ्रम हो सकता है इसलिए मेरी बात न मानी जाय इसलिए आगे फिर कह रहा हूं कि पत्रावली मंगा कर देख लें उसमें एस0 एस0 खन्ना, उप सचिव का पत्र है, अनुभाग-11, आफिस कापी निकाल लें, उसमें लिखा हुआ है कि एसोसिएशन के जो प्रेसीडेन्ट थे, सभी टीचर्स को विनियमित कर दिया जायगा । यह सदन की मंशा थी और यही लिखा था कि नियमित किया जायगा ।

आपने तदर्थ की परिभाषा और आफिशियेट की परिभाषा एक ही में मिला दी । प्रिंसिपल की बात है, एक दिवंगत हो गया या त्याग-पत्र दे दिया, तो जो फर्स्ट असिस्टेन्ट था वह आफिशिएट करने लगा । मैं तो उनकी कह रहा हूं जो अध्यादेश लागू होने के बाद प्रिंसिपल बन गये उसको भी आफिशिएट करायेंगे ? आफिशिएट की परिभाषा क्या होगी । मैं बात कर रहा हूं तदर्थ की उनको विनियमित करने में क्या शंका है । प्राचार्य के पद पर जो बाकायदा चयन प्रक्रिया से चयनित होकर नियुक्त हुए वह तदर्थ थे ।

दूसरी बात इसके 3-ख में ऐसे अध्यापक संबंद्ध होते हैं उसको भी आप नियमित करने नहीं जा रहे हैं । इण्टरमीडिएट में हैं, सब जगह हैं, मैनेजमेन्ट के सदस्य के रिलेशन हो गये उसको, प्रधानाचार्य पदेन सदस्य होते हैं, अध्यापक वर्ग के प्रतिनिधि भी पदेन होते हैं वह भी करने जा रहे हैं दूसरे अभ्यर्थियों को डिवार करने जा रहे हैं, तो जो मंशा थी, उसके विपरीत काम हुआ है । तीसरी विसंगति रह गई है, आपने उसको चयनित नहीं किया । इसलिए मैंने अननुमोदन का प्रस्ताव किया कि इन चीजों को वासुदेव सिंह जी ने भी, सिद्धान्त: स्वीकार कर लिया था कि बार-बार अध्यादेश द्वारा, जब द्वितीय राज भाषा का अध्यादेश जारी हुआ था, मेरी बात को सत्य मानते हुए . . .

श्री अधिष्ठाता—

टाइम फैक्टर की बात कर रहे हैं, तो आप भी टाइम फैक्टर का ख्याल रखें।

जो खामियां रह गयी हैं उन को पूरा कर दीजिये, जो सदन की मंशा 84 में थी उसके अनुसार संशोधित करके ले आया जाय ।

श्री वासुदेव सिंह—

माननीय गुप्त जी का साथ मैंने दिया लेकिन यहां साथ उन्होंने नहीं दिया । मैं तो चाहता था कि अनुमोदन तो कर ही रहे हैं, प्रवर समिति में भेजने वाले प्रस्ताव में इनका ही नाम है और कोई उपस्थित नहीं है अगर यह सन्तुष्ट हो जाते तो समय बच जाता ।

*श्री लाल प्रताप सिंह—

यह जो विधेयक है, मैं इसका समर्थन करता हूं, बहुत ही अच्छा कदम है ।

प्रिंसिपल को अलग करना मेरे विचार से बहुत उचित नहीं है। 1973 के एक्ट में भी जो डिफनीशन दी हुई है, उसमें 'टीचर इनक्लूड्स प्रिंसिपल' है, जो रेगुलेशन है उसमें भी 'टीचर इनक्लूड्स प्रिंसिपल' है । आगे भी जो बिल आया या आर्डीनेन्स आया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उसमें भी 'टीचर इन्क्लूड्स प्रिंसिपल' किया । उसी हिसाब में जो आपका आर्डीनेन्स आया और कठिनाई निवारण अध्यादेश आया तो उसमें टीचरों को तदर्थ नियुक्त किया और उनमें से कुछ को रेगुलराइज करने जा रहे हैं । उसी समय कुछ प्रिंसिपल भी मुकर्रर हुए, उनका एप्रूवल भी हुआ, एप्रूवल होकर नियुक्त हुए । कोई कारण नहीं है कि उनको हटा दिया जाय या ड्यूटी से अलग कर दिया जाय एक माननीय दृष्टिकोण से । दूसरी चीज यह है कि कानून-कायदे अपनी जगह हैं लेकिन इक्विटी, जस्टिस एण्ड गुड कांश्स अपनी जगह पर लागू होता है । तीसरी बात, कितने हैं जिनको यह देने की जरूरत है ? पूरे प्राविन्स में बहुत ज्यादा तादाद हो तब तो ठीक है, दो-चार के साथ ऐसा करना ठीक नहीं लगता । इक्विटी का यह भी प्रिंसिपल है कि वह चीज जो नहीं होनी चाहिए, लेकिन हो गयी और कुछ दिनों तक सुचारु रूप से चली, उसको मान लेना चाहिए । इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सहानुभूतिपूर्वक विचार करें ।

डिग्री कालेज में टीचरों का चयन करते हैं और गवर्नमेण्ट कालेज में पब्लिक सर्विस कमीशन से करते हैं । सब को पब्लिक सर्विस कमीशन से ही चयन करें चाहे डिग्री कालेज के हों या प्राइवेट हों । यह ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड प्रिंसिपल के सम्बद्ध में इस को समाप्त कर दीजिये और प्रिंसिपल को भी रेगुलराइज कर दीजिए । इसके साथ ही बिल का समर्थन करता हूं और प्रवर समिति के प्रस्ताव का विरोध करता हूं । गुप्त जी एक्सपर्ट हैं जितने बिल देते हैं सब में प्रवर समिति लगा देते हैं, आखिर कितनी प्रवर समितियां बनेंगी ?

*श्री विजय सिंह राणा—

अभी माननीय मंत्री जी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कठिनाई जिनके सामने थी उनकी कठिनाईयों का निवारण करने के लिये कठिनाई निवारण अध्यादेश लाये । यह भी कहा कि प्राचार्यों की जो सेवा नियमावली है उन दोनों में अन्तर है । मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि आप का कोई आदेश एक अंतरिम आदेश है, वह, जो मूल अधिनियम है उस मूल अधिनियम को अन्तरिम आदेश के द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता ।

आपने जो प्राविधान दिया है विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के द्वारा उसमें अध्यापकों को और प्राचार्य को जब भिन्न नहीं किया गया तो फिर एक अन्तरिम आदेश के द्वारा कैसे आप उसे भिन्न कर सकते हैं ? मूल अधिनियम में दोनों एक ही माने गये हैं तो फिर आप बीच में आदेश लाकर कैसे उनको भिन्न कर देंगे ?

अब जो आपने तदर्थ नियुक्ति में प्राचार्य और अध्यापक दोनों की ही नियुक्ति की तो कैसे आप केवल अध्यापकों के विनियमितीकरण की ही ओर ध्यान दें और प्राचार्य के विनियमितीकरण की ओर नहीं देंगे ? आपने पहले तो दोनों को समान भाव से लिया, आपने कहीं पर दोनों में भिन्नता नहीं की, मूल अधिनियम में भी भिन्नता नहीं है तो फिर आप मूल अधिनियम को बदल देंगे ? कैसे आप आचार्य और प्राचार्य में अन्तर करते हैं ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मौलिक पद का स्वयं अपने आप में अर्थ है वह अर्थ आप नहीं कर सकते हैं। मौलिक शब्द की जो भी परिभाषा है आप करेंगे वह स्वेच्छा से इन्टरप्रिटेशन पर होगा। मौलिक पद की परिभाषा हुई है और वह स्वेच्छा से की गयी है। इस संबंध में एक बात और कहना चाहता हूं कि यह जो विसंगतियां हैं इन विसंगतियों में यह है कि 1975 से पूर्व कुलपति की स्वीकृति से जो पद सृजित हुए हैं और शिक्षा निदेशक की स्वीकृति से जो पद सृजित हुए हैं, दोनों ही पद मौलिक पद हैं। तो फिर यदि उनमें से किसी पद की नियुक्ति होती है तो उसके लिए बार-बार अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए क्योंकि विश्वविद्यालय की स्वीकृति प्रक्रिया के अन्तर्गत आपको नियमितीकरण उनको दे देना चाहिए। लेकिन आपने भेद-भाव कर दिया।

कई सदस्य—

बस करिये, बहुत बोल लिये, अब समाप्त करिये।

श्री विजय सिंह राणा—

कोई आप की धौंस नहीं है। जब संकल्प आया है तो फिर इस पर पूरी तरह विचार होना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है, आप बोलिये।

श्री विजय सिंह राणा—

विज्ञान के सम्बन्ध में आपने कहा कि उसका एक पीरियड 3/4 के बराबर है प्रेक्टिकल का। अब एक पीरियड को एक मान कर आप अध्यापक से पूरा काम लेंगे परन्तु उसे 3/4 ही तो यह कौन सा न्याय है? तो 45 मिनट पढ़ाये यह कहां का न्याय है तो आपने उसे एक पीरियड को 3/4 मानकर जहां 20 अध्यापकों की नियुक्ति होती थी वहां पद घटा कर 17 हो गये। जब 17 हो गये तो 3 पदों के लिये आप अनुमोदन नहीं देंगे और न मानेंगे कि मौलिक पद है। जैसे कोई अध्यापक किसी पद पर काम कर रहा है और वह अवकाश पर चला जाता है या वह त्यागपत्र दे देता है या वह निष्कासित कर दिया जाता है या सेवा समाप्त हो जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है उसके बाद जो पद खाली होगा वह मौलिक पद है, उसको मौलिक पद मान लेना चाहिए। आपने कहा था मौलिक पद के लिए कि आप उसको मौलिक पद करेंगे नहीं, यह कहां का प्राविधान है।

इसके साथ ही मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि अधिनियमों में यह स्पष्ट प्राविधान है कि एक अध्यापक जिस पद पर उसकी नियुक्ति हुई तो उस नियुक्ति पर वह 10 माह काम कर ले और 10 महीने के बाद वह पद भर गया जो टीचर अवकाश पर गया था वह वापिस आ गया तो वह हटा दिया गया और अगर दूसरा उसके समानान्तर पद खाली होगा तो होना यह चाहिए और विश्वविद्यालय एक्ट में यह प्राविधान है कि 10 महीने तक जिस अध्यापक ने एक पद पर काम किया है उसके बाद यदि दूसरा समानान्तर पद खाली हुआ है उस पद पर उसको स्थानान्तरित कर दिया जायेगा तो मान्यवर, यह है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कितना समय आप लेंगे?

श्री विजय सिंह राणा—

मान्यवर, 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूं। 3 जनवरी, 1984 से पहले जो अध्यापक तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये थे वहां पर क्योंकि आपका जो नियम था वह पत्र उनको नहीं पहुंचा। लिहाजा आपका जो आयोग बन गया है जो सेवा आयोग है उसके द्वारा जो

नियुक्ति कर देंगे वहां पर उनको भेज देंगे । मान्यवर, मेरा सुझाव है कि ऐसी जगह जो उच्चतर सेवा आयोग के द्वारा जो नियुक्तियां 3 जनवरी से पूर्व वहां पर तदर्थ अध्यापक काम कर रहे हैं । ऐसे अध्यापकों का एक पूल बनवा लें और एक-एक, दो-दो की संख्या जितनी हो नियुक्त कर उनको समायोजित कर दिया जाय । 3 जनवरी, 1984 के पहले की जो भी नियुक्तियां हैं जो मौलिक पद की परिभाषा में आती हैं या नहीं आती हैं । 3 जनवरी, 1984 के पहले जिन अध्यापकों का जिक्र हुआ है उन सबकी नियुक्ति कर दें चाहे वह आचार्य हो या प्राचार्य हो ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मैं संक्षेप में दो बातें कहना चाहूंगा । मान्यवर, यह मंत्री जी जो संशोधन विधेयक लाये हैं इसके तहत मान्यवर, उत्तर प्रदेश उच्चतर सेवा आयोग 1980 जिसमें संशोधन कर रहे हैं इसमें 31-ख बढ़ा रहे हैं । इसमें 31-ख को बढ़ाकर यह क्या कर रहे हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

खण्ड में बाद में विचार करेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

मान्यवर, मुझे यह कहना है कि जो विधेयक है, प्रस्तुत हुआ है, इसके पास हो जाने से यह भेद मूलक हो जायेगा । जब भेद मूलक हो जायेगा तो संविधान की धारा 14 के अनुसार हाई कोर्ट से क्वेश हो जायेगा । माननीय मंत्री जी प्राचार्य को भिन्न मानते हैं । मान्यवर, जो पुराना एक्ट था, वह समाप्त हो गया और जो 1980 में अधिनियम बना, उसकी धारा 2 (छ) में यह प्राविधान है कि इस अधिनियम में प्रयुक्त और अपरिभाषित परन्तु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में परिभाषित अन्य शब्दों के क्रमशः वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में उनके लिए दिए गए हैं और मान्यवर, 1973 के एक्ट में है कि अध्यापक से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय या किसी घटक संबद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय में शिक्षण के लिये अथवा अनुसंधान कार्य में मार्ग दर्शन या संचालन के लिये नियोजित हो और इसके अन्तर्गत प्राचार्य या निदेशक भी हैं ।

मान्यवर, अधिनियम में दिया गया है कि प्राचार्य भी अध्यापक की कोटि में होगा और जो तदर्थ नियुक्ति हुई है, राज्यपाल के आदेश के तहत प्राचार्य और प्रधानाचार्य दोनों की नियुक्ति साथ हो । आयोग के सामने यह चीज नहीं आयी है यदि प्राचार्य की नियुक्ति करेंगे और प्रधानाचार्य की नहीं करेंगे और प्रधानाचार्य की नियुक्ति आन मेरिट करेंगे तो यह उससे अलग हो जायेगा और यह भेद मूलक हो जायेगा । इसमें नियमों और परिनियमों में है कहिए तो मैं पढ़कर सुना दूं । आप को जो खन्ना जी बता देंगे वही पढ़कर सुना देते हैं, उस पर आप न जायें तो मान्यवर, यह भेद मूलक हो जायेगा और हाई कोर्ट से क्वैश हो जायेगा ।

श्री ब्रह्म दत्त द्विवेदी—

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस संशोधन के द्वारा जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा प्राचार्य और आचार्य में अन्तर किया गया है, जो 1973 का विश्वविद्यालय अधिनियम है उसमें प्राचार्य की परिभाषा दी हुई है । यदि इस एक्ट में कोई परिभाषा नहीं दी हुई है तो उसी परिभाषा को माना जायेगा जो 1973 के एक्ट में दी गयी है । यदि परिभाषा दी गयी होगी तो उसको अन्यथा माना जायेगा । 1980 के अधिनियम में परिभाषा नहीं दी हुई है तो 1973 के अधिनियम में जो परिभाषा दी गयी

है, उसी को माना जायेगा और जब उस परिभाषा को आप मानेंगे तो विभेद नहीं कर सकते हैं जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि प्रबन्धक के सम्बन्धी और प्राचार्य के सम्बन्धी जो हैं उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, टीचर रिप्रेजेन्टेटिव की ओर से एक प्रतिनिधि होता है लेकिन आयोग ने उसे डिसक्वालीफाइड नहीं माना है, टीचर का जो सम्बन्धी है वह क्वालीफाइड है और मान्यवर, आज वह क्वालीफाइड है और आज की किसी परिभाषा में अध्यापक की परिभाषा आचार्य और प्राचार्य की विभिन्न परिभाषायें हैं तो अगर आचार्य का रिश्तेदार या सम्बन्धी क्वालीफाइड है और कहीं इसकी परिभाषा प्राचार्य की परिभाषा से भिन्न नहीं है और सम्मिलित है तब आप उसको अलग नहीं कर सकते । इसलिये मैं समझता हूं कि जो यह विसंगति उत्पन्न हो गयी है इस एनामली को दूर करने के लिये और संविधान में जो हमारी पैरिटी और इक्विटी का सिद्धान्त है मैं समझता हूं उसके तहत जो संसोधन माननीय गुप्ता जी ने रखा है इसे प्रवर समिति में भेजने का वह उचित है । आप उसको निर्देशित कर सकते हैं कि प्रवर समिति जल्दी से फैसला करके अपना प्रतिवेदन दे दें । इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी ।

श्री राम चन्द्र बख्श सिंह—

मान्यवर, अब कुछ नहीं कहना है ।

श्री राजेन्द्र गुप्त—

अब मैं कह चुका हूं ।

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, अभी माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा था कि दिशा भ्रम हो गया था । मैं उनका ही वाक्य दुहराना चाहता हूं । कहीं अगर मैनेजमेन्ट दिशा भ्रमित हो गया हो तो इसकी जिम्मेदारी शासन पर किसी तरह से नहीं आती। जो अध्यापक शब्द था कठिनाई निवारण अध्यादेश में उसका मूल मन्तव्य साफ था । उसमें प्राचार्य नहीं था । यदि वे किसी रूप में नियुक्त कर लिये गये हों तो उन्होंने उसे अपने रिस्क पर किया था । यह तो इन्टरप्रिटेशन की बात थी । वह गलत था । जो समझौता हुआ था उसके लिहाज से 3-1-84 तक के लोगों को समायोजित कर लिया जाय । हमने तो 22 जून, 1985 तक जो तदर्थ नियुक्ति हुई थी उनको भी इसके तहत समायोजित कर लिया है । 55 लोग जो रह गये थे उनके चयन की बात थी । मान्यवर, आयोग एक स्वायत्तशासी संस्था है । उसके लिए अधिनियम इसी महान सदन से हुए हैं । मैं समझता हूं कि इस शासकीय का मन्तव्य और उसकी पूर्ति इस अधिनियम के अन्तर्गत किया गया है और उसका पूरा प्रयास किया गया है ।

माननीय राना साहब जो बातें कह रहे थे वह इससे सम्बद्ध नहीं थी । कठिनाई निवारण अध्यादेश जो था वह 3 जनवरी, 84 से लेकर 22 जून, 1985 तक है । इस लिये जो संशोधन आया है प्रवर समिति में ले जाने का उसका मैं विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

क्या आप इसे वापस ले रहे हैं ?

श्री राजेन्द्र गुप्त—

जी नहीं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1985 का अननुमोदन करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय, जो एक माह के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत करे ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 12 का संशोधन

(2) यह 22 जून, 1985 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

2—उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 12 में, उपधारा (1) में, शब्द 'इसके अधीन बनाई गयी परिनियमावली में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी' के पश्चात् शब्द 'किन्तु धारा 16, 31-क और 31-ख के उपबन्धों के अधीन रहते हुए' बढ़ा दिये जायेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग माना जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 3

नयी धारा 31-ख का बढ़ाया जाना ।

कतिपय तदर्थ नियुक्तियों का नियमितीकरण—

3—मूल अधिनियम की धारा 31-क के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जायगी, अर्थात्—"31-(ख)-(1) प्राचार्य से भिन्न प्रत्येक अध्यापक को, जो उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1982 या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 1983 के उपबन्धों के अनुसार किसी मौलिक रिक्ति में तदर्थ आधार पर 3 जनवरी, 1984 को या इसके पूर्व सीधे नियुक्त हुआ है और जो सम्बन्धित परिनियमावलियों के उपबन्धों के अधीन विहित अर्हतायें रखता है या जिसे उन उपबन्धों के अनुसार ऐसी अर्हताओं से छूट दी गयी है, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1985 के प्रारम्भ के दिनांक से मौलिक रूप में नियुक्त समझा जायेगा बशर्ते ऐसा अध्यापक ऐसी तदर्थ नियुक्ति के दिनांक से ऐसे प्रारम्भ के दिनांक तक उस महाविद्यालय में निरन्तर कार्य करता रहा हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन मौलिक रूप में नियुक्त समझे गये प्रत्येक अध्यापक को ऐसे प्रारम्भ के दिनांक से परिवीक्षा पर समझा जायेगा ।

(3) इस धारा की, किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायगा कि कोई अध्यापक मौलिक नियुक्ति का हकदार है, यदि—

(क) ऐसे प्रारम्भ के दिनांक को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार, ऐसा

पद पहले ही भर दिया गया हो, या ऐसे पद के लिये चयन किया जा चुका है, या

(ख) ऐसा अध्यापक संबंधित महाविद्यालय के प्रबन्धतन्त्र के किसी सदस्य या उसके प्राचार्य का सम्बन्धी है ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिये किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का सम्बन्धी समझा जायेगा यदि वह उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 20 के स्पष्टीकरण में उल्लिखित रीति से उसका सम्बन्धी हो ।"

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 में मूल अधिनियम की धारा 31-क के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 31-(ख) (1) की प्रथम पंक्ति से शब्द 'प्राचार्य से भिन्न' निकाल दिये जायें । इस पर तर्क हम पहले ही प्रस्तुत कर चुके है ।

श्री अधिष्ठाता—

मंत्री जी, क्या आपको स्वीकार है ?

श्री सिब्ते रजी—

अस्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में मूल अधिनियम की धारा 31-क के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 31-(ख) (1) की प्रथम पंक्ति से शब्द 'प्राचार्य से भिन्न' निकाल दिए जायें ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 में मूल अधिनियम की धारा 31-क के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 31-(ख) (3) (क) को निकाल दिया जाय ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, आपको यह स्वीकार है ?

श्री सिब्ते रजी—

मैं इसे अस्वीकार करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में मूल अधिनियम की धारा 31-क के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 31-(ख)-(3) (क) को निकाल दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री राजेन्द्र गुप्त—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड 3 में मूल अधिनियम की धारा 31-क के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 31-(ख) (3) (ख) की दूसरी पंक्ति से शब्द 'या उसके प्राचार्य' निकाल दिये जायें ?

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, आपको यह स्वीकार है ?

श्री सिब्ते रजी—

अस्वीकार है ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 में मूल अधिनियम की धारा 31-क के पश्चात् प्रस्तावित नयी धारा 31-(ख) (3) (ख) की दूसरी पंक्ति में शब्द 'या उसके प्राचार्य' निकाल दिये जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 3 इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 4, खण्ड 1 प्रस्तावना और शीर्षक

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 14 सन् 1985 ।

4—(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1985 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में, निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त थे ।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारितद्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए ।

विधेयक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1985 कहा जायगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड 4, खण्ड 1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सिब्ते रजी—

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1985, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता—

नियम 51 के अंतर्गत आज 7 सूचनाएं प्राप्त हुई । इसमें श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा की मसौनी पम्प कैनाल योजना के अधूरे निर्माण से किसानों की सैकड़ों एकड़ भूमि बर्बाद होने के संबंध में है, इसे स्वीकार किया है, अन्य 6 सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय—

वक्तव्य की कापी नहीं मिली ।

बांदा जनपद में मसौनी पम्प कैनाल योजना के अधूरे निर्माण के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत होने वाले वक्तव्य के स्थगन की सूचना

श्री अधिष्ठाता—

मद संख्या 15-बांदा जनपद में मसौनी पम्प कैनाल योजना के अधूरे निर्माण से किसानों की सैकड़ों एकड़ उपजाऊ भूमि बर्बाद होने के संबंध में श्री सुरेन्द्र पाल वर्मा द्वारा दी गयी सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत सिंचाई मंत्री के वक्तव्य को माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से मंत्री जी की प्रार्थना पर दिनांक 24-8-85 को रख दिया गया है । इसलिए आज यह नहीं होगा ।

अब हम उठते हैं और कल दिनांक 20-8-85 को पूर्वाह्न 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन रात्रि 10 बजकर 48 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

19 अगस्त, 1985

नत्थी 'क'

(देखिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न सं02 का उत्तर पीछे पृष्ठ 2 पर)

संलग्नक-सूची

1—वेतन वितरण अधिनियम तत्काल लागू कर अन्य शिक्षकों के समान प्रतिमास वेतन का भुगतान ।

2—राजकीय कर्मचारियों के समान पेन्शन, प्राविडेंट फण्ड, बीमा ।

3—आवास भत्ता, सेलेक्शन ग्रेड, चिकित्सा सुविधा आदि अन्य शिक्षकों को प्राप्त सुविधायें ।

4—दिनांक 31 जनवरी, 1985 को शासन द्वारा निर्गत नवीन मानक का संस्कृत विद्यालयों के हित में तत्काल संशोधन ।

5—संस्कृत वाङ्मय एवं भाषा के बहुमुखी विकासार्थ विगत कई वर्षों से अवरुद्ध मान्यता का तत्काल कार्यान्वयन ।

6—संस्कृत विश्वविद्यालय की परिनियमावली के अनुसार संस्कृत विद्यालयों के रिक्त पदों पर तदर्थ नियुक्ति अविलम्ब कर अध्ययनाध्यापन का रोड़ा दूर करना तथा तदर्थ नियुक्त अध्यापकों का स्थायीकरण ।

7—सभी श्रेणियों के संस्कृत विद्यालयों में एक-एक लिपिक, भृत्य व पुस्तकालयाध्यक्ष के पद सृजित कर उन्हें नवीन वेतनमान का लाभ ।

8—सन् 1979 से 82 तक के नवीन वेतनमान का एरियर तथा सन 1982-83 व 1983-84 के बोनस का अविलम्ब भुगतान ।

9—शास्त्री कक्षा तक आधुनिक विषयों का अध्यापन करने वाले अध्यापकों को प्रवक्ता का वेतनमान ।

10—सभी श्रेणियों के संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों को न्यूनतम सी0 टी0 ग्रेड का वेतन ।

11—सन् 1981-82 के पश्चात् प्रथम श्रेणी में वर्गीकृत संस्कृत महाविद्यालयों के लिपिकभृत्यों को भी तत्काल नवीन वेतनमान का भुगतान ।

12—संस्कृत भाषा और साहित्य के सर्वांगीण विकासार्थ राजस्थान आदि राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश राज्य में भी शीघ्रातिशीघ्र स्वतंत्र संस्कृत निदेशालय की स्थापना ।

13—पर्वतीय अंचलों में विद्यमान चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को अन्य विभागों की भांति सीमान्त वेतन/पर्वतीय भत्ते का 1 दिसम्बर, 1982 से राज्यादेश ।

14—प्रदेश के समस्त संस्कृत विद्यालयों का प्रान्तीयकरण/पर्वतीय संस्कृत विद्यालयों का प्रान्तीयकरण ।

नत्थी 'ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 6 का उत्तर पीछे पृष्ठ 17 पर)

प्रेषक,

डा0 सुरेन्द्रपाल वर्मा,

विधायक,

नरैनी, बांदा ।

सेवा में,

माननीय ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी,

उत्तर प्रदेश शासन,

लखनऊ ।

बांदा जनपद के ब्लाक नरैनी में ए0डी0ओ0 (पं0) श्री कृपा शंकर दीक्षित कार्यरत हैं । ये ग्राम पंचायत अधिकारी थे और ग्राम पंचायत अधिकारियों में काफी जूनियर रहे । रिश्वत के बल पर इन्होंने अपना प्रमोशन करा कर ए0डी0ओ0 पंचायत हो गये हैं जबकि इनसे वरिष्ठ ग्राम पंचायत अधिकारी आज भी उसी पोस्ट पर कार्यरत हैं । पिछले महीनों इन्हें रिवर्ट कर दिया गया था परन्तु जिला पंचायत राज अधिकारी से साठ-गांठ करके ए0डी0ओ0 पंचायत को जबरदस्ती छुट्टी दिलवा के उनके स्थान पर पुनः ए0डी0ओ0 पंचायत पद पर कार्यरत हो गये हैं । ये निर्माण कार्यों में ग्राम प्रधानों को रुपयों के चेक तभी देते हैं जब उनसे रिश्वत का पैसा वसूल लेते हैं । अभी नरैनी ब्लाक पल्हरी ग्राम में हरिजन कालोनी का निर्माण इनकी देख-रेख में हुआ कालोनी की दीवारों में चारों तरफ ईंटा लगवाया गया तथा बीच में मिट्टी भरवा दिया जिससे बरसात में निश्चित ही पूरी कालोनी ढह जावेगी । नरैनी ब्लाक के ही ग्राम तुर्रा में हरिजनों का अन्त्योदय का रुपया इसने ग्राम पंचायत अधिकारी को रिश्वत के लालच में बांटने को नहीं दिया जो अब तक शेष पड़ा है । तुर्रा क्षेत्र ग्राम पंचायत राज अधिकारी की मृत्यु भी हो गई और इन्होंने आज तक रुपया हरिजनों को महज रुपये की लालच में नहीं दिया । नरैनी ब्लाक में पंचायत भवन एवं खड़ंजा जो भी इनके देख-रेख में बन रहे हैं, वह एकदम कमजोर एवं भ्रष्ट तरीके से बना है क्योंकि इन्होंने निर्माणकताओं से रुपया वसूला है । शराब पीना तथा जुआ खेलना इनका रोजमर्रा का कार्य हो गया है । बी0डी0ओ0 नरैनी के सरकारी निवास में ये अपने स्टाफ के साथ ड्यूटी टाइम में भी शराब पीते और जुआ खेलते रहते हैं । डी0पी0आर0 ओ0 से इनकी साठ-गांठ चलती है अतः जांच किसी उच्च अधिकारी से कराई जाय ।

अतः कृपया उपरोक्त की जांच करते हुए इन्हें अविलम्ब रिवर्ट किया जाय ।

भवदीय,

सुरेन्द्रपाल वर्मा

24-5-85

नत्थी 'ग'

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0 11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 19 पर)

क्रमांक	कार्य का विवरण	संख्या	लम्बाई (कि0मी0)	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1—ग्रामीण सम्पर्क मार्ग				
	(अ) मिट्टी का कार्य	68	141·90	
	(ब) पुलियों का कार्य	151		
	(स) सोलिंग	23	28·10	
2—मध्य सतह, ऊपरी सतह व दो कोट डामर लेन का कार्य		1	1·50	
3—मिट्टी पुलियां व सोलिंग		1	2·00	
4—पीपों के पुल का निर्माण रजबहा पर		1	. .	कार्य प्रगति है।
5—कंकड़ मेटलिंग रोड का निर्माण			12·50	
6—ठर्रा नाले पर पुल का निर्माण		2	. .	कार्य प्रगति पर है।
7—हरिजन पेय जल कूप		14		
8—लघु सीमान्त कृषकों को पौध वितरण		8,36,000		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न सं0 38 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

संलग्नक 1

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों को विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु धनराशि आवंटन के मापदण्ड

क—एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम

भारत सरकार द्वारा इस योजना के लिये विकास खण्डवार परिव्यय निर्धारित किया गया है अतएव जनपद में विकास खण्डों की संख्या के अनुसार धनराशि का आवंटन किया जाता है ।

ख—लघु तथा सीमान्त कृषकों को कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु सहायता योजना

इस योजना में भी भारत सरकार द्वारा विकास खण्डवार परिव्यय निर्धारित किया गया है अतएव विकास खण्डों की संख्या के अनुसार जनपदों को धनराशि आवंटित की जाती है ।

ग—राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना

इस योजना में जनपद में सीमान्त कृषकों की संख्या भूमिहीन कृषकों की संख्या तथा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवारों की संख्या के आधार पर धनराशि का आवंटन किया जाता है । पर्वतीय क्षेत्रों के लिये विशेष आवंटन किया जाता है ।

घ—ग्रामीण भूमिहीन गारण्टी योजना

यह योजना शत प्रतिशत केन्द्र पोषित है । भारत सरकार को सेन्ट्रल कमेटी द्वारा जिलों के प्रोजेक्ट स्वीकृत किये जाते हैं तथा भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रोजेक्ट के अनुसार धनराशि आवंटित की जाती है ।

नत्थी 'ङ'

संलग्नक 2

जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों की गवर्निंग बाडी के सदस्यों की सूची

1—जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2—मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिलाधिकारी (परियोजना)/परियोजना निदेशक/जिला विकास अधिकारी जो एकीकृत ग्राम्य विकास परियोजना/राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी है ।	सदस्य सचिव
3—राज्य सरकार का प्रतिनिधि जिसे सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा नामित किया जायेगा ।	सदस्य
4—जिला सहकारी बैंक का प्रबन्ध निदेशक	सदस्य
5—सहायक निबन्धक सहकारी समितियां	सदस्य
6—लीड बैंक का अधिकारी	सदस्य
7—सामान्य प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	सदस्य
8—सहायक अभियन्ता, अल्प सिंचाई	सदस्य
9—जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
10—जिला पशुधन अधिकारी	सदस्य
11—संसद सदस्य/विधान सभा सदस्य/विधान परिषद् सदस्य स्वयं अथवा उनके द्वारा नामित एक-एक प्रतिनिधि ।	सदस्य
12—निर्बल वर्ग के दो गैर सरकारी व्यक्ति जिनमें से एक अनुसूचित जाति एवं जनजाति से होगा तथा दूसरा सदस्य अल्पसंख्यक समुदाय से होगा । जिन्हें 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित किया जायेगा ।	सदस्य
से होगा । जिन्हें 20 सूत्रीय कार्यक्रम के प्रभारी मंत्री द्वारा नामांकित किया जायेगा ।	सदस्य
14—जनपद के कोई दो ब्लाक प्रमुख	सदस्य
15—अपर जिला विकास अधिकारी (हरिजन कल्याण)	सदस्य

नत्थी 'च'

(देखिये अतारांकित प्रश्न संख्या 66 का उत्तर पीछे पृष्ठ 46 पर)

ट्राइसेम योजनान्तर्गत प्रशिक्षित व्यक्तियों के लम्बित ऋण प्रार्थना-पत्रों की तालिका बैंकवार वर्षवार एवं अब तक ऋण वितरण न किये जाने का कारण सहित विवरण जनपद बस्ती ।

(5वें सोमवार के लिये अतारांकित प्रश्न संख्या 51 का संलग्नक)

क्रम/बैंक का नाम	वर्षवार लम्बित ऋण प्रार्थना-पत्रों की संख्या						योग	लम्बित ऋण प्रार्थना पत्र के कारण का विवरण
	1980–81	1981–82	1982–83	1983–84	1984–85	1985–86		
1—भारतीय स्टेट बैंक, वाल्टरगंज	..	..	..	7	..	..	7	बैंक की उदासीनता ।
2—इलाहाबाद बैंक, बस्ती	..	..	..	..	1	..	1	,,
3—ग्रामीण बैंक, गोठवा	..	..	..	..	1	..	1	,,
4—पंजाब बैंक, साऊघाट	..	..	..	..	..	1	1	औपचारिकता पूरी की जा रही है
5—ग्रामीण बैंक, चिलमा	..	..	..	..	6	..	6	शाखा प्रबन्धक के प्रशिक्षण में जाने के कारण वितरण कार्य में है ।
6—ग्रामीण बैंक, पिपरा गौतम	..	..	..	..	..	18	18	,,
7—ग्रामीण बैंक, बहादुरपुर	..	..	..	..	..	12	12	,,
8—पंजाब बैंक, सल्टौआ	..	..	..	..	..	3	3	बैंक की उदासीनता ।
9—स्टेट बैंक, खलीलाबाद	..	..	..	..	6	..	6	,,
10—इलाहाबाद बैंक, बस्ती	..	..	..	..	3	..	3	,,
11—ग्रामीण बैंक, विश्वनाथपुर	..	..	..	..	1	..	1	,,
12—ग्रामीण बैंक, मीरगंज	..	..	..	..	17	..	17	,,
13—ग्रामीण बैंक, कोपिया	..	..	..	..	6	..	6	,,

अनावृत विधान सभा

14—स्टेट बैंक, बखिरा	..	..	..	..	..	4	4	भुगतान कार्यवाही चल रही है ।
15—ग्रामीण बैंक, महुली	..	..	..	..	..	1	1	,,
16—पंजाब बैंक, धनघटा	..	..	..	..	6	..	6	,,
17—ग्रामीण बैंक, मुखलिसपुर	..	..	..	..	19	..	19	,,
18—ग्रामीण बैंक, साड़ेकला	..	..	..	..	12	..	12	,,
19—सेन्ट्रल बैंक, प्रतापपुर	..	..	..	..	2	..	2	,,
20—ग्रामीण बैंक, गोनहा	..	..	..	..	..	1	1	,,
21—ग्रामीण बैंक, पथेरा बाजार	..	..	..	..	1	2	3	,,
22—स्टेट बैंक, बांसी	..	..	..	..	2	..	2	प्रशिक्षार्थी ऋण लेने से अयोग्य है ।
23—सेन्ट्रल बैंक. प्रतापपुर	..	..	..	..	1	..	1	बैंक की उदासीनता ।
24—स्टेट बैंक, रुधौली	3	4	13	..	1	..	21	ऋण लेने से इंकार ।
25—ग्रामीण बैंक, मोहाना	..	..	..	..	1	..	1	बकायादार ।
26—स्टेट बैंक, बर्डपुर	..	..	..	..	1	..	1	अस्पष्ट ।
27—स्टेट बैंक, उसका बाजार	..	..	..	3	..	..	3	आवेदित वस्तु पूर्ति में कठिनाई है ।
28—स्टेट बैंक (कृषि), नौगढ़	..	..	..	..	1	..	1	,,
29—ग्रामीण बैंक, लोटन	..	..	..	1	1	..	2	,,
30—ग्रामीण बैंक, सोहाल	..	..	..	..	1	..	1	,,
31—ग्रामीण बैंक, सेमरीखानकोट	..	..	..	..	..	4	4	भुगतान कार्यवाही चल रही है ।
32—स्टेट बैंक, इटवा	..	..	..	..	2	..	2	,,
33—ग्रामीण बैंक, अखनहरा	..	..	..	..	1	1	2	,,
34—ग्रामीण बैंक, महराजगंज	..	..	..	..	8	..	8	बैंक की उदासीनता ।
35—ग्रामीण बैंक, विशेषरगंज	..	..	..	..	..	1	1	,,
योग ..	3	4	13	11	101	48	180	

पी0 एस0 यू0 पी0—49 वि0 सभा—21-1-86—813 (लाइनो) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा